"सौर" जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर उत्थान में पंचायती राज की भूमिका – एक समाजशास्त्रीय अध्ययन"

(टीकमगढ़ जिले की निवाड़ी तहसील के सन्दर्भ में)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी की

पी–एच0डी0 (समाजशास्त्र) उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध–प्रबन्ध

निर्देशक

डा. संध्याकुमारी
प्रवक्ता समाजशास्त्र
आर्य कन्या (पी.जी..) कालेज
झाँसी (उ0प्र0)

शोधकर्ता
Brijendra Singh
(ब्रजेन्द्र सिंह चौहान)
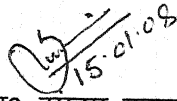
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
झाँसी (उ0प्र0)

डा0 संध्या कुमारी
प्रवक्ता समाजशास्त्र

समाजशास्त्रीय विभाग
आर्य कन्या पोस्ट ग्रेजुएट
कांलेज, सीपरी बाजार झाँसी

प्रमाण पत्र

श्री ब्रजेन्द्र सिंह चौहान द्वारा विरचित शोध "सौर जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर उत्थान में पंचायती राज की भूमिका– एक समाजशास्त्रीय अध्ययन"(टीकमगढ जिले की निवाडी तहसील के सन्दर्भ में) के मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करते हुये हमें अत्यन्त हर्ष एवं प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। शोधार्थी श्री ब्रजेन्द्र सिंह चौहान ने कठिन परिश्रम के साथ अधुनातम शोधो के आलोक में प्राथमिक एवं द्वैतीयक स्रोतो पर आधारित नवीन सामग्री का सयोजन कर इस मौलिक शोध प्रबन्ध को प्रस्तुत किया है। शोधार्थी ने मेरे निर्देशन में स्वतन्त्र रूप से सम्पूर्ण शोध कार्य किया है तथा विवृत सामग्री का लेखन कार्य निष्प्रभावित, निष्पक्ष, पूर्वाग्रहहीन और तटस्थ रहकर किया है।

15.01.08

डा0 संध्या कुमारी
प्रवक्ता समाजशास्त्र
आर्य कन्या पोस्ट ग्रेजुएट
कालेज, सीपरी बाजार झाँसी

"आमुख"

भारत में ग्राम पंचायतो का प्राचीन काल से ही अत्यधिक महत्व रहा है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो को अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए म0प्र0 देश का दूसरा प्रदेश है जिसने अपने प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की है।

पंचायती राज व्यवस्था तथा भारतीय जनजातियों के बारे में अनेक शोधकार्य हो चुके है। भारतीय जनजातियों की दशा अनेक कालों और सभ्यताओं में भिन्न–भिन्न प्रकार की रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी जनजातियों की दशा और दिशा में अपेक्षित सुधार नही हो पाया है। यद्यपि भारत के जनजातीय कल्याण मंत्रालय द्वारा करोडो रूपया का वार्षिक अनुदान जनजातियों के उत्थान तथा विकास हेतु प्रदान किया जाता है। इन्ही भारतीय जनजातियों में 'सौर' जनजाति एक है जो उपेक्षा के दंश की शिकार है। यह जनजाति मध्यप्रदेश के टीकमगढ, छतरपुर, पन्ना तथा सतना जिलों में निवास करती है। शोधकर्ता का अध्ययन क्षेत्र टीकमगढ जिले की निवाडी तहसील है। तहसील निवाडी के कई गांवो में सौर जनजाति निवास करती है।

सौर जनजाति पर आज तक किसी शोद्यार्थी द्वारा गहन शोधकार्य नही किया गया है और न ही इन से सम्बन्धित साहित्य उपलब्ध है। वर्तमान शोधकार्य समाजशास्त्रीय उत्सुकता के फलस्वरूप है और यह शोधकार्य तहसील निवाडी के पांच गांवो (उरदौरा, अस्तारी, नयाखेरा, कुलुआ, जमुनियां) के अध्ययन पर आधारित शोध विषय–"सौर" जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर उत्थान में पंचायती राज की भूमिका–एक समाजशास्त्रीय अध्ययन पर किया गया है। शोधकार्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के पश्चात "सौर" जनजाति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण किया गया है।

मुझे सौभाग्य से 'सौर' जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर उत्थान में पंचायती राज की भूमिका के सन्दर्भ में तहसील निवाडी के कुछ गांवो के सौर जनजातियों का अभिमत जानने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसका श्रेय डा0 संध्या कुमारी प्रवक्ता समाज शास्त्र विभाग आर्यकन्या महाविद्यालय झाँसी के उचित मार्गदर्शन

को जाता है जिन्होने मुझे शोध प्रबन्ध लिखने को प्रेरित कर एक सुअवसर प्रदान किया।

शोधार्थी पूज्यनीया डा0 संध्या कुमारी प्रवक्ता समाजशास्त्र विभाग आर्यकन्या महाविद्यालय झाँसी का बहुत आभारी हूँ जिन्होने सर्वप्रथम सौर जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर उत्थान में पंचायती राज की भूमिका की समस्या से अवगत कराया और इस समस्या पर अनेक बार प्रकाश डाला। अपने बहुमूल्य सुझावो द्वारा इस शोधकार्य को उत्कृष्ट बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान तथा अमूल्य समय दिया। शोधार्थी अपने पूज्य गुरू डा0 पी0के0 सिंह प्रवक्ता समाजशास्त्र विभाग राजकीय कन्या महाविद्यालय झाँसी का भी बहुत आभारी हूँ जिन्होने इस कार्य के लिए मार्गदर्शन दिया तथा मेरे उत्साह को बढाया।

इसके अतिरिक्त मै अध्ययन क्षेत्र में सभी सौर जनजातियों का भी आभारी हूँ जिन्होने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिये तथा रूचि लेकर मुझे सहयोग दिया।

मै अपने मित्रो राजेश कुमार, पीयूष तथा धीरज का भी ह्दय से आभारी हूँ जिन्होने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से भरपूर सहयोग दिया। मै अपनी माता जी श्रीमती बृजेश चौहान, पूज्य पिताजी श्री लाल सिंह चौहान, आदरणीय जीजा जी श्री राजेन्द्र सिंह तोमर, पत्नी श्रीमती ममता सिंह का भी आभारी हूँ जिन्होने मुझे शोधकार्य के लिये प्रेरित किया। मेरे उत्साह को बढाया तथा महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। मुझे अपने भाई–बहनो के स्नेह से भी प्रस्तुत समस्या पर शोध कार्य करने की प्रेरणा मिली।

शोधार्थी

ब्रजेन्द्र सिंह चौहान

अनुक्रमणिका

"सौंर" जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर उत्थान में पंचायती राज की भूमिका – एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" (टीकमगढ़ जिले की निवाड़ी तहसील के सन्दर्भ में)

अध्याय–प्रथम :– **1- 36**

1. प्रस्तावना
2. मध्यप्रदेश में प्राचीन इतिहास
3. आदिवासी संस्कृति
4. आदिवासियों का धर्म
5. अदिवासी इतिहास
6. आदिवासियों की समस्यायें तथा सरकार द्वारा किये जा रहे समाधान
7. पंचायती राज
8. भारत सरकार द्वारा पारित 73वें संशोधन के प्रमुख प्रावधान
9. पंचायती राज की आवश्यकता तथा महत्व
10. अध्ययन की आवश्यकता
11. अध्ययन का उद्देश्य
12. अध्ययन की उपयोगिता एवं महत्व
13. अध्ययन क्षेत्र का सीमांकन
14. सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन

अध्याय–द्वितीय :– शोध प्रारूप **37- 64**

1. अध्ययन विधि
2. पद्धतिशास्त्र
3. वैज्ञानिक पद्धति
4. शोध प्ररचना
5. उपकल्पना

6. शोध पद्धतियाँ –अवलोकन
–अनुसूची
–साक्षात्कार
7. उत्तरदाताओं का चयन– निदर्शन पद्धति
8. तथ्य विश्लेषण

अध्याय तृतीय :– सामुदायिक व्यवस्था **65 - 97**
1. भौगोलिक स्थिति
2. जलवायु
3. वर्षा
4. भूमि
5. कृषि – फसलवार खरीफ का क्षेत्रफल(हेक्टेयर)
– फसलवार रबी का क्षेत्रफल(हेक्टेयर)
– फसल घनत्व
6. साक्षरता
7. शिक्षा की सुविधायें
8. चिकित्सा एवं स्वास्थ सुविधायें
9. ग्रामीण जल आपूर्ति
10. सड़क एवं यातायात के साधन
11. डाक सम्बधी एवं दूर–संचार सुविधायें
12. बोली–भाषा
13. अध्ययन हेतु चयनित ग्रामों के सौर जनजातियों के स्वामित्व की भूमि
14. जनसंख्या का प्रारूप

अध्याय–चतुर्थ :– सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन **98 - 120**
1. पारिवारिक संरचना
2. विवाह
3. विवाह का उद्देश्य

4. खान—पान

5. वस्त्राभूषण

6. धर्म के प्रति आस्था

7. टोटमवाद

8. अन्यजातियों के साथ सामाजिक सम्बन्ध

9. सामाजिक अपराध

10. पंचायत

11. नामकरण संस्कार

12. पितृपूजा

13. अन्तेष्टि संस्कार

अध्याय पंचम :— आर्थिक संरचना में परिवर्तन **121 - 178**

1. सौर जनजाति की कुल जनसंख्या का ग्रामवार व्यवसायिक जानकारी

2. साख संस्थायें

3. कृषि वित्त के साधन

4. सहकारी संस्थायें

5. विपणन सुविधायें

6. उद्योग

7. निवास स्थान की स्थिति

8. जनजातीय उपयोजना

9. अन्त्योदय योजनाएँ

10. मध्यप्रदेश शासन की ओर से अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु विभिन्न विभागो द्वारा क्रियान्वित योजनाएं—

– पंचायत एवं ग्रामीण विकास

– कृषि

– उद्यानिकी

– सहकारिता

– वन

– खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

– हस्तशिल्प विकास निगम

– रेशम विकास संचाालनालय

– मत्स्य–पालन

– हथकरघा संचालनालय

– शिक्षा

– लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

– इन्दिरा गॉंधी गरीबी हटाओ परियोजना

11. आर्थिक प्रतिमानों का विवरण

अध्याय–षष्ठम् :– सौर जनजाति संकमण काल में **179 - 186**

अध्याय–सप्तम् :– राजनीतिक जीवन में परिवर्तन **187 - 210**

1. भारत की जनजातियों द्वारा आन्दोलन
2. भारत में जनजातियों के लिए संवैधानिक व्यवस्थायें :

– अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन

– कल्याण तथा सलाहकार एजेन्सियॉं

– राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग

– संसदीय समिति

– राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम

– राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति विकास

– अनुच्छेद 275(1) के प्रथम निगम प्रावधान के अन्तर्गत अनुदान

– नौकरियों में आरक्षण

3. अध्ययन क्षेत्र में कुल सौर जनजातियों के मतदाताओं की जानकारी
4. सौर लोग किस प्रकार के उम्मीदवार को अपना वोट देगें।

5. पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण व्यवस्था का प्रमुख कारण
6. ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था का प्रभाव
7. पंचायतीराज व्यवस्था का मूल उद्देश्य
8. पंचायतीराज व्यवथा में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी का लाभ
9. पंचायतीराज व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों का मुख्य योगदान
10. पंचायतीराज व्यवस्था की सफलता में सुधार की आवश्यकता
11. अध्ययन क्षेत्र तहसील निवाड़ी, जिला–टीकमगढ़(म.प्र.) में पंचायतीराज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर राजीतिक आरक्षण के अन्तर्गत पदों पर आसीन सौर जनजाति के लोग।

अध्याय अष्टम् :– निष्कर्ष 211 - 218

अध्याय नवम् :– संदर्भ ग्रन्थ सूची 219 - 222

साक्षात्कार :– अनुसूची 223 - 232

मास्टरचार्ट, संकेतक संलग्न 233 - 281

अध्याय- प्रथम

प्रस्तावना

प्रस्तावना :

अध्ययन क्षेत्र तहसील–निवाड़ी, जिला–टीकमगढ़ (म0प्र0) में निवास करने वाली "सौंर" जनजाति को द्वितीय अनुसूची (देखें धारा–4) अध्याय–1 संविधान (अनुसूचित जनजाति) अध्यादेश अनुसूची भाग VIII मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक– 49 1907–1 ह.आ. से दिनांक 31 जनवरी, 1978 द्वारा प्रसारित की गई तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अध्यादेश (संशोधन अधिनियम 1976) (क्रमांक 108, 1976 का) दिनांक 18 सितम्बर, 1976 अनुसार उल्लेखित है।

जनजातियां भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग रही है। जनजाति अथवा आदिवासी किसी भी क्षेत्र में निवास करते हों, उनका इतिहास सामान्यतः पृथक–पृथक ही होता है। मध्यप्रदेश भारतवर्ष में कदाचित क्षेत्रफल में सबसे बड़ा प्रदेश था किंतु छत्तीसगढ़ के विभाजन के पश्चात् अब नहीं रहा है। इस प्रदेश में विभिन्न जनजातियाँ निवास करती हैं, जैसे– भील, गोड़, कोल, बैगा, सौंर................. आदि प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। यहाँ पर मध्यप्रदेश की जनजातियों का इतिहास देना अप्रसांगिक प्रतीत नहीं होता है।

जनजाति, आदिवासी, मूलनिवासी :

महाद्वीपों के दुर्गम क्षेत्रों में आज भी ऐसे अनेक मानव समूह हैं जो हजारों वर्षों से शेष विश्व की सभ्यता से दूर अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की पहचान बनाये हुए हैं। ये मानव–समूह बीहड़, वनों, मरूस्थलों, ऊँचे पर्वतों और अनुर्वर पठारों के उन अंचलों में निवास करते हैं जिन्हें आधुनिक समाज की अर्थदृष्टि अनुत्पादक मानती हैं। इन मानव समूहों का अपना अनुल्लिखित इतिहास था जिसका केवल अंतिम पृष्ठ ही शेष रह गया है और उसमें यह यह लिखा हैं कि न जाने किस समय यह समूह छोटे–छोटे ऐसे कबीलों में बँट गया जिनमें एक दूसरे की पहचान और रिश्तों की डोरी या तो टूट चुकी है या उलझ चुकी है। हिन्दी में ऐसे मानव समूहों के लिए "आदिवासी" "आदिमवासी" "कबीली आबादी"

और ''जनजाति'' जैसे संबोधन हैं। ये सभी शब्द अंग्रेजी भाषा के ''नेटिव'', ''एबोरिजनल'', और ''ट्राइब'' (या ट्राइबल्स) शब्दों के पर्याय हैं।

'समाजशास्त्रियों ने आदिवासियों या जनजातियों के गुण–धर्मों को परिभाषित करने का प्रयास किया ताकि अकादमीय सन्दर्भों में इस शब्द को रूढ़ बनाया जा सके', ''ट्राइब'' शब्द की समाजशास्त्रीय परिभाषाओं में से कुछ निम्नलिखित है :–

1. **गिलिन और गिलिन की परिभाषा के अनुसार–** ''स्थानीय जाति–समूहों का एक ऐसा समुदाय जनजाति कहलाता है, जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता है तथा जिसकी एक सामान्य संस्कृति है।''

2. **राल्फपिडिंगटन ने जनजाति का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि–** ''हम एक जनजाति की व्याख्या व्यक्तियों के ऐसे समूह के रूप में कर सकते हैं जो समान भाषा बोलता हो, समान भू–भाग में निवास करता हो तथा जिसकी संस्कृति में समानता पाई जाती हो।''[1]

भारत में ''ट्राइब'' शब्द के स्थान पर अब ''शेड्यूल्ड ट्राइब'' नामक शब्द है। जिसे हिन्दी में 'अनुसूचित जनजाति'' अनुदित किया जाता है।[2]

अनुसूचित जनजाति :

अनेक प्रसिद्ध समाजशास्त्री आदिवासियों को तथाकथित आदिवासी (सोकाल्ड़ एबोरीजनल्स) कहना उचित समझते हैं। उनके अनुसार भारतीय आदिवासियों के लिए उचित संबोधन है, ''पिछड़े हुए हिन्दू''। उनके अनुसार इन्हें तकनीकी तौर पर ''अनुसूचित जनजाति'' कहा जाये।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 खण्ड 1 में घोषित किया गया है :

Scheduled tribes are the tribes or tribal- Communities or parts of or groups within such tribes or tribal communities which the president may-specify by public notification under article 342 (1)[3]

---

1. मध्यप्रदेश की जनजातियां, डा0 शिवकुमार तिवारी, डा0 श्री कमल शर्मा, पृष्ठ संख्या 03
2. मध्यप्रदेश की जनजातियां, डा0 शिवकुमार तिवारी, डा0 श्री कमल शर्मा, पृष्ठ संख्या 04
3. मध्य प्रदेश की जनजातियां डा0 शिवकुमार तिवारी, डा0 श्रीकमल शर्मा पृष्ठ संख्या – 05

मध्यप्रदेश में प्राचीन इतिहास :

पुराणों एवं अन्यग्रन्थों में ऐसा उल्लेख पाया जाता है कि सूर्यवंशी एक राजा इक्ष्वाकु ने अपने वसाति नामक पुत्र के नेतृत्व में अड़तालीस पुत्रों को दक्षिणपथ भेजा था (वायु पुराण 88.11)। यही कथा महाभारत (13.2–88) में भी प्राप्त होती है। महाभारत व पुराणों के विवरणों के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इक्ष्वाकु प्रथम क्षत्रिय सम्राट था जिसकी अधीनता मध्यप्रदेश के निवासियों ने स्वीकार की थी।[4]

'मध्यप्रदेश की जनजातियों का रहने का क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के नाम से जाना जाता हे– ''सौंर'' जनजाति जिसका अध्ययन अनुसंधानकर्ता कर रहा है ये– पन्ना, टीकमगढ़, सतना, तथा छतरपुर जनपदों में उपलब्ध हैं। इनकी जनसंख्या 68034 हैं। जहाँ तक इनकी भाषा का प्रश्न है ये स्थानीय हिन्दी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये जनजाति पूर्णरूप से निरक्षर भी नहीं हैं, इनकी साक्षरता का प्रतिशत 5. 50 प्रतिशत हैं। मेरे संज्ञान में 1997 तक इस जनजाति का कोई शोधकार्य नहीं हुआ है ऐसा उल्लेख प्रो0 हीरालाल शुक्ल जी, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी से प्रकाशित अपनी पुस्तक ''आदिवासी अस्मिता और विकास'' में पृष्ठ संख्या 17 पर किया है।

शोधकर्ता का अध्ययन क्षेत्र टीकमगढ़ जिले की निवाड़ी तहसील है, जिसमें ''सौंर'' जनजातियां अधिक संख्या में निवास करती हैं। स्थानीय स्तर पर शोधकर्ता ने ''सौंर'' जनजाति की उत्पत्ति के बारे में पता लगाया और यह आंशिक जानकारी मिली कि ''सौर'' जनजाति की उत्पत्ति बैजूभील व शबरी (सोरी) से है। शबरी, जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है से बताते हैं। सौर जनजाति को राउत व आदिवासी उपनामों से भी पुकारा जाता है। बैजनाथ धाम बैजू भील की भक्ति से पड़ा है ऐसा बताते हैं कि जब रावण कैलाश पर्वत को लंका ले जा रहा था तब शंकर भगवान का मन्दिर हिलने लगा तब बैजू भील ने अपनी छाती लगा दी कि कहीं हमारे भगवान दब न जायें, जिस कारण ''सौंर'' जनजाति की छाती पर बाल नहीं होते हैं।

---

4. आदिवासी अस्मिता और विकास, प्रो0 हीरालाल जी शुक्ल, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी पृष्ठ संख्या 174

शोधार्थी ग्राम अस्तारी में साक्षात्कार अनुसूची के साथ

'संयुक्त राष्ट्र संघ' ने वर्ष 1993 को ''ईयर ऑफ इंडीजीनियस पीपुल्स'' के नाम से जाने–जाने वाले वर्ष की घोषणा की थी।[5] भारतवर्ष में स्वतंत्रताकाल के कुछ पश्चात् ही जनजातियों की ओर ध्यान देना आरम्भ कर दिया, राष्ट्र एवं विभिन्न राज्यों ने इन जनजातियों को नागरिकों की मुख्य धारा में मिलाने के लिए पंचवर्षीय–योजनाओं में विभिन्न योजनाएं भी दी हैं। बड़ी बिडम्बना यह है कि अभी भी अनेक विश्व के मंचों से यह कहा जा रहा है कि जनजातियों का शोषण भारतवर्ष में बहुसंख्यक हिन्दुओं एवं मुसलमानों के द्वारा हो रहा है तथा इस शोषण को रोकने के लिए अंतराष्ट्रीय नियंत्रण की आवश्यकता है, इसे वास्तव में पाश्चात्य देशों का भारत की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता पर प्रहार ही कहा जाना चाहिये।

यह सत्य भी किसी से छिपा नहीं है कि भारतीय जनजातियों को देश में कार्य कर रही मिशनरियाँ उन्हें अनेक प्रलोभन देकर क्रिश्चियन बनाने में लगी हुई है।

अंतराष्ट्रीय संगठनों का इन जनजातियों का धर्म परिवर्तन कराना ही मात्र नहीं है बल्कि राजनीति से भी प्रेरित हैं। वास्तव में ये चाहते हैं कि भारत अनेक खण्डों में विभाजित कर दिया जाये यही कारण है कि जनजातियों के हित की बात करने वाले अनेक अंतराष्ट्रीय संगठन खुलेआम नक्सलवादी संगठनों की प्रशंसा करते नहीं थकते। इनमें से अनेक संगठनों का कार्य भारत में सर्वप्रथम तथाकथित 'जनजातीय जागृति' फैलाकर बहुसंख्यक जनता के प्रति घृणा फैलाना भर हैं। तदनन्तर आन्दोलनों द्वारा आदिवासी प्रदेशों की मांग करना और अंत में प्रदेश बने हुए क्षेत्रों को और अधिक स्वायत्रता दिलाने के प्रयास करना है। इन सफलताओं के बाद विदेशी शक्तियाँ सीधे ही भारत के आंतरिक क्षेत्रों में अपना वर्चस्व स्थापित करने की कामना करती है। जनजातियों को भारतीय मूलधारा से तोड़ने का कार्य इसीलिए भारत में सौ साल पहले ही प्रारम्भ किया जा चुका था।

मध्यप्रदेश देश का निर्धनतम अंचल हैं जहाँ कुपोषण तथा बीमारी से प्रतिदिन सैकड़ों लोग विलपते है। अंचल के इस पिछड़ेपन के नाम से यहाँ विभिन्न विभागों,

---

5. मध्यप्रदेश की ''जनजातियां'' डा0 शिवकुमार तिवारी, डा0 कमल शर्मा हिन्दी ग्रन्थ अकादमी पृष्ठ संख्या 01

परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के माध्यम से पैसा पानी की तरह बहाया गया है किन्तु दुर्भाग्य यह है इसका कुछ प्रतिशत ही विकास कार्यो में खर्च हुआ है।

मध्यप्रदेश के आदिवासी व्यवहार कुशल तथा प्रभावी समाज से दूर प्रायः वन्य और पर्वतीय अंचलों के सुदूरवर्ती तथा अलग–अलग वस्तियों में निवास करते हैं वे एक सुसम्बद्ध समुदाय में जीते हैं तथा उनकी संस्कृति, रीतिरिवाज, विश्वास तथा भाषाएं विशिष्ट तथा विभेदक हैं। जब तक बाहरी सामाजिक शक्तियों ने इन्हें छेड़ा नहीं था ये खुशहाल थे। इनका जीवन सरल, अकृत्रिम तथा आदिम हैं। इनका विचरण ही नर्तन हैं और इनका भाषण ही गायन हैं। 'इस राज्य में राज्य सरकार द्वारा घोषित 46 जनजातियों का उल्लेख मिलता है। किसी भी आदिवासी भाषा, संस्कृति और साहित्य का विकास आदिवासी समुदाय के चिरकाल तक किसी स्थान पर स्थायी तौर पर बसने से जुड़ा है। इसके विपरीत यदि आदिवासियों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत विनष्ट हो जाता है। परिणामस्वरूप उनके रीतिरिवाज, भाषा, साहित्य तथा आदिम विश्वास भी बेरहमी से कुचल दिये जाते हैं। अपनी प्रमुख कड़ी भूमि को गवां देने से आदिवासी निस्सहाय हो जायेंगे। आज वे नए प्रकार के खतरों से रूबरू हैं और वे खतरे हैं ऐसी प्रत्येक वस्तु को खो देना जो उनके पास शताब्दियों से है। भाषा, संस्कृति, साहित्य और परिणामतः अपनी खास आदिवासी अस्मिता। इस प्रकार वे प्रभुतासम्पन्न समाज की मूलधारा में निम्नजाति या दलित के रूप में डूब जाने के लिए विवश कर दिए गए हैं। अब वे जंगलों के स्वतंत्र व स्वाभिमानी आदिवासी नहीं रह गए हैं। इस प्रक्रिया को "संस्कृतिकरण" कहने के बजाय "गैर आदिवासीकरण" कहना अधिक उपयुक्त होगा। जब मध्यप्रदेश की जनसंख्या के एक चौथाई आदिवासी नहीं बचेंगे तब हमारे लिए वह दुर्दिन ही होगा। जाति समाज की भीड़ उन्हें निगल जाएगी। आजाद भारत के संस्थापकों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। 'जवाहर लाल नेहरू ने कहा था–

"There is no point in trying to make them a second-rate copy of ourselves"[6]

---

6. आदिवासी अस्मिता और विकास, प्रो0 हीरालाल शुक्ल, म0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पृष्ठ संख्या 221

आज मध्यप्रदेश के आदिवासी अपनी पहचान के खतरे से गुजर रहे हैं। आर्थिक विकास की परियोजनाएं जैसे–जैसे दूरस्थ आदिवासी अंचलों तक पहुँच रही हैं वैसे–वैसे अधिक सभ्य किस्म के गैर–आदिवासियों की इन अंचलों में प्रोजेक्ट स्टाफ, ठेकेदार तथा व्यावसायियों के रूप में बाढ़ आ गयी है जो आदिवासी मूल्यों से न तो प्यार करते हैं और न ही उन्हें समझने की इच्छा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी ऐसे लोगों को 'परदेशी' कहते हैं। इन परदेशियों का प्रमुख व्यवसाय ही आदिवासियों का शोषण करना है। एक नए समाज की रचना के उद्देश्य से अब आदिवासियों को उनके पैत्रक निवास से खदेड़ा जा रहा है। अपने मूल निवास से विस्थापित होने के कारण खास समुदाय का प्राकृतिक साहचर्य छिन्न–भिन्न होने लगता है। पारम्परिक पंचायतें टूट जाती है। ग्रामीण संस्थाएँ नष्ट हो जाती है। घरेलू सम्पत्ति नष्ट हो जाती है, और पारिवारिक बंधन चूर–चूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने तटबंध को छोड़ देता है। बूढ़े धरतीमाता से बिछुड़ने पर गमगीन हो जाते हैं और युवक–स्वच्छंद हो जाते हैं। आदिवासी–घनिष्ठता समाप्त हो जाती है, और आदिवासी मनोराग भंग हो जाता है। पारम्परिक जीवन में इतना बिखराव आ जाता है कि उसकी पुनर्रचना सम्भव नहीं होती नया जीवन संकटमय रहता है। आदिवासी भाषा और संस्कृति के विकास के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिलता।

आदिवासी हमेशा ही एक वंशानुक्रमिक, सम्मानित तथा स्वतंत्र जीवन जीने के आदी रहे हैं। इसीलिए पिछली शताब्दियों में जब ब्रिटिश सरकार और जमींदारों ने उनका शोषण किया उन पर अत्याचार किया तो उन्होंने हथियार उठा लिए। केवल बस्तर में ही 1774 से 1947 के बीच तेरह विद्रोह हुए। ब्रिटिश प्रशासन आदिवासियों की समस्याओं को समझने में असफल हुआ और बदले में जमींदारों की रक्षा के लिए सेना भेज दी।

आज जब आदिवासी अंचलों में विकास की अनेक योजनाएं प्रारम्भ की जा रही हैं। तब आदिवासी अनुभव कर रहे हैं कि विस्थापन से उनकी जिंदगी नरक बन जाएगी। अतएवं ऐसी परियोजनाओं को वे उग्रता के साथ विरोध कर रहे हैं।

यह विधि और व्यवस्था की समस्या नहीं है। यह जीने के लिए मानव–अधिकारों का प्रश्न है। 'इस प्रसंग में प्रोफेसर वी0के0आर0वी0राव के विचार दृष्टव्य हैं–

I look the current tribal unrest as a reaction to the development process and a consequent "revolution of rising expectations" Which is still largely unfulfilled. In more articulate communities. This gulf between expectations and fulfillment might have taken other forms of expression in the tribal communities xxx it is not necessary to emphasize that it will be a fatal mistake to regard this as a problem of law and order. We must also recognize that we have to understand and appreciate the aspirations of tribal people and help them to rise to their full potential" (seminar, 1966)[7]

अपनी धरती तथा प्राकृतिक स्रोतों की रक्षा के प्रयास को अमली जामा पहनाने के लिए मध्यप्रदेश के प्रायः सभी जिलों के लोग अब संगठित होने लगे हैं तथा आदिवासी अंचलों में भी विविध संघटनों का विकास हो गया है। इन अंचलों ने समय–समय पर अपनी जो माँगें प्रस्तुत की हैं उनका सारांश यह है कि सूचनाओं की प्राप्ति जनता का मौलिक अधिकार है और–

(क) इन सारी योजनाओं का तहसीलवार ब्यौरा जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तथा साफतौर पर यह बताया जाए कि जनता के जीवन तथा उसके प्राकृतिक स्त्रोत पर इन परियोजनाओं का क्या असर होगा?

(ख) इन परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए विविध कम्पनियों तथा सरकार के बीच किन अनुबंधों और शर्तों को स्वीकार किया गया है? उनका खुलासा किया जाय।

---

7. आदिवासी अस्मिता और विकास, प्रो0 हीरालाल शुक्ल, म0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पृष्ठ संख्या 222

(ग) इस अंचल के मूल निवासी होने के कारण यहाँ कि भूमि, जंगल और घरों पर यहाँ की जनता का मौलिक अधिकार हैं जो उससे छीना जा रहा हैं क्योंकि वह बेदखली से भयाक्रान्त है और उसके लिए अन्य कोई विकल्प भी नहीं सुझाया गया हैं।

आदिवासी संस्कृति :

आज मध्यप्रदेश में एक करोड़ चौवन लाख लोग ऐसे हैं जिनकी संस्कृति को 'आदिवासी संस्कृति' कहा जाता है। ये नानाविध जातीय, भाषायी तथा सांस्कृतिक वर्गों में विभाजित हैं। 'प्रति–वर्णों संस्कृति' (Antipodal Culture) के रूप मे ये हमारे अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं के कारण मध्यप्रदेश की संस्कृति का पोषण हुआ है।' कोशाम्बी (1956 : 25) ने कहा था कि ''भारतीय इतिहास के सभी कालखण्डों में हम देखते हैं कि आदिवासी तत्वों का समूचे भारतीय समाज में प्रचुर मिश्रण हुआ है।''[8] प्रति–वर्णी आदिवासी समाज की मध्यप्रदेश की संस्कृति के विकास में इस सम्मिश्रण की भूमिका को भुलाया नही जा सकता। मध्यप्रदेश में इस प्रतिवर्णी समाज के दो स्तर हैं– (1) आदिम जनजाति–वर्ग (बैगा, अबुझमाड़िया, सहारिया, मरिया, समार, बिरहोड़, पहाड़ी, कोरबा) जिन्हें विशेष पिछड़े वर्ग में इसलिए सम्मिलित किया गया है, क्योंकि नियमित कृषि से ये अभी तक नहीं जुड़े और विशुद्ध आदिम अवशेष हैं। (2) जनजाति वर्ग (शेष आदिवासी) जो कृषि–उत्पादन से जुड़कर आंशिक तौर पर 'डिट्राइबलाइजड' हो गए हैं तथा सुविकसित आधुनिक नगरों से जुड़ गए हैं। इस दूसरे स्तर (जनजाति वर्ग) की संस्कृति के माध्यम से हम जाति और जनजाति के बीच की अनवरत– अन्तःक्रिया और सांस्कृतिक आदान–प्रदान का चित्र खींच सकते हैं। इससे हमें यह भी ज्ञात होगा कि जनजाति से जाति बनने की क्या प्रक्रिया थी?

जाति और जनजाति के बीच विरोध के इसी सिद्धान्त का प्रयोग वैरियर एल्विन ने भी किया था। 'वैरियर एल्विन (The religion of the Indian tribe, Bombay 1956) ने भारत की जनजातियों के धर्म का विश्लेषण करते हुए यह

---

8. आदिवासी अस्मिता और विकास, प्रो0 हीरालाल शुक्ल, म0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पृष्ठ संख्या 109

विवरण दिया है' कि मध्यप्रदेश के 'सौंर' का विवाह हिन्दू–प्रेतों से किस प्रकार होता हैं। उक्त कथा योगवाशिष्ठ में वर्णित राज लवण की कथा का ही एक रूपान्तरण है। इससे यह ध्वनि निकलती है कि आदिवासी भी भावनात्मक जरूरतों के कारण विपरीत दिशा में यात्रा करते थे। इस प्रकार के संतोष की प्राप्ति से उनकी आजादी की सुरक्षा हो सकी और पृथक अस्मिता बनी रही है।[9]

आदिवासियों की टोटेमिक व्यवस्था में सामाजिक वर्गो का भेद प्राकृतिक भिन्नताओं के आधार पर देखा जा सकता है– प्राकृतिक जाति के सादृश्य पर जिसमें प्रत्येक वर्ग वनस्पति या पशुजगत की जातियों को नियंत्रित करता है। 'सौर' जनजाति अपना टोटम जचेरया, बगुला, सौलक्या, सनोरेया, कच्चाकुडारिया, चउदया, घुडारिया, सिलगिलया....... इत्यादि को मानते है। 'हिंदुओं की निम्नजाति के समान आदिवासी भी जाति–वर्ग के भीतर सामाजिक व्यवहार में समानता पर बल देता है। स्त्रियों के 'स्टेट्स' में और अधिक समानता, स्त्री और पुरूष के बीच और अधिक उदार सम्बन्ध, पति और पत्नी के बीच और अधिक–वैयक्तिक सम्बन्ध, रोमांटिक प्रकृति के प्रणय–निवेदन की अधिकाधिक छूट, प्रणय–साहसिकता तथा प्रणय–कलह और शिशुचर्या में अधिकाधिक आत्मनिर्भरता। जातियों की तुलना में जनजातियों में अशौच के नियमों में शिथिलता है। शुद्धाचारवाद की अनुपस्थिति, भोग–विलासों में स्वच्छंद विचरण की वृत्ति तथा सामूहिक पहचान के प्रति दृढ़ भाव के कारण आदिवासियों में संगीत और नृत्य के प्रति प्रबल उत्कण्ठा है और इसमें आदिवासी सर्वोत्कृष्ट हैं।'

जनजातियों में सबसे विशिष्ट प्रचलित संस्था गाँव का युवागृह हैं जिसे औराँव में 'घुमकुरिया' तथा मुरिया में 'घोटुल' कहा जाता है। घोटुल आज भी उच्च प्रकृति का एक संस्कारित संगठन है जिसकी तुलना विश्व के किसी भी प्रकार के अन्य 'युवागृहों' से की जा सकती है। सामाजिक तौर पर इन घोटुलों का मौलिक महत्व रहा है। ये घोटुल ही थे जहाँ आदिवासी मध्यप्रदेश की सूक्ष्म सौन्दर्य–मूलक–संस्कृति का विकास हुआ था। ये आदिवासियों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति में एक मौलिक साधन थे। यहाँ आदिवासी अपने रीतिरिवाजों

---

9. आदिवासी अस्मिता और विकास, प्रो० हीरालाल शुक्ल, म०प्र० हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पृष्ठ संख्या 111

का अभ्यास करते थे। अपनी परम्परा का स्मरण करते थे। अपने–आपको पहचानने का प्रयास करते थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि मध्यप्रदेश के इतिहास की संकट की घड़ी में इन घोटुलों ने मध्यप्रदेश की मुमूर्षु सांस्कृतिक प्राणशक्ति को एक नयी ऐन्द्रिक ओजस्विता से अनुप्राणित किया था।' घोटुल केवल एक 'क्लब' नहीं हैं अपितु यह एक आत्मानुशासित 'कम्यून' भी है जहाँ दोनों ही लिंगों (स्त्री और पुरूष) के युवा आदिवासी सामाजिकता को विकसित करते है। प्रौढ़ों के नियंत्रण से आजाद होकर सामाजिक और आर्थिक जीवन के कर्तव्यों में प्रशिक्षित होते हैं और कुछ निर्दिष्ट शुल्क के बदले आदिवासी–समाज की सहायता करते है। संध्या होते ही युवकगण घोटुलों में इकट्ठा होते हैं, जिससे कि वे बड़े–बूढ़ों के बिना किसी हस्तक्षेप के नृत्य, गीत, कीड़ा, सामाजिक व अन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।''[10] शोधार्थी ने अपने अध्ययन के दौरान पाया कि ''सौर'' जनजाति में 'घोटुल' नहीं पायी जाती है और इस 'घोटुल' के बारे में भी यह जनजाति (सौर) कुछ नही जानती थी कि आखिर 'घोटुल' क्या होती है? शोधार्थी ने जब 'घोटुल' के बारे में बताया तो सौर जनजाति इसके काफी विरोध में नजर आयी। सौर जनजाति के लोगों ने बताया कि इस प्रकार की कोई भी संस्था या संगठन हमारी जनजाति में नहीं पाया जाता है।

आदिवासियों का धर्म :

प्रायः सभी जनजातियों में तंत्र और धर्म साथ–साथ चलते हैं। जादू–टोना या अभिचार पहले की तरह आज भी एक प्रभावपूर्ण व फलित साधन है जिसके माध्यम से आदिम जनप्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करने व उनका सामना करने के लिए अपने–आपको समर्थ पाता है। इतना ही नहीं, इसके माध्यम से वह अपनी इच्छा–शक्ति को मानव तथा मनवेतर में भी अध्यारोपित कर सकता है। उसके कल्याण और भाग्योत्कर्ष केलिए यह एक रक्षा–कवच है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र–सांगीतिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक में वह तंत्र और उसकी गुणकारिता पर विश्वास करता है।

---

10. आदिवासी अस्मिता और विकास, प्रो0 हीरालाल शुक्ल, म0प्र0 हिन्दी अकादमी, पृष्ठ सं0 115

आदिम जन पर जब किसी भी प्रकार की प्राकृतिक विपदा आती है तो उसका दृष्टिकोण दार्शनिक हो जाता है और उसके लिए किसी व्यकित या अपने पड़ोसी को दोष देने के बजाय वह मानता है कि यह सब कुछ आधिदैविक कारणों से ही हो रहा है जिस पर उसका नियंत्रण अपेक्षाकृत कम है। तब वह आधिदैविक कारणों से रक्षा के लिए निरोहा के रूप में आभिचारिक क्रियाओं का सहारा लेता है जिससे उसके मन में किसी भी प्रकार की विक्षिप्ति नहीं आती। इस प्रकार आदिम परिवेश में तंत्र व्यापक मानवीय कौशल जिसकी सहायता से आदिम–मानव जनजीवन और पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करता है।

आदिवासी इतिहास :

"मध्यप्रदेश के प्राचीनतम निवासियों में तथाकथित प्राग, द्रविड़, प्रोटो–आस्ट्रोलॉयड या वेदि्दत थे जो उत्तर–पश्चिम से यहाँ दो या दो से अधिक धाराओं में आए। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम कबीला ऐसे अन्न–संग्राहकों और शिकारियों का था जिनमें गोत्र या गोत्र–टोटेमवाद का विकास नहीं हुआ था। दूसरा कबीला अपेक्षाकृत स्थानीय गोत्रधरियों का था। जनसंख्या की वृद्धि, परिव्रजन तथा गोत्रों के बिखरने के कारण सबसे पहले सरगुजा जिले में वर्गगत टोटेमवाद का विकास हुआ, जहाँ की बिरहोड़ जनजाति में आज भी पितृवंशीय टोटेमवाद सुदृढ़ रूप में मिलता है।[11]

मध्यप्रदेश में प्रवेश करने वाला कबीला सम्भवतः प्राचीन मंगोलाइड, 'आस्ट्रो–एशियाटिक' का था जो उत्तर–पूर्व में आसाम, बिहार तथा उड़ीसा होता हुआ यहाँ पहुँचा। ये आज के मुण्डाभाषी आदिवासी वर्ग है जो सरगुजा, रायगढ़ तथा सतपुड़ा–अंचल में व्याप्त है। इन्होंने पूर्ववर्ती प्राक्–टोटेम संगठन की तुलना में अपेक्षाकृत सुदृढ़ टोटेमवाद का विकास मध्यप्रदेश की धरती पर किया। मध्यप्रदेश में इनके प्रवेश की अवधि तथाकथित हड़प्पा निवासियों के द्वारा 'सिन्धुघाटी–सभ्यता' के निर्माण से मेल खाती है।[12]

---

11. आदिवासी अस्मिता और विकास, प्रो0 हीरालाल शुक्ल, म0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पृष्ठ संख्या 151.
12. आदिवासी अस्मिता और विकास, प्रो0 हीरालाल शुक्ल, म0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पृष्ठ संख्या 151

ईसा पूर्व 500 से ईसा के प्रारम्भ तक मध्य एशिया के ग्रीक, सीथियन तथा कुषाणों ने मध्यप्रदेश पर आक्रमण किया। पाँचवी शताब्दी में हूणों के आक्रमण के बाद गुर्जरों ने धाबा बोला जो राजपूतों के गोत्रों से जुड़े हुए थे। मुसलमानों के आक्रमणों की क्रमिक धाराओं के कारण यहाँ अरब, पारसी तथा अफगान– जैसे लोग आते–गए। इसी प्रकार आधुनिक मध्यप्रदेश की जनजातियाँ मूल आदिम संस्कृति की अपरिवर्तित अवशेष है। शायद मध्यप्रदेश के ऊबड़–खाबड़ भू–भाग में भौतिकरूप से एकांकी जीवन बिताने के कारण ये बची रही। भारतेतर राजपूत वंश तथा आदिम जनजातियाँ कालांतर में राजपूतों के अंतर्गत सम्मिलित हो गयी। आदिवासियों के साथ हिंदुओं का यह वैवाहिक सम्बन्ध समीकरण के एक भिन्न इतिहास का ही वाचक है। यह भी स्पष्ट है कि आदिवासियों की शूरवीरता तथा सैन्यदक्षता के ही कारण उन्हें हिन्दू समाज के क्षत्रिय वर्ग के भीतर स्थान मिला।

मध्यप्रदेश के जनपदों की प्रमुख जनजातियाँ गौंड़, भील, कोर्कू, बैगा, सहारिया, हलबा, कँबर, सौर, शबर आदि है। प्रश्न है कि इन जनजातियों के पूर्वज कौन थे और ये इन क्षेत्रों में आकर कब वसी? अनेक आदिवासी अपने को उसी क्षेत्र का मूल निवासी मानते हैं तथा उनमें किसी भी प्रकार का आब्रजन मूलक इतिहास नहीं मिलता है। सामान्यतः यदि आर्य–आदिवासियों (आर्यभाषाभाषी) को आर्य आब्रजकों से सम्बद्ध कर दिया जाए तो मध्यप्रदेश की जनजातियाँ आब्रजन के कालक्रम से दो भागों में विभाजित (विभक्त) की जा सकती है।

(अ) मुण्डा जनजातियाँ :

परवर्ती आक्रमणों के कारण आज ये प्रायः सभी क्षेत्रों में पददलित व अभावग्रस्त है। आज ये मध्यप्रदेश के पर्वतीय अंचलों में लुप्त जनजाति की स्मारक मात्र है तथा इनका प्रतिनिधित्व बैगा, कोल, सहारिया, सोत्र, भील, कोर्कू, कोरबा, खरिया आदि जनजातियां करती है। मैदानी क्षेत्र की संस्कृति से चिरकाल तक सम्पर्क में रहने के कारण इन आदिमजनों की मूल संस्कृति में इतना अधिक परिवर्तन हो गया है कि जो कुछ अवशिष्ट हैं उससे मूल संस्कृति की पुर्नरचना

कठिन प्रतीत होती है। यद्यपि ये अब खेती करने लगे है किन्तु प्रकृति से आखेटक है। अन्न को बीन–बीन कर संग्रहीत करते रहे है। इन्होंने कृषि कला में विदग्धता प्राप्त करने की लालसा कभी नहीं की। इनमें बैंगा आज भी दाही कृषि करता है। यह स्थिति बुन्देलखण्ड की जनजाति "सौर" की भी है।

(ब) द्रविड़ जनजातियाँ :

जलवायु के परिवर्तन या जनसंख्या के दबाव के कारण भू–मध्यसागर की एक द्रविड़भाषी जनजाति बलुचिस्तान व सिंधुघाटी को पार करती हुई गुजरात से होकर मध्यप्रदेश के जनपदों में 2500 ईसापूर्व में आकर बस गई थी। भाषिक आधारों से यह प्रतीत होता हैं कि संस्कृत भी द्रविड़ से अत्यधिक प्रभावित हुई हैं। ऐसा लगता है कि द्रविड़–भाषियों ने सर्वप्रथम गंगा के मैदान में वस्तियाँ बनायी होंगी। कहा जा सकता है कि प्राग्द्रविड़ ही सिन्धुघाटी से गुजरात होते हुए मध्यप्रदेश की ओर आए होंगे। यदि शिव या महादेव को सिंधुघाटी की सभ्यता की देन माना जाए तो कहना होगा कि मध्यप्रदेश की सभी मुण्डा तथा द्रविड़ जनजातियां अपनी उत्पत्ति भीम या लिंगों या महादेव से मानती है।

द्रविड़ जनजातियों में मध्यप्रदेश की गौंड़, परजा, ओराँव आदि की चर्चा विशेष रूप से की जा सकती है क्योंकि ये द्रविड़भाषा परिवार की ही विभाषाओं का व्यवहार करती हैं। इनका आव्रजन ओराँव (उत्तर–द्रविड़) गोडवाना–वर्ग (गोड़) तथा परजा (मध्य–द्रविड़) के इतिहास क्रम में हुआ है।

आदिवासियों की समस्यायें तथा सरकार द्वारा किये जा रहे समाधान :

आदिवासियों की समस्या अपरिमित है। मार्क्स ने कभी भारत पर ब्रिटिश–शासन के प्रभाव का आंकलन करते हुए कहा था–

The loss of his old world, with no gain of a new one imparts a particular kind of melancholy to the present misery of the Hindu.

आजादी के पहले जो कथन कभी हिंदुओं पर लागू था आजादी के बाद उक्त कथन आज हमारे आदिवासी बंधुओं पर लागू होता है।[13]

प्राचीनकाल में जिन–वन्य उत्पादों के संचय से उनका सहज जीवन निर्वाह होता था अब वनरक्षक तथा धूर्त ठेकेदारों ने उन्हें वैसा करने से रोक दिया है।

ये सरल तथा निश्छल आदिवासी मध्यप्रदेश की सम्पूर्ण जनसंख्या का एक चौथाई है फिर भी आज तक उनकी समस्याओं को समझने के लिए कोई गम्भीर प्रयास नहीं हुए। एक ओर तो वे उन जंगलों से खदेड़े जा रहे हैं, जिन्हें उन्होंने शताब्दियों से अपना माना था तो दूसरी ओर उन्हें फिर से बसाने के लिए न तो कोई ठोस प्रयास किये गये और न उन्हें आजीविका का कोई अन्य विकल्प दिया गया।

केन्द्र सरकार ने आदिवासियों की समस्याओं के अध्ययन के लिए 1960 में 'ढेबर–कमीशन' नियुक्त किया था। ढेबर–कमीशन ने पहली बार आदिवासी तथा वन के बीच प्रतीकात्मक सम्बन्धों को पहचाना था और कहा था कि ''आदिवासी तथा वन एक दूसरे के पर्याय है।[14] सरकार 'ढेबर–कमीशन' के ध्यान दिलाए जाने के बाबजूद आदिवासी तथा वनों के बीच प्रतीकात्मक सम्बन्धों को नियम–कायदे में नहीं बाँध पायी। एक ओर कृषि को जहाँएक उपजीविका माना जाता है वहीं दूसरी ओर आखेट, शहद या अन्य जंगली उत्पादों को तत्समान दर्जा देने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

कुछ वर्षों पूर्व मध्यप्रदेश सरकार ने यह घोषित किया था कि आदिवासी तेंदूपत्ता के संग्राहक होने के बजाय उसके स्वामी होंगे। किन्तु आज तक तेंदूपत्ता के संग्रह के लिए आदिवासियों को मजदूर माना जा रहा है तथा अब तक उन्हें स्वामित्व का अधिकार नहीं दिया गया।

---

13. आदिवासी अस्मिता और विकास, प्रो0 हीरालाल शुक्ल, म0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पृष्ठ संख्या 241
14. आदिवासी अस्मिता और विकास, प्रो0 हीरालाल शुक्ल, म0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पृष्ठ संख्या 244

दुर्भाग्यवश सरकार की वन नीति आदिवासियों के हित को लेकर नहीं बनी। जब सरकार किसी वन्य क्षेत्र को ''राष्ट्रीय उद्यान'' घोषित कर देती है तो पुरखौती से वहाँ निवास करने वाले आदिवासियों को बाहर निकलना पड़ता है। उसके बाद भी आदिवासियों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन नहीं किया जाता।

सूक्ष्मता के साथ यदि परीक्षण करें तो आदिवासी समाज में भी लिंग भेदभाव विद्यमान हैं किंतु यह उनकी अभावग्रस्त आर्थिक परिस्थिति के कारण ओझल हो जाता है जो पुरूषों और महिलाओं को संयुक्त आर्थिक कियाओं में सहयोगी व सहभागी बनाने के लिए बाध्य करती है।

आज स्थिति यहाँ तक आ पहुँची है कि आदिवासी महिलाओं को वहाँ के पुरूष वर्ग अपनी जातीय–अस्मिता के लिए खतरा मान रहे है। विकास योजनाओं के कारण बाहरी लोगों आदिवासी आदिवासी अंचल में अन्तः प्रवाह हो रहा है, जिसके कारण आदिवासी तथा गैर–आदिवासी के बीच विवाह हो रहे है जो न केवल अवांछित है अपितु सामूहिक तथा जातीय अस्मिता के लिए खतरा भी है। इस तथ्य को भी अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि आदिवासी महिलाओं का कतिपय गैर–आदिवासी 'सेक्सुअल' तथा आर्थिक शोषण कर रहे हैं।

आदिवासी अर्थव्यवस्था :

मध्यप्रदेश के आदिवासियों की आय के प्रमुख स्रोत–जंगली उत्पाद का संचय और विकय करना, कृषि, मत्स्यपालन, आखेट तथा जंगलों में मजदूरी इत्यादि निर्वाह के लिए वनों पर आश्रित रहे है। जंगलों से ईंधन जुटाने के अतिरिक्त वे अपने आश्रय के लिए लकड़ी भी प्राप्त करते हैं। ये वहाँ से प्रचुर मात्रा में विविध प्रकार के लघु वनोपज का संग्रह करते हैं और पास के बाजारों में कम दामों पर उसे बेचने के लिए बाध्य होते है।

अपने पुत्र–पुत्रियों के विवाह के अवसर पर या कतिपय धार्मिक कार्यों के अवसर पर आदिवासियों को साहूकारों से ऊँची ब्याज में रूपया उधार लेना पड़ता है जिसे वे अपने जीवनकाल में भी नहीं लौटा पाते और परिणामस्वरूप वे साहूकारों के बंधन में जकड़ जाते हैं।

आदिवासियों से जंगल के ठेकेदार तथा ब्यूरोक्रेट अनुचित लाभ उठाते हैं और बहुत कम मजदूरी पर आदिवासियों को उनके अधीन काम करना पड़ता है। आदिवासी स्वभावगत भविष्य के लिए वचत करने के आदि नहीं है और इसीलिए उन्हें हमेशा निर्धनता का सामना करना पड़ता है।

आजादी के बाद सरकार ने वार्षिक बजट में वृद्धि व पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थति को सुधारने का गम्भीर प्रयास किया। सरकार ने कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सिंचाई, उन्नत बीज तथा खाद आदि की अनेक सुविधाएं प्रदान की। साहूकारों के चंगुल से मुक्ति के लिए उनके उत्पादों के कय की व्यवस्था की इससे आदिवासियों को अपनी उत्पाद का उचित मूल्य मिलने लगा।

इन सारी सुधार–योजनाओं और संवैधानिक सुरक्षा के बाबजूद आदिवासी समाज का आज भी एक सबसे निर्धन वर्ग है।

आदिवासियों में साक्षरता :

मध्यप्रदेश में आदिवासी साक्षरता अत्यधिक अकिंचन तथा शोचनीय स्थिति में है। आज भी बहुसंख्यक आदिवासी लिखना और पढ़ना नहीं जानते। आदिवासियों में साक्षरता के अभाव के कारण उनके वाचिक साहित्य को लिपिबद्ध करना आज निहायत जरूरी है। अलिखित आदिवासी–साहित्य धीरे–धीरे लुप्त हो रहा है क्योंकि आदिवासी गाँव उजड़ रहे है और आदिवासी अपने मूल निवास से विस्थापित हो रहे है।

मध्यप्रदेश में आदिवासियों की साक्षरता का प्रतिशत मात्र दस है। धीरे–धीरे आदिवासी अपनी मातृभाषा को छोड़कर हिन्दी को स्वीकार कर रहे हैं। फिर भी सरकार की निरपेक्षता के कारण उनमें साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम बना हुआ है।

अभी हाल के कुछ वर्षो में विविध प्रकार की सम्प्रेषणात्मक रणनीतियों के माध्यम से आदिवासी अंचलों में स्वास्थ, पोषण तथा विकास आदि से सम्बन्धित सूचनाओं का प्रसार हुआ है। ऐसे ही प्रयासों में एक प्रयास राजीव गाँधी शिक्षा मिशन का है। हम देखते है कि अभी भी अधिकतर आदिवासी सरकार की बहुसंख्यक विकास की नीतियों से अपरिचित है। ग्राम स्तर के सरकारी कर्मचारी (ग्राम सेवक) इस प्रयास में सहायक सिद्ध हो सकते है। ग्राम सभाओं की भी इसमें अच्छी भूमिका हो सकती है। ग्राम पंचायतें प्रभावी कार्य कर सकती है। यह भी आवश्यक है कि सूचनाओं के प्रसार के लिए स्थानीय तकनीकों को व्यवहार में लाया जाय।

अनुसूचित जनजाति, पिछडें वर्गों, अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक स्तर उत्थान हेतु सरकार ने 73वें संशोधन द्वारा ''पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। मध्य प्रदेश ने पंचायत राज लागू कर देश में अगुआई की। 73वें संविधान संशोधन के पश्चाात मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य है जहाँ चुनाव हुए और वास्तविक सत्ता पंचायतों को सौपी गई। अब हमें यह जानना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि आखिर पंचायती राज व्यवस्था क्या है? पंचायती राज में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गो, अल्पसंख्यकों के हितार्थ क्या प्रावधान है?

पंचायतीराज की मूल परिकल्पना कोई नई अवधारणा नहीं है, अपितु भारत में वैदिक काल से ही पंचायत राज का पदार्पण हो गया था समय कि गति के अनुसार केवल इसके ढाँचे में ही परिवर्तन आया है।

भारत में वैदिक काल से मुगलों के काल तक गाँवों की निरन्तरता कभी भंग नहीं हुई। वैदिक काल में गांवों के प्रशासन का उत्तरदायित्व कर्मचारियों का होता था जिन्हें सलाह देने के लिए एक परिषद होती थी जो 'ग्रामिणी' कहलाती थी।

मौर्यकाल में भी ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है तथा इनमें पतन के बाद भी ग्रामीण व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ वरन् कई राजवंशों ने इस प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद ही प्रदान की। सल्तनत काल व मुगल काल में भी ग्रामीण व्यवस्था अपरिवर्तित रही।[15]

अंग्रेजों के आगमन से ग्रामीण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जमींदार व भूमिहीन प्रकट हुए। पंचायत परिषद गठित हुई प्रशासन केन्द्रीकृत हो गया जिससे गाँवों का स्वशासन नष्ट हुआ। सदियों से चली आ रही व्यवस्था समाप्त हो गई, परन्तु ब्रिटिश सरकार ने दूसरी तरफ इस दशा में कुछ कार्य भी किये। सन् 1982 तथा 1907 में शाही विकेन्द्रीकरण आयोग की सिफरिसों के आधार पर सन् 1920 में यू0पी0, असम, बंगाल, बिहार, मद्रास तथा पंजाब में पंचायतों को सौंपने के लिए कानून बनाये गये। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में राष्ट्रीय नेताओं ने जनता को ग्राम पंचायतों तथा आत्मनिर्भर ग्रामीण समाज की सुध दिलाई। 1882 में गवर्नर जनरल रिपन ने स्वायत्त शासन की स्थापना का प्रयत्न किया। ग्राम पंचायतों को पुनर्जीवित करने की मांग सर्वप्रथम 1909 के लाहौर काँग्रेस अधिवेशन में रखी गई। 14 फरवरी 1916 में गांधी जी ने इस मांग को मद्रास मिशनरी सम्मेलन में पुनः उठाया।[16] भारत में ग्रामीणों की पूर्ण खुशहाली के लिए गाँधी जी ने ऐसी संस्था के गठन की माँग की जिसके माध्यम से ग्रामीण जनता स्वयं अपने शासन को संचालित कर सके।

पंचायती राज एक ऐसी व्यवस्था है जिसकें अन्तर्गत लोकतंत्र को सबसे निचले स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है तथा इस व्यवस्था के अंतर्गत लगभग प्रत्येक व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक समझता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत चुनावी मुद्दे ग्राम तथा उसके छोटे उपग्रामों से संम्बन्धित होते

---

15. प्रतियोगिता प्रवेश जून 1994, पेज नं0 31
16. प्रतियोगिता प्रवेश जून 1994, पेज नं0 31

है। पंचायत के चुनाव में ग्रामीण जनता सक्रिय भागीदार होती है तथा वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहयोगी हो जाती है जिस कारण लोकतंत्र सबसे निचले स्तर पर मजबूती से कायम हो जाता है।

गाँधी जी के शब्दो में पंचायती राज की अवधारणा –

गाँधी जी ने देश के विकास का पहला सूत्र गाँव को माना था। उनका सपना था कि देश के विकास का पहला सूत्र गाँव के माध्यम से निकले इसलिए उन्होने ग्रामीण भारत की परिकल्पना की थी वह ग्रामीण क्षेत्रों को अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने के पक्षधर थे जिससे उपयोग की प्रायः सभी वस्तुओं का उत्पादन गाँवों में किया जा सके इस प्रकार ग्रामीण उत्थान गाँधी जी का रचनात्मक कार्यक्रम था तथा भारत की महती आवश्यकता।[17] गाँवों को सबल बनाने के लिए गाँधी जी पंचायती राज व्यवस्था के हिमायती थे। गाँधी जी नही चाहते थे कि स्वतंत्रता के उपरांत सत्ता कुछ श्रेष्ठजनों में ही केन्द्रित रहें इस लिए जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तब गाँधी जी ने मांग की थी कि संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को अंगीकार किया जावे वह इसे अति आवश्यक समझते थे उनके विचार से पंचायती राज व्यवस्था छोटे–छोटे ग्रामों के लोगों को असली प्रजातंत्र की शिक्षा देती है।

संविधान निर्माताओं ने संविधान गठन में पंचायती राज की उपेक्षा कर दी इसका गाँधी जी ने विरोध किया और कहा " इस आजादी में जनता की इच्छा मुखरित होनी चाहिये। इसलिए पंचायतों को न केबल जीवित रहना चाहिये बल्कि इसे अधिक से अधिक अधिकार भी दिया जाना चाहिये तभी हम आम जनता की भावनाओं का आदर कर सकेंगे। इस कथन पर व्यापक प्रतिक्रिया हुई और संविधान के अनुच्छेद 40 (राज्य के नीतिनिर्देशक तत्व) में राज्यों को पंचायत गठन का निर्देश दिया गया।

इसी के साथ सातवीं अनुसूची की सूची–2 अर्थात् राज्य सूची की प्रतिष्टि 5 में ग्राम पंचायतों को सम्मिलित कर लिया गया तथा 73वें संविधान संशोधन द्वारा

17. लोक प्रशासन डा0 बी0एल0 फड़िया, पेज नं0 699

संविधान के भाग–9 को पुनः स्थापित करके तथा 16 नये अनुच्छेदों को जोड़कर पंचायतीराज को संवैधनिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है तथा इसी संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसके अन्तर्गत शामिल विषयों पर पंचायतों का अधिकार होगा।[18]

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायतीराज प्रणाली :

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायतीराज प्रणाली को प्रारम्भ करने हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम–अक्टूबर 1952 को अपनाया गया परन्तु यह कार्यक्रम असफल रहा। इसके बाद 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार योजना लागू की गई परन्तु यह भी असफल रही। इनकी असफलताओं के विश्लेषण के लिए 1957 में बलबन्त राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत राज था– ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत इस आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 1958 को लागू की गई जिसका प्रस्ताव सर्वप्रथम 2 सितम्बर 1959 को राजस्थान विधानसभा ने पारित किया तथा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया।''

बलवंतराय मेहता के शब्दों में पंचायती राज की अवधारणा :

यदि हमें ''पंचायतीराज संस्थाओं अपने ग्रामीणजनों तथा उनके अपने छिपे हुए गुणों का उपयोग करने की क्षमता में विश्वास है तो निश्चित रूप से सफलता हाथ लगेगी, पंचायतीराज में बहुत से दोष हो सकते हैं। परन्तु यह भविष्य की महत्वपूर्ण शक्ति है।''[19]

नेहरू जी के शब्दों में पंचायतीराज की अवधारणा :

''नेहरू जी का कहना था कि गांवों के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिये। उनको काम करने दो चाहे वे हजारों गलतियां करें। इसकी शुरूआत का श्रेय नेहरू जी को है।''[20] नेहरू जी के लिए युग का सबसे बड़ा काम था मनुष्य को युगों

---

18. प्रतियोगिता प्रवेश जून 1994, पेज नं0 32
19. प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 1989, पेज नं0 66
20. लोक प्रशासन डा0 बी0एल0 फड़िया, पेज नं0 699

पुरानी गरीबी के जीवन से ऊपर उठाकर एक ऐसे सामाजिक जीवन के स्तर पर पहुँचा देना जहाँ सुरक्षा, सुख–सामग्री और इनसे भी अधिक जीवन के ऊँचे आदर्शों को पूरा करने का अवसर प्राप्त किया जा सकता है। उनका पूर्ण विश्वास था कि पंचायतराज व्यवस्था द्वारा ही सही अर्थों में राष्ट्र में लोकतंत्र की स्थापना सम्भव हो सकेगी। क्योंकि केवल यही एक ऐसा माध्यम है जिससे जनता की सरकार जनता के सामने, जनता की समस्याओं को सुनने व निपटाने वाली हो सकती है जनता का अधिक से अधिक सर्वागीण विकास केवल पंचायत राज व्यवस्था द्वारा ही सम्भव हो सकता है– पण्डित नेहरू ने स्वयं कहा था "मैं महसूस करता हूँ कि भारत के सन्दर्भ में यह बहुत कुछ मौलिक एवं कान्तिकारी है।"[21] पंचायतीराज की अवधारणा को ध्यान में रखकर स्वर्गीय प्रधानमंत्री **श्री राजीव गांधी** ने 1989 में पंचायतीराज विधेयक बनाने की एक नई पहल शुरू की उस समय उनके उठाये कदमों को सही रूप तब मिला जब 24 अप्रैल 1993 को संविधान के 73वें संशोधन के साथ यह अधिनियम लागू हो गया।

भारत सरकार द्वारा पारित 73वें संशोधन के प्रमुख प्रावधान :

1. **ग्राम सभा** : प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसके सदस्य गांव के सभी वयस्क मतदाता होंगे। ग्राम सभा के अन्तर्गत एक या अधिक गांव भी हो सकते हैं।

2. **त्रिस्तरीय या द्विस्तरीय पंचायत** : प्रत्येक राज्य में गांव मध्यवर्ती व जिला स्तरों पर पंचायतों का गठन किया जावेगा। और सम्पूर्ण भारत में पंचायतीराज संरचना को समरूप बनाया जायेगा। लेकिन जिस राज्य की जनंसख्या 20 लाख या इससे कम है, इस राज्य या राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत स्थापित न करने की छूट होगी।

---

21. प्रतियोगिता प्रवेश जून 1994, पेज नं0 707

3. **चुनाव** : सभी स्तरों में पंचायतों के चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होंगे, लेकिन मध्यवर्ती व जिला स्तरों के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। गाँव पर अध्यक्ष के चुनाव के लिए कौन–सी पद्धति अपनाई जाये इसका निर्णय राज्य सरकार करेगी।

4. **आरक्षण–** अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात में प्रत्येक स्तर पर उनके सदस्यों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। तथा इन स्थानों पर 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए स्थान आरिक्षत किये गये है। ये स्थान चक्रिय पद्धति द्वारा आवंटित किये जायेगें।

5. **कार्यकाल–** इनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है परन्तु इनका कार्यकाल पूरा किये बिना भी विघटित किया जा सकता है लेकिन विघटन के बाद 6 माह के अन्दर पुनः निर्वाचन करके नई पंचायत का गठन किया जाना चाहिए।

6. पंचायतों को कर लगाने वसूल करने तथा प्राप्त धन को खर्च करने की शक्ति प्रदान की गई है।

7. पंचायतों के लिए सदस्य चुने जाने की आयु 21 वर्ष रखी गई है।

8. इस अधिनियम में कहा गया है कि प्रारम्भ के एक वर्ष के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनः विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जायेगा। यह आयोग राज्यपाल को अपनी शिकायत देगा।

9. पंचायतों के चुनाव का चुनाव हेतु निर्वाचन नामावली राज्य चुनाव ओयोग करेगा जिसका गठन राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा किया जायेगा। यह आयेग पंचायतों के निर्वाचन का अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन भी करेगा।

10. पंचायतों को ग्राम सम्बन्धित सभी शक्तियाँ तथा उत्तरदायित्व प्रदान किये गये है।

त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का गठन :

धारा 8 में पंचायत राज प्रणाली को तीन स्तरों पर स्थापित करके पंचायतों की स्थापना की गई है। कानून के उपबन्धों द्वारा पंचायत राज प्रणाली की महत्वपूर्ण आधारभूत इकाई ग्राम पंचायत और उसके क्षेत्र के भीतर समाविष्ट ग्राम सभा की स्थापना से पंचायत राज प्रणाली में विनिर्दिष्ट ग्राम की प्रशासनिक एवं विकास कार्य में भागीदारी सुनिश्चित की गई है और ग्राम पंचायत को जनपद पंचायत से तथा जनपद पंचायत को जिला पंचायत से जोड़ा गया है।

धारा 13 में ग्राम पंचायत का गठन किया जाना बताया गया है जिसमे निर्वाचित पंच एवं सरपंच होंगे। सहयोग की धारा 16 हटा दी गई है।[22] इस समय देश में 2,17,300 ग्राम पंचायत है।[23] जनपद पंचायत की संरचना धारा 22 में बताई गई है जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य होगे तथा राज्य विधान सभा का ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतया नगरीय क्षेत्र में पड़ता है, जनपद पंचायत का सदस्य नही होगा किन्तु राज्य विधान सभा के ऐसे सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों से जो पूर्णतः या अंशतः खण्ड के भीतर पड़ते है निर्वाचित हुए है उनसे जनपद पंचायत का गठन होगा। धारा 25 की उपधारा (2) तथा (4) के अध्याधीन रहते हुए जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य में से एवं निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जावेगे।[24] इस समय देश में 4525 खण्ड पंचायते है। धारा 29 में जिला पंचायत का गठन बताया गया है जिसमें निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य तथा लोकसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो

---

22. म0प्र0 पंचायत राज अधिनियम, 1994, पेज नं0 24
23. लोक प्रशासन डा0 बी0एल0 फड़िया संशोधित संस्करण, 1994, पेज नं0 702
24. म0प्र0 पंचायत राज अधिनियम, 1994, पेज नं0 24

संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते है जो पूर्णतः या अंशतः जिले के भाग हैं। म0प्र0 राज्य से निर्वाचित राज्य सभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका जिले की ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम आया है तथा राज्य विधानसभा के समस्त सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित हुए है किन्तु ऐसे लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में पडता है जिला पंचायत के सदस्य नही होंगे। धारा 32 के अधीन जिला पंचायत का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा। अध्यक्ष यदि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गो का नहीं है तो उपाध्यक्ष ऐसी जातियों या जनजातियों या वर्गो के सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा।

पंचायतों के कार्य :

ग्राम पंचायत – ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि जहाँ तक ग्राम पंचायत निधि में गुजाइश हो अपने क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित कार्य करें।

1. स्वच्छता सफाई और न्यूमेन्स का निवारण और उसका उपरामन।
2. सार्वजनिक कुँओं, तालाबों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण तथा घरेलू उपयोग के लिए जल प्रदाय।
3. ग्रामीण सड़को, पुलियों, पुलों, बांधों तथा सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य संकर्मो तथा भवनों का सन्निर्माण और अनुरक्षण।
4. सार्वजनिक सड़को, संडासों, नालियों, तालाबों, कुँओं तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों का सन्निर्माण अनुरक्षण और उनकी सफाई।
5. ग्राम मार्गो और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करना।
6. सार्वजनिक बाजारों तथा सार्वजनिक मेलों से भिन्न बाजारों तथा मेलों की स्थापना प्रबंध और विनियमन।
7. संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित किये गये प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों को छोड़कर अन्य ऐसे प्राचीन

तथा ऐतिहासिक स्मारकों का अनुरक्षण और चारागाहों तथा अन्य भूमियों को बनाया रखे जाना जो ग्राम पचायतों में निहित या उनके नियंत्रणाधीन है।

8. कचरा इकठ्ठा करने के लिए स्थानों का पृथक रक्षणं।
9. जन्म, मृत्यु और विवाहों के अभिलेखों का रखा जाना।
10. सांसर्गिक रोगों के रोकथाम में सहायता करना।
11. ग्राम पंचायत की सम्पत्ति का अनुरक्षण।
12. टीका लगाने और चेचक का टीका लगाने में सहायता करना तथा मनुष्यों एवं पशुओं की सुरक्षा के लिए ऐसे अन्य निवारक उपायों को जो संबंधित सरकारी विभागों द्वारा विहित किये जाए प्रवर्तित करने में सहायता करना।
13. निशक्त और निराश्रितों की सहायता करना।
14. मनोरंजन, खेल तमाशों, दुकानों, भोजन गृहों और पेय पदार्थो, मिठाईयों, फल, दूध तथा इस प्रकार की अन्य वस्तुओं के विक्रेताओं का विनियमन और उस पर नियंत्रण।
15. युवा कल्याण, परिवार कल्याण तथा खेलकूद का अभिवर्धन करना।
16. वृक्षारोपण तथा पंचायत वनो का संरक्षण।

17. **(क)** गम्भीर तथा आपाती मामलों में निर्धन व्यक्तियों के लिए चिकित्सीय सहायता की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिए या

    (दो) निर्धन व्यक्तियों या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य की अन्त्येष्टि करने के प्रयोजन के लिए, या

    (तीन) किसी निर्धन व्यक्ति के फायदे हेतु किसी अन्य ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाए।

    ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तो के अध्याधीन रहते हुए जो विहित की जाए उधार मंजूर करना।

18. राज्य सरकार, कलेक्टर या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े

वर्गों की दशा सुधारने के लिए उपायों के सम्बन्ध में और विशेषतः अस्पृश्यता निवारण के सम्बन्ध में दिये गये या जारी किये गये निर्देशों या आदेशों का कार्यान्वयन।

19. (क) शवों, पशु–शवों और अन्य घृणोत्पादक पदार्थों के व्ययन के लिए स्थानों का विनियमन।

(ख) लावारिस शवों और पशु–शवों का व्यसन।

जनपद पंचायत के कार्य :

1. जनपद पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह जहाँ तक जनपद पंचायत निधि में गुजांइश हो खण्ड में निम्नलिखित युक्ति युक्त व्यवस्था करे :–

(क) एकीकृत ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक वानिकी, पशुपालन और मत्स्यपालन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रौढ़ शिक्षा, संचार और लोक संकर्म, सहकारिता, कुटीर उद्योग, महिला, युवा तथा बाल कल्याण, निःशक्तों तथा निराश्रितों का कल्याण और पिछड़े वर्गों का कल्याण, परिवार नियोजन तथा खेलकूद और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम।

(ख) आग, बाढ़, सूखा, भूकम्प, दुर्भिक्ष, टिड्डीदल, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में आपातिक सहायता की व्यवस्था करना।

(ग) स्थानीय तीर्थ यात्राओं तथा त्यौहारों के सम्बन्ध में व्यवस्था करना।

(घ) सार्वजनिक नौ घाटों का प्रबन्ध करना।

(ड़) सार्वजनिक बाजारों, सार्वजनिक मेलों तथा प्रदर्शनियों का प्रबन्ध करना और

(च) राज्य सरकार या जिला पंचायत के अनुमोदन से कोई अन्य कृत्य करना।

(2) जनपद पंचायत अपनी अधिकारिता के भीतर के यथास्थिति सामुदायिक विकास खण्ड या आदिम जाति विकासखण्ड के प्रशासन का नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण करेगी और ऐसे खण्डों को राज्य सरकार द्वारा सौंपे कृत्य तथा सौंपी गई स्कीमों का क्रियान्वयन जनपद पंचायत के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के अधीन ऐसे अनुदेशों के अनुसार किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये जाये।

जिला पंचायतों के कार्य :

इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए जिला पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह–

(एक) जिले के भीतर की जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण रखे, उनके बीच समन्वय स्थापित करें और उनका मार्गदर्शन करें।

(दो) जनपद पंचायत की योजनाओं के समन्वित तथा समेकित करें।

(तीन) विशेष प्रयोजनों के लिए उन अनुदानों की मांगों को जो जनपद पंचायतों से प्राप्त हुई है समन्वित करें और उन्हें राज्य सरकार को अग्रेषित करें।

(चार) ऐसी योजनाओं, परियोजनाओं, स्कीमों या अन्य संकर्मों का जो जिले में की दो या अधिक जनपद पंचायत के साझे की हों, निष्पादन सुनिश्चित करें।

(पाँच) विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों, सामाजिक वानिकी, परिवार कल्याण, निःशक्तों निराश्रितों, महिलाओं, युवाओं के कल्याण तथा बालक कल्याण और खेलकूद के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह दें।

(छः) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करें जो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की जाए या सौंपी जाए।

(2) जिला पंचायत अपनी अधिकारिता के भीतर के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के प्रशासन का नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण करेगी और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये समस्त कृत्य तथा सौंपी गई समस्त स्कीमों का क्रियान्वयन जिला पंचायत के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन ऐसे निर्देशों के अनुसार किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाएं।

पंचायतीराज की आवश्यकता तथा महत्व :

पंचायते बहुत पुराने जमाने में भी विद्यमान थी। मगर वर्तमान पंचायती राज संस्थाएँ इस माने में नई है कि उनको काफी अधिकार , साधन और जिम्मेदारीयाँ सौपी गई है।

(1) भारत में स्वस्थ प्रजातांत्रिक परम्पराओं को स्थापित करने के लिए पंचायत व्यवस्था ठोस आधार प्रदान करती है। इसके माध्यम से शासन सत्ता जनता के हाथो में चली गयी है। यह व्यवस्था ग्रामवासियों में प्रजातांत्रिक संगठनों के प्रति रूचि स्थापित करती है।

(2) ये संस्थाए भारत का भावी नेतृत्व तैयार करती है विधायकों तथा मंत्रियों को प्राथमिक अनुभव एवं प्रशिक्षण प्रदान करती है जिससे वे ग्रामीण भारत की समस्याओं से अवगत होते है। इस प्रकार ग्रामों में उचित नेतृत्व का निर्माण करने एवं विकास कार्यो में जनता की रूचि बढ़ाने में पंचायतों का प्रभावी योगदान रहता है।

(3) पंचायतीराज संस्थाऐ केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को स्थानीय समस्याओं के भार से हल्का करती है।

(4) पंचायतों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी स्थानीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच की कड़ी है। इन स्थानीय पदाधिकारियों के बिना ऊपर से प्रारम्भ किये हुए राष्ट्र निर्माण के क्रियाकलापों का चलना मुश्किल हो जाता है।

(5) पंचायतें प्रजातंत्र की प्रयोगशाला है। यह नागरिकों को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा देती है साथ ही उनमें नागरिक गुणो का विकास करने में मदद करती है।

(6) हमारी जनता इन संस्थाओं के माध्यम से शासन के बहुत करीब पहुंच जाती है। जनता और शासन में परस्पर सहयोग बढ़ता है जो ग्रामीण उत्थान के लिए परम आवश्यक हैं।

संक्षेप में पंचायतों का मूल उद्देश्य ग्रामीण विकास के प्रयासो और जनता के बीच तारतम्य स्थापित करना है पंचवर्षीय योजनाओं और विकास के कार्यक्रमों को सुलझाने के लिए भी पंचायतों को बहुत महत्व प्रदान किया गया है। वस्तुतः पंचायतीराज की सफलता पर ही भारतीय प्रजातंत्र का भविष्य निर्भर करता है।

मध्य प्रदेश में नया पंचायती राज :

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती व्यवस्था को साकार करने के लिए **स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गाँधी** ने अधिकार सम्पन्न पंचायत राज लागू करने की पहल की थी ऐसा पंचातीराज जिससे सत्ता का सूत्र सीधे जनता के हाथ हो। वह अपने काम के लिए सत्ता के दलालों के चक्कर न लगाये। उसके पास अपनी तकदीर लिखने के लिए लेखनी हो।

राजीव जी की कल्पना को साकार रूप प्रधानमंत्री श्री पी0वी0 नरसिंहराव जी ने दिया। संविधान में संशोधन कर पंचायत राज की ऐसी व्यवस्था की गई जिससे गाँव की पंचायते अधिकार सम्पन्न हो और उत्तरदायी भी हो।

मध्य प्रदेश में गठित दिग्विजय सरकार ने पहला कार्य राजीव गाँधी के इस सपने को साकार करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकाल के एक माह के अन्दर ही नया पंचायत कानून बनाया और 7 जून 1994 को जिस दिन उनकी सरकार के छह माह पूरे हो रहे थे प्रदेश में पंचायतों के चुनाव पूरे हुये।

एक स्वंतत्र राज्य निर्वाचन आयोग की निगरानी में 30922 ग्राम पंचायतों 459 जनपद पंचायतों तथा 45 जिला पंचायतों के चुनाव पूर्ण हुए। पंचायतों के प्रतिनिधियों के हाथों पूरी पंचायती राज व्यवस्था 5 जुलाई 1994 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पी0वी0 नरसिंहराव ने औपचारिक रूप से सौप दी थी।

मध्य प्रदेश के पंचायती राज की विशेषताएं :

(अ) त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था –

1. हर ग्राम सभा में सभी मतदाता सदस्य।
2. हर ग्राम सभा के लिए एक पंचायत जिसमें आबादी के अनुसार कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 20 सदस्य।

3. जनपद पंचायत विकास खण्ड स्तर पर जिसमें कम से कम 10 और अधिक आबादी होने पर 25 तक सदस्य।
4. जिला स्तर पर जिला पंचायत जिसमें सदस्य संख्या आबादी के अनुसार 10 से 35 तक।

(ब) निर्वाचन पद्धति –

1. निष्पक्ष चुनाव के लिए स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग का गठन।
2. पंच,सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के सदस्यों का मतदाताओं द्वारा सीधा चुनाव।
3. जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष और ग्राम पंचायत के उप सरंपच का चुनाव निर्वाचन सदस्य द्वारा।
4. लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जिला पंचायतों में और विधायक जनपद और जिला पंचायत के सदस्य।

(स) आरक्षण –

1. पंचायतों के सदस्य और अध्यक्षों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में अवरोही क्रम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए पदों का आरक्षण।
2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 50 प्रतिशत से यदि कम है तो वहां कुल स्थानों पर 25 प्रतिशत पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित।
3. जिस पंचयातों में अध्यक्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग से नही है वहां उपाध्यक्ष इन वर्गो से होगा।
4. सभी स्तर पर पंचायतों में एक तिहाई पद महिलाओं के लिए।
5. ग्रामीण इलाकों को राजनैतिक विद्वेष से दूर रखने के उद्देश्य से चुनाव दलीय आधार नही।

(द) पंचायतों के कार्यकाल –

1. प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष।

2. पंचायत विघटित होने की स्थिति में शेष कार्यक्रम के लिए नई पंचायत का गठन।

अध्ययन की आवश्यकता :

हमारा देश गाँवों में बसा है। देश की जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत भाग गाँवों में निवास करता है जो आवागमन से कोसों दूर तथा जिनकी अनगिनत समस्याये है। गाँव के विकास से ही देश का विकास होगा। जब तक हमारी आधी से अधिक आबादी का विकास नही होगा तब तक सभी विकास अधूरें होगे।

हमारे संविधान में सभी वर्गो के लोगों को समान न्याय व समान अवसर देने की बात कही गई है वह किसी भी जाति धर्म का हो लिंग के आधार पर भी कोई भेदभाव नही किया जायेगा पर हकीकत में कही–कही पर भेदभाव बरता जाता है। इनमें महिलाएं कमजोर वर्गो के लोग खासतौर पर (अनुसूचित जनजाति समुदाय) आते है। इन्हें अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पडता है। इन कठिनाइयों को दूर करने में पंचायती राज पूणतः सक्षम है।

वर्ष 1994 में मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो चुकी है तथा सरकार द्वारा पंचायतों को उनके अधिकारों का हस्तान्तरण किया जा चुका है। शोधार्थी इस सत्ता के विकेन्द्रीकरण द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रम की संभावनाओं (खासतौर से निवाड़ी तहसील के सौर जनजाति के सामाजिक, आर्थिक स्तर उत्थान में होने वाले विकास) की कल्पना करता है तथा इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले प्रभावों तथा ''सौंर'' जनजाति (निवाड़ी तहसील) के सामाजिक–आर्थिक स्तर पर पंचायत राज का क्या योगदान है इसका अध्ययन करना चाहता है। अतः इन सभी अनछुये पहलुओं को सत्यता की कसौटी पर कसने हेतु शोधार्थी ने मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था का निवाड़ी तहसील के सन्दर्भ में ''सौर'' जनजाति के सामाजिक–आर्थिक स्तर उत्थान में योगदान को अपने शोध के अध्ययन हेतु चुना है।

पंचायती राज के अध्ययन की आवश्यकता इसलिये और बढ़ जाती है क्योकि इसके द्वारा गाँवों में तकनीकी विकास, आर्थिक विकास, गाँव की अपनी जनसंख्या एवं भौगोलिक पहचान का पूर्ण संतुलन सम्भव होगा। भारत में आवासित ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी, अज्ञानता, अशिक्षा, संक्रमक रोगो आदि को दूर किया जा सकेगा तथा स्वास्थ, आवास, यातायात के साधनों की भारी कमी बाढ़ सूखा आदि समस्याओं का समाधान हो सकेगा। वस्तुतः सभी कठिनाइयों के शिकंजे से मुक्त कराने का श्रेय केवल पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ही हस्तगत हो सकता है तभी गाँवों में कुटीर उद्योगों का सम्यक विकास भी किया जा सकता है। केवल पंचायतीराज व्यवस्था ही एक ऐसा माध्यम है कि जिससे जनता की सरकार जनता के सामने जनता की समस्याओं को सुनने व निपटने वाली हो सकती है। जनता का अधिक से अधिक सर्वांगीण विकास केवल पंचायती राज द्वारा ही सम्भव हो सकता है।

अतः सरकार ने 73 वे संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया है। इससे अब ग्रामीण जनता कर्मचारियों के शोषण तथा अपनी कठिनाइयों से मुक्त हो सकेगी। ऐसी परिस्थिति में यह परम आवश्यक है कि देश की लगभग 70 प्रतिशत व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते है के हितो को ध्यान मं रखते हुए पंचायती राज का अध्ययन किया जावे जिससे यह मालुम किया जा सके कि यह पंचायती राज इनके हित संबर्धन करता है अथवा नही।

अध्ययन का उद्देश्य :

मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था लागू करके पंचायतों को जो अधिकार तथा कर्तव्यों का हस्तांतरण किया है। उससे शोधार्थी का ध्यान पंचायती राज के अध्ययन की ओर गया तथा पंचायती राज व्यवस्था में जनजाति समुदाय के सामाजिक–आर्थिक स्तर उत्थान में क्या भूमिका होगी ? के अध्ययन हेतु इस विषय को चुनने का संकल्प लिया तथा शोधार्थी ने इस विषय को अपने अध्ययन के लिये चुनने हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों को अपने समक्ष रखा है –

(1) मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था द्वारा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का मूल्यांकन करना।

(2) पंचायती राज व्यवस्था का निवाडी तहसील के संदर्भ में "सौंर" जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर उत्थान में योगदान का अध्ययन करना।

(3) पंचायती राज व्यवस्था का ग्रामीण विकास की योजनाओं में योगदान का अध्ययन करना।

(4) पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गो एवं महिलाओं को दिये गये प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन करना।

(5) पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की उपलब्धिता का मूल्यांकन करना।

(6) पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रम में होने वाली भ्रष्टाचार के सम्भावनाओं का पता लगाना एवं अध्ययन करना।

अध्ययन की उपयोगिता एवं महत्व :

यद्यपि भारत में पंचायती राज का इतिहास काफी प्राचीन है। लेकिन आज भी पंचायती राज व्यवस्थाके द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पड़ने वाले प्रभावों को नकारा नही जा सकता इसलिए हमारे पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी तथा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 राजीव गाँधी जी भी पंचायती राज व्यवस्था के प्रबल पक्षधर थे लेकिन दुर्भाग्यवश इन राजनेताओं की इच्छा इनके जीवनकाल में पूर्ण न हो सकी परन्तु हमारे तात्कालीन प्रधानमंत्री पी0वी0 नरसिंहराव एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने इनके सपनों को साकार करने हेतू भारत वर्ष में पंचायती राज अधिनियम पारित करवाकर तथा सर्वप्रथम इसे मध्य प्रदेश में लागू कर देश के समक्ष एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। चूँकी हमारे देश की जनसंख्या का एक बडा भाग आज भी अशिक्षित है और ग्रामीण जनता की अपनी अनगिनत कठिनाइयाँ एवं समस्यायें है। यहाँ उल्लेखनीय है कि पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा ग्रामीण जनता की कठिनाइयों को दूर किया जा सकेगा।

सरकार चाहती है कि गाँव के हर ऐसे आदमी को जिसे रोजी रोटी के लिए रोजगार चाहिये उसे गाँव में ही रोजगार दिलाया जाये। अतः सरकार ने तय किया है कि गाँव में रहने वाला कोई परिवार जिसकी साल भर की कुल आमदनी रूपये 11000 तक या इससे कम है वे गरीब है ऐसे गरीब परिवारो के सदस्यों को रोजगार दिलाया जा सकता है या बैक में उसे कर्ज बगैरह दिलाया जा सकता है ताकि वह गाँव में ही कोई छोटा–मोटा काम धन्धा कर सकें।

पंचायती राज के लागू होने से ग्रामीण विकास को एक नई दिशा एवं मार्गदर्शन प्राप्त होगा क्यों कि पंचायती राज में ग्रामीणों को सत्ता का हस्तान्तरण किया गया है तथा सत्ता के हस्तान्तरण द्वारा अब ग्रामीणों को यह अधिकार है कि वे अपने विकास के कार्यक्रम को खुद ही निर्मित करे एवं स्वयं ही उनका संचालन करे ताकि सही अर्थो में पंचायती राज वयवस्था का उद्देश्य सार्थक हो सकें। अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पंचायती राज प्रणाली में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का जिक्र किया गया है। इससे पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन की अपयोगिता एवं महत्व स्वमेव बढ़ जाता है।

अध्ययन क्षेत्र का सीमांकन :

''सौर'' जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर उत्थान में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका के अध्ययन की समस्या किसी क्षेत्र विशेष की समस्या ही नही है बल्कि सम्पूर्ण प्रदेश और देश की समस्या है। पंचायती राज लागू होने से सम्पूर्ण समाज प्रभावित होता है तथा प्रभावित होकर अनेक प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है। उन्ही विकृतियों को जानने की उत्सुकता से शोधार्थी ने ''सौर'' जनजाति के सामाजिक–आर्थिक स्तर उत्थान में पंचायती राज के योगदान के सन्दर्भ में अपने अध्ययन क्षेत्र बृहत्तर निवाड़ी तहसील के ग्रामीण अंचलों का सीमांकन करते हुए उक्त समस्या का प्रभाव एवं पंचायती राज का योगदान जानने के प्रयास से अपना शोध कार्य किया है। अध्ययन क्षेत्र का मानचित्र संलग्न है।

शोधार्थी ने अध्ययन क्षेत्र का सीमांकन करते हुए ''सौर'' जनजाति से सम्बन्धित ग्रामीण अंचलों के 300 सौर जनजातियों का अभिमत प्राप्त किया है।

सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन :

''सौर'' जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर उत्थान में पंचायती राज की भूमिका एक नवीन एवं मौलिक अध्ययन है। किसी भी विषय पर अध्ययन करते समय साहित्य का पुनरावलोकन करना अत्यन्त आवश्यक एवं लाभकारी सिद्ध होता है परन्तु इस विषय पर न तो कोई ठोस कार्य आज तक किया गया और न ही उपयुक्त साहित्य ही उपलब्ध था। अतः शोधार्थी ने शोधकार्य में विभिन्न समाचार पत्र–पत्रिकाओं तथा अन्य पठन–पाठन सामग्री का ही अध्ययन किया है। ''सौर'' जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर उत्थान में पंचायती राज की भूमिका एक ऐसी अध्ययन की समस्या है जिसका सम्बन्ध सम्पूर्ण समाज से है देश में पंचायती राज व्यवस्था के सम्बन्ध में तो अनेक पाठ्य पुस्तकें व लेख प्रकाशित किये गये है। परन्तु ''सौर'' जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर उत्थान में पंचायती राज की भूमिका के सम्बन्ध में अभी तक कोई शोधकार्य एवं पुस्तक लेखन का कार्य नही किया गया है।

यदाकदा पंचायती राज के सम्बन्ध में नवीन पत्र–पत्रिकाओं में लेख आते रहते है तथा कुछ पुस्तकों का प्रकाशन भी हुआ है परन्तु शोध कार्य के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए अभी तक कोई भी सर्वेक्षण अभिमत प्रभावात्मक शोधकार्य सम्पन्न नही किया गया है।

शोधार्थी ने स्वयं के अनुभवों तथा वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर शोधकार्य किया है।

अध्याय- द्वितीय

शोध प्रारूप

अध्ययन विधि :

किसी भी सामाजिक समस्या के व्यवस्थित अध्ययन हेतु अध्ययन को नियोजित करना पड़ता है और शोध अभिकल्प का निर्माण करना पड़ता है। यदि शोध का विषय विश्लेषण पर आधारित नहीं होता तो शोध के समस्या की पूरी जानकारी सम्भव नहीं हो पाती। शोध के विषय का चुनाव वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में न रखकर कुछ और आधारों पर भी किया जा सकता है परन्तु एक बार जब शोध की समस्या चुन ली जाती है तो उसे हम अनुसंधान की समस्या के रूप में देखने लगते है जो वैज्ञानिक खोज का पहला चरण होता है। फिर हम देखते है कि वैज्ञानिक विधि द्वारा इस समस्या का अध्ययन तथा विश्लेषण कैसे किया जाय।

अध्ययन विधि का तात्पर्य है कि जो भी शोध का विषय है उसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें। उसके आधारभूत मान्यताओं को समझने का प्रयास करें और उसकी व्याख्या कैंसे की जाए इस पर प्रकाश डालें। अध्ययन विधियों से सम्बन्धित जितने क्रिया–कलाप है वे मानव मस्तिष्क की एक दशा अधिक और नियमों, पद्धतियों की व्यवस्था कम होती है। मानव व्यवहार और वैज्ञानिक विधि के बीच एक सम्बन्ध पाया जाता है। ज्ञान के अनेक क्षेत्रों में कला को विज्ञान से पृथक किया गया है। कला की एक कृति का मूल्यांकन हम इस आधार पर करते है कि स्रोतागण या देखने वालों पर कितना प्रभाव डालता हैं कला में हम यह नहीं देखते है कि किन विधियों का प्रयोग करके कलाकार ने अपनी कृति तैयार की है। परन्तु विज्ञान में ऐसा नहीं है। विज्ञान में हम निष्कर्ष के साथ–साथ निष्कर्ष की वैधता का भी परीक्षण करते है। जिसमें यह देखा जाता है कि जो निष्कर्ष निकाले गये है वो कहाँ तक वैज्ञानिक विधियों पर आधारित है। समाज वैज्ञानिक की एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे प्रकृति वैज्ञानिकों की भाँति अपने परिकल्पना की वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के माध्यम से पूर्ण रूप से उसकी सार्थकता नहीं ज्ञात कर सकते।

किसी भी व्यवस्थित और कमबद्ध ज्ञान को विज्ञान माना जाता है, जिसमें कार्य–कारण सम्बन्धों, निश्चित निष्कर्ष देने की क्षमता रखता हो तथा वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हो चाहे यह ज्ञान भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त किया जाये अथवा सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में प्राप्त किया जाए।

पद्धति शास्त्र :

प्रस्तुत शोध अध्ययन को वैज्ञानिक पद्धति द्वारा करने के लिए उसकी कार्य प्रणाली या नियमबद्धता के अनुसार अध्ययन को व्यवस्थित किया जाता है। इस अर्थ से स्पष्ट होता है कि पद्धतिशास्त्र वह प्रशस्त पथ है जिस पर चलकर कोई अध्ययनकर्ता सत्य के द्वार तक पहुँच सकता है, अज्ञानता के अन्धकार को दूर भगा सकता है, इसीलिए श्री कार्ल पियर्सन ने कहा कि ''सत्य तक पहुँचने के लिए कोई संक्षिप्त पथ नहीं है। विश्व के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक पद्धति से गुजरना ही पड़ेगा।'' यह द्वार एक मुक्त द्वार है, और वह इस अर्थ में कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कोई भी वैज्ञानिक किसी भी प्रकार के विषय के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर सकता है। अध्ययन विषय कुछ भी हो वैज्ञानिक पद्धति समान रूप से उपयोगी सिद्ध होती है।यही कारण हैकि आज सामाजिक घटनाओं के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग हो रहा है।

संक्षेप में पद्धति शास्त्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक या अधिक प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, जिनकी तार्किकता तथा सूक्ष्मता एवं वैज्ञानिक तथ्यों एवं घटनाओं का निष्कर्ष निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। अन्त में पद्धति शास्त्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं कि पद्धति शास्त्र का अर्थ किसी कार्य को सम्पादित करने के तरीकों से है। और भी स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि पद्धतिशास्त्र वह शास्त्र है या वह अध्ययन है जिसमें अध्ययनकर्ता अपने

अध्ययन विषय का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए जिन तरीकों या विधियों का इस्तेमाल करता है वही उसकी पद्धति शास्त्र है।

पद्धति का अर्थ : पद्धति का अर्थ किसी कार्य को सम्पादित करने के तरीके से है अतः पद्धति शास्त्र एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग तार्किकता एवं सूक्ष्मता तथा वैज्ञानिक तरीकों से प्राप्त तथ्यों एवं घटनाओं को निष्कर्ष निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है।

वैज्ञानिक पद्धति :

किसी भी समस्या का शोधकार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जा सकता जब तक कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग न किया जाये। सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक समस्याओं से सम्बन्धित तथ्यों के लिए अनेक पद्धतियाँ अपनाई जाती है, लेकिन सत्यपूर्ण तथ्यों की खोज के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है।

यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, यह क्या है साधारणतः उस पद्धति को वैज्ञानिक कहा जाता है, जिसमें अध्ययनकर्ता तटस्थ या निष्पक्ष रहकर किसी विषय, समस्या या घटना का अध्ययन करता है।

कार्ल पियर्सन (Karl Pearson), गुड एवं हैट तथा स्टुअट (Goode and Hatt), चेज (Stuart Chase) ने वैज्ञानिक पद्धति को एक ऐसी जांच की पद्धति माना है जिसमें किसी स्थिति, घटना, व्यवहार इत्यादि के बारे में समस्या का निर्माण किया जाता है, समस्या से सम्बन्धित उपकल्पना बनाई जाती है तथा फिर तथ्यों का संकलन करके उपकल्पना का परीक्षण किया जाता है। जाँच का यह तरीका सभी विज्ञानों में एक जैसा है इसी सन्दर्भ में कार्ल पियर्सन ने तर्क दिया है कि, "समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय सामग्री में।"[1]

---

1. Karl Pearson, the grammar of science, page-10

कार्ल पियर्सन के अनुसार– "विज्ञान वह पद्धति है जिससे तथ्यों पर आधारित महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। विज्ञान की वस्तु सम्पूर्ण भौतिक समग्र है। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के तथ्यों का वर्गीकरण करता है, उनके पारस्परिक सम्बन्धों का पता लगाता है तथा उनमें पाए जाने वाले क्रमों का वर्णन करता है, वह वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर रहा है तथा वह वैज्ञानिक व्यक्ति है।[2]

कोहन एवं नागल के अनुसार– "जिसे वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है वह अन्य पद्धतियों से मूलरूप में इस बात में भिन्न है कि वह यथा सम्भव सन्देह (शंका) को प्रोत्साहित एवं विकसित करती है, जिससे कि इस सन्देह से जो कुछ बच रहे वह सदैव सर्वोत्तम प्राप्त प्रमाण से परिपुष्ट हो सके।"[3]

किसी भी शोधकार्य के निष्कर्षो में अति शुद्धता लाने के लिए यह आवश्यक है कि शोधकार्य में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जावे क्यों कि वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्राप्त निष्कर्षो का कभी भी परीक्षण तथा पुनः परीक्षण किया जा सकता है। वैज्ञानिक पद्धति का अभिप्राय ऐसी व्यवस्थित प्रणाली से है जिसके द्वारा किसी भी विषय के सम्बन्ध में व्यवस्थित क्रमबद्ध एवं यथार्थ ज्ञान का संकलन किया जाता है।

प्रस्तुत शोध कार्य "सौर" जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर उत्थान में पंचायती राज की भूमिका (टीकमगढ़ जिले के निवाड़ी तहसील के संदर्भ में) के सन्दर्भ में "सौर" जनजाति से प्राप्त सूचना वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है।

जैसा कि हम जानते है कि वैज्ञानिक पद्धति का लक्ष्य सत्य को ढूँढ़ निकालना है। पर इस लक्ष्य तक एकाएक नहीं पहुँचा जा सकता। वैज्ञानिक पद्धति में आरम्भ से लेकर अंत तक अत्यन्त सुचिन्तित व व्यवस्थित ढंग से कार्य करना पड़ता है। वैज्ञानिक पद्धति में स्वभाव से ही एक स्तर से दूसरे स्तर को, दूसरे स्तर से तीसरे स्तर को और

---

2. Karl pearson, OP. Cit., PP. 12-13
3. M.R. Cohn and E. Nagel, An Introduction to logic and scientific method, P-195

इसी कम से आगे बढ़ना पड़ता है। इन्हीं स्तरों को वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण कहा जाता है।

लुण्डवर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के चार चरणों का वर्णन किया है :

(प्रथम) कार्यशील प्राक्कल्पना का निर्माण।

(द्वितीय) अवलोकन एवं तथ्यों का अवलोकन।

(तृतीय) संकलित तथ्यों का वर्गीकरण एवं संगठन।

(चतुर्थ) सामान्यीकरण।

श्रीमती पी.बी. यंग ने वैज्ञानिक पद्धति के छः चरणों का उल्लेख किया है–

1. अध्ययन हेतु समस्या का चुनाव,
2. कार्यशील प्राक्कल्पना का निर्माण।
3. वैज्ञानिक प्रविधियों की सहायता से समस्या या घटना का अवलोकन एवं खोज।
4. संकलित तथ्यों का आलेखन।
5. तथ्यों का विभिन्न वर्गो में वर्गीकरण।
6. वैज्ञानिक सामान्यीकरण।

इस प्रकार हम वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरणों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। ये चरण निम्नलिखित हैं–

1. समस्या का चुनाव,
2. अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण,
3. प्राक्कल्पना का निर्माण,
4. अध्ययन–क्षेत्र एवं अध्ययन की इकाई का निर्धारण,
5. अध्ययन पद्धतियों एवं यन्त्रों का चुनाव।
6. अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन।

7. तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या।
8. सामान्यीकरण।
9. जाँच या पुनः परीक्षण।
10. भविष्यवाणी।

अब हम वैज्ञानिक पद्धति में प्रमुख चरणों पर संक्षेप में प्रकाश डालना चाहेंगे–

1. **कार्यनिर्वाही प्राक्कल्पना (उपकल्पना) का निर्माण–** सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक घटनाओं या समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन है और कोई भी अध्ययन तब तक वैज्ञानिक नहीं हो सकता जब तक उसमें वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग न किया गया हो। इस वैज्ञानिक पद्धति का सदुपयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक हमें अपने अध्ययन विषय के बारे में कुछ न कुछ आरम्भिक ज्ञान एवं सामान्य अनुभव न हो। इस आरम्भिक ज्ञान व अनुभव के आधार पर हम अपने अध्ययन विषय के बारे में कुछ न कुछ आरम्भिक ज्ञान एवं सामान्य अनुभव न हो। इस आरम्भिक ज्ञान व अनुभव के आधार पर हम अपने अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों के सम्बन्ध में एक सामान्य अनुमान पहले से ही लगा सकते हैं। यह सामान्य अनुमान सर्वेक्षणकर्ता के लिए एक मार्ग निर्देशक बन जाता है और शोध का ध्यान कुछ निश्चित व आवश्यक तथ्यों पर ही केन्द्रित करके अनुसंधान की दिशा को निर्धारित करता है और उसे अनिश्चितता के अंधकार में भटकने से बचा लेता है। इसी आरम्भिक सामान्य तथा काम चलाऊ अनुमान को जो कि आगे के अध्ययन कार्य का आधार और वैज्ञानिक के लिए एक सहारा बन जाता है कार्यनिर्वाही अथवा कामचलाऊ, प्राक्कल्पना या उपकल्पना कहते हैं।

2. **तथ्यों का निरीक्षण तथा संकलन :** प्राक्कल्पना का निर्माण हो जाने पर अध्ययन क्षेत्र और लक्ष्य दोनों ही निश्चित हो जाते हैं। अतः अब यह सम्भव

हो जाता है कि हम अपने अध्ययन विषय से सम्बद्ध वास्तविक तथ्यों का निरीक्षण करें और उनका संकलन भी। वास्तविक निरीक्षण करने से पहले पक्षपात रहित होकर उन तथ्यों का चुनाव कर लेना आवश्यक होता है जो हर संभव रूप में प्राक्कल्पना की सत्यता या असत्यता को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हो। इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि उन तथ्यों को ही चुना जाए जो पूर्ण रूप से अध्ययन विषय या समस्या का प्रतिनिधित्व कर सकें और साथ ही इन तथ्यों को मात्रात्मक रूप से अभिव्यक्त करना सम्भव हो।

समस्त घटना या समस्या का पूर्णतया विश्लेषण व बोध करने के लिए आवश्यक पर्याप्त तथ्यों का निरीक्षण व संकलन होना चाहिए। तथ्यों को संकलित करने या प्राप्त करने के दो प्रमुख स्रोतों का उल्लेख किया जा सकता है–

प्रथम तो ऐतिहासिक स्रोत है जिसके अन्तर्गत पुराने ग्रंथ, शिलालेख, प्राचीन अवशेष आदि आते हैं। द्वितीय स्रोत क्षेत्रीय स्रोत है जिसके अन्तर्गत प्रत्यक्ष निरीक्षण, साक्षात्कार, अनुसूची एवं प्रश्नावली अन्य जीवित सूचनादाता आदि आते हैं। आवश्यकतानुसार इन स्रोतों से सूचनाएँ या तथ्य एकत्रित किये जाते हैं। इसके लिए किन–किन स्रोतों का प्रयोग किया जायेगा यह अध्ययन–विषय की प्रकृति व क्षेत्र पर निर्भर करता है।

3. **एकत्रित तथ्यों का वर्गीकरण** : तथ्यों को एकत्रित कर लेने के पश्चात् यह आवश्यक हो जाता है कि हम तथ्यों को कुछ क्रमों या अनुक्रमों में वर्गीकरण व संगठन कर लें कि वे अर्थपूर्ण हो जाए। एकत्रित तथ्यों का वर्गीकरण उन तथ्यों में पाई जाने वाली समानता व भिन्नता के आधार पर कुछ वर्गों व उपवर्गो में अथवा एक क्रम से किया जाता है। इस प्रकार एक

क्रम से या कुछ वर्गो में तथ्यों का वर्गीकरण कर लेने से जटिल व अस्पष्ट तथ्यों के ढेर सरल व स्पष्ट हो जाते हैं और उनका विश्लेषण करना सुविधाजनक होता है। किसी भी अवस्था में वर्गीकरण का कार्य जितनी कुशलता व स्पष्ट रूप में किया जायेगा, वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुँचना अनुसंधानकर्ता के लिए उतना ही सरल होगा।

4. **वैज्ञानिक निष्कर्षीकरण (सामान्यीकरण) तथा नियमों का प्रतिपादन** : एकत्रित तथ्यों का वर्गीकरण जब हम सुनिश्चित व सुव्यवस्थित रूप से कर लेते हैं तो उनका विश्लेषण करना भी हमारे लिए सरल हो जाता है। वैज्ञानिक निष्कर्षीकरण तथा नियमों का प्रतिपादन करने के लिए तार्किक पद्धति, सांख्यकीय पद्धति तथा आगमन व निगमन पद्धति को अपनाया जाता है। इनमें से किसी एक या एकाधिक पद्धतियों का उपयोग वैज्ञानिक नियम के प्रतिपादन में किया जाता है। यहाँ पर वैज्ञानिक नियम से हमारा तात्पर्य उस संक्षिप्त व्याख्या से है जो कि एक घटना या समस्या की प्रकृति व उसके कारणों का निश्चित परिस्थितियों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण करती है।

कार्लपियर्सन ने वैज्ञानिक पद्धति की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है–

1. तथ्यों का सतर्क तथा निश्चित वर्गीकरण और उनके जन्म तथा पारस्परिक सम्बन्धों का अवलोकन।
2. रचनात्मक कल्पना शक्ति की सहायता से वैज्ञानिक नियमों की खोज करना।
3. आत्म आलोचना तथा सभी सामान्य मस्तिष्कों के लिए समान औचित्य।

प्रस्तुत शोध कार्य ''सौर'' जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर उत्थान में पंचायती राज की भूमिका– (टीकमगढ़ जिले के निवाड़ी तहसील के संदर्भ में) निवाड़ी

तहसील के 68 ग्राम पंचायतों में से चयनित पाँच (5) ग्रामों से 300 ''सौर'' जनजातियों से विषय से सम्बन्धित प्राप्त सूचनाओं का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए निम्न प्रमुख उपकरणों व विधियों का प्रयोग किया गया है।

1. अनुसंधान प्ररचना
2. उपकल्पना
3. शोध क्षेत्र का चुनाव
4. उत्तरदाताओं का चयन (उद्देश्यपूर्ण दैव निदर्शन पद्धति)
5. शोध के यंत्र–
   (क) अवलोकन (सहायक)
   (ख) साक्षात्कार
   (ग) अनुसूची– मुख्य विधि
      A. व्यक्तिगत जानकारी
      B. पारिवारिक जानकारी
      C. समस्या से सम्बन्धित जानकारी

   तथ्यों का विश्लेषण– संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन।

शोध प्ररचना :

कोई भी शोध कार्य मनगढ़ंत ढंग से प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। शोधकार्य को कमबद्ध एवं प्रभावपूर्ण ढंग से समय, काल एवं लागत के न्यूनतम प्रयासों के साथ संचालित करने के लिए एक अभिकल्प या शोध प्रारचना का निर्माण करना आवश्यक होता है। ज्ञान–विज्ञान मानव जीवन का वह आधार है जो उसे एक निश्चित दिशा प्रदान करता है।

सामाजिक अनुसंधान एक जटिल प्रकिया है। इसकी जटिलता उस समय और भी अधिक गम्भीर हो जाती है जबकि अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान की दिशा का ज्ञान

न हो। यह अनुसंधान ठीक उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार अंधेरी रात में व्यक्ति दिशा भूल जाता है और वह पुनः दिशा प्राप्त करने का प्रयास करता है।

अनुसंधान अभिकल्प सामाजिक अनुसंधान का एक ऐसा प्रारूप है जो अनुसंधानकर्ता की जटिलता को सरलता में बदल देता है। अभिकल्प वह साधन है जो मानव परिश्रम को कम करता है और साथ ही साथ सामाजिक अनुसंधान में आने वाली कठिनाई को भी दूर करता है। संक्षेप में सामाजिक अनुसंधान को प्रारम्भ करने से पूर्व जो रूप रेखा बनाई जाती है उसे ही अनुसंधान अभिकल्प या शोध–प्रारचना कहा जाता है।

प्रत्येक अनुसंधान के उद्देश्यों की समुचित रूप से प्राप्ति तभी सम्भव है जब अनुसंधान कार्य एक निश्चित योजना के अनुरूप किया जावें। अनुसंधान कार्य की योजना की रूपरेखा को अनुसंधान प्रारचना कहते हैं। कुछ प्रमुख विद्वानों ने अनुसंधान प्परचना को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है–

एकॉफ के अनुसार– "अनुसंधान प्रारचना निर्णय करने की वह प्रक्रिया है। जो उन परिस्थितियों के पूर्व किये जाते हैं जिनमें वे निर्णय कार्यरूप में लाये जाते हैं।"[4]

कलिंजर के अनुसार– "अनुसंधान प्रारचना अन्वेषण की योजना, संरचना एवं एक रणनीति है। इसकी रचना इस प्रकार की जाती है कि अनुसंधान प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सके तथा विविधताओं को विभाजित किया जा सके वह प्रारचना या योजना अनुसंधान की सम्पूर्ण रूपरेखा अथवा कार्यक्रम है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक चीज की रूपरेखा सम्मिलित होती है। जो अनुसंधान उपकल्पनाओं के निर्माण एवं उनके परिचलनात्मक अभिप्राय है, लेकर आंकड़ों के अन्तिम विश्लेषण तक करता है।[5]

---

4. डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च पृष्ठ–5, एकॉफ एल0
5. डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च पृष्ठ–5, कलिंजर

पी.वी. यंग के अनुसार– "एक अनुसंधान अभिकल्प एक शोध का व्यवस्थित नियोजन तथा निर्देशन है।"[6]

अतः स्पष्ट है कि अनुसंधान कार्य होने से पूर्व शोध विषय पद्धति, उपकरण तथा सम्पूर्ण प्रकिया से सम्बन्धित बातें सुव्यवस्थित ढंग से निश्चित कर जो शोध कार्यक्रम बनाया जाता है वही शोध प्ररचना है।

शोधार्थी ने अपने अध्ययन विषय में अन्वेषणात्मक शोध–प्रारचना तथा वर्णनात्मक शोध–प्रारचना का उपयोग किया है। अतः उक्त शोध–प्रारचनाओं के बारे में संक्षिप्त विवरण देना आवश्यक समझता है।

1. **अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध प्रारचना–** जब शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूढ़ निकालना चाहता है ताकि किसी समस्या के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्ष के सम्बन्ध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सकें, तब अध्ययन के लिए शोध का सहारा लिया जाता है, उसे अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध कहते है।

हंसराज नामक विद्वान ने बताया है कि– "अन्वेषणात्मक शोध किसी भी विशेष अध्ययन के लिए प्राक्कल्पना का निर्माण करने तथा उसे सम्बन्धित अनुभव प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार के शोध द्वारा विषय अथवा समस्या का कार्यकारण सम्बन्ध ज्ञात हो जाता है।

इस प्रकार की शोध की सफलता के लिए निम्नलिखित अनिवार्य दशाओं का होना आवश्यक है।

(क) सम्बद्ध साहित्य का अध्ययन– विषय से सम्बन्धित प्रकाशित एवं अप्रकाशित साहित्य का अध्ययन प्रथम अनिवार्यता है।

---

6. साइंटिफिक सोशियल सर्वेज एण्ड रिसर्च, पी0वी0 यंग, पृष्ठ–3

(ख) **अनुभव सर्वेक्षण–** इस प्रकार शोध में विषय से सम्बन्धित हेतु उनका चुनाव करना, उनसे सम्पर्क स्थापित करना और उनके अनुभवों से लाभ उठाना शामिल है।

(ग) **सही सूचनादाताओं का चयन–** शोध कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ऐसे सूचनादाताओं का चयन किया जाए जिनसे विषय के सम्बन्ध में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके जो अध्ययन हेतु वास्तविक अन्तर्दृष्टि प्रदान कर सकें।

(घ) **उपयुक्त प्रश्न पूंछना–** शोधकर्ता की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सूचना प्राप्त करने हेतु प्रश्न बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाये जाये और उपयुक्त प्रश्नों का ही चयन किया जाय।

(ङ.) **अन्तर्दृष्टि–प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण–** विषय के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में शोधकर्ता का ज्ञान सामान्यतः सीमित होता है। इसी कमी को दूर करने के लिए आवश्यक है कि सभी पहलुओं का गहनता के साथ अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाये। ऐसा करने से विषय के सम्बन्ध में एक ऐसी अन्तर्दृष्टि प्राप्त होगी जो शोध–कार्य की सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

2. **वर्णनात्मक शोध–प्रारचना–** वर्णनात्मक शोध प्रारचना का उद्देश्य विषय या समस्या के सम्बन्ध में यथार्थ या वास्तविक तथ्यों को एकत्रित कर उनके आधार पर एक विवरण प्रस्तुत करना है यहाँ मुख्य जोर इस बात पर दिया जाता है कि विषय से सम्बन्धित एकत्रित किये गये तथ्य वास्तविक एवं विश्वसनीय हो अन्यथा जो वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जायेगा वह वैज्ञानिक होने के बजाय दार्शनिक ही होगा। तथ्यों को प्राप्त करने हेतु अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली अथवा किसी अन्य प्रविधि का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे शोध में घटनाओं को यथार्थ रूप में चित्रित करने पर विशेष बल दिया जाता है।

वर्णनात्मक शोध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है–

(क) शोध विषय या समस्या का चुनाव सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिये।

(ख) तथ्यों के संकलन के लिए प्रविधियों का चुनाव पूर्ण सावधानी के साथ किया जाय।

(ग) वर्णनात्मक शोध में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण बनाये रखने की अत्यन्त आवश्यकता है।

(घ) वर्णनात्मक शोधकार्य काफी विस्तृत होता है। अतः उसे समयबद्ध एवं व्यय में मितव्ययतापूर्ण होना आवश्यक है।

उपकल्पना :

सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे– प्राक्कल्पना, पूर्वकल्पना, परिकल्पना आदि। सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना एक महत्वपूर्ण कदम है। किसी भी सामाजिक घटना का वैज्ञानिक अध्ययन तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि अनुसंधानकर्ता अपना अनुसंधान उपकल्पना से प्रारम्भ न करें। वास्तव में उपकल्पना के अभाव में शोधकर्ता एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। यदि उपकल्पना का निर्माण न किया जाये तो अनुसंधान की न तो दिशा निर्धारित हो सकती है और न विषय–क्षेत्र का ज्ञान ही अध्ययनकर्ता को हो पाता है। अतः अनुसंधान कार्य हेतु आँकड़े तथा तथ्य संकलित करने के लिए अपनी उपकल्पना या परिकल्पना अवश्य निर्धारित कर लेनी चाहिए।

शोध समस्या के सम्बन्ध में प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद शोधकर्ता अपने मस्तिष्क में एक ऐसा सिद्धान्त बना लेता है जिसके बारे में वह कल्पना करता है कि यह सिद्धान्त ही शायद उसके अनुसंधान का निष्कर्ष हो। किन्तु यह जरूरी नहीं है कि

उसका यह काल्पनिक सिद्धान्त सत्य ही हो। जब शोधकर्ता इस 'काल्पनिक अनुमान' को अपने तथ्यों के आधार पर प्रमाणित करता है तो यह तथ्य या आँकड़े यह सिद्ध कर देते हैं कि समस्या या घटना के सम्बन्ध में हमारी जो धारणा थी वह कितनी सत्य है और कितनी गलत है।

वेब्स्टर्स न्यू इण्टरनेशनल डिक्शनरी के अनुसार– "एक उपकल्पना एक मान्यता, शर्त अथवा सिद्धान्त है जिसे शायद विश्वास के बिना मान लिया जाता है ताकि इसके तार्किक परिणाम ज्ञात हो सके तथा इस ढंग के द्वारा उसकी उन अन्य तथ्यों से समानता का परीक्षण किया जा सके जो ज्ञात है अथवा निर्धारित किए जा सकते है।"[7]

गुड एवं हैट के अनुसार– "उपकल्पना इस बात का वर्णन करती है कि हम आगे क्या देखना चाहते हैं। एक उपकल्पना भविष्य की ओर देखती है। यह एक प्रस्तावना है जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने हेतु उसका परीक्षण किया जा सकता है। यह सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी।"[8]

उपकल्पना शोधकर्ता का ध्यान समस्या पर केन्द्रित कर उसे इधर–उधर भटकने से बचाती है तथा शोधकार्य में मार्गदर्शन का कार्य करती है। उसका क्षेत्र स्पष्ट करती है। उपकल्पना को कुछ प्रमुख विद्वानों ने इस प्रकार परिभाषित किया है।

जी.ए.लुण्डवर्ग– "एक उपकल्पना एक सामयिक या काम चलाऊ सामान्यीकरण है, जिसकी वैधता की जाँच शेष रहती है।"[9]

---

7. Webster New International Dictionary of English Language, Quoted in Selltiz. et. Al., Research methods in social relations, Page-35
8. Goode and P.K. Hatt' Methods in Social Research' Page-56
9. सोशल रिसर्च– लुण्डवर्ग जी0ए0, 1942, पृष्ठ–9

पी.वी. यंग– "एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है। कार्यकारी उपकल्पना के नाम से जाना जाता है।[10]

वैज्ञानिक अनुसंधान में उपकल्पनाओं के महत्व को निम्नांकित तथ्यों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है–

1. **अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना–** अध्ययनकर्ता कितनी घटना, इकाई या समस्या का अध्ययन सभी पहलुओं को सामने रखकर नहीं कर सकता, अतः गहन एवं वास्तविक अध्ययन के लिए अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना अनिवार्य है। इस कार्य में उपकल्पना हमारी सहायता करती है। इससे हमें यह पता चलता है कि किसी वस्तु का क्या, कितना और कैसे अध्ययन करना है।

2. **अध्ययन की उचित दिशा प्रदान करना–** पी.वी. यंग का कहना है कि उपकल्पना दृष्टिहीन खोज से हमारी रक्षा करती है। यह हमें पहले से ही इस बात की ओर इशारा करने में सहायता देती है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। इससे व्यर्थ का परिश्रम बच जाता है और व्यय भी कम होता है।

3. **अध्ययन में निश्चतता लाना–** उपकल्पना अनुसंधान को सुनियोजित एवं सुनिश्चित बनाने में सहायता देती है। इससे हमें यह पता चल जाता है कि कौन–सी सूचनाए, कहाँ से तथा कब प्राप्त करनी है। अतः इससे अनुसंधान में अस्पष्टता एवं अनिश्चितता की संभावना प्रायः समाप्त हो जाती है।

4. **अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण–** उपकल्पना से अध्ययन के उद्देश्य का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है क्योंकि किसी अमुक घटना या समस्या के अध्ययन के पीछे अनेक उद्देश्य हो सकते है। उपकल्पना से हमें यह पता चलता है कि हम किसकी खोज करें।

---

10. साइंटिफिक सोशल सर्वेज एण्ड रिसर्च, यंग पी.वी.

5. **सम्बद्ध तथ्यों के संकलन में सहायक–** उपकल्पना अध्ययन को दिशा प्रदान करके इसमें केवल निश्चितता ही नहीं लाती अपितु समस्या से सम्बन्धित तथ्यों को एकत्रित करता हैं जिनके आधार पर उपकल्पना की सत्यता की जाँच हो सकती है तथा इस प्रकार वह अनावश्यक तथ्यों संकलन से बच जाता है।

6. **निष्कर्ष निकालने में सहायक–** उपकल्पना के द्वाा दो चरों में जिस प्रकार के सम्बन्ध का अनुमान लगाया गया है वह अनुसंधान द्वारा या तो सत्य प्रमाणित होता है या असत्यों अतः यह निष्कर्ष निकालने एवं यहाँ तक कि समस्याओं क समाधान निकालने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

7. **सत्यता की खोज करने में सहायक–** उपकल्पना अध्ययन को स्पष्ट एवं निश्चित बनाकर तथा प्रमाणित आँकड़ों के कारण सत्यता की खोज में सहायता देती हैं क्यों कि उपकल्पना की जाँच वास्तविक तथ्यों के आधार पर ही ही जाती है।

शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोधकार्य में निम्नलिखित उपकल्पनाओं का निर्माण स्व–विवेक, उचित पर्याप्त उपलब्ध साधनों के आधार पर किया गया है एवं उनकी प्रमाणिकता का परीक्षण करने का प्रयास किया गया है। परिकल्पनाएं निम्नलिखित है–

1. पंचायती राजव्यवस्था के क्रियान्वित होने के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रमों को गति मिलेगी अथवा उनमें शीघ्रता आयेगी।
2. पंचायती राज व्यवस्था लागू होने से ''सौर'' जनजाति के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्तर में पर्याप्त सुधार होगा।
3. इस व्यवस्था के लागू होने से ''सौर'' जनजाति में राजनीति की ओर झुकाव होगा।
4. पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलने पर सशक्तिकरण के फलस्वरूप सामाजिक स्तर में पर्याप्त सुधार होगा।

5. इस व्यवस्था के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम किया जा सकेगा तथा नगरीय पलायन को भी कुछ हद तक रोका जा सकेगा।
6. पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में आने वाली शासकीय रूकावटें दूर हो सकेंगी तथा विकासीय कार्यों में शीघ्रता आयेगी।
7. इस व्यवस्था में कुछ भ्रष्टाचार पनपने की आशंका हैं क्योंकि इस व्यवस्था में ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र रूप से अधिकार मिलने के पश्चात् जनप्रतिनिधि इस व्यवस्था को अपने अनुरूप क्रियान्वित करेंगे।

शोध क्षेत्र :

मध्य प्रदेश में 317 तहसीलों के अन्तर्गत 459 विकासखण्ड, 45 जिला पंचायतें, 459 जनपद पंचायतें एवं 30922 ग्राम पंचायतें आती है।

''सौर'' जनजाति मध्यप्रदेश के कुछ जिलों (टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना एवं सतना) में निवास करती है। अतः सभी जिलों में ''सौर'' जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर उत्थान में पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन करना एक कठिन कार्य है।

चूँकि शोधार्थी निवाड़ी तहसील की भौगोलिक संरचना एवं ग्रामीण अंचलों से परिचित है तथा वह ''सौर'' जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर उत्थान में पंचायती राज की भूमिका का अध्ययन करना चाहता है इस उद्‌देश्य को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी ने निवाड़ी तहसील के अन्तर्गत उन ग्रामीण अंचलों को ही अपने अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया है जिनमें ''सौर'' जनजाति निवास करती है।

शोधार्थी ने निश्चित समय सीमा एवं आर्थिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए निवाड़ी तहसील के 71 ग्राम पंचायतों में से कुल 5 ग्रामों का चयन कर 300 उत्तरदाताओं का उद्‌देश्यपूर्ण दैव निदर्शन पद्धति से चयन कर उनसे विषय से

सम्बन्धित सूचना को प्राप्त किया है तथा यह प्रयास किया है कि अधिक से अधिक निष्पक्ष सूचना प्राप्त हो जिससे निष्कर्षों में अधिक यथार्तता की संभावना रहे।

शोध पद्धतियाँ : शोधकार्य के सफलतापूर्वक सम्पादन में शोध के विषय से सम्बन्धित तथ्य–संकलन का महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुँचने एवं सामान्यीकरण तथा सैद्धान्तीकरण के लिए सुचनाएँ प्राप्त करना, तथ्य एकत्रित करना, संख्यात्मक एवं गुणात्मक बातें मालूम करना आवश्यक होता है। तथा शोध हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले तथ्यों को अध्ययनकर्ता मनमाने ढंग से एकत्रित नहीं करके विभिन्न उपकरणों एवं विधियों की सहायता से संकलित करता है। शोधार्थी ने अपने शोध के विषय से सम्बन्धित तथ्य–संकलन में निम्न प्रमुख शोध यंत्रों का प्रयोग किया है।

1. अवलोकन
2. अनुसूची
3. साक्षात्कार

अवलोकन : वास्तव में कोई भी वैज्ञानिक किसी भी घटना या अवस्था को उस समय तक स्वीकार नहीं करता जब तक कि वह स्वयं उसका इन्द्रियों से निरीक्षण न कर ले। अवलोकन या निरीक्षण का अर्थ है ''कार्यकारण अथवा पारस्परिक सम्बन्ध को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण।''

समाजशास्त्री शोध में अवलोकन विधि का अपना विशेष महत्व है। अवलोकन अनुसंधान की अत्यधिक प्राचीन एवं प्रचलित विधि है। मानव ने अपने चारों ओर के विश्व का प्रारम्भिक ज्ञान अवलोकन के द्वारा ही प्राप्त किया है। अर्थात् मानव के पास संचित ज्ञान का अधिकांश भाग अवलोकन का ही परिणाम है।

इस प्रकार अवलोकन की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है–

1. मानव इन्द्रियों का प्रयोग।
2. प्राथमिक सामग्री का संकलन।
3. सूक्ष्म, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन।
4. कार्य–कारण सम्बन्ध का पता लगाना।
5. व्यावहारिक एवं अनुभवाश्रित अध्ययन।
6. निष्पक्षता।
7. प्रत्यक्ष अध्ययन।
8. सामूहिक व्यवहार का अध्ययन।
9. विचारपूर्वक किया जाने वाला अध्ययन।

अवलोकन को विद्वानों ने अपने–अपने ढंग से समझाने का प्रयास किया तथा परिभाषाएं दी हैं। कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषायें निम्नलिखित हैं–

1. **प्रो. सी.ए. मोजर** ने निरीक्षण के बारे में कहा है कि ठोस अर्थ में निरीक्षण में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों के प्रयोग की स्वतंत्रता है।[11]

2. **प्रो. गुड़ एवं हॉट के अनुसार–** "विज्ञान निरीक्षण से प्रारम्भ होता है और सत्यापन के लिए अंतिम रूप से निरीक्षण पर ही लौटकर आना पड़ता है।[12]

अनुसूची : प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने सूचना संकलन के लिए अनुसूची प्रविधि का उपयोग किया है। अनुसूची द्वारा ही उपर्युक्त शोधकार्य सम्पन्न हो सका है। इसलिए यहाँ पर यह आवश्यक है कि अनुसूची का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य व विशेषताओं का उल्लेख किया जावे।

---

11. सामाजिक सर्वेक्षण एवं शोध, सी0ए0 मोजर पृष्ठ–22
12. सामाजिक सर्वेक्षण एवं शोध, प्रो. गुड़ एवं हॉट, पृष्ठ–22

सामाजिक अनुसंधान में सबसे महत्वपूर्ण बात शोध विषय से सम्बन्धित वैध एवं विश्वसनीय सूचनाओं के संकलन की है। तथ्य संकलन की एक प्रमुख विधि अनुसूची है– प्रश्नावली में आने वाले दोषों को दूर करने के लिए अनुसूची प्रविधि का प्रयोग किया जाता है।

अनुसूची प्रश्नों की एक लिखित सूची होती है जिसे शोधकर्ता सूचनादाता से पूंछता जाता है व भरता जाता है। अनुसूची प्रायः प्राथमिक तथ्य संकलन की ऐसी विधि है जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार तथा प्रश्नावली तीनों गुणों का समन्वय पाया जाता है। परिभाषा :

1. **वोगार्डस के अनुसार–** "अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक विधि है जो सरल रूप में होते हैं तथा जिन्हें सरलता से देखा जा सकता है। इसे अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं ही भरा जाता है।[13]

2. **डॉ. गोयल के अनुसार–** "अनुसूची उन विभिन्न मदों की एक विस्तृत वर्गीकृत नियोजित तथा कमबद्ध सूची होती है जिसके विषय में सूचनाएं एकत्र करने की आवश्यकता होती है।[14]

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अनुसूची समस्या से सम्बन्धित प्रश्नों की एक व्यवस्थित एवं वर्गीकृत सूची होती है। जिन्हें अध्ययनकर्ता साक्षात्कार के माध्यम से सूचनादाताओं से पूँछता व भरता है।

अनुसूची की विशेषताएं : अनुसूची की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है–

1. अनुसूची अध्ययन के विषय से सम्बन्धित शीर्षक उपशीर्षक एवं प्रश्नों की एक व्यवस्थित एवं कमबद्ध सूची होती है।

---

13. इन्ट्रोडक्शन टू सोशल रिसर्च, बोगार्डस ई0एस0, पृष्ठ–45
14. इन्ट्रोडक्शन टू सोशल रिसर्च इन सोशल साइंस, डा0 गोयल एम0एच0, पृष्ठ–142

2. इसे भरने के लिए अनुसंधानकर्ता सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष आमने–सामने का सम्पर्क स्थापित करता है।
3. अध्ययनकर्ता इसे स्वयं भरता जाता है।
4. इसमें साक्षात्कार, अवलोकन व प्रश्नावली तीनों के गुणों का समन्वय पाया जाता है।
5. अनुसूची का प्रयोग शिक्षित व अशिक्षित दोनों के सूचनादाताओं के लिए किया जाता है।
6. अनुसूची में घटनाओं का अवलोकन होता है।
7. इसका प्रयोग सीमित या छोटे अध्ययन क्षेत्र के लिए किया जाता है।

अनुसूची के उद्देश्य :

1. अनुसूची का प्रमुख उद्देश्य प्रमाणित विश्वसनीय एवं वैध सूचनाएं संकलित करना है।
2. गुणात्मक तथ्यों का संख्यात्मक रूप में प्रकट कर उन्हें अनुमापन योग्य बनाना है।
3. अध्ययन विषय से सम्बन्धित वैषयिक सूचनाएं संकलित करना।
4. तथ्यों को एक व्यवस्थित क्रम में संकलित करना।

अनुसूची के प्रकार :

अनुसूची अपने गुणों के आधार पर कई प्रकार की होती है। अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची आदि। शोधार्थी ने प्रस्तुत अनुसंधान (अध्ययन) में साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

साक्षात्कार अनुसूची :

साक्षात्कार अनुसूची में सूचना प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा एकत्र की जाती है। इसमें निश्चित प्रश्न अथवा खाली सारणी दी रहती है। जिसे अध्ययनकर्ता

सूचनादाताओं से पूँछ–पूँछकर भरता जाता है। इसके पश्चात् साक्षात्कार को व्यवस्थित एवं कमबद्ध किया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण एवं सारणीयन बहुत आसान होता है।

साक्षात्कार अनुसूची के लाभ :

1. विश्वसनीय एवं प्रमाणित सूचनाएं प्राप्त होती है।
2. व्यक्तिगत सम्पर्क होने के कारण अनुसंधानकर्ता सूचनादाताओं को सूचना देने के लिए प्रेरित करता है।
3. इसके द्वारा प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन हो जाता है।
4. कई घटनाओं का अवलोकन द्वारा सत्यापन हो जाता है।
5. इसके द्वारा अशिक्षित सूचनादाताओं से भी सूचनाओं एकत्रित की जा सकती है।

प्रयोग की सीमायें :

1. इसमें सूचनादाताओं को विचार–विमर्श करने व सोचने का अवसर नहीं दिया जाता है।
2. सूचनायें अध्ययनकर्ता के द्वारा भरी जाती है, इसलिये पक्षपात की अधिक सम्भावना रहती है।
3. सीमित क्षेत्र का अध्ययन ही सम्भव है।
4. समय, श्रम व धन की दृष्टि से यह खर्चीली विधि है।

शोधार्थी ने प्रस्तुत शोधकार्य की साक्षात्कार अनुसूची को निम्न भागों में विभाजित किया है–

1. प्रथम भाग में सूचनादाताओं से व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त की गई जिसमें उसका नाम, आयु, धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय आदि की जानकारी प्राप्त की गई हैं।

2. द्वितीय भाग में सूचनादाता के सामाजिक–सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की गई है जिसमें पारिवारिक स्थिति, विवाह में परिवर्तन, धार्मिक जीवन में परिवर्तन, गौत्र आदि की जानकारी प्राप्त की गई है।
3. तृतीय भाग में सूचनादाताओं के आर्थिक प्रतिमानों से सम्बन्धित जानकारी को प्राप्त किया गया है।
4. चतुर्थ भाग में सूचनादाता के राजनीतिक जीवन में परिवर्तन सम्बन्धी सूचना प्राप्त की गई है।
5. पंचम भाग में विषय से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर उनके मत को एकत्रित किया गया है।

साक्षात्कार :

व्यक्तियों की भावनाएं, मनोवृत्तियों, प्रवृत्तियों और उद्देश्यों का अध्ययन किस प्रकार किया जाये, साक्षात्कार– प्रविधि ही इस का निदान प्रस्तुत करती है। इसमें अनुसंधानकर्ता अपनी अध्ययन वस्तु मनुष्य से आमने–सामने के सम्बन्ध स्थापित कर वार्ता कर सकता है और इस प्रकार मनुष्य की भावनाओं और मनोवृत्तियों का क्रमबद्ध अध्ययन कर सकता है।

प्रो. ऑलपोर्ट ने इस प्रविधि की उत्पत्ति के बारे में कहा है कि 'यदि हम यह जानना चाहते हैं कि लोग क्या महसूस करते हैं क्या अनुभव रखते है और क्या याद रखते हैं, उनकी भावनाएं एवं उनके उद्देश्य क्या है, तो उनसे स्वयं से क्यों नहीं पूँछते? वास्तव में साक्षात्कार प्रविधि की उत्पत्ति यहीं से प्रारम्भ होती है।[15]

साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान के आंकलन तथा संकलन की एक प्रमुख विधि है। साक्षात्कार ऐसी प्रविधि है जिसमें साक्षात्कारकर्ता एवं सूचनादाता के मध्य किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर आमने–सामने की स्थिति में वार्तालाप व उत्तर प्रतिउत्तर होता है। साक्षात्कार को निम्न प्रमुख विद्वानों ने इस प्रकार से परिभाषित किया है–

---

15. सामाजिक सर्वेक्षण एवं शोध, ऑलपोर्ट, पृष्ठ–299

1. **मेजर सी.ए. के अनुसार–** "एक सर्वेक्षण साक्षात्कार, साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है जिसका उद्देश्य–उत्तरदाता से आवश्यक सूचनायें प्राप्त करना होता है।[16]

2. **सिनपाओ यंग के अनुसार–** "एक साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य की एक ऐसी प्रविधि है जो कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार को देखने कथनों को लिखने तथा सामाजिक या सामूहिक अन्तः किया के वास्तविक–परिणामों का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है अतः यह एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्तियों के मध्य अन्तः कियाओं से सम्बन्धित होती है।"[17]

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि साक्षात्कार एक ऐसी व्यवस्थित पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर आमने–सामने बैठकर उत्तर प्रति उत्तर करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता की मनोवृत्तियों, विश्वासों, विचार, भावनाओं व आंतरिक जीवन से सम्बन्धित तथ्यों का अध्ययन करता है। इस प्रकार यह एक सामाजिक प्रक्रिया भी है।

किसी भी साक्षात्कार की प्रक्रिया के मुख्यतः तीन चरण होते हैं।

1. साक्षात्कार के बारे में प्रारम्भिक तैयारी।
2. साक्षात्कार की प्रक्रिया।
3. साक्षात्कार का समापन एवं प्रतिवेदन।

1. **साक्षात्कार की प्रारम्भिक तैयारी–** किसी भी साक्षात्कार को प्रारम्भ करने से पूर्व साक्षात्कार के विषय में सूचनादाताओं की प्रकृति, साक्षात्कार के प्रकार, साक्षात्कार का समय, स्थान व उपकरण के बारे में प्रारम्भिक विचार कर लेना चाहिए। तैयारी में निम्न बातों को सम्मिलित किया जाता है।

---

16. सर्वे मेथड्स इन सोशल इनवेस्टीगेशन, मेजर सी0ए0, पृष्ठ–27
17. फैक्ट फिडिंग बिथ दी रूरल प्यूपिल, सिन पाओ यंग, पृष्ठ–380

(क) समस्या की पूर्ण जानकारी।

(ख) सूचनादाताओं के बारे में जानकारी।

(ग) साक्षात्कारदाताओं का चुनाव।

(घ) समय एवं स्थान का निर्धारण।

(ड.) साक्षात्कार यन्त्रों की रचना।

साक्षात्कार अनुसूची– इस प्रकार की अनुसूची में सूचनाएं प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा एकत्रित की जाती है। इसमें निश्चित प्रश्न अथवा खाली सारणी दी हुई होती है, जिन्हें साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से पूँछकर भरता है।

साक्षात्कार निर्देशिका– साक्षात्कार निर्देशिका एक लिखित प्रपत्र होता है जिसमें समस्या के विभिन्न पक्षों का विवरण होता है।

गुडे और हॉट ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है, ''साक्षात्कार पथ–प्रदर्शिका ऐसे शोध–प्रसंगों अथवा विषयों की एक सूची होती है जिसमें साक्षात्कारकर्ता को प्रश्न पूँछने के लिए प्रश्नों के क्रम, भाषा तथा तरीके की पूर्ण स्वतंत्रता होती है।''

2. **साक्षात्कार की प्रकिया–** साक्षात्कार का संचालन करते समय निम्नांकित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
   क– सूचनादाता से सम्पर्क, **ख–** उद्देश्य बताना, **ग–** सहयोग की प्रार्थना, **घ–** वार्ता प्रारम्भ करना, **ड.–** सहानुभूतिपूर्वक सुनना, **च–** प्रोत्साहन एवं पुनः स्मृति, **छ–** कोधित होने से बचाव, **ज–** उचित एवं समयानुसार प्रश्न, **झ–** साक्षात्कार का नियन्त्रण एवं प्रमाणीकरण।

3. **साक्षात्कार का समापन एवं प्रतिवेदन–** इस चरण में निम्नांकित तीन बातें प्रमुख है–

क– साक्षात्कार की समाप्ति, **ख**– साक्षात्कार को लिखना, **ग**– साक्षात्कार प्रतिवेदन।

उत्तरदाताओं का चयन :

सामाजिक अनुसंधान में सूचनादाताओं का चयन भी एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। सूचनादाता ही सम्पूर्ण शोध का आधार होते हैं सूचनादाताओं के चयन के लिए निम्न दो प्रमुख विधियाँ हैं–

1. समग्र रीतियाँ संगणना पद्धति
2. निदर्शन पद्धति।

जब अनुसंधानकर्ता क्षेत्रीय स्त्रोत से तथ्य प्राप्त करना चाहता है तब उसे यह तय करना होता है कि वह अध्ययन विषय से सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों का अध्ययन करे अथवा उनमें से एक निश्चित संख्या में इकाईयाँ चुनकर उनसे तथ्य प्राप्त करे। इसमें पहली विधि समग्र रीतियाँ संगणना विधि तथा दूसरी विधि निदर्शन विधि के नाम से जानी जाती है।

निदर्शन : प्रत्येक अनुसंधान का क्षेत्र अलग–अलग होता है। अतः किसी बड़े अनुसंधान में यदि विषय के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमें प्रत्येक इकाई से व्यक्तिगत सम्पर्क करना होगा। परन्तु ऐसा करने के लिए अधिक समय व धन की आवश्यकता होती है। अतः इस प्रकार के शोधकार्य में निदर्शन पद्धति द्वारा कुछ इकाईयों का चयन कर उन्हीं से विषय से सम्बन्धित सूचना को प्राप्त कर विषय का निचोड़ निकाल लिया जाता है तथा यह इकाइयाँ ऐसी होती है जो समस्त इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है। सामान्य तौर पर समग्र में से चुने गये कुछ ऐसे जो समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करते हैं निदर्शन कहते हैं। कुछ प्रमुख विद्वानों ने निदर्शन की निम्न परिभाषायें दी हैं–

श्रीमती पी.वी. यंग के अनुसार – "एक सांख्यकी निदर्शन उस सम्पूर्ण समग्र अथवा योग का अतिलघु चित्र है जिससे निदर्शन किया गया है।"[18] ....

फेयर चाइल्ड के अनुसार– "निदर्शन (सांख्यिकीय) वह प्रकिया अथवा पद्धति है जिसके द्वारा एक विशिष्ट समग्र में से निश्चित संख्या में व्यक्तियों, विषयों अथवा निरीक्षणों को निकाला जाता है।"[19]

प्रस्तुत शोध कार्य का क्षेत्र विस्तृत तथा सूचनादाताओं की संख्या अधिक होने के कारण इस शोधकार्य में संगणना पद्धति से अधिक होने के कारण इस शोधकार्य में संगणना पद्धति से उत्तरदाताओं का चयन तथा उनका अध्ययन सम्भव नहीं हैं। अतः शोधार्थी ने प्रस्तुत शोधकार्य में निवाड़ी तहसील के 71 ग्राम पंचायतों में से 5 ग्रामों से 300 'सौर' जनजातियों का उद्देश्यपूर्ण दैव निदर्शन पद्धति से चयन करके उन्हीं से विषय से सम्बन्धित सूचना को प्राप्त किया है। क्योंकि इस पद्धति में चुने हुए उत्तरदाताओं की सूचना में पक्षपात का भय नहीं रहता है। तथा एक क्षेत्र से अधिक सूचनादाताओं के चयन की सम्भावना भी कम हो जाती है तथा विभिन्न क्षेत्रों के सूचनादाताओं को सूचना देने का पर्याप्त अवसर मिलता है जिसके आधार पर तुलनात्मक अध्ययन कर दिये गये निष्कर्ष अधिक यथार्थ होते हैं तथा शोधकार्य की विशिष्टता को भी बनाये रखते हैं।

तथ्य विश्लेषण :

किसी भी शोधकार्य में तथ्यों का विश्लेषण एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है इसमें संकलित तथ्यों को विभिन्न प्रविधियों की सहायता से विश्लेषण व विवेचन किया जाता है। प्रकल्पना की सत्यता व असत्यता का पता लगाया जाता है। कार्यकारण के सम्बन्ध को ज्ञात किया जाता है एवं इस बात की विवेचना की जाती है कि विशेष दशा परिणाम अथवा घटना के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है।

---

18. P.V. Young, Scientific Social Surveysands Research, page- 325
19. H.P. Fairchild, Dictionary of Sociology, page- 265

शोधार्थी ने संकलित सामग्री की समस्त जानकारी मास्टर चार्ट में अंकित की है मास्टर चार्ट को तैयार करने में संकेतीकरण का बहुत महत्व होता है अधिक लम्बी तथा अधिक स्थान घेरने वाली सूचनाओं को संकेतों के माध्यम से प्रकट किया जाता है।

प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी के द्वारा विखरी हुई सामग्री को उसकी समानता व भिन्नता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है तथा सारणीयों के माध्यम से सारणीयों में तथ्यों को स्पष्ट किया गया है तथा सारणीयों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है।

अध्याय- तृतीय

सामुदायिक व्यवस्था

सामुदायिक व्यवस्था :

द्वितीय अध्याय में शोध प्रारूप एवं अध्ययन विधियों का वर्णन करने के पश्चात् प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन क्षेत्र की सामुदायिक व्यवस्था का विश्लेषण किया गया है। प्रस्तुत शोध का अध्ययन क्षेत्र तहसील–निवाड़ी, जिला–टीकमगढ़ के चयनित ग्राम कुलुवा, नयाखेरा, उरदौरा, अस्तारी एवं जमुनियां हैं।

किसी भी समूह का अध्ययन उसके भौतिक पर्यावरण अथवा परिवेश तक ही सीमित नहीं होता बल्कि समूहों का भौतिक परिवेश समूह के लोगों के व्यक्तित्व, सामाजिक संगठन, विचारों, आदतों तथा विश्वासों आदि को प्रभावित करता है। किसी भी समूह के अध्ययन के लिए उस समूह विशेष के परिवेश पर प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता हैं। अध्ययन के परिवेश की स्पष्टता, अध्ययन की प्रकृति और उनके परिणामों की विवेचना में भी सहायक सिद्ध होता है।

किसी भी शोध विषय का अध्ययन करने के लिए अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी होना अत्यन्त जरूरी हैं।

भौगोलिक स्थिति :

शोद्यार्थी ने अपने अध्ययन विषय हेतु ग्राम कुलुवा, नयाखेरा, उरदौरा, अस्तारी एवं जमुनियां ग्रामों का चयन किया है जो मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़, तहसील निवाड़ी के अन्तर्गत आते हैं।

तहसील निवाड़ी जिले से उत्तर में 77 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पूर्व में मऊरानीपुर (उत्तर प्रदेश) एवं पश्चिम में जिला झाँसी से घिरा हुआ है। तहसील निवाड़ी अन्तर्गत ओरछा होकर वेतवा नदी गुजरती है। तहसील निवाड़ी का मानचित्र संलग्न है जिसमें चयनित ग्रामों को चिन्हित किया गया है।

चयनित ग्राम कुलुवा व नयाखेरा ''निवाड़ी–टीकमगढ़'' ''जिला सड़क मार्ग'' पर निवाडी से क्रमशः 8 व 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ग्राम कुलुवा से उत्तर पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर नयाखेरा गांव स्थित है, जो कच्ची सड़क से जुड़ा हुआ है।

ग्राम उरदौरा ''राष्ट्रीय मार्ग 76'' झाँसी–खजुराहों पर निवाड़ी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

ग्राम अस्तारी तहसील निवाड़ी से दक्षिण–पूर्व में लगभग 20 किलोमीटर पर स्थित है। इस ग्राम तक पहुँचने हेतु कच्चा एवं पक्का सड़क मार्ग है।

ग्राम जमुनियाँ ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ओरछा से 5 किलोमीटर पश्चिम झाँसी की ओर तथा निवाड़ी से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

उक्त चयनित ग्राम पहाड़/चट्टान, नालों से घिरे हुए है। इनकी नैसर्गिक छटा अद्भुत है। इन ग्रामों का भौगोलिक क्षेत्रफल राजस्व विभाग के अभिलेख के आधार पर निम्नानुसार है।

क0सं0	ग्राम का नाम	भौगोलिक क्षेत्रफल (हे0)
1	2	3
1	कुलुवा	427.702
2	न्याखेरा	501.932
3	उरदौरा	417.866
4	अस्तारी	597.860
5	जमुनियाँ	372.155
	योग	**2317.515**

अध्ययन क्षेत्र तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 66806 हेक्टेअर है तथा अध्ययन हेतु चयनित किए गए ग्रामों का भौगोलिक क्षेत्रफल 2317.515 हेक्टेअर है जो तहसील के भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.46% है।

जलवायु :

किसी भी क्षेत्र में लम्बे समय तक पाई जाने वाली तापमान की अवस्था वर्षा का समय तथा मात्रा एवं हवा की गति की औसत अवस्था वहाँ की जलवायु के निर्धारण के मुख्य तत्व होते है। जलवायु एवं मौसम में मात्र इतनी सी भिन्नता है कि जहाँ जलवायु में शीघ्र परिवर्तन नही होता वही मौसम में प्रतिदिन परिवर्तन दृष्टिगत होता है।

अध्ययन क्षेत्र तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ में अप्रैल से जून तक बहुधा तापमान तेजी से बढ़ता है। जुलाई में तापमान कम हो जाता है। मेघाच्छादन आकाश के कारण तापमान अधिक नही बढ़ पाता है। सितम्बर तक तापमान में अधिक भिन्नता नही होती है किन्तु सितम्बर–अक्टूबर में जब आकाश स्वच्छ होता है तब तापमान में हल्की सी वृद्धि होती है। अक्टूबर से जनवरी तक तापमान प्रायः निरन्तर गिरता जाता है। औसत अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान सबसे कम दिसम्बर में मिलता है। इसके विपरीत अधिक तेज सबसे कम तापमान जनवरी में पाया जाता है। इसी प्रकार अधिकतम दैनिक तापमान अधिकतर स्थानों पर मई में पाया जाता है।

वर्षा :

म0प्र0 में वर्षा की प्रकृति भी मानसूनी है। अधिकांश वर्षा जून से सितम्बर तक होती है। यह वर्षा उन हवाओं के द्वारा होती है जिन्हें दक्षिणी–पश्चिमी मानसून कहते है। दिसम्बर व जनवरी में कुछ वर्षा चक्रवातों से होती है। अन्य महीनों में बहुत कम वर्षा होती है। म0प्र0 में मानसून की वर्षा बंगाल की खाड़ी व अरब सागर दोनों ही स्थानों से उठने वाली हवाओं से होती है।

अध्ययन क्षेत्र तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ में विगत पांच वर्षों की वर्षवार/माहवार वर्षा की स्थिति से स्पष्ट है कि यहाँ प्रायः जून से सितम्बर तक ही वर्षा होती है। यहाँ की औसत वर्षा 800 मिलीमीटर है किन्तु वर्षा के आँकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 2001 एवं वर्ष 2003 को छोड़ कर शेष विगत वर्षो में वर्षा कम हुई है जिससे यहाँ सूखा की स्थिति निर्मित है। इससे तालाब कुए सूखे है जिससे खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वर्ष 2001–02 से 2005–06 के माहवार वर्षा के आंकड़े निम्नानुसार है :–

अध्ययन क्षेत्र तहसील–निवाड़ी, जिला–टीकमगढ़ की वर्षवार/माहवार वर्षा की जानकारी (मि0मी0)

विकास खण्ड, निवाड़ी

माह	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06
जून	248.0	33.7	23.0	79.0	137.0
जुलाई	496.8	25.7	201.0	83.0	258.0
अगस्त	129.4	616.4	129.0	231.0	79.0
सितम्बर	–	86.0	722.0	136.0	126.0
अक्टूवर	131.3	–	–	49.0	–
नवम्बर	–	–	–	–	–
दिसम्बर	–	–	–	–	5.0
योग	**1005.5**	**761.8**	**1075.0**	**578.0**	**605.0**

भूमि :

अध्ययन क्षेत्र के ग्रामों में मुख्यतः रांकड़, पड़वा एवं काली तीन प्रकार की भूमि पाई जाती है जिसमें रांकड 55%, पड़वा 25% एवं काली 20% के लगभग है। अध्ययन क्षेत्र के चयनित ग्रामवार खेती की भूमि का वर्गीकरण निम्न तालिका में दिया गया है –

क0सं0	ग्राम का नाम	खेती की भूमि (हेक्टेयर)				विशेष
		रांकड़	पड़वा	काली	योग	
1	2	3	4	5	6	7
1	कुलुवा	155.410	70.640	56.513	282.563	—
2	नयाखेरा	167.993	76.360	61.088	305.441	—
3	उरदौरा	154.373	70.170	56.135	280.678	—
4	अस्तारी	161.978	73.627	58.902	294.507	—
5	जमुनियाँ	112.948	51.340	41.073	205.361	
	योग	752.702	342.137	273.711	1368.550	
	औसत	55%	25%	20%	100%	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि खेती की भूमि का 55% क्षेत्र रांकड़ है और वर्तमान समय में सघन खेती के अन्तर्गत लगातार फसल उत्पादन लेते रहने के कारण भूमि से आवश्यक पोषक तत्वों का खिंचाव अधिक मात्रा में हो रहा है तथा बदले में उर्वरकों द्वारा कम एवं असंतुलित मात्रा में पोषक तत्व मिट्टी में मिलाए जा रहें है जिससे कि भूमि में पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ रहा है तथा भूमि की जलधारण क्षमता कम हो गई है। अतः वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए उत्तम पौध पोषण एवं भूमि स्वास्थ्य हेतु रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग के साथ–साथ अन्य संसाधन जैसे–

गोबर की खाद, कम्पोष्ट खाद, कैचुआ से निर्मित वर्गीकम्पोष्ट, वायोगैस स्लरी तथा जीवाणु कल्चर जैसे राइजोबियम, पी0एस0बी, एजेटोवेक्टर आदि का प्रयोग का समन्वित रूप से पौध पोषण करने की सिफारिश कृषकों को दी जा रही है।

जीवांश पदार्थ खेत की मिट्टी की "जान" होता है। इस पर बहुत सारी जैविक कियायें निर्भर करती है। अतः मिट्टी में जान फूंकने हेतु जीवांश पदार्थ युक्त खाद का उपयोग नितांत आवश्यक है।

भूमि उपयोग :

अध्ययन क्षेत्र के चयनित ग्रामों का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2317.515 हेक्टर है जिसमें से 1368.550 हेक्टर में खेती होती है जो कुल क्षेत्र का 59.05 प्रतिशत है। शेष 948.965 जो कुल क्षेत्र का 40.95 प्रतिशत है, विभिन्न घटकों जैसे आबादी, गोचर, बंजर, पहाड़/चट्टान/इमारत/सड़क, पानी के नीचे एवं पड़ती के अन्तर्गत है। इसमें पड़ती रकबा 458.355 हे0 है जो कुल क्षेत्र का 19.78 प्रतिशत है कुल सुधार के पश्चात खेती के योग्य लाया जा सकता है। वन क्षेत्र 89.363 हेक्टर है जो कुल क्षेत्र का 3.85 प्रतिशत है। भूमि उपयोग का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है, (इकाई हेक्टेयर)

क0	विवरण	कुलुवा	नयाखेरा	उरदौरा	अस्तारी	जमुनियां	योग	कुल क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भौगोलिक क्षेत्रफल	427.702	501.932	417.866	597.860	372.155	2317.515	100%
2	आवादी का क्षेत्रफल	5.345	4.440	5.161	11.452	2.560	28.958	1.25%
3	वनक्षेत्र का क्षेत्रफल	32.853	56.510	-	-	-	89.367	3.85%
4	गोचर का क्षेत्रफल	0.389	7.724	13.395	24.114	4.836	50.458	2.18%
5	वंजर का क्षेत्रफल	-	-	2.653	10.529	17.430	30.612	1.33%
6	पहाड़ चट्टान	45.959	42.865	5.895	64.783	10.831	170.333	7.35%
7	इमारत/सड़क	18.654	4.988	6.372	9.503	6.029	45.546	1.96%
8	पानी के नीचे	21.864	14.886	10.391	25.111	3.088	75.340	3.25%
9	पड़ती	20.075	65.078	93.321	157.861	122.020	458.355	19.78%
10	योग (2 से 9 तक)	145.139	196.491	137.188	303.353	166.794	948.965	40.95%
11	फसल का निराक्षेत्रफल (1-10)	282.563	305.441	280.678	294.507	205.361	1368.55	59.05%

कृषि :

कृषि देश का प्रमुख व्यवसाय है तथा इस पर पूरी सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था निर्भर है। बसुन्धरा प्रकृति की अद्‌भुत धरोहर है। समग्र प्राणी मात्र के लिए जीवन दायिनी निरूपित है। कालान्तर से इस जननी पर आधारित विभिन्न खाद्यानों का उत्पादन होता आया है। मूल रूप में फसलोत्पादन विधियाँ कुछ पृथक थी। लेकिन अधुनातम युग में एवं जनसंख्या के आधिक्य को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी समावेश महती हो गया है। कृषि उत्पादन वृद्धि आज सर्वाधिक महती आवश्यकता है। फसलों का सुरक्षात्मक पहलू अपनाकर, उन्हें प्रारम्भ से अन्त तक रोग व कीटमुक्त रखना परम आवश्यक है। इस दृष्टि से विकास खण्ड निवाड़ी एवं उसके अन्तर्गत आने वाले अध्ययन क्षेत्र के ग्राम जिले में विशिष्ट स्थान रखते हैं।

अध्ययन क्षेत्र के चयनित ग्रामें का निराफसल का क्षेत्रफल 1368.550 हेक्टेयर है जिसमें से 983.397 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है जो निराफसल का 71.85 प्रतिशत है। शेष 28.15 प्रतिशत असिंचित है और वर्षा पर आधारित है। कृषि के लिए पानी अनिवार्य तत्व है जिन क्षेत्रों में वर्षा प्रचुरता से होती है वहां पानी की कोई समस्या नही होती है किन्तु बहुत से क्षेत्रों में वर्षा न केवल कम होती है अपितु अनिश्चित भी है – इन क्षेत्रों में सिंचाई नितांत आवश्यक है। वर्षा के आंकडे माहवार पृष्ठ 68 पर तालिका में दिए गए है जिससे स्पष्ट है कि वर्षा असमय, कम एवं अनिश्चित हो रही है। यह क्षेत्र कुंओं, तालाबों एवं नहरों द्वारा सिंचित होता है। खेतों की अधिकतर सिंचाई कुओं से होती है। औसत वर्षा से कम होने पर कुंये एवं तालाब न भरने की स्थिति में सिंचाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अध्ययन क्षेत्र के ग्रामों की ग्रामवार सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर) की जानकारी

क0	ग्राम का नाम	फसल का निरा क्षे0फ0 (है0)	सिंचित क्षेत्र (है0)	सिंचाई साधन		सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
				नाम सिंचाई साधन	संख्या कुँआ	
1	2	3	4	5	6	7
1	कुलुवा	282.563	213.263	कुंआ + तालाब	104	75%
2	नयाखेरा	305.441	136.066	कुंआं + बरूवा नाला	89	44%
3	उरदौरा	280.678	204.533	कुंआ + नहर	84	72%
4	अस्तारी	294.507	259.635	कुंआ + नहर	79	88%
5	जमुनियां	205.361	169.900	कुंआ + नहर	86	82%
	योग	1368.550	983.397			71.85%

खेती की विधियाँ :

विकासखण्ड निवाड़ी अन्तर्गत चयनित ग्रामों में खेती की निम्न लिखित विधियाँ कृषकों द्वारा अपनाई जा रही है :–

1. मिश्रित खेती (Mixed corpping)
2. सघन खेती (Intensive corpping)

(1) **मिश्रित खेती**- एक खेत में एक ही समय में एक से अधिक फसल उगाना मिलवाँ फसलों की खती कहलाती है। बीज मिश्रण प्रायः तीन विधि से कृषक बोते है –

(अ) पक्तियों में बुबाई

(ब) छिटकवाँ बुबाई

(स) विभिन्न फसलों में बीजों को अलग–अलग पंक्तियों में बुबाई

मिश्रित फसलों की बुबाई के साथ बीज को मिलाकर पंक्तियों में या छिटकवाँ कुछ कृषक करते है। मिश्रण की फसलों के पकने और कटने का समय या तो एक या अलग–अलग हो सकता है जैसे, गेहूँ + चना

प्रायः कुछ प्रगतिशील कृषक मिश्रण के बीज को आपस में नहीं मिलाते है बल्कि अलग–अलग पंक्तियों में बोते है जैसे संरसों की दो पंक्तियों के बीच पाँच गेहूँ की तथा अरहर की दो पंक्तियों के बीच पाँच मूंगफली की पंक्तियों बोना।

बहुधा आदिवासी/जनजाति कृषक मिश्रित खेती में ही रूचि ले रहे हैं। उन्होने बताया कि इससे प्रतिकूल मौसम के बावजूद एक न एक फसल की पैदावार मिल जाती है अर्थात खतरा कम रहता है। भूमिका उचित उपयोग कर लेते है। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है तथा फसल के उत्पादन व्यय में कमी रहती है।

(2) सघन खेती– भूमिकी उत्पादन क्षमता का प्रति इकाई समय और प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम उपयोग करना है। यह तभी सम्भव है जब हम समुन्नत कृषि विधियों द्वारा श्रम, पूँजी, उन्नत एवं शुद्ध बीजों, रासायनिक उर्वरकों, सिंचाई फसल सुरक्षा विधियों, उन्नत कृषि यंत्रों तथा अन्य नवीनतम कृषि तकनीक का समुचित प्रयोग करें। प्रति इकाई समय का अर्थ फसल की कुल औसत पैदावार से औसत दैनिक पैदावार को अधिक महत्व देना है। यानी औसत प्रतिदिन अधिक पैदावार वाली फसल अपनाई जाये। इसी प्रकार प्रति इकाई क्षेत्र का अर्थ औसत प्रति बीघा/एकड़/हेक्टेयर उपज या लाभ को बढ़ाना है।

सघन खेती की निम्नलिखित विधियाँ विकासखण्ड में प्रचलित है।

(अ) बहुफसली खेती (Multiple Cropping) – बहुफसली खेती से प्रति इकाई क्षेत्र तथा प्रति इकाई समय में अधिकतम उपज प्राप्त करना है। यह

एक वर्षीय फसल नियोजन है जिसके अनुसार एक खेत में दो, तीन या चार फसलें निश्चितक्रम में उगाई जाती है जैसे–

दो फसली – सोयावीन +गेहूँ , धान + गेहूँ

तीन फसली – उर्द + तोरिया + गेहूँ , सोयावीन + गेहूँ + मूँग

चार फसली – मक्का + आलू +गेहूँ + मूंग

इसके लिए उपयुक्त जातियों का चयन किया जाता है जो शीघ्र पकने वाली तथा प्रति दिन अधिक पैदावार देने वाली हों। अधिक से अधिक कीट व्याधि अवरोधी हों। प्रतिइकाई अधिक खाद एवं पानी का उपयोग कर अधिक उपज दे सकने वाली हो। अधिक प्रकाश संवेदनहीन यानी पूरे साल उगाई जा सकने वाली हो।

(ब) अर्न्तवर्ती खेती (Inter Cropping) – बारानी क्षेत्रों में अन्तर्वर्ती फसल लाभदायी है क्योकि प्रतिकूल मौसम में एक फसल के नष्ट हो जाने की आशंका रहती है। अन्तर्वर्ती फसल में विपरीत स्वभाव वाली फसले लेते है जैसे एक कम तथा दूसरी अधिक बढ़ने वाली एवं अधिक दूसरी उथली जड़ों वाली आदि जैसे –

गेहूँ + चना , गेहूँ + मटर , गेहूँ + सरसों , गेहूँ + मसूर

फसलवार खरीफ का क्षेत्रफल (हेक्टेयर) :

खरीफ में लगभग 480.785 हेक्टेयर में बुबाई होती है जो फसल का निरा क्षेत्रफल का 35.15 प्रतिशत है। फसल का पूरा क्षेत्र खरीफ में वर्षा की अनियमितता के कारण बहुधा बो नहीं पाते है। जिस वर्ष वर्षा समय पर होती है खरीफ के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है।

खरीफ में सोयाबीन, मूंगफली, उरद, मूंग की मुख्य रूप से खेती होती है। सौर जनजाति के कृषक भी अब खेती में उन्नत बीजों, खाद कीटनाशक दवाओं,

औजार एवं उपकरणों का प्रयोग करने लगे है। सोयाबीन की खेती से किसानों की आर्थिक दशा में सुधार आया है। इसके विपणन की भी व्यवस्था है। क्षेत्र में सोयाबीन फैक्ट्री होने से सोयाबीन की माँग रहती है।

खरीफ में बोये गए क्षेत्र की फसलवार जानकारी निम्न तालिका में दी गई है

क0	ग्राम का नाम	ज्वार	मक्का	मूंग	उड़द	तिल	सोयाबीन	मूंगफली	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कुलुवा	2.214	1.800	5.449	40.200	2.100	35.214	42.400	5.451	134.828
2	नयाखेरा	1.214	1.600	7.580	25.300	1.100	10.310	51.110	5.550	103.764
3	उरदौरा	1.000	–	2.700	15.100	3.800	6.200	3.300	4.586	36.686
4	अस्तारी	3.200	1.200	16.100	28.400	11.060	7.100	9.400	31.395	107.855
5	जमुनियां	28.231	6.221	6.210	5.100	1.531	4.430	36.270	9.659	97.652
	योग	35.859	10.821	38.039	114.100	19.591	63.254	142.480	56.641	480.785

उक्त चयनित ग्रामों में खरीफ में बोए गए क्षेत्र का लगभग 10% क्षेत्र उन्नत बीजों के अन्तर्गत आच्छादित है क्यों कि उन्नत कृषि की नीव अच्छे बीज पर आधारित होती है। इसकी महत्ता को वर्तमान समय में कृषकों ने पहचाना है और उन्हें भी विश्वास हो चला है कि शुद्ध बीज के उपयोग से 20% अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। उन्नत बीजों का वितरण निम्नानुसार हुआ है –

1. **खरीफ (क्वन्टल)–**

चन्दनमक्का– 3	2 कुन्टल
मूँग के0 851	0.80 कुन्टल
जे0यू0–2 उड़द	2.40 कुन्टल
सोयाबीन जे0एस0 75–46	5 कुन्टल
जे0एस0–335	2 कुन्टल
योग–	**12.20 कुन्टल**

2. रबी (क्वन्टल)–

गेहूँ लोक–1	30 कुन्टल
एच0आई0–1077	10 कुन्टल
कंचन	05 कुन्टल
डब्ल्यू0एच0–147	15 कुन्टल
योग–	**60 कुन्टल**
चना जे0जी0–315	08 कुन्टल
मटर जे0एन0–6	03 कुन्टल
सरसों पूसाबोल्ड	0.20 कुन्टल

फसलबार रबी का क्षेत्रफल (हेक्टेयर) :

रबी में लगभग 950.149 हेक्टेयर में बुबाई की जाती है जो निराफसल का 69.42% है। रबी में मुख्य फसल गेहूँ बोई जाती है। रबी के अन्तर्गत बोए गए क्षेत्र की ग्रामवार एवं फसलवार जानकारी निम्नानुसार है :–

क0	ग्राम का नाम	गेहूँ	जौ	चना	मटर	मसूर	सरसों	आलू	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कुलुवा	180.300	2.100	18.180	2.320	8.200	4.300	1.500	1.610	218.510
2	नयाखेरा	128.300	1.200	9.518	2.300	1.619	10.220	1.100	6.159	160.416
3	उरदौरा	100.300	2.900	27.300	16.100	5.304	2.800	0.802	20.739	176.245
4	अस्तारी	54.200	41.120	37.100	13.200	3.000	4.080	4.130	4.000	260.830
5	जमुनियां	100.526	12.170	7.531	8.521	0.400	3.000	–	2.000	134.148
	योग	563.626	159.490	99.629	42.441	18.523	24.400	7.532	34.508	950.149

अध्ययन क्षेत्र के ग्रामों का फसल घनत्व

अध्ययन क्षेत्र अन्तर्गत खरीफ एवं रबी में कुल बोया गया रकबा 1430.934 हेक्टेयर है और कुल फसल का निराक्षेत्रफल 1368.550 हेक्टेयर है। इस प्रकार फसल घनत्व (Cropping Intensity) 104.55% है जो निम्नानुसार है :-

क0सं0	ग्राम	खरीफ का कुल रकबा	रबी का कुल रकबा	कुल योग (3+4)	फसल का निराक्षेत्रफल	फसल घनत्व
1	2	3	4	5	6	7
1	कुलुवा	134.828	218.510	353.338	282.563	125%
2	नयाखेरा	103.764	160.416	264.180	305.441	86.50%
3	उरदौरा	36.686	176.245	212.931	280.678	75.86%
4	अस्तारी	107.855	260.830	368.685	294.507	125%
5	जमुनियां	97.652	134.148	231.800	205.361	112.87%
	योग	480.785	950.145	1430.934	1368.550	104.55%

साक्षरता (Literacy)

जनजातियों या किसी भी समाज के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण एवं सूचक अल्प साक्षरता हैं यद्यपि विकास और साक्षरता का घनिष्ट सांख्यिकीय सम्बंध स्थापित नही किया जा सकता तथापि आधुनिक किस्म के विकास और सामाजिक आर्थिक संरचना के लिए शिक्षा अनिवार्य है। इससे समझ बढती है दृष्टिकोण विस्तृत होता है और पारस्परिक सम्बंध स्थापित करने की क्षमता आती है तथा ग्राह्यता बढ़ती है। शिक्षा के अभाव में न केवल वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों से अनभिज्ञ रहकर एक अच्छा नागरिक नही बन पाता बल्कि विकास की प्रक्रिया में भागीदार नही हो पाता। साक्षरता और शिक्षा को इतना महत्वपूर्ण मानते हुए ही विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में इसकों प्राथमिकता दी गई है।

शिक्षा मनुष्यों के जीवन स्तर में परिवर्तन एवं जीवन जीने के तरीके में उत्प्रेरक का कार्य करती है तथा क्षेत्र के विकास में भी शिक्षा का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है।

शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक विकास में एक प्रमुख स्थान रखती है शिक्षा से कुशल एवं प्रतिशक्षित वयक्तियों का निर्माण होता है। शिक्षा ही कृषि, व्यापार एवं उद्योंगों की प्रगति का आधार है। शिक्षा एक ऐसा कारक है जो मनुष्य को सोचने, समझने और दूरदर्शिता की क्षमता प्रदान करता है। यही कारण है कि आज जहाँ अधिकांश लोग अशिक्षित है वह पिछडे हुए एवं अविकसित है।

आज भी अनेक अशिक्षित सौर संक्रामक रोगों से पीड़ित होने पर ओझाओं के प्रभाव में बने रहते है और झाड़–फूँक और तन्त्र–मन्त्र से अपनी व्याधियों का निदान खोजते है किन्तु इनमें धीरे–धीरे यह प्रभाव कम होता जा रहा है।

विकासखण्ड निवाड़ी की साक्षरता की स्थिति निम्नानुसार है। विकासखण्ड निवाडी में कुल आदिवासियों की संख्या 5292 है जिसमें 2713 पुरूष एवं 2579 महिलायें है।

तालिका–1

विकास खण्ड निवाड़ी की साक्षरता की स्थिति

कुल जनसंख्या			साक्षर			कुल जनसंख्या का साक्षर प्रतिशत		
पुरूष	**महिला**	**योग**	**पुरूष**	**महिला**	**योग**	**पुरूष**	**महिला**	**औसत**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
79175	69852	149027	49441	25456	74897	63%	38%	50.5%

तहसील - निवाड़ी की साक्षरता की स्थिति

तालिका–2

अध्ययन क्षेत्र के चयनित ग्रामों की साक्षरता की ग्रामवार स्थिति

क्र०सं०	नाम ग्राम	ग्राम की कुल जनसंख्या	ग्राम में कुल साक्षर	कुल जनसंख्या का साक्षर प्रतिशत
1	कुलुवा	1739	779	45%
2	नयाखेरा	1021	383	38%
3	उरदौरा	1586	761	48%
4	अस्तारी	2107	610	29%
5	जमुनियां	1476	503	34%
	योग	**7929**	**3036**	**39% औसत**

तालिका–3

अध्ययन क्षेत्र के चयनित ग्रामों में साक्षर आदिवासियों की ग्रामवार स्थिति

क0	नाम ग्राम	ग्राम में कुल सौर जनसंख्या			ग्राम में कुल साक्षर सौर			औसत
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	कुलुवा	105	120	225	23	18	41	18%
2	नयाखेरा	37	45	82	9	5	14	17%
3	उरदौरा	105	121	226	25	14	39	17%
4	अस्तारी	82	72	154	16	13	29	19%
5	जमुनियां	100	101	201	19	15	34	17%
	योग	429	459	888	92	65	157	18%

अध्ययन क्षेत्र के चयनित ग्रामों की साक्षरता की स्थिति

अध्ययन क्षेत्र के चयनित ग्रामों में साक्षर सौंर जनजाति की स्थिति

प्रस्तुत तालिका क्रमांक 01 में तहसील निवाडी जिला टीकमगढ की साक्षरता को दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि तहसील निवाडी की कुल जनसंख्या 149027 में से मात्र 74897 व्यक्ति ही साक्षर है। जिनका प्रतिशत 50.5 है।

तालिका क्रंमाक 2 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में चयनित ग्रामों की कुल जनसंख्या 7929 में से मात्र 3036 व्यक्ति ही साक्षर है जिनका प्रतिशत 39 है। तालिका क्रंमाक 3 में अध्ययन क्षेत्र में चयनित ग्रामों की सौर जनजाति की साक्षरता को दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि चयनित अध्ययन क्षेत्र में ग्रामों में सौर जनजाति की साक्षरता मात्र 18% है।

अतः स्पष्ट होता है कि इन ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय तो खोल दिये गये परन्तु उनमें विद्यार्थी लाने के प्रयास कमजोर रहे हैं।

शिक्षा की सुविधायें :

विकास खण्ड के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र के चयनित ग्रामों में शिक्षा की सुविधायें एवं सौंर/जनजाति के पढ़ने वाले छात्रों की संख्या की स्थिति ग्रामवार निम्नानुसार तालिका में प्रदर्शित की गई है। इन ग्रामों में 6 प्रायमरी 4 मिडिल एवं 1 हाईस्कूल तक के विद्यालय है। विद्यालय के भवन एवं छात्रों के खेल कूद हेतु पर्याप्त स्थान है।

तालिका

क0	ग्राम का नाम	शिक्षा की सुविधायें एवं सौर जनजाति के पढ़ने वाले छात्रों की संख्या									
		प्रायमरी स्कूल				मिडिल स्कूल			हाई स्कूल		
		स्कूल संख्या	छात्र संख्या			छात्र संख्या			छात्र संख्या		
			पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कुलुवा	1	23	20	43	4	5	9	–	–	–
2	नयाखेरा	1	12	15	27	–	–	–	–	–	–
3	उरदौरा	2	21	12	33	2	–	2	–	–	–
4	अस्तारी	1	16	6	22	1	3	4	1	–	–
5	जमुनियां	1	11	9	20	1	–	1	–	–	–
	योग	6			145			16			

विकासखण्ड स्तर पर हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या 3 तथा शासकीय महाविद्यालय स्थापित है। जिसमें कला एवं विज्ञान संकाय के कक्षायें संचालित होती हैं। अतः स्पष्ट होता है कि इन ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय तो खोल दिये गये हैं परन्तु उनमें विद्यार्थी लाने के प्रयास कमजोर रहे है। इस प्रकार शिक्षा की आधारभूत सुविधाएं समुचित मात्रा में उपलब्ध हैं। फिर भी साक्षरता कम और बहुत कम है।

सौर जनजाति प्राथमिक शिक्षा के बाद इससे विमुख हो जाते हैं। फलतः उससे उच्च स्तर की शिक्षा वालों की संख्या तुरन्त घट जाती है। तकनीकी शिक्षा तथा स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने वालों अनुपात नगण्य है। इससे पुनः उसी तथ्य की पुष्टि होती है कि प्राइमरी के बाद ''सौर'' जनजाति को शिक्षा जारी रखने के लिए अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधायें :

किसी भी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा उस क्षेत्र की प्राथमिक आवश्यकताओं को प्रकट करता है जिनका आम जनता को लाभ मिलता है। एक कहावत है ''स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है'' अर्थात जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा। अस्वस्थ व्यक्ति से बराबर श्रम नहीं हो पाता है। साथ ही उसमें कुशलता की कमी होती है जिससे वे अविकसित रह जाते है। अतः स्वास्थ्य और चिकित्सा कार्यक्रम किसी भी समाज के विकास कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

विकासखण्ड निवाड़ी अन्तर्गत निम्नानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध है जहां से अध्ययन क्षेत्र के ग्रामें की भी देखभाल की जाती है। अध्ययन क्षेत्र ग्राम कुलुवा में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता केन्द्र है जहां MPW (M&F) पदस्थ है।

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्र (C.H.C.) 01
2. पी0एच0सी0 04

(ओरछा, टेहरका, तरीचरकला, सेदरी)

3. उपस्वास्थ्य केन्द्र 28

4. सेक्टर सुपरवाइजर केन्द्र 07

5. बहुउद्देशीय कार्यकर्ता केन्द्र

MPW (M) 28

(F) 28

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सुविधायें :

संसार में शायद ही कोई ऐसा समाज है जहाँ पशुपालन का काम नहीं होता है। प्रत्येक समाज किसी–न–किसी रूप में पशुओं को पालता है।

पशुपालन के स्तर में आदिम समाजों ने तब कदम रखा जब मानव ने यह अनुभव किया कि पशुओं को मारने की वजह अगर उन्हें पाला जाय तो उनसे जीवित रहने के अधिक साधन प्राप्त हो सकेंगे, क्योंकि उन पशुओं से उनके बच्चे भी प्राप्त होंगे और साथ ही दूध भी। इससे मानव का आर्थिक जीवन प्रथम स्तर की तुलना में अधिक निश्चित और स्थिर हुआ, क्योंकि पशुओं को लेकर रोज स्थान परिवर्तन करना कष्टकर होता है। इसलिए एक स्थान पर जब तक पालतू पशुओं के खाने–पीने की चीजें अर्थात् चरागाह मिल जाते हैं, तब तक स्थान परिवर्तन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती।

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। बढ़ती जनसंख्या की बढती भोजन माँग और रोजगार की समस्या को सुलझाने में पशु पालन का विशेष महत्व है। ऐसे लोग जिनके पास अलाभकारी जोते है वह पशु पालन डेरी के द्वारा अपनी आय को पूरक धन्धों के रूप में अपना कर विकास कर सकते है। अध्ययन क्षेत्र के ग्रामों में 3711 पशु है। पशु पालन चिकित्सा हेतु विकास खण्ड स्तर पर पशु औषधालय स्थापित है एवं गाय के नस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र भी है। विकास खण्ड के ग्राम

टेहरका, तरीचरकला, सेंदरी, ओरछा, मड़ोर एवं लड़वारी में डिस्पेन्सरीज भी स्थापित की गई है जो अपने–अपने क्षेत्रों के ग्रामों की देखभाल करती हैं।

अध्ययन क्षेत्र के ग्राम कुलुवा एवं नयाखेरा निवाड़ी औषधालय से संलग्न है। ग्राम उरदौरा एवं अस्तारी ग्राम टेहरका में स्थापित डिस्पेन्सरी से तथा ग्राम जमुनियाँ डिस्पेन्सरी ओरछा से संलग्न है।

अध्ययन क्षेत्र के चयनित ग्रामों की ग्रामवार पशुपालन की जानकारी निम्नानुसार है :–

क0	नाम ग्राम	गाय	भैंस	बकरी	बैल	योग
1	कुलुवा	159	227	286	119	791
2	नयाखेरा	83	127	212	79	501
3	उरदौरा	153	206	264	143	766
4	अस्तारी	162	197	233	240	832
5	जमुनियां	152	156	295	218	821
	योग	**709**	**913**	**1290**	**799**	**3711**

शोद्यार्थी ने अध्ययन के दौरान जानकारी में पाया कि सौर जनजाति में पशुपालन नही पाया जाता है। चूंकि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं होती कि यह पशुओं के खाने–पीने की व्यवस्था कर सकें। अध्ययन के दौरान ऐसा देखा गया कि उक्त ग्रामों में दो–चार सौर जनजातियां ही मुर्गीपालन करते है।

ग्रामीण जल आपूर्ति :

सामाजिक रचना वास्तव में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं अनेक नागरिक सुविधाओं के मिले जुले स्वरूप या ढ़ांचे का ही नाम है। यह सभी ढांचे एक दूसरे से पूरी तरह सम्बद्ध है। इन्हें अलग–अलग नही देखा जा सकता।

ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सुदूर गांवों में पीने के स्वच्छ जल की व्यवस्था करना है। गांवों में अभी भी पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है वहाँ के लोग गन्दा पानी पीने को मजबूर है। फलस्वरूप उन गांवों में लोग विभिन्न बीमारियों से ग्रसित रहते हैं।

इस दिशा में अध्ययन क्षेत्र के चयनित ग्रामों में विशेषकर सौर जनजाति मुहल्लों में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की दृष्टि से शासन द्वारा हैण्ड पम्पों का खनन कराया गया है। ग्रामवार स्थिति निम्नानुसार है :–

क0सं0	ग्राम का नाम	खनित हैण्ड पम्प संख्या
1	कुलुवा	17
2	नयाखेरा	09
3	उरदौरा	08
4	अस्तारी	11
5	जमुनियां	05
	योग	50

सड़क एवं यातायात के साधन :

किसी भी देश के आर्थिक विकास एवं भावात्मक एकता हेतु उन्नत परिवहन के साधनों का होना आवश्यक है। परिवहन साधनों का वही स्थान है जो मानव शरीर में रूधिर वाहिनी शिराओं एवं धमनियों का है। किसी भी प्रदेश या क्षेत्र के

आर्थिक विकास की प्रथम सीढी परिवहन के मार्गो एवं साधनों का विकास है। इन मार्गो के द्वारा कच्चा माल, ईधन, मजदूर आदि औद्योगिक केन्द्रो पर एकत्रित किये जाते है तथा बना हुआ माल और कृषि एवं वनों के उत्पान बाजारों को भेजे जाते है। आर्थिक विकास की आवश्यक सुविधायें एक स्थान से दूसरे स्थान को वितरित की जाती है और विभिन्न भागों के बीच सम्पर्क स्थापित होता है।

किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के विकास में यातायात का हमेशा प्रमुख स्थान रहा है। वर्तमान में यातायात व्यवस्था का उद्देश्य बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करना है। इसके लिए आवश्यक है कि हम यातायात के साधनों का आधुनीकीकरण करें। साथ ही बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उत्पादन के अनुरूप यातायात व संचार साधनों में वृद्धि करते रहे। इसमें सड़क, रेल यातायात मुख्य है।

यातायात के साधनों में सड़क यातायात का विशेष महत्व है। सड़के दूरस्थ अंचलों को जोड़ती है। यह क्षेत्र की समृद्धि एवं विकास तथा क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति की द्योतक है।

अध्ययन क्षेत्र के ग्रामों में सडक एवं यातायात के साधनों की स्थिति निम्नानुसार है :-

1. ग्राम उरदौरा "झाँसी खजुराहों" राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है जो विकासखण्ड निवाड़ी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है।

2. ग्राम कुलुवा एवं नयाखेरा जिला मार्ग निवाड़ी से टीकमगढ़ सडक पर स्थित है। ग्राम कुलुवा से नयाखेरा 2 कि0मी0 की दूरी पर ग्रामीण सड़क जो प्रधानमंत्री कार्यकम अन्तर्गत निर्मित है उस पर स्थित हैं।

3. ग्राम अस्तारी ग्रामीण सड़क कच्ची–पक्की पर स्थित है।

4. ग्राम जमुनियाँ के लिए ओरछा तक पक्की सड़क है जो यहां से 5 किलोमीटर ग्रामीण सड़क से होकर जमुनियां पहुँचा जाता है। पक्की सड़कों पर यात्री बसें चलती है। ग्रामीण सडकें भी मोटर चलने योग्य है और इन पर भी बसें टैक्सीयां चलती है।

यातायात के साधनों रेल, मोटर, कार, स्कूटर, वायुयान आदि के कारण ग्रामीणों में गतिशीलता बढ़ी, नगरों को गांवों से जोड़ने के लिए सड़के बनी जिससे यात्राएं सरल हो गयी।

डाक सम्बन्धी एवं दूर-संचार सुविधायें :

किसी भी क्षेत्र की उन्नति एवं विकास के लिए पर्याप्त संचार साधनों की परम आवश्यकता होती है। व्यापार हो या उद्योग–धंधे, अखबार हो या शासकीय अर्द्धशासकीय संस्थायें बिना संचार साधनों के अधूरी हैं।

पहले केवल डाकतार विभाग ही नागरिकों को यह सेवा प्रदान करता था। टेलीफोन सेवा भी केवल सार्वजनिक संस्थाओं तक ही सीमित थी। अब यह सेवा उपग्रह के माध्यम से काफी विकसित और उपयोगी हो गयी है। आकाशवाणी की सेवायें अब टेलीविजन सेवाओं के कारण नागरिकों के लिए पहले के समान उपयोगी नहीं रही है। दूरदर्शन पर मौसम सम्बन्धी जानकारी प्रसारित होने के कारण लोगों को मौसम का ज्ञान पहले ही हो जाता है। उपग्रह के प्रयोगों ने संचार साधनों के प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया है। दूरदर्शन के बावजूद भी आकाशवाणी की सेवाओं का अपना अलग ही महत्व है। इससे हमें पल–पल की सूचनायें व समाचार ज्ञात होते रहते हैं। केन्द्र सरकार टेलीफोन सेवा को आम नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील है।

इस प्रकार के संचार के नवीन साधनों जैसे– मोबाइल, टेलीफोन, डाकतार, रेडियो, टेलीविजन.......... आदि के आविष्कार ने ग्रामीण अंचलों के लोगों को भी

नवीन ज्ञान एवं सूचनाओं के सम्पर्क में ला दिया है। संचार क्रान्ति ने व्यक्ति की दूरियों को नजदीकियों में बदल दिया हैं। संचार के आधुनिक साधनों ने ग्रामीणों की कूपमण्डुकता को समाप्त कर उनका वाह्य जगत से सम्पर्क बढ़ाया। इससे उनके व्यवहारों, मूल्यों, अभिवृत्तियों, विचारों एवं आदतों में परिवर्तन हुआ। उनके दृष्टिकोण में उदारता आई और ग्रामीण परम्परागत जीवन परिवर्तित होने लगा।

अध्ययन क्षेत्र के ग्रामों में डाक एवं दूर–संचार सुविधाओं की ग्रामबार जानकारी निम्नानुसार है–

क0सं0	ग्राम का नाम	डाक एवं दूर–संचार सुविधायें			
		उप–डाकखाना	पी0सी0ओ0	टेलीफोन एक्सचेंज	लोकल कनेक्शन
1.	कुलुवा	01	02	01	28
2.	नयाखेरा	–	01	–	03
3.	उरदौरा	–	01	–	14
4.	अस्तारी	01	–	–	–
5.	जमुनियाँ	01	01	–	07

हैड पोस्टऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीग्राफ ऑफिस, विकास खण्ड स्तर पर स्थापित है।

बोली–भाषा :

अपनी अभिव्यक्ति और लोगों से सम्बन्ध स्थापित करने के महत्वपूर्ण एवं प्रभावी माध्यमों में भाषा भी है। यह देखा गया है कि अपने भाषा–भाषी से बड़ी ही सहजता से सम्बन्ध बन जाता है। अपनी भाषा को सुनने और पढ़ने में आत्मीयता लगती है और लगाव बढ़ जाता हैं। यही बात जनजातियों के लिए भी सत्य है। यह भी सत्य है कि जनजाति समुदाय का क्रमशः हिन्दूकरण हो रहा है अर्थात् उन लोगों ने बहुसंख्यक समुदाय की रीति–रिवाज, वेश–भूषा, खान–पान और बोली–भाषा ग्रहण कर ली है।

शोधार्थी ने चयनित अध्ययन क्षेत्र के सर्वेक्षण के दौरान "सौर" जनजाति से उनकी बोली–भाषा के विषय में जानकारी प्राप्त की तो ऐसा ज्ञात हुआ इस जनजाति के लोग बुन्देलखण्डी भाषा के साथ खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। उनका ऐसा कहना है कि हमारे पूर्वज भी इसी भाषा का प्रयोग करते रहे हैं।

अध्ययन हेतु चयनित ग्रामों के सौर जनजातियों के स्वामित्व की भूमि

क0सं0	ग्राम का नाम	सौर कृषकों की संख्या	कुल रकवा (हेक्टेअर)
1.	जमुनियां	14	30.868
2.	अस्तारी	34	25.550
3.	उरदौरा	27	17.199
4.	नयाखैरा	23	26.976
5.	कुलुवा	09	06.925
योग		**107**	**107.518**

ग्रामबार सौर कृषकों के स्वामित्व की भूमि का खसरा नं0 तथा कुल रकवा सूची संलग्न है।

अध्ययन क्षेत्र के ग्रामों के सौर कृषको की स्थिति

X-अक्ष=ग्राम Y अक्ष=सौर कृषको की संख्या
पैमाना 1 खाना=10 सौर

संकेत-
- कुलुआ
- नयाखेरा
- अरदौरा
- अस्तारी
- जमुनियाँ

ग्राम–जमुनियाँ

क0सं0	नाम/पिता/पति का नाम	खसरा	रकबा
1.	काशीराम, तुलसी, सालिगराम तनय श्री अलुवा सौर	911/2/1	1.410
2.	नथुआ तनय मुन्नालाल सौर	911/2/1	1.410
3.	नारायन तनय पन्नी सौर	215	0.600
4.	नत्थू तनय श्री सिम्मा सौर	911/2/5	1.410
5.	प्रभूदयाल तनय श्री बल्देव सौर	909/4/1	0.931
		911/2/6	0.585
6.	बरेलाल तनय श्री चन्ने सौर	909/4/3	1.416
7.	मलीदा भगवती पुत्री श्री सुक्के सौर	911/2/2	1.410
8.	सिया तनय छिनकू सोर 1/2 हिस्सा मु0 छिनियाँ वेवा छिनकू रोल तनय छिनकू 1/2 हिस्सा	911/2/3	1.410
9.	स्वामी प्रसाद तनय धन्नू 1/2 हिरिया तनय चुन्नी सौर 1/2	79	0.571
10.	कुलुवा, हरदुवा तनय दुर्जन सौर	908/1/क	0.809
		908/4	3.124
11.	गौरावाई पत्नी गुलई सौर	214/1	2.000
12.	ग्यासी तनय कम्मोद	214/2	2.000
13.	गिरजा देवी पत्नी धनीराम, सूरजभान, मातादीन पुत्र धनीराम 1/5 हिस्सा कम्मा, रमदुवा, लछमन, भन्ता पुत्र श्री प्यारेलाल 4/5 हि0	898 899 900 901 902 903 904	5.715 0.397 0.028 0.024 0.344 0.036 2.205
14.	मसलती, सुक्के, चिनू, काशीराम, परम, चिप्पू पुत्र बिरजा "सौर" 1/2, भूरी वेवा मनुषा, दमरू, प्रभू पुत्र मनुवाँ 1/4, मु0 कपूरी पत्नी किशोरी, प्रहलाद पुत्र किशोरी, उत्तम, गोटीराम पुत्र रजन, मु0 कुसमा पत्नी रामप्रसाद, दयाराम, फूलसिंह, भज्जू पुत्र रामप्रसाद 1/4 हिस्सा	908/5 909/1 909/2 913/1	0.761 0.040 1.668 0.769
	योग (हेक्टेअर में)		**30.868**

ग्राम-अस्तारी

क0सं0	नाम/पिता/पति का नाम	खसरा	रकबा
1.	कम्मोद तनय कमल सौर	1000/1/2	0.202
2.	कोमल तनय घनश्याम सौर	1/1	0.450
3.	कल्लू तनय लल्लू सौर	1/12	0.450
4.	खुन्ना तनय बैज सौर	1739 1740	0.505 0.113
5.	गुविन्दा तनय प्रेमा सौर	1/10	0.450
6.	घसीटा तनय गोरेलाल सौर	1/9	0.450
7.	प्रेमा तनय भूरे सौर	3/4	1.000
8.	परमोले तनय हल्के सौर	3/5	1.000
9.	पन्ना तनय दीना सौर	12	1.076
10.	परसादी पूरन तनय सुम्मेर, मु0 लड़कू वेवा सुम्मेर सौर	1111/3	1.214
11.	फूलचन्द्र तनय मकुन्दी सौर	1	0.450
12.	बुदू तनय बूढ़े सौर	6/1	1.000
13.	भूरा तनय सुम्मेरा सौर	1	0.450
14.	मथुरिया पुत्री हल्के सौर	3/2	1.000
15	मकुन्दा तनय भूरा सौर	6/2	1.000
16.	मोहन तनय सुम्मेर सौर	1	0.450
17.	मुलाम तनय कनई सौर	1	0.450
18.	रामदयाल तनय हल्के सौर	908	0.551
19.	मु0 रधिया बेवा परमा मु0 हरकिया वेवा रजोले सौर हिस्सा बराबर	1111 अ 1111/1/1	0.931 0.890
20.	रमोला, सुन्दर, छिदामी तनय अजुद्दे, भगुनिया वेवा अजुद्दे, भूरी, तिजिया, जमुनिया, सावित्री पुत्री अजुद्दे सौर	3/3	1.000
21.	रमोला तनय अजुद्दे सौर	1	0.450
22.	शान्ति पुत्री भरोसे 1/3 हिस्सा, सुम्मेरा तनय खरगा, चिल्लू पुत्री खरगा 2/3 हिस्सा	1001	0.105
23.	सुटुवा तनय रमू, सूका तनय काशी सौर	1003	0.020

24.	सुम्मेरा तनय हल्का सौर	1754	1.153
25.	सोनी तनय दीने सौर	1	0.450
26.	सुन्दर तनय अजुद्दी सौर	1	0.450
27.	सूका तनय काशी सौर	1755	1.821
28.	हरिया खचौरा तनय मगन सौर	1254 अ	0.166
		1226 ब	0.133
		1226 म	0.206
		1226 द	0.170
		1226 क	0.093
		1226 ग	0.150
29.	हरकिया वेवा रजोले सौर	3/1	1.000
30.	हरवल तनय हद्दे सौर	1	0.450
31.	ळरगोविन्द तनय गज्जू सौर	1	0.450
32.	सटुवा तनय रमुवा सौर	3/6	1.201
33.	गज्जू तनय पंचे सौर	6	1.000
34.	रामदयाल तनय हल्के सौर	6/5	1.000
	योग (हेक्टेअर)		**25.550**

ग्राम- उरदौरा

क0सं0	कृषक का नाम एवं पिता का नाम	खसरा सं0	रकवा
1.	अमनियां वेवा हल्का	764/874	1.457
2.	गरीबे तनय अमान	762/1/2	0.739
3.	घंसू तनय करन्जू	762/1/2	2.376
4.	तिजिया पत्नी मठोला 1/2 हिस्सा, बाबू, स्वामी तनय लल्लि मु0 लड्डुवा वेवा लाल्ले 1/2 हिस्सा	764/1	3.031
5.	मठोल, वलू, स्वामी तनय लाड़ले मु0 लड्डुवा वेवा लाड़ले हिस्सा बराबर	671 672 673	0.340 0.223 0.198
6.	मठोले तनय लाड़ले	802	0.510
7.	अशोक तनय पूरन, पूरन तनय भागीरथ	505/4	0.300
8.	किसन तनय पंचे	588/3	0.200
9.	चिन्तामन तनय हदू	588/3	0.200
10.	तिजू तनय पंचे	762/3/4	0.300
11.	दीनदयाल तनय भूरे	588/3	0.200
12.	प्रभु तनय भूरे	588/3	0.200
13.	बब्लू तनय गज्जू	588/3	0.200
14.	भगवान दास तनय पंचे	588/3	0.200
15.	भागीरथ, मनोहर, अनंदी तनय स्वामी	762/4	0.400
16.	भरत तनय प्रभु सौर पत्नी भरत सौर	762	0.263
17.	मलखान तनय कल्ले	588/3	0.200
18.	रामबाबू तनय तुलसी	588/3	0.200
19.	रामदीन, किशोरी तनय गरीबे	762/1	0.400
20.	रामसेवक तनय किसन, रामकुँवर पत्नी रामसेवक सौर	762/6	0.364
21.	रामदीन, किशोरी तनय गरीबे, पुक्खन पत्नी रामदीन, रमकू पत्नी किशोरी सौर	588 595/5	0.200 0.300
22.	रामबाबू तनय तुलसी, कौशल्या पत्नी रामबाबू सौर	588/3/1	0.300
23.	रामनाथ, ठाकुरदास, तुलसी, बाबू, वीरन तनय पुन्टे,	588/3	1.000
24.	हरी तनय भूरे	588/3	0.200
25.	बृजलाल तनय नन्दलाल तनय बाबू, गच्कू पत्नी बृजलाल, पच्कू पत्नी नन्दलाल सौर	766/1	0.500
26.	घंसू तनय करंजू 1/4 हिस्सा, जमुनाबाई वेवा महादेव 1/4 हिस्सा, कृपाराम, रामचरन, धूराम, कंचन बेवा, झुन्डे 1/4 हिस्सा, गिरजादेवी बेवा सौर, अभिलाषा, सुखदेवी, सेवा राधे, रामस्वरूप	443/1	0.579
27.	मलखान, अनन्तराम तनय फल्ले व गिलुबा पुत्री कल्ले सौर	428/1	1.619
	योग (हेक्टेअर)		**17.199**

ग्राम- नयाखेरा

क0सं0	कृषक का नाम एवं पिता का नाम	खसरा सं0	रकवा
1.	घनश्याम तनय बदली सौर	525/2	1.416
2.	घपुआ तनय श्री रतन सौर	502 573	0.741 0.571
3.	घंसू तनय श्री लक्ष्मन सौर, अजुद्दी चिंतामन जानकी चतुर	537 538 539	0.704 0.158 0.324
4.	मन्सुख तनय रतन सौर	460	0.773
5.	फोसे, पूरन, कृपाराम तनय श्री हरपू सौर	456 458 459	0.299 0.825 0.781
6.	मिदर, जगना, कल्याण, रम्बू तनय श्री पुन्टा सौर	550 551	0.194 0.874
7.	मनोरे तनय भारे सौर	552/1	0.198
8.	मौन सिंह तनय श्री परसादी सौर	524/1/5	0.336
9.	मोनू तनय श्री छन्दी सौर	521/4/2ब	1.173
10.	रज्जू, रामा तनय हल्के सौर	521/5/1 521/5/3	1.164 0.010
11.	रामदास, बेना तनय श्री हल्के सौर	521/5/2	0.101
12.	रग्गी तनय दमरू सौर	539/2	0.934
13.	सोबत तनय मुजूं सौर	501/1	1.193
14.	सुजनयाऊ पत्नी अमान, सुकन तनय श्री अमान	463/1	0.854
15.	जनकिया पत्नी श्री करी 6/7, लछू, गनू, मोती, रम्सू तनय करी, टिंकू, अंगूरी तनय बुदू 1/7 हिस्सा	525/3 541/1 541/4/2अ	1.011 0.466 1.174
16.	प्रकाश तनय श्री छोटेलाल सौर	521/2	2
17.	फोसे तनय हल्लू सौर	521/6/3	2.045
18.	बिन्ना बेबा पत्नी रामदास, प्रकाश, हरदयाल तनय रामदास	94/2 521/6/2	1.789 1.023
19.	तन्सू तनय केसरी सौर	519/1	0.607
20.	मुनऊ तनय श्री प्रागी सौर	378/6/8	0.405
21.	भागीरथ तनय श्री लक्ष्मन सौर	378/6/7	0.405
22.	पूरन तनय हल्कू सौर	378/6/6	1.214
23.	रामचरन तनय फुल्ले सौर	519/1	1.214
	योग (हेक्टेअर)		**26.976**

ग्राम- कुलुवा

क0सं0	कृषक का नाम एवं पिता का नाम	खसरा सं0	रकवा
1.	नन्नाई तनय नन्दे सौर	501	0.971
2.	मथुराई तनय पल्टू 1/3 हिस्सा, भग्गू तनय विजई 1/3 हिस्सा, भगवान दास तनय रमसे 1/3 हिस्सा	481 500	1.413 0.539
3.	मायादेवी बेबा छनदी सौर	439/1/5	0.607
4.	मोहन तनय मनोरे सौर	439/1/7	0.405
5.	रमेश, भगवान दास तनय लुटी सौर	504/1/2	0.607
6.	रम्मे तनय हल्के सौर	819 821 822	0.482 0.174 0.104
7.	लछू तनय मगन सौर	331/3	0.599
8.	सेवदीन तनय धमसींग सौर	504/1/3	0.405
9.	हरजुवा, चिन्टू तनय मन्टू, मक्खन पुत्री मन्टू सौर	487 488 489	0.040 0.437 0.142
	योग (हेक्टेअर में)		**6.925**

अध्ययन क्षेत्र के ग्रामों का जनसंख्या का प्रारूप

ग्राम का नाम	जनसंख्या																						
	अन्य जातियाँ	हरिजन			आदिवासी			योग			0 से 06 वर्ष आयु की जनसंख्या			साक्षरता			निरक्षता			व्यवसाय		
		पुरूष	स्त्री	योग	पुरूष	स्त्री	योग	पुरूष	स्त्री	योग	पुरूष	स्त्री	योग	पुरूष	स्त्री	योग	पुरूष	स्त्री	योग	कृषक	कृषि श्रमिक/मजदूरी	नौकरी
कुलुआ	1213	149	152	301	105	120	225	898	841	1739	155	146	301	507	272	779	391	569	960	413	1025	14
नयाखेरा	766	94	79	173	37	45	82	530	491	1021	106	99	205	274	109	383	256	382	638	363	448	05
उरदौरा	735	318	307	625	105	121	226	803	783	1586	161	171	332	521	240	761	282	543	825	434	798	22
अस्तारी	1459	292	202	494	82	72	154	1166	941	2107	188	144	332	452	158	610	714	783	1497	538	1226	11
जमुनिया खास	986	167	122	289	100	101	201	807	669	1476	161	144	305	357	146	503	450	523	973	499	663	09
योग	5159			1882			888			7929	771	704	1475	2111	925	3036	2093	2800	4893	2247	4160	61

अध्ययन क्षेत्र के सौंर जनजातियो की जनसंख्या की स्थिति

अध्ययन क्षेत्र के ग्रामो की जनसंख्या की स्थिति

X अंक्ष = ग्राम   Y अंक्ष = जनसंख्या
पैमाना 1 खाना = 200 व्यक्ति

संकेत -
- कुलुआ
- नयाखेरा
- उरदौरा
- आस्तारी
- जमुनियाँ

Y

2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

X

कुलुआ 1739
नयाखेरा 1021
उरदौरा 1586
आस्तारी 2107
जमुनियाँ 1476

अध्ययन क्षेत्र के ग्रामों में 0 से 06 आयु के बच्चो की स्थिति

x अक्ष = ग्राम y अक्ष = संख्या

पैमाना - 1 खाना = 30 व्यक्ति

संकेत -

- कुलुआ
- नयाखेरा
- उरदौरा
- अस्तारी
- जमुनियाँ

Y

420
390
360
330
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
0

X

कुलुआ 301
नयाखेरा 205
उरदौरा 332
अस्तारी 332
जमुनियाँ 305

अध्ययन क्षेत्र के ग्रामो की कुल निरक्षरता की स्थिति

X अक्ष = निरक्षरता
Y अक्ष = संख्या
पैमाना - 1 खाना = 500 व्यक्ति

संकेत -
- पुरुष
- महिला
- योग

Y

6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

X

पुरुष 2093
महिला 2800
योग 4893

जनगणना 2001 के आधार पर मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या 60348000 है तथा अध्ययन क्षेत्र तहसील–निवाड़ी की कुल जनंसख्या 149027 है जो कि मध्यप्रदेश की जनसंख्या का 0.246 प्रतिशत है तथा चयनित 5 ग्रामों की जनसंख्या 7929 है जो निवाड़ी तहसील की जनसंख्या का 5.32 प्रतिशत है।

अध्ययन क्षेत्र तहसील निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ के अन्तर्गत कुल ग्राम पंचायतें 71, ग्रामों की संख्या 139, आबाद ग्राम 123, वीरान ग्राम 16, तथा वन ग्राम 02 हैं।

शोधार्थी द्वारा किये गये अध्ययन में अध्ययन क्षेत्र तहसील–निवाड़ी, जिला–टीकमगढ़ के चयनित 5 ग्रामों की कुल संख्या 7929 है। जिसमें जनजातियों की संख्या 888 है। जोकि अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 11.19 प्रतिशत है। तहसील–निवाड़ी में सौर जनजातियों की कुल जनसंख्या 5292 है। जिसमें 2713 पुरूष तथा 2579 महिलाएं है। इस प्रकार तहसील–निवाड़ी की कुल "सौर" जनजाति की जनसंख्या का 16.78 प्रतिशत सौर अध्ययन क्षेत्र के 5 ग्रामों में निवास करते हैं।

तहसील–निवाड़ी, जिला–टीकमगढ़, की कुल साक्षरता 74897 है जिसमें पुरूष साक्षरता 49441 तथा महिला साक्षरता 25456 है। शोधार्थी द्वारा अध्ययन हेतु चयन किये गये ग्रामों की कुल साक्षरता 3036 है। जो कि तहसील–निवाड़ी की कुल साक्षरता का 4.05 प्रतिशत है। तथा अध्ययन क्षेत्र के चयनित ग्रामों की कुल जनसंख्या 7929 का 38.28 प्रतिशत है। जिसमें पुरूष साक्षरता 26.62 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 11.66 प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र के ग्रामों का साक्षरता का प्रतिशत निम्नानुसार–

कुलुवा	–	44.79 प्रतिशत
नयाखेरा	–	37.51 प्रतिशत
उरदौरा	–	47.98 प्रतिशत
अस्तारी	–	28.95 प्रतिशत
जमुनियां	–	34.07 प्रतिशत

अतः सबसे कम साक्षरता का प्रतिशत ग्राम अस्तारी में है।

अध्ययन क्षेत्र के उक्त पाँचों ग्रामों में कुल निरक्षता 4893 है, जो अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या 7929 का 61.71 प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र के पाँचों ग्रामों की निरक्षता का प्रतिशत निम्नानुसार है–

कुलुवा	–	55.20 प्रतिशत
नयाखेरा	–	62.48 प्रतिशत
उरदौरा	–	52.01 प्रतिशत
अस्तारी	–	71.04 प्रतिशत
जमुनियां	–	65.92 प्रतिशत

अतः स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक निरक्षता ग्राम अस्तारी में है। स्वतंत्रता के पश्चात् से ही विभिन्न सरकारों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार व ध्यान दिया गया फिर भी उतनी सफलता नहीं मिल सकी, जितनी तेजी से सरकार द्वारा प्रयास किये गये व किये जा रहे हैं।

तहसील–निवाड़ी, जिला–टीकमगढ़ में अध्ययन हेतु चयनित ग्रामों में कुल कृषकों की संख्या 2247 है तथा कृषि मजदूरी के साथ–साथ श्रमिक मजदूरी करने वाले व्यक्तियों की संख्या 4160 है इससे स्पष्ट होता है कि इन ग्रामों में कुल जनसंख्या के आधे से भी अधिक व्यक्तियों का जीवन–यापन मजदूरी एवं कृषि मजदूरी है।

अध्याय- चतुर्थ

सामाजिक एवं सॉस्कृतिक जीवन

सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन

भारत वर्ष में अनेक जनजातियां है। इन सभी जनजातियों की अपनी–अपनी संस्कृति तथा पारस्परिक सांस्कृतिक विशेषतायें हैं। सांस्कृतिक विशेषतायें ही इनकी विशिष्टता तथा पहचान हैं। परन्तु आधुनिक युग में विभिन्न कारणों से भारत की जनजातियों में ''पर–संस्कृति ग्रहण'' की प्रक्रिया गम्भीर एवं तीव्र रूप धारण कर रही है।

यह एक स्पष्ट तथ्य है कि अब से कुछ काल पूर्व तक भारतीय जनजातीय समूहों की संस्कृति भारत के अन्य सभ्य सामाजिक समूहों की संस्कृति से पर्याप्त भिन्न थी। सभ्य समाज तथा जनजातीय समाजों के सामाजिक संस्करण, परिवार–व्यवस्था, विवाह पद्धतियों, नातेदारी, धार्मिक विश्वासों, कानूनों, न्याय, कला, धर्म, जादू, खान–पान, रहन–सहन तथा वेश–भूषा तथा व्यवहार के अनेक प्रतिमानों में स्पष्ट अन्तर एवं भिन्नता थी। जनजातीय समाज आत्म–निर्भर थे तथा अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं के माध्यम से अपनी पारस्परिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते थे। इन्हीं विशिष्टताओं के कारण प्रायः सभी जनजातीयों के सम्मुख केवल आर्थिक समस्यायें उत्पन्न हुआ करती थी, इन्हें सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समस्याओं का सामना नहीं करना पडता था।

परन्तु आधुनिक युग में स्थिति बदल गयी। भारत में जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तथा इनका शासन स्थापित होने लगा तब भारत की जनजातियों के सामाजिक–सांस्कृतिक जीवन में भी बाहरी हस्तक्षेप होने लगा। अंग्रेजी शासन के साथ भारत में आने वाली ईसाई मिशनरियों का मुख्यतम उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना था। इस उद्देश्य के लिए ईसाई मिशनरियों ने भारतीय जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश किया। अनेक ईसाई मिशनरियाँ निहित स्वार्थों को लेकर भारतीय जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने लगी। भारत की अधिकांश जनजातियां विभिन्न प्रकार से आर्थिक समस्याओं से घिरी हुई थी। ईसाई मिशनरियों ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उन्होंने निर्धन एवं अभावग्रस्त जनजातियों में

अनाज, औषधि तथा अन्य जीवनोपयोगी सुविधायें उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। इन प्रलोभनों के परिणामस्वरूप जनजातियों का ईसाई मिशनरियों की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक ही था। जब ईसाई मिशनरियों का प्रभाव जनजातियों पर स्थापित होने लगा तब इन्होंने अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए प्रयास शुरू कर दिये। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इस काल में भारतीय जनजातियों का धर्म अपने मूल जनजातीय धर्म के रूप में था। वे हिन्दू धर्म से भी अवगत नहीं थे। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ईसाई मिशनरियों ने दो रूपों में प्रयास प्रारम्भ कर दिये। उन्होंने एक ओर से ईसाई धर्म एवं संस्कृति के प्रचार–प्रसार के लिए प्रयास शुरू कर दिया तथा दूसरी ओर हिन्दू धर्म एवं संस्कृति के प्रति तिरस्कार की भावना को बढ़ावा दिया। इस दोहरी नीति के परिणामस्वरूप भारत के लाखों आदिवासियों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेने के बाद भी भारतीय आदिवासियों की सामाजिक स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन या सुधार नहीं हुआ। इसके दो मुख्य कारण थे– प्रथम कारण यह था कि इस प्रकार से धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासी ईसाई समाज में पूरी तरह नहीं मिल पाये तथा दूसरी ओर वे स्वयं अपने आदिवासी समाज से भी अलग हो गये। इस विकट स्थिति के कारण इन जनजातीय सदस्यों को विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा।

जब भारत में ईसाई मिशनरियों का जनजातीय क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ने लगा तथा भारत के विभिन्न हिन्दू संगठनों का ध्यान भी जनजातीय समाज की ओर उन्मुख हुआ। अब हिन्दू संगठनों ने भी जनजातीय समाज को अपने धर्म एवं संस्कृति की ओर आकृष्ट करने का प्रयास प्रारम्भ किया। इसके लिए इन हिन्दू संगठनों ने भी जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक–सांस्कृतिक प्रचार–कार्य प्रारम्भ कर दिया। हिन्दू संगठनों के इन प्रयासों के परिणामस्वरूप अनेक आदिवासी हिन्दू धर्म की ओर आकृष्ट हुए तथा इन्होंने जनजातीय धर्म को छोड़कर हिन्दू धर्म को स्वीकार कर लिया। वे अब हिन्दू देवी–देवताओं की उपासना करने लगे। इन हिन्दू बने आदिवासियों ने नगरीय सभ्यता से भी सम्पर्क स्थापित करना शुरू कर दिया।

वे आजीविका तथा शिक्षा ग्रहण करने के लिए नगरों की ओर उन्मुख हुए। इस प्रकार जनजातियों के अनेक सदस्यों पर हिन्दू संस्कृति की छाप पड़ने लगी।

इस प्रकार से ईसाई हिन्दू संस्कृति के जनजातीय संस्कृति के साथ होने वाले सम्पर्क ने पर–संस्कृति ग्रहण की गम्भीर प्रक्रिया का रूप ले लिया। इससे जनजातीय संस्कृति को ही हानि हुई। जनजातीय संस्कृति की मौलिकता नष्ट होने लगी तथा विभिन्न समस्यायें उत्पन्न होने लगी। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाये तो इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप भारतीय जनजातीय समाज के विश्वासों, धर्म, पारिवारिक व्यवस्था, विवाह–प्रणालियों, रहन–सहन, जनजातियाँ अपनी मौलिक संस्कृति को गवां बैठी हैं।

प्रायः जनजातियों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन भिन्न–भिन्न होता है। उनमें भाषा, परिवारिक, वैवाहिक तथा धार्मिक रीति–रिवाजों की भिन्नता के कारण ही यह अपनी अलग–अलग पहचान बनाये हुए हैं। कुछ जनजातियां जो दूरस्थ क्षेत्रों से निकलकर अन्य जातियों के सम्पर्क में आयी धीरे–धीरे उनमें (जनजातियों) अन्य जातियों की भाषा को समझने का विकास हुआ और परस्पर सम्पर्क में बने रहने के कारण अपने परम्परागत् भाषा, रीति–रिवाजों, लोकाचारों को भूलकर अन्य जातियों की संस्कृति को अपना लिया गया फिर भी यह वर्ग सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है।

अन्य जातियों की तरह सौंर जनजाति की भी अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक व्यवस्था, परम्परा, रस्में, आचार–विचार है।

सौर जनजाति पर अन्य जनजातियों की अपेक्षा हिन्दू संस्कृति का प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार का प्रभाव देखा गया है। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि एक तो वे जिन अंचलों में निवास कर रहे हैं उनमें हिन्दू संस्कृति के प्रत्यक्ष और निरन्तर सम्पर्क में आते हैं। इस सम्पर्क के कारण सबसे पहले उन्होंने हिन्दू वर्गों की भौतिक संस्कृति को ग्रहण किया। सबसे पहले उन्होंने अपनी वेशभूषा

बदली, बड़ी और अर्द्धनग्न धोती की जगह अब कुर्ता–पायजामा और पेंट–शर्ट पहनना शुरू कर दिया और महिलाओं ने साड़ी–ब्लाउज पहनना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने हिन्दू वर्गों के लोगों का खान–पान भी अपनाना शुरू कर दिया है। दाल–चावल, सब्जी और गेंहूं की रोटी भोजन में लेने लगे हैं। यद्यपि यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते है फिर भी धीरे–धीरे उन्होंने मांस आदि का परित्याग कर अधिकांश हिन्दुओं की तरह शुद्ध शाकाहारी बनना पसन्द किया है। यह तो भौतिक संस्कृति का प्रत्यक्ष ग्राह्यीकरण हुआ।

इसके अलावा वे हिन्दू संस्कृति के अभौतिक तत्वों को भी ग्रहण करने लगे। वैवाहिक रीतियों में हिन्दू संस्कृति का मंडप, अग्निवेदी और मंत्रों के उच्चारण ने इन्हें आकर्षित किया और सौर जनजाति ने हिन्दू वैवाहिक रीति को प्रायः अपना लिया है। पत्तों–फलों से ऐच्छादित मण्डप के नीचे अग्नि के समक्ष ब्राह्मण द्वारा मंत्रोच्चारण और अग्निवेदी के सात फेरों की रस्म को वे अब जरूरी मानने लगे हैं। यह सौर संस्कृति पर हिन्दू संस्कृति का प्रत्यक्ष प्रभाव है।

सामाजिक रीति–रिवाजों के अतिरिक्त हिन्दू धर्म को भी सौर जनजाति ने बहुत कुछ अपना लिया है। अपने कुल देवता, ग्राम देवता, वन देवी आदि के साथ–साथ वे हनुमान, राम और सीता, शंकर, शिवलिंग, दुर्गा देवी और कालीमाता जी की भी पूजा करने लगे हैं।

पारिवारिक संरचना :

सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण आधार परिवार है। एक विद्वान ने तो यहाँ तक कहा है **"मानव समाज का इतिहास परिवार का ही इतिहास है क्योंकि मानव जीवन के प्रारम्भ से परिवार उसके साथ है।"** वास्तव में परिवार ही समाज की प्रारम्भिक इकाई है। इसी परिवार की संस्था को 'सौर' लोग अति महत्वपूर्ण दृष्टि से देखते हैं।

परिवार के बिना आदमी की जिंदगी अधूरी है परिवार मानव जीवन की प्रथम पाठशाला है तथा परिवार में रहकर ही प्रत्येक मानव अपने व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास करता है परिवार ही व्यक्ति के सामाजीकरण का आधार बनता है। वर्तमान समय भौतिकवादी युग है तथा वर्तमान समय में प्रत्येक मानव व्यक्तिगत उत्थान को सर्वोपरि मानता है यही कारण है कि वर्तमान समय में भारतीय समाज में संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है तथा एकाकी परिवारों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है।

सौर जनजाति में पित्रसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है इनमें विवाह के पश्चात् पत्नी अपने पति के घर आकर रहती है। वंश नाम पिता के वंश के आधार पर चलता है, अर्थात् बच्चे अपने पिता के कुल या वंश के नाम को ग्रहण करते हैं पिता को असाधारण अधिकार प्राप्त होते हैं। सौर जनजाति में एकांकी परिवार की अधिकता पाई जाती है। सौंरो में संयुक्त परिवार हिन्दुओं के संयुक्त परिवार से इस अर्थ में भिन्न होते हैं कि परिवार के सभी विवाहित पुरूष और उनके परिवार पिता के घर में नहीं रहते हैं अपितु आस–पास घर बनाकर रहते हैं, विवाहित पुत्र पिता पर आर्थिक दृष्टि से आश्रित नहीं रहता है वह अपना जीविकोपार्जन पिता द्वारा दिये गये कुछ जमीन या जानवरों के द्वारा करता है अथवा मजदूरी करके अपना भरण–पोषण करता है। पिता अपने पृथक रहने वाले पुत्रों के परिवारों के सदस्यों के आचरण पर पूरा ध्यान रखता है। पिता के जीवन में पृथक रहने वाले पुत्र समस्त सामाजिक कार्यों को उसके संरक्षकत्व में ही करते हैं। सौंर जनजाति परिवारों में भले ही एकांकी परिवारों की प्रधानता हो किन्तु इनमें सामुदायिक संगठन पाया जाता है। मुसीबत के वक्त में सभी एकजुट होते हैं।

शोधार्थी ने अपने सर्वेक्षण में कुल 300 उत्तरदाताओं का चयन कर अपने अध्ययन क्षेत्र तहसील–निवाड़ी में चयनित 5 ग्रामों में एकांकी परिवारों व संयुक्त परिवारों की निम्न स्थिति प्राप्त की है।

तालिका कमांक– 01

जनजाति	ग्राम का नाम तथा चयनित उत्तरदाताओं की संख्या	एकांकी परिवारों की संख्या	संयुक्त परिवारों की संख्या	एकांकी परिवार (प्रतिशत में)	संयुक्त परिवार (प्रतिशत में)
सौंर	नयाखेरा – 60	52	08	86.66%	13.33%
	उरदौरा – 60	54	06	90%	10%
	अस्तारी – 60	57	03	95%	05%
	कुलुआ – 60	56	04	93.33%	06.66%
	जमुनियाँ – 60	55	05	91.66%	08.33%
	300	274	26	91.33%	08.66%

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है सूचनादाताओं के रूप में किए गये 300 सौंर जनजातियों में से सर्वाधिक प्रतिशत एकांकी परिवारों का है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण एवं नगरीकरण हुआ है तथा उनके फलस्वरूप ग्रामीण अंचलों से भारी संख्या में नगरों की ओर पलायन बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण अंचलों से नगरों की ओर इस बढ़ते हुए पलायन में सौर जनजाति की मानसिकता को भी प्रभावित एवं परिवर्तित किया है। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति भौतिकवाद की ओर उन्मुख हो रहा है तथा उसमें व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती जा रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय पारिवारिक संस्था पर भी पड़ा है आधुनिक युग में संयुक्त परिवार की प्रवृत्ति प्रायः कम होती जा रही है।

प्रस्तुत तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चुने गये तीन सौ सौंर जनजातियों में मात्र 8.66 प्रतिशत परिवार ही पूर्णरूप से संयुक्त परिवार तथा शेष 91.33 प्रतिशत परिवार एकांकी परिवारों के पाये गये। इस प्रकार शोधार्थी ने अपने अध्ययन में साक्षात्कार करके पाया कि सौर जनजातीय परिवारों को सभ्य समाज के सम्पर्क, नगरीकरण एवं औद्योगीकरण ने प्रभावित किया है तथा संयुक्त परिवार की

पारिवारिक संरचना

x अक्ष - पारिवारिक संरचना
y अक्ष - परिवारों की संख्या
पैमाना - 1 खाना = 26 परिवार
संकेत -
- संयुक्त
- एकांकी

Y: 338, 312, 286, 260, 234, 208, 182, 156, 130, 104, 78, 52, 26, 0

X: 26 संयुक्त, 274 एकांकी

बजह वे एकांकी परिवार को अच्छा मानते हैं। नगरों के एकांकी परिवारों से प्रभावित होकर वे भी एकांकी परिवार जिसमें पति–पत्नि व बच्चे होते हैं को महत्व देने लगे हैं। नगरीकरण के कारण परम्परागत चले आ रहे संयुक्त परिवारों की संरचना व उनके कार्यों में परिवर्तन पाया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सौर जनजातीय परिवारों पर नगरीकरण का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

विवाह :

सौर जनजाति विवाह के परम्परागत तरीकों जैसे– परिवीक्षा विवाह, हरण विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह, क्रय विवाह आदि को विस्मृत कर चुकी है। सौर जनजाति पर हिन्दू धर्म का पूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा वह हिन्दू रीति–रिवाजों से विवाह सम्पन्न करते हैं। जनजातियों मे विवाह की अनेक पद्धतियां उनके जीवन दर्शन के विकास को बतलाती हैं। विवाह के सन्दर्भ में जनजातियों को अधिक रूढ़िवादी नहीं कहा जा सकता। सौर जनजाति के लोग विवाह को सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं। सौर जनजाति में सगोत्रीय विवाह निषिद्ध है अर्थात् एक ही गोत्र के लडके–लड़की का विवाह नहीं हो सकता। दोनों का एक ही गोत्र होने पर परस्पर भाई–बहिन का रिश्ता माना जाता है अतः लड़के और लड़की का गोत्र अलग–अलग होना चाहिये। लड़की का पिता अपनी ही पसन्द के लड़के से तथा अपनी ही जनजाति में विवाह तय करता है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से ब्राह्मण के द्वारा विवाह सम्पन्न कराया जाता है। सौंर जनजाति में हिन्दुओं की तरह हल्दी का विशेष धार्मिक दृष्टि से महत्व है शादी में हल्दी का घोल बनाकर रिश्तेदारों व अपने सगे सम्बन्धियों को हाथ के थप्पा लगाकर होली की तरह खुशियाँ मनाते हैं तथा हल्दी का उबटन किया जाता है। सौंर जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन अब कम पाया जाता है। शोधार्थी ने अपने सर्वेक्षण के दौरान जानकारी में पाया कि 18–21 वर्ष के लड़की व लड़के की शादी कर दी जाती है फिर भी 10–15 आयु वर्ग के बीच शादी करने वालों की संख्या बहुत ही कम है इस से यह पता चलता है कि यह जनजाति छोटी उम्र में शादी कर देने के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक हुई है। इस जनजाति में तलाक या विवाह–विच्छेद

की स्थिति पैदा होने पर 5 व्यक्ति कन्या पक्ष से व 5 व्यक्ति वर पक्ष से बैठकर आपस में निर्णय करते हैं। तलाक की स्थिति का कारण शारीरिक व मानसिक अयोग्यता तथा चरित्रहीनता ही मुख्य कारण है।

इस जनजाति में लड़की का पिता अपनी क्षमता के अनुसार वर पक्ष को पूर्व निर्धारित दहेज देता है। इस प्रकार इस जनजाति में दहेज का प्रचलन पाया जाता है। यह जनजाति अन्य जातियों में तथा अपनी जनजाति के अलावा किसी भी जनजाति में विवाह की पक्षधर बिल्कुल नहीं है।

शोधार्थी ने अपने सर्वेक्षण में कुल 300 उत्तरदाताओं का चयनकर बाल विवाह के पक्षधर तथा बिलम्ब विवाह के पक्षधर का निम्नलिखित अभिमत प्राप्त किया है :–

तालिका कमांक– 02

जनजाति	ग्राम का नाम तथा चयनित उत्तरदाताओं की संख्या	बाल विवाह के पक्षधर आयु (10–15)	विलम्ब विवाह के पक्षधर आयु (18–21)	बाल विवाह का प्रतिशत	विलम्ब विवाह का प्रतिशत
सौंर	नयाखेरा – 60	03	57	5.0%	95.0%
	कुलुआ – 60	02	58	3.33%	96.6%
	उरदौरा – 60	–	60	-	100.0%
	अस्तारी – 60	04	56	6.66%	99.33%
	जमुनियाँ – 60	03	57	5.0%	95.0%
	योग– 300	**12**	**288**	**04%**	**96%**

शोधार्थी ने अपने अध्ययन में पाया है कि सौर जनजातियों में विवाह के प्रति जागृति पैदा हुई है। अशिक्षित और निम्न स्तर के वृद्ध सौर पुरानी मान्यताओं से बंधे होने के कारण बाल विवाह को उचित मानते हैं। जिनकी संख्या मात्र 4 प्रतिशत है। जबकि 96 प्रतिशत सौर इसके विरूद्ध हैं। उनकी मान्यता है कि गुड्डे–गुड़ियों की

अध्ययन क्षेत्र में बाल विवाह तथा बिलम्ब विवाह की स्थिति

x अंक्ष = विवाह की स्थिति
y अंक्ष = सौंर जनजाति संख्या
पैमाना 1 खाना = 24 सौंर

संकेत -
- बाल विवाह
- बिलम्ब विवाह

y
336
312
288
264
240
216
192
168
144
120
96
72
48
24
0
x

बाल विवाह 12
बिलम्ब विवाह 288

भाँति अबोध बच्चों को जिन्हें दाम्पत्य जीवन की सामान्य जानकारी भी नहीं होती विवाह के बन्धन में नहीं बाँधना चाहिए। लड़की–लड़के जब तक गृहस्थ का उत्तरदायित्व अपने कन्धों पर संभालने लायक न हो जायें तब तक उनके विवाह नहीं होने चाहिये। इस सम्बन्ध में जल्दी करना अपने बालकों का भारी अहित करना समझते हैं। बाल–विवाह से स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, आगामी पीढ़ी एवं जीवन विकास के प्रत्येक क्षेत्र में बुरा असर पढ़ता है। ऐसी उनकी अब मान्यता बन गई है। उनका कहना है कि शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से अविकसित एवं अक्षम होने के कारण ऐसे बाल दम्पत्ति लादे गये असमय बोझ को ढो पाने में सर्वथा असमर्थ होते हैं। दाम्पत्य जीवन में बंधे ऐसे बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरूद्ध हो जाता है।

शोधार्थी ने अपने अध्ययन में बाल–विवाह के पक्षधर सौर जनजाति के लोगों को अब जागृत सौर युवकों द्वारा चर्चा में समझाते हुए भी इस बुराई से बचने की सलाह देते हुए देखा गया है। उन्हें कानूनी प्रावधान का भी भय बताते हुए पाया है। अंधाधुंध बच्चे पैदा करने और परिवार बढ़ाने के सामूहिक दुष्परिणामों से बाल–विवाह को रोक कर बचा जा सकता है। जिससे स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, निवास की समस्या, बीमारी की समस्या, जैसी अगणित समस्याओं से त्राण पाया जा सकता है।

विवाह का उद्देश्य :

शोधार्थी ने अपने सर्वेक्षण में कुल 300 'सौर' जनजाति का चयन कर विवाह के उद्‌देश्य से सम्बन्धित निम्नलिखित तथ्य प्राप्त किये है :–

तालिका कमांक– 03

जनजाति	ग्राम का नाम तथा चयनित उत्तरदाताओं की संख्या	यौन इच्छाओं की पूर्ति	सामाजिक अनिवार्यता	धार्मिक अनिवार्यता	जीवनसाथी	बच्चे उत्पन्न करना या प्रजनन
सौर	कुलुआ – 60	12	6	11	5	26
	नयाखेरा – 60	6	7	13	16	18
	उरदौरा – 60	8	7	12	14	19
	अस्तारी – 60	10	8	15	9	18
	जमुनियाँ – 60	9	11	14	11	15
	300	**45**	**39**	**65**	**55**	**96**

अध्ययन क्षेत्र में विवाह के उद्देश्य की स्थिति

x अक्ष = विवाह का उद्देश्य
y अक्ष = सौंर जनजाति संख्या
पैमाना 1 खाना = 10 सौंर

प्रस्तुत सारणी से स्पष्ट होता है कि 96 सौर जनजाति के लोगों की ऐसी धारणा है कि विवाह का एक मात्र उद्देश्य बच्चे उत्पन्न करना है जिससे वंश परम्परा का निर्वाह होता है। अतः वंश परम्परा के बनाये रखने के लिये विवाह अनिवार्य है।

दूसरी ओर 65 सौर जनजाति के लोग विवाह को धार्मिक दृष्टि से जोड़ते हैं उनकी ऐसी धारणा है कि विवाह एक धार्मिक संस्कार है। भारतीय समाज में विवाह संस्कार को एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। यह प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक भी हैं। वेदों में उल्लेखित 16 संस्कारों में से विवाह संस्कार भी एक महत्वपूर्ण संस्कार है। इसके द्वारा समाज की प्राथमिक इकाई परिवार का निर्माण होता है। विवाह समाज की निरंतरता बनाये रखने के साथ ही व्यक्ति के यौन सम्बन्धी व्यवहार को नियन्त्रित कर मानसिक सन्तुष्टि प्रदान करता है। जिससे समाज में संतुलन बना रहता है।

शोधार्थी ने अध्ययन में पाया कि 55 सौर जनजाति के युवक पत्नी को एक जीवनसाथी रूप में चाहते हैं। पति–पत्नी मिलकर सभी सामाजिक क्षेत्रों में आते–जाते हैं। पत्नी भी अपने पति से हर प्रकार सहयोग एवं मित्रता का व्यवहार चाहती है। यह लोग विवाह को एक सामाजिक समझौता मानते हैं तथा उनका ऐसा सोचना है कि विवाह का आधार पारस्परिक प्रेम है, बन्धन नहीं।

सर्वेक्षण में साक्षात्कार द्वारा प्राप्त 45 सौर जनजाति के लोगों ने विवाह को यौन इच्छाओं की पूर्ति माना है। तथा उनका ऐसा कहना है कि यौन इच्छाओं की संतुष्टि ने ही विवाह नामक संस्था को जन्म दिया है। विवाह नामक सामाजिक संस्था का यौन सम्बन्धों से घनिष्ट सम्बन्ध है।

सारणी से स्पष्ट होता है कि सबसे कम 39 सौर उत्तरदाताओं का ऐसा अभिमत है कि विवाह एक सामाजिक अनिवार्यता है। समाज में यौन सम्बन्धों की स्वच्छन्दता पर नियंत्रण करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर समाज द्वारा

जाति/वर्ग के आधार पर विवाह जैसी संस्था का विकास हुआ है। जिससे समाज में एक व्यवस्था कायम रहती है। विवाह के द्वारा व्यक्ति को सामाजिक प्रस्थिति प्राप्त होती है। तथा वह एक सामाजिक प्राणी बन जाता है।

सौर जनजाति में एक विवाह के पक्षधर तथा बहु विवाह के पक्षधर का अभिमत :–

तालिका कमांक– 04

जनजाति	ग्राम का नाम तथा चयनित उत्तरदाताओं की संख्या	एक विवाह के पक्षधर	बहु विवाह के पक्षधर	एक विवाह का प्रतिशत	बहु विवाह का प्रतिशत
सौर	कुलुआ – 60	53	07	88.33%	11.66%
	नयाखेरा – 60	54	06	90%	10%
	उरदौरा – 60	51	09	85%	15%
	अस्तारी – 60	56	04	93.33%	6.66%
	जमुनियाँ – 60	49	11	81.66%	18.33%
	300	263	37	87.66%	12.33%

जनजातियों में प्रचलित विवाह के दो रूप हैं जिन्हें एक विवाह (मोनोगैमी) और बहुविवाह (पॉलीगैमी) कहा जाता है। सामान्यतः जनजातियों में एक विवाह वे ही लोग करते है। जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है जो धीरे–धीरे आधुनिक विचारों को स्वीकारते जा रहे हैं।

नगरीय सभ्यता से जुड़ने के फलस्परूप जनजातियों में विवाह संस्था भी प्रभावित हुई है। कुछ जनजातियों में परम्परागत रूप से बहु विवाह प्रथा थी। अब ईसाई एवं हिन्दू समाज के सम्पर्क के परिणामस्वरूप इन जनजातियों में भी एक विवाह प्रथा का प्रचलन हो रहा है।

अध्ययन क्षेत्र में एक विवाह तथा बहु विवाह की स्थिति

x अंक्ष = विवाह की स्थिति , y अंक्ष = संख्या

पैमाना 1 खाना = 30 सौंर

संकेत-

शोधार्थी द्वारा लिये गये 300 उत्तरदाताओं के अभिमत से स्पष्ट होता है कि 'सौर' जनजाति एक विवाह के पक्षधर है। एक विवाह के पक्षधरों का प्रतिशत 87.66% है जबकि बहुविवाह के पक्षधर मात्र 12.33% है । अतः स्पष्ट होता है कि 'सौर' जनजाति एक विवाह पर विश्वास करते हैं। सामाजिक दृष्टि से भी बहु विवाह प्रथा को अच्छा नहीं माना जाता। अब बहु पत्नी विवाह पर कानूनी प्रतिबन्ध लग गया है। इनका मिला–जुला असर सौर जनजाति के ऊपर देखा गया है।

खानपान :

प्रायः जनजातियों में खान–पान उनके निवास करने के स्थान अर्थात् भौगोलिक तथा उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। शोधार्थी ने अपने अध्ययन क्षेत्र में कुल चयनित 300 सौर जनजाति के अध्ययन के दौरान ऐसी जानकारी प्राप्त की कि यह अब मुख्य रूप से शाकाहारी भोजन ही करने लगे हैं। कभी उत्सवों, कार्यक्रमों में मांस–मछली के साथ शराब का सेवन भी करते हैं। शोधार्थी ने जब इनसे यह जानना चाहा कि आप लोग शाकाहारी अथवा मांसाहारी भोजन में से ज्यादा किसे पसन्द करेंगे तो चयनित अध्ययन क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम के सौर जनजाति ने लगभग एक ही बात कही कि हम लोग दोनों प्रकार (शाकाहारी/मांसाहारी) का भोजन करते हैं।

सर्वेक्षण से प्राप्त कुल 300 उत्तरदाताओं का शाकाहारी अथवा मांसाहारी भोजन के पक्ष में अभिमत :–

तालिका कमांक– 05

जनजाति	ग्राम का नाम तथा चयनित उत्तरदाताओं की संख्या	शाकाहारी के पक्षधर	मांसाहारी के पक्षधर	शाकाहारी (प्रतिशत में)	मांसाहारी (प्रतिशत में)
सौर	नयाखेरा – 60	37	23	61.66%	38.33%
	कुलुआ – 60	32	28	53.33%	46.66%
	उरदौरा – 60	34	26	56.66%	43.33%
	अस्तारी– 60	31	29	51.66%	48.33%
	जमुनियाँ – 60	39	21	65.00%	35.00%
	योग– 300	173	127	57.66%	42.33%

अध्ययन क्षेत्र में सौंर जनजाति की खान-पान की स्थिति
x- अंक्ष= खान-पान की स्थिति
y अंक्ष= सौंर जनजाति संख्या
पैमाना 1 खाना= 10 सौंर
संकेत -
-शाकाहरी
-माँसाहरी
Y
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
X
शाकाहरी
173
माँसाहरी
127

आज सौर जनजाति व्यसनों की चपेट में है। तम्बाकू, शराब, पान–मसाला, गुटखा का प्रचलन इस समाज में व्यापक रूप ले चुका है। नशे समस्त बुराइयों की जड़ है। नशेबाजी की दुष्प्रवृत्ति से व्यक्ति और समाज को असीम हानि उठानी पड़ती है। स्वास्थ्य बिगड़ता है, बुद्धि बल घटता है, क्रियाशक्ति क्षीण होती है, दरिद्रता बढ़ती है, निंदा होती है, परिवार में विक्षोभ पनपता है और बच्चे कुसंस्कारी परम्परायें अपनाते हैं ऐसी अनेक हानियों से भरपूर नशेबाजी को मिटाया ही जाना चाहिये।

शोधार्थी द्वारा अपने अध्ययन क्षेत्र में किये गये सौर जनजाति के मांसाहारी एवं शाकाहारी सर्वेक्षण में 42.33 प्रतिशत मांसाहारी एवं 57.66 प्रतिशत शाकाहारी पाये गये है। इस दिशा में सौर जनजाति में शाकाहारी के प्रति प्रबल रूझान देखा गया है।

सौंर जनजाति के प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ, चना, मटर, सरसों, उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली आदि है। नातेदारों के स्वागत में शराब व मांसाहारी भोजन बनता है। अंडे के यह शौकीन होते हैं तथा कुछ लोग मुर्गीपालन भी करते हैं। सौर जनजाति के लोगों में खासबात यह है कि यह दूध के सेवन को विशेष महत्व नहीं देते, वयस्क व्यक्ति बीमारी इत्यादि की अवस्था को छोड़कर दूध कभी भी नहीं लेते। दूसरी खास बात इस जनजाति में यह पाई जाती है कि यह सौर नाम की मछली का सेवन नहीं करते हैं।

वस्त्राभूषण :

सौर जनजाति के लोग प्रायः सूती वस्त्र पहनते है। पुरूष साधारणतः लंगोटी व कुर्ता पहनते है तथा कुर्ता–पायजामा भी पहनते हैं। छोटे बच्चे पेंट–शर्ट तथा छोटी बच्चियां फॉक तथा सलवार–कुर्ता पहनती है। विवाहित महिलाएं धोती पहनती है। स्त्रियों को गिलट और पीतल के आभूषण पहिनने का शौक है तथा मूंगा और नकली मोतियों के बने आभूषण गले में पहनती है। एल्यूमीनियम की बालियां भी

चबूतरे पर खेलते हुए सौर जनजाति के बच्चे

सौर जनजाति में पहनावा

स्कूल में सौर जनजाति के बच्चे

सौर भगत के साथ सौर जनजाति के लोग

पहनती हैं। पुरूषों में पगड़ी बांधने का शौक है। ग्रामों में स्कूलों के खुल जाने से अब बच्चों के पहनावे में सुधार आया है।

धर्म के प्रति आस्था :

नगरीय एवं सभ्य समाज के सम्पर्क के परिणामस्वरूप जनजातीय व्यक्तियों के धार्मिक–विश्वासों में भी उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। ये लोग अपने पारम्परिक धर्म को छोड़कर हिन्दू एवं ईसाई धर्मों को स्वीकार कर रहे हैं। परम्परागत जनजातीय धर्म की मुख्य विशेषतायें जीवसत्तावाद, प्रकृतिवाद तथा आत्मवाद थीं। अब वे हिन्दू धर्म तथा ईसाई धर्म के कर्मकाण्डों को अपना रहे हैं। ईसाई धर्म की ओर उन्मुख होने वाले आदिवासी अब चर्च के धार्मिक विधि–विधानों के मानने लगे हैं तथा हिन्दू धर्म की उन्मुख हुए आदिवासी हिन्दू देवी–देवताओं तथा धर्म–ग्रन्थों में आस्था रखने लगे हैं।

सौर जनजाति के लोग धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा व आस्था रखते हैं उनका ऐसा दृष्टिकोण है कि भगवान ही हमारे सुख–दुख का दाता है। उनकी ऐसी धारणा है कि पूजा–पाठ, भगवान में विश्वास ही धर्म है तथा जादू–टोना, झाड़–फूंक में भी इनको विश्वास है। यह जनजाति केवल एक देवी–देवता के प्रति श्रद्धा नहीं रखती बल्कि इनके प्रतिनिधि देवी–देवता भगवान शंकर, राम, हनुमान, दुर्गा माँ, काली माँ आदि को मानते हैं तथा पुरूष व स्त्रियां स्नान के पश्चात् भगवान शंकर को जल चढ़ाते है और मन्दिर पर दर्शन करने जाते है। हिंदुओं के प्रमुख त्यौहारों दीपावली, दशहरा, होली को यह लोग हिंदुओं की भाँति रीति–रिवाज से मनाते हैं। दशहरा के त्यौहार पर आपस में एक–दूसरे मिलकर खुशियां बांटते हैं और नौ देवियों में व्रत धारण करते हैं साथ ही देवी गीत गाते हैं। ब्राह्मण के द्वारा यह लोग सत्यनारायण कथा तथा अखण्ड रामायण का पाठ भी कराते हैं। रक्षाबंधन पर बहिनें, भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं तथा इस त्यौहार पर घर में पूड़ी–सब्जी बनाई जाती है।

शिव लिंग को जल चढ़ाता सौर भगत

भाई को राखी बाँधती बहन

सौर जनजाति का ऐसा विश्वास है कि धर्म प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारी सहायता करता है तथा बुरी आत्मा और बीमारियों से हमें बचाता है साथ ही सामाजिक एकता पैदा करता है और नैतिकता का विकास करता है। कर्म या भाग्य प्रधान के बारे में इनमें मतभेद है कुछ कर्म को प्रधान मानते हैं तो कुछ भाग्य को। कर्म प्रधान को मानने वालों का विचार है कि यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, कर्म ही हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं तथा ईश्वर पर विश्वास रखकर ही हमें अपना कर्म करना चाहिये। वही दूसरी ओर भाग्य प्रधान के मानने वालों का तर्क है कि जो हमारे भाग्य में भगवान ने लिख दिया है उसे काटा नहीं जा सकता– भगवान ही हमारी बुद्धि को ऐसा कर देता है कि हम वही करने लगते हैं सब कुछ अच्छा–बुरा करने वाला वहीं भगवान है हमें कर्म करने की प्रेरणा भी भगवान ही देता है। इस प्रकार शोधार्थी ने अपने अध्ययन के दौरान कर्म प्रधान या भाग्यप्रधान के मानने वाले सौर जनजातियों को निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है।

तालिका कमांक– 06

जनजाति	ग्राम का नाम तथा चयनित उत्तरदाताओं की संख्या	भाग्यवादियों की संख्या	कर्मवादियों की संख्याा	भाग्यवादियों का प्रतिशत	कर्मवादियों का प्रतिशत
सौंर	नयाखेरा – 60	36	24	60%	40%
	कुलुआ – 60	32	28	53.33%	46.66%
	उरदौरा – 60	33	27	55%	45%
	अस्तारी – 60	36	24	60%	40%
	जमुनियाँ – 60	31	29	51.66%	48.33%
	योग– 300	168	132	56%	445

अध्ययन क्षेत्र के सौंर जनजाति में कर्मप्रधान तथा भाग्यप्रधान की स्थिति -

शोधार्थी ने कुल चयनित 300 सौर जनजातियों के अध्ययन में पाया कि 56 प्रतिशत सौर लोग भाग्य पर विश्वास रखते हैं तथा 44 प्रतिशत सौर जनजाति कर्म पर विश्वास करती है।

किसी भी समाज की प्रगति में स्वस्थ रीति–रिवाजों एवं सत्परम्पराओं का विशेष योगदान होता है। परम्परागत प्रचलन भी कितने ही व्यक्ति एवं समाज की प्रगति में सहायक होते है। ऐसे विवेकपूर्ण उपयोगी रीति–रिवाजों सत्परम्पराओं का अनुकरण उपयोगी है। किन्तु साथ ही उन परम्पराओं, रीति–रिवाजों, अंधविश्वासों की भी कमी नहीं होती जो प्रचलन के रूप में लम्बे समय से चले आ रहे हैं। जब कि विवेक की कसौटी पर कसने पर न तो वर्तमान में उनकी कोई उपयोगिता समझ में आती है और न ही औचित्य, किन्तु फिर भी वे समाज में जड़ जमाये हुए हैं। और प्रगति में भारी अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं।

ऐसी कुरीतियों अन्धविश्वासों को विशेष रूप से जनजातियों में देखा जा सकता है। अन्धविश्वासों, कुरीतियों, कुपरम्पराओं, व्यसनों का बोलबाला इस समाज में सर्वाधिक है। इस कारण इस समाज की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। कुरीतियां इस समाज को जर्जर बना रही हैं। अन्धविश्वासों, कुपरम्पराओं से भी समाज को भारी क्षति होती रहती है। धर्म के नाम पर कितने ही प्रकार के अन्धविश्वास समाज में फेले हुए हैं। भाग्यवाद, टोना–टोटका, भूतपलीत, बलि प्रथा जैसे अन्धविश्वासों में जनजाति की अधिकांश जनता आज भी जकड़ी हुई है। भाग्य के रूप में अनायास प्राप्त हो जाने वाली उपलब्धियों का सम्बन्ध भी पिछले जन्मों के कर्मों से होता है। टोना–टोटका, भूतपलीत जैसे अन्धविश्वासों से कितने ही व्यक्तियों को अपने प्राण गंवाते तक देखा गया है। कितनी ही बीमारियों का सम्बन्ध भूत–प्रेतों के प्रकोप अथवा जादू–टोना से जोड़ा जाता है। झाड़–फूंक करने वाले ओझाओं, तांत्रिकों का एक वर्ग ऐसा है जिनकी आजीविका ही अंधविश्वासों के कारण चल रही है। धर्म देवी–देवता के स्वरूप उनके वरदान एवं अभिशाप के विषय में भी कितने प्रकार की भ्रांतियाँ फेली हुई है। पशुबलि इस विकृत मान्यता का ही एक अमानवीय स्वरूप है।

ऐसी कुरीतियां, अन्धविश्वास किसी भी समाज की प्रगति में भारी अवरोध उत्पन्न करते हैं।

किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व यह धार्मिक अनुष्ठान या पूजा–पाठ पुरोहित द्वारा जो कि ब्राह्मण होता है से करवाते हैं सर्वेक्षण के द्वारा सौर जनजातीय लोगों ने ऐसी जानकारी दी कि फसल की बुआई करने से पूर्व यह लोग खेत पर ही स्थापित घटोइया बाबा को धूप बत्ती लगाकर पूजापाठ करते है। भरपूर फसल के लिए घटोइया बाबा का स्मरण करते हैं प्रसाद चढ़ाते हैं। कुछ लोग कथा कराते हैं या अखण्ड रामायण का पाठ कराते है। खेत पर स्थापित घटोइया बाबा की पूजा पाठ के पश्चात् बैलों की पूजा की जाती है और हल को पूजा जाता है। तत्पश्चात् खेत की जुताई की जाती है और फसल की कटाई के समय हंसिया की पूजा करते हैं तथा खेत पर दही–भात का भोग चढ़ाया जाता है फिर फसल कटाई शुरू करते हैं।

किसी देवी के स्थान पर या घटोइया बाबा से मनोकामनाओं की पूर्ति होने पर अमुक भेंट चढ़ाने की मनौतियां उच्चारित की जाती है जब अनुष्ठान किया जाता है तो नारियल, अण्डे, बकरे तो चढ़ाये ही जाते हैं।

टोटमवाद :

वास्तव में टोटम (Totemism) जंनजातियों के सामाजिक संगठन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण आधार है। इसके आधार पर गोत्र–जीवन संगठित तथा विवाह आदि नियन्त्रित होते है। इस कारण टोटम और टोटमवाद के स्वरूपों को समझना बहुत आवश्यक है।

जनजातीय समूह अपने गोत्र का सम्बन्ध केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि किसी भौतिक वस्तु, पशु, पेड़–पौधे तथा अन्य प्राकृतिक चीजों से भी अपना सम्बन्ध होने का दावा करते हैं और केवल सम्बन्ध ही नहीं, अपितु उस

सम्बन्ध के आधार पर अनेक अन्धविश्वासों, श्रद्धा, भक्ति और आदर के भाव को जन्म देते है। इस प्रकार "किसी भौतिक वस्तु या पश–पक्षी या प्रकृति की अन्य कोई चीज, जिसके साथ एक गोत्र अपना गूढ़ सम्बन्ध मानता है, टोटम कहलाता है और इस टोटम से सम्बन्धित समस्त धारणाओं, विश्वास और संगठन को टोटमवाद कहते हैं।" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि टोटमवाद धार्मिक तत्वों और सामाजिक संगठन का एक अनोखा संयोग है।

गोल्डन वीजर (Golden Weiser) ने टोटम के अर्थ को और भी विस्तारपूर्वक समझाते हुए लिखा है, "गोत्रों में विभाजित अनेक आदिम जनजातियों में गोत्र– नाम एक पशु, पौधा अथवा प्राकृतिक पदार्थ से किया गया है और गोत्र के सदस्य इन पशुओं अथवा वस्तुओं के प्रति विशिष्ट मनोभाव रखते हैं। इसी को मानवशास्त्री टोटम कहते है।

इस प्रकार, किसी भौतिक वस्तु, पशु, पक्षी, पेड़, पौधा या प्रकृति की अन्य कोई चीज जिसके साथ एक गोत्र के सदस्य अपना एक अलौकिक या गूढ़ सम्बन्ध मानते हैं और जिसके प्रति वे विशेष श्रद्धा, भक्ति और आदर का भाव रखते है, टोटम कहलाता है। और इस टोटम से सम्बन्धित समस्त धारणाओं, विश्वासों और संगठन को टोटमवाद कहते ळें

शोधार्थी ने "सौर" जनजाति से अध्ययन क्षेत्र के चयनित ग्रामों में टोटम के विषय में जानकारी में पाया कि सौर जनजाति में निम्नलिखित टोटम पाये जाते हैं– जचेरया, बगुलया, सौलक्या, सनौरया, कच्चा कुड़ारिया, पक्का कुड़ारिया, चनुदया, घुड़ारिया, सिलगिलया....... आदि।

'सौर' जनजाति आबरी (आँवला), बरगद, पीपल, तुलसी तथा सलैया (जड़ी–बूटी होती है जिसे हनुमान जी लक्ष्मन शक्ति के समय लाये थे ऐसा 'सौर' जनजाति से ज्ञात हुआ है) इन पेड़–पौधों को पवित्र मानते है, तथा इनकी पूजा

करते हैं। इसी प्रकार से सर्वेक्षण में पाया कि पशु–पक्षियों में गाय, नीलकण्ठ तथा मोर को पवित्र मानते है और इनकी पूजा करते है। गाय को भोजन कराना शुभ माना जाता है।

टोटम के प्रति सौर जनजाति में निम्नलिखित धारणाएं पाई जाती है :–

1. टोटम के साथ जो गूढ़ और अलौकिक सम्बन्ध माना जाता है, उसी के आधार पर यह विश्वास किया जाता है कि उस गोत्र–विशेष के सभी सदस्य उसी से सम्बन्धित है और परस्पर भाई–भाई या भाई–बहिन का रिश्ता माना जाता है। इस कारण वे कभी भी आपस में विवाह नहीं करते और अपने टोटम–समूह से बाहर विवाह करता है।

2. सौर जनजाति में टोटम के प्रति भय, श्रद्धा, भक्ति और आदर की भावना पाई जाती है। टोटम को मारना, या किसी प्रकार से हानि पहुंचाना निषिद्ध होता है और उसकी मृत्यु पर शोक प्रकट किया जाता है। टोटम–सम्बन्धी निषेधों का उल्लंघन करने वालों की समाज द्वारा निन्दा की जाती है।

3. यदि किसी गोत्र का टोटम कोई पशु या पक्षी है, तो उसे मारना अथवा माँस खाना वर्जित माना जाता है।

अन्य जातियों के साथ सामाजिक सम्बन्ध :

समाज में प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक सम्बन्धों से बंधा हुआ है। किसी का किसी से खान–पान तक का सम्बन्ध है तो किसी से मैत्री सम्बन्ध है, और किसी से आपसी घरोबार जैसे सम्बन्ध पाये जाते हैं। इस प्रकार समाज में परस्पर व्यक्तियों के बीच सम्बन्ध भी कई प्रकार के होते हैं। समाज में विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों, वर्गों और जातियों के लोग परस्पर सम्बन्धों की एक कड़ी से जुड़े होते हैं। समाज से

पृथक होकर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रहता। इन्हीं सामाजिक सम्बन्धों के द्वारा व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं इच्छाओं की पूर्ति कर पाता है। शोधार्थी ने अध्ययन क्षेत्र के चयनित ग्रामों में सौर जनजाति के अन्य जातियों से सामाजिक सम्बन्धों के अध्ययन में पाया कि सवर्ण जातियों के साथ इनके मैत्री सम्बन्ध है तथा विवाह जैसे कार्यक्रमों में. यह सवर्ण जातियों को भोजन पर आमंत्रित करते हैं तथा सवर्ण जातियां भी विवाह जैसे कार्यक्रमों में इन्हें आमंत्रित करती है। इस प्रकार सवर्णों से इनका खान–पान का सम्बन्ध भी पाया जाता है। अन्य जातियों के साथ इनका खान–पान के साथ–साथ आपसी घरोबार तथा भाई–चारा के सम्बन्ध पाये जाते हैं।

पुरोहित/भगत :

शोधार्थी ने अध्ययन के दौरान जानकारी में पाया कि इस जनजाति में पुरोहित न होकर भगत होता है जो झाड़–फूंक करता है जिसे ओझा भी कहते हैं तथा दैवीय प्रकोपों से समाज की रक्षा करता है तथा धार्मिक कृत्यों जैसे– गाना–बजाना, भजन–कीर्तन, देवी पूजन आदि धार्मिक कार्यों को सम्पन्न कराता है।

सामाजिक अपराध :

शोधार्थी ने जब अध्ययन क्षेत्र में सौर जनजातियों से सामाजिक अपराध और दण्ड की व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की तो निम्न तथ्य प्राप्त हुए। सौर जनजाति में सबसे बड़ा सामाजिक अपराध यह है कि जब सौर जनजाति का लड़का या लड़की किसी अन्य जाति या जनजाति में विवाह करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में पंचायत उसे (लड़का अथवा लड़की को) जाति से बहिष्कृत और गाँव से निकालने की सजा सुनाती है तथा माता–पिता को भी पंचायत दण्डित कर सकती है जिसके अन्तर्गत हुक्का पानी बंद कर सकती है और अर्थ दण्ड भी दे सकती है।

इस जनजाति में दूसरा सबसे बडा सामाजिक अपराध यह है कि यदि सौर जनजाति की महिला या पुरूष के अन्य जनजाति अथवा किसी जाति या अपनी ही जनजाति में किसी से अवैध शारीरिक सम्बन्ध हो जाते है तो ऐसी स्थिति में पंचायत के द्वारा उन दोषी लोगों को गाँव से निकालने और समाज से पृथक करने की सजा भुगतनी पड़ती है तथा उन्हें बेइज्जत किया जाता है।

सौर जनजाति में जाति निकाला दो प्रकार का होता है– पहले प्रकार में यह "अस्थाई" अर्थात् कुछ समय के लिए होता है एवं दूसरे प्रकार में यह स्थाई अर्थात सदैव के लिए। जाति से निकाले हुए व्यक्ति साधारणतः समाज द्वारा निर्धारित अर्थदण्ड चुकाकर पुनः समाज के अंग बन जाते हैं। प्रत्येक जनजाति में अपने अलग–अलग सामाजिक नियम होते है। एक ही अपराध के लिए जनजातियों में अलग–अलग दण्ड की व्यवस्था हो सकती है।

पंचायत :

जनजातीय समाज में परम्परागत संस्थाओं का बड़ा महत्व है। इन संस्थाओं के रहते जनजातीय समाज एक सुसंगठित समाज के रूप में जीवित रहता है। यद्यपि बदलते हुए परिवेश में इन संस्थाओं का महत्व कम होता जा रहा है तथा रूप भी बदलता जा रहा है फिर भी ये संस्थाएं किसी न किसी रूप में जीवित है।

शोधार्थी ने अध्ययन के द्वारा जानकारी में पाया कि प्रत्येक गाँव में 'सौर' जनजाति में पंचायत या चौपाल के लिए एक चबूतरा होता है सभी 'सौर' पुरूष उसके सदस्य होते हैं। उनमें में कोई भी पाँच वृद्ध और समझदार व्यक्ति मामलों को सुनते हैं और किये गये अपराध की श्रेणी के अनुसार सजा अर्थात् दण्ड का निर्धारण करते हैं।

'सौंर' जनजाति में 'घोटुल' जैसी कोई संस्था नहीं होती है, शोधार्थी ने जब इनसे लड़के–लड़कियों के लिए युवा संगठन के विषय में जानकारी हासिल की तो निम्न तथ्य प्राप्त हुए :–

1. जनजाति में कोई युवा संगठन नहीं पाया जाता है।
2. न ही लड़के–लड़कियों के प्रशिक्षण के कोई अन्य संस्था है।
3. घोटुल जैसी संस्था का हमारी जनजाति विरोध करती है।

बीमारी की अवस्था में 'सौंर' जनजाति की अवस्था में 'सौर' जनजाति के लोग अपनी जनजाति के भगत से झाड़–फूंक, तंत्रमंत्र द्वारा इलाज कराते हैं और यदि उससे आराम नहीं मिलता है तब नजदीक के अस्पताल में इलाज कराते हैं। इस प्रकार देखा गया है कि इस जनजाति में अभी भी झाड़–फूंक, तंत्र–मंत्र पर विश्वास किया जाता है तथा भगत को देशी जड़ी–बूटियों की अच्छी जानकारी होती है जिससे वह देशी जड़ी–बूटियों के प्रयोग से इलाज करते हैं।

नामकरण संस्कार :

सौर जनजाति में नामकरण संस्कार का बहुत महत्व है। शोधार्थी ने सर्वेक्षण के दौरान जानकारी में पाया कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका समय, दिन, तारीख, नोट कर पण्डित के द्वारा 24 घण्टे के अन्दर नामकरण कर दिया जाता है तथा इसी राशि के नाम को स्कूल में लिखवाया जाता है। अर्थात् लिखा–पढ़ी में यह राशि का नाम ही चलता है। किन्तु प्यार में कोई दूसरा उपनाम भी रख लेते हैं। जिसे यह लोग चलताऊ नाम कहते हैं।

पितृ–पूजा :

सौर जनजाति धर्म का एक आधार पितृ–पूजा भी मानती है। पितरों के "जीव" को सन्तुष्ट रखना तथा उन्हें आदरपूर्वक वापस बुलाकर घर में स्थान देना 'सौर' जनजाति आवश्यक मानती है। त्यौहारों, उत्सवों और संस्कारों के अवसर पर

अन्य देवी देवताओं के साथ पितरों की आत्माओं को भी धूप–बत्ती, पर्साद चढ़ाकर खुश रखने का प्रयत्न किया जाता है। सौर जनजाति की ऐसी धारणा है कि ऐसा न करने पर पितरों की आत्मा भी देवी–देवताओं की भाँति नाराज हो सकती है और उस अवस्था में परिवार तथा परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंच सकता है।

सौर जनजाति में लड़की पैदा होने पर 3 दिन बाद और यदि लड़का पैदा होता है तो 5 दिन बाद प्रसव महिला को नहलाया जाता है। बच्ची पैदा होने पर पण्डित के द्वारा बताये अनुसार 10–15 दिनों के अन्दर ही कुंआ पूजा जाता है। और यदि लड़का पैदा होता है तो पूनों या चउदस को ही कुंआ पूजा जाता है महिलायें गाना–बजाना करती है तथा पूनों या चउदस को ही खुशी के उपलक्ष में भोज का आयोजन किया जाता है जिसमें रिश्तेदारों को आमंत्रित करते हैं। भोजन में शाकाहारी एवं मांस/मछली के साथ शराब का सेवन किया जाता है।

शोधार्थी ने जब इनसे यह जानकारी चाही कि क्या आप लड़की के जन्म पर भी इस प्रकार खुशी के उपलक्ष में भोज का आयोजन करते हैं? तो ऐसा बताया कि प्रथम सन्तान यदि लड़की होती है तो इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता। और यदि प्रथम सन्तान लड़का के पश्चात् लड़की पैदा होती है तो इस प्रकार का कार्यक्रम किया जाता है। इस प्रकार देखा गया है कि इस जनजाति में लड़का पैदा होने पर अधिक खुशी पायी जाती है।

अन्तेष्टि संस्कार :

हिन्दू धार्मिक संस्कारों के अन्तेष्टि संस्कार का प्रभाव सौर जनजाति में पाया जाता है। सौर जनजाति में शादी से पूर्व यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे जमीन में गाढ़ दिया जाता है अथवा जल में विसर्जित कर देते हैं। और यदि शादी के बाद मृत्यु होती है तब उस मृत व्यक्ति का दाह–संस्कार किया जाता है तथा पण्डित के द्वारा शुद्धता करवायी जाती है, परिवार के लोग मुण्डन (सिर के बाल कटवाते है) करवाते हैं। तथा पण्डित के बताये अनुसार मृत्यु भोज किया जाता है।

अध्याय- पंचम्

आर्थिक संरचना में परिवर्तन

आर्थिक संरचना में परिवर्तन

जनजातीय समाज, भारतीय समाज का एक हिस्सा है और जब तक इनके जीवन का विकास नहीं होगा तब तक राष्ट्र के सभी विकास अधूरे होंगे। जनजातियों की अर्थव्यवस्था उन्नत समाज की अर्थव्यवस्था से भिन्न होती है। जनजाति समाज अत्यंत सरल एवं प्रकृति के प्रति प्रेमी होता है और इनकी निजी आवश्यकताएं बहुत सीमित होती है। वन न केवल इनके वांछित प्रिय निवास क्षेत्र है बल्कि आजीविका के स्रोत भी रहे हैं। आरम्भिक काल में ये वन इन्हें समुचित शिकार प्रदान करते थे। वनों में प्राप्त कन्द, मूल, फल आदि इनके मुख्य भोजन रहे हैं। वनों से इनका इतना तालमेल था कि इनके द्वारा वन्य वस्तुओं के दोहन से परिस्थितिकी तंत्र को क्षति नहीं पहुंचती थी बल्कि उनका संरक्षण ही होता था। कई उपयोगी वृक्षों को देवता के रूप में स्वीकार कर उनकी रक्षा भी करते थे। परन्तु आज भी जनजातियों का वनों से सकारात्मक एवं भावनात्मक सम्बन्ध है। वनों का विस्तार घट रहा है और उनका वनों के दोहन का अधिकार कानूनन घट गया है।

अब इस स्थिति में आमूल परिवर्तन हो गया है। हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था में वन राज्य की सम्पदा है और राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोत है। फलतः राज्य ने वनों पर न केवल जनजातियों के असीमित अधिकार को समाप्त कर दिया बल्कि वन–संसाधनों का व्यापारिक स्तर पर दोहन प्रारम्भ किया। जनजातियों द्वारा वनों का परम्परागत उपयोग उस बहुमूल्य सम्पत्ति के अपव्यय के रूप में देखा जाने लगा। अब तो वनों के दोहन के लिए निगम की स्थापना की जा चुकी है। इस तरह सदियों से वनों को अपना मानने वाला जनजाति समाज उनसे अलग कर दिया गया। भाग्य चक्र कुछ इस तरह से बदल गया कि जिस वन सम्पदा के वे मालिक होते थे, उसी के दोहन के मजदूर बन गये हैं।

सिमटते हुए वनों और उन पर निरन्तर बढ़ते प्रतिबन्धों एवं दबावों के कारण जनजाति लोग कृषि और पशुपालन की ओर भी मुड़े। आरम्भिक कृषि स्थानान्तरी प्रकार की थी, परन्तु अब उसका स्परूप बदलकर स्थायी कृषि का हो गया हैं।

शोधार्थी ने अध्ययन क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान जब सौंर जनजाति के व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त की तो ऐसा ज्ञात हुआ कि इनका पैत्रिक व्यवसाय वनों (वन सम्पदा) पर आधारित था। ये लकड़ी काटकर बेंचना, शिकार करना, शहद एकत्र करना और बेंचना, इन व्यवसायों द्वारा अपना भरण–पोषण (जीवन यापन) करते थे किंतु वनों से जब इनका अधिकार समाप्त हो गया और धीरे–धीरे यह जनजाति अन्य जातियों तथा नगरों के सम्पर्क में आई साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इनके सामाजिक, आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इन्हें सरकार द्वारा आवासीय एवं कृषि हेतु भूमि के पट्‌टे दिये गये जिससे इनका झुकाव कृषि की ओर हुआ। आज यह स्थायी रूप से कृषि से जुड़े हुए है। अब इनका मुख्य व्यवसाय कृषि, खेतिहर श्रमिक तथा मजदूरी रह गया है।

शोधार्थी द्वारा अध्ययन क्षेत्र के सर्वेक्षण से प्राप्त सौंर जनजाति की कुल जनसंख्या का ग्रामवार व्यावसायिक जानकारी–

तालिका

क.सं./ ग्राम का नाम	कुल कार्यशील व्यक्ति जनसंख्या	पैत्रिक व्यवसाय	वर्तमान व्यवसाय			अन्य स्रोत	कृषक (प्रतिशत में)	खेतिहर श्रमिक तथा मजदूर (प्रतिशत में)	नौकरी (प्रतिशत में)	अन्य स्रोत (प्रतिशत में)
			कृषक	खेतिहर श्रमिक तथा मजदूर	नौकरी					
1. उरदौरा	209	1. लकड़ी काटकर बेचना	27	175	7		12.91	83.73	3.34	
2. अस्तारी	141	2. शिकार करना	34	103	4		24.11	73.04	2.83	
3. नयाखेरा	73	3. शहद एकत्र कर बेचना	23	47	3		31.50	64.38	4.10	
4. कुलुआ	209		09	181	6	13, डलिया बनाना तथा बीड़ी बनाना	04.30	86.60	2.87	6.22
5. जमुनियां	185		14	164	7		07.56	88.64	3 78	
	817		107	670	27	13	13.09	82.00	3.30	1.59

अध्ययन क्षेत्र के 'सौर' जनजाति की व्यावसायिक स्थिति
X अक्ष = व्यवसाय , Y अक्ष = संख्या
पैमाना 1 खाना = 40 सौर
संकेत -
कृषक
खेतिहर श्रमिक तथा मजदूर
नौकरी
अन्य स्रोत
Y
720
680
640
600
560
520
480
440
400
360
320
280
240
200
160
120
80
40
0
X
कृषक 107
खेतिहर श्रमिक तथा मजदूर 670
नौकरी 27
अन्य स्रोत 13

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सौर जनजाति का ग्रामवार कृषकों का प्रतिशत क्रमशः उरदौरा 12.91 प्रतिशत, अस्तारी 24.11 प्रतिशत, नयाखेरा 31.50 प्रतिशत, कुलुआ 4.30 प्रतिशत तथा जमुनियां में 7.56 प्रतिशत है।

खेतिहर श्रमिक तथा मजदूरों का ग्रामवार प्रतिशत क्रमशः उरदौरा 83.73 प्रतिशत, अस्तारी 73.04 प्रतिशत, नयाखेरा 64.38 प्रतिशत, कुलुआ 86.60 प्रतिशत तथा जमुनियां में 88.64 प्रतिशत है।

नौकरी का प्रतिशत ग्रामवार उरदौरा 3.34 प्रतिशत, अस्तारी 2.83 प्रतिशत, नयाखेरा 4.10 प्रतिशत, कुलुवा 2.87 प्रतिशत तथा जमुनियां में 3.78 प्रतिशत है। सिर्फ ग्राम कुलुआ में कुल 13 व्यक्ति अन्य स्रोतों से भी जैसे कि डलिया बनाना एवं बीड़ी बनाकर आय प्राप्त करते हैं। यह ग्राम कुलुआ के बाजार तथा टेहरका, निवाड़ी के बाजारों में डलिया बेचने जाते हैं तथा बीड़ी के बण्डल बनाकर रख लेते हैं और बीड़ी उद्योग में संलग्न व्यक्ति आकर इनसे तैयार बण्डलों को ले जाते हैं। इन सौर व्यक्तियों नें जानकारी में बताया कि 100 बण्डल तैयार करने पर 25 रूपये के हिसाब से भुगतान किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र के उक्त पांचों ग्रामों में कार्यशील व्यक्तियों के आधार पर कृषकों का प्रतिशत 13.09, खेतिहर श्रमिक तथा मजदूरों प्रतिशत 82 एवं नौकरी का प्रतिशत 3.30 पाया गया है। उक्त पांचों ग्रामों में से मात्र 1.59 प्रतिशत व्यक्ति ही अन्य स्रोतों से भी आय अर्जित करते हैं।

उक्त अध्ययन से शोधार्थी ने पाया कि सौंर जनजाति का जीवन–यापन काफी दुष्कर है, सौर जनजाति में सभी सक्षम पुरूष और स्त्रियाँ काम करती हैं तथा छोटे–छोटे बच्चे 10–12 साल के भी खेती में सहयोग करते हुए देखे गये हैं। कृषि कार्य में पुरूषों के साथ महिलाएं कार्य करती हैं। कृषि के अतिरिक्त भी ये लोग खेतिहर श्रमिक तथा मजदूरी का काम करके अपनी रोजी–रोटी का प्रबंध करते है फिर भी ये लोग अपने खर्चे के अनुपात में साधन नहीं जुटा पाते।

कृषि कार्य करती हुई सौर जनजाति महिलायें

सौंर जनजाति के आर्थिक जीवन की विवेचना करते समय इस तथ्य को नहीं भुलाया जा सकता कि आर्थिक दृष्टि से यह जनजाति अत्यधिक पिछड़ी हुई है। मुख्य रूप से यह लोग खेती पर अवलम्बित है, खेती सीमित होने के कारण इनकी जीविका पूरी तरह से नहीं चल पाती। रोजी–रोटी की तलाश में ये नगरों की ओर पलायन कर जाते हैं। सौंर जनजाति से जब शोधार्थी द्वारा यह जानने का प्रयत्न किया गया कि वह नगरों में क्या काम करते हैं? तो ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि यह लोग फसल कटाई के समय भिण्ड, मुरैना तथा ग्वालियर चले जाते हैं। झाँसी–ग्वालियर नगरों में इन्हें भवन–निर्माण कार्यों में कार्य मिल जाता है जिससे इनकी रोजी–रोटी चलती है। अपने ही ग्राम या आस–पास के किसी ग्राम में भी यह खेतिहर श्रमिक के रूप में काम करते हैं। सौंर जनजाति में बंधुआ मजदूर प्रथा नहीं पाई जाती है।

अध्ययन से प्राप्त तथ्य यह स्पष्ट करते है कि सौंर जनजाति मुख्य रूप से मजदूरी एवं खेतिहर श्रमिक के रूप में अपना भरण–पोषण करते हैं। खेतिहर श्रमिकों से उन ग्रामीण मजदूरों का बोध होता है जो कृषि कार्यों में मजदूरी पर लगे हों। सरल शब्दों में 'कृषि सम्बन्धी कार्यों में कार्यरत मजदूरों को खेतिहर श्रमिक कहते हैं।' कृषि श्रम जांच समिति का कथन है कि "कृषि श्रमिक से आशय उस व्यक्ति से है जो न केवल फसलों के उत्पादन में काम पर रखा गया है, वरन् जो अन्य कृषि सम्बन्धी धंधों (जैसे डेरी व्यवसाय, मुर्गी–सुअर व भेड़ पालन, शहद की मक्खियों का पालन) में किराए के मजदूर के रूप में कार्य करता है।" इस परिभाषा के आधार पर उक्त समिति ने अनुमान लगाया था कि भारत में कुल ग्रामीण परिवार में से अधिकांश खेतिहर श्रमिक के परिवार है।

खेतिहर श्रमिकों को मुख्यतः तीन वर्गों में बाँट सकते हैं–

1. खेतों में काम करने वाले मजदूर जैसे– हलवाहे (नौकर), फसल काटने वाले मजदूर आदि। इन्हें पूर्णतः खेतिहर श्रमिक कहा जा सकता है।
2. कृषि से सम्बन्धित अन्य कार्य करने वाले जैसे– गाड़ीवान, कुंआ खोदने वाले। इन्हें अर्द्ध–कुशल मजदूर कहा जा सकता है।

3. वे मजदूर जो कृषि के अतिरिक्त अन्य सहायक उद्योगों में लगे हुए हैं जैसे– बढ़ई, राजमिस्त्री, लुहार आदि। इन्हें ग्रामीण कारीगर भी कहा जा सकता है। कई दशाओं में ये दो फसली मौसम में खेत में काम करते हैं। काम करने की दशाओं के अनुसार खेतिहर मजदूरों को निम्नलिखित दो और उपवर्गों में भी विभाजित कर सकते हैं :–

(अ) **आकस्मिक मजदूर**– आकस्मिक मजदूर वे मजदूर हैं जो यदाकदा विभिन्न मालिकों के साथ कार्य करते हैं अर्थात जब खेत पर या फसल के मौसम में श्रमिक की आवश्यकता होती है इन्हें काम पर लगाया जाता है। काम होने के पश्चात् इन्हें मुक्त कर दिया जाता है।

(ब) **आसंजित मजदूर**– आसंजित मजदूर वे हैं जो किसी खास किसान के साथ स्थाई रूप से कोई कार्य करते हैं। ये निश्चित अवधि के लिए अनुबंधित पारिश्रमिक पर कार्यरत रहते हैं जैसे– संबंधित फसल, एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए काम पर रखा जाता है। इन्हें पारिश्रमिक एक मुश्त या किश्तों में दिया जाता है। साथ ही कुछ श्रमिकों को कपड़ा, भोजन आदि की सुविधा भी किसान द्वारा दी जाती है।

साख संस्थायें (Credit Institutions)

आधुनिक युग में वित्त का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वित्त या साख कृषि विकास का एक आवश्यक तत्व है। प्रदेश में कृषि साख का पहले कोई संस्थागत रूप नहीं था। यहाँ अधिकांश किसान निर्धन हैं। उनकी इतनी आय भी नहीं होती कि वे अपना खर्च चला सकें। अतः कृषि तथा अन्य आवश्यक खर्चों के लिए किसानों को बाध्य होकर महाजनों, बड़े किसान, रिश्तेदारों आदि से कर्ज लेना पड़ता है। एक बार महाजनों के चंगुल में फंस जाने पर उसके लिए छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। यह भी कहा जाता रहा है कि "भारतीय किसान ऋण में जन्म

लेता है, ऋण में ही पलता है तथा ऋण को विरासत के रूप में छोड़कर मर जाता है।

किसानों को साख की आवश्यकता :

ऋण प्रदाय को साख कहा जाता है। किसान प्रायः दो प्रकार के कार्यों या उद्देश्यों (अ) उत्पादक (ब) अनुत्पादक के लिए ऋण लेता है। उत्पादक कार्यों के अन्तर्गत कृषि सम्बन्धित सेवायें या श्राद्ध आदि कार्यों के लिए लिया जाता है। साख का विभाजन समयानुसार तीन प्रकार से किया जा सकता है–

1. अल्पावधि साख
2. मध्यावधि साख
3. दीर्घावधि साख

1. **अल्पावधि साख–** अल्पावधि साख 15 महीने से कम की अवधि के लिए होते है। किसान को कृषि कार्य में बीज, मजदूरी तथा उर्वरक आदि की व्यवस्था के लिए अल्पावधि साख की आवश्यकता पड़ती है। इस अल्पावधि साख को वह फसल तैयार हो जाने के बाद चुका देता है।

2. **मध्यावधि साख–** यह साख 15 महीने से 5 वर्ष की अवधि के लिए होती है। किसानों को मंहगे कृषि के औजार एवं पशु आदि खरीदने के लिए अथवा उत्पादन संबंधी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मध्यावधि साख की आवश्यकता होती है।

3. **दीर्घावधि साख–** यह साख 5 वर्ष या अधिक अवधि के लिए होती है। किसानों को कुंए, तालाब, बांध आदि बनवाने तथा भूमि में स्थाई सुधार जैसे जल निकासी, भूमि की घेराबन्दी एवं भूमि के विकास के लिए दीर्घावधि साख की आवश्यकता होती है।

कृषि वित्त के साधन :

साख की पूर्ति विकासखण्ड अन्तर्गत निम्न संस्थाओं द्वारा की जाती है :–

क्र. सं.	कृषि वित्त के साधन	वि.ख. स्तर एवं उसके अन्तर्गत	अध्ययन क्षेत्र के चयनित ग्राम				
			कुलुवा	नयाखेरा	उरदौरा	अस्तारी	जमुनियां
1.	सहकारी बैंक–4	निवाडी	निवाडी से	निवाडी से	–	–	–
		तरीचर कला	–	–	–	–	–
		टेहरका	–	–	टेहरका से	टेहरका से	–
		ओरछा	–	–	–	–	ओरछा से
2.	भूमि विकास बैंक–1	निवाड़ी	निवाड़ी से	निवाड़ी से	निवाड़ी से	निवाड़ी से	निवाड़ी से
3.	ग्रामीण बैंक–8	निवाडी–2	–	–	–	–	–
		टेहरका	–	–	टेहरका से	टेहरका से	–
		राजापुर	राजापुर से	राजापुर से	–	–	–
		ओरछा	–	–	–	–	ओरछा से
		तरीचर कलां	–	–	–	–	–
		पुछी करगवां	–	–	–	–	–
		सेंदरी	–	–	–	–	–
4.	भारतीय स्टेट बैंक	निवाड़ी	निवाड़ी से	निवाड़ी से	निवाड़ी से	निवाड़ी से	–
		ओरछा	–	–	–	–	ओरछा
	केनरा, बैंक	ओरछा	–	–	–	–	–

कृषि वित्त के साधन

साख की पूर्ति निम्न संस्थाओं द्वारा की जाती है :–

व्यापारिक बैंक :

बैंको के राष्ट्रीयकरण के बाद व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषि के लिए ऋण दिए जाने लगे हैं। यह ऋण अल्पकालीन और मध्यकालीन होते हैं 1954 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का ग्रामीण साख की आवश्यकता पूर्ति करने के उद्‌देश्य से राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो अब भारतीय स्टेट बैंक के नाम जानी जाती है।

इस बैंक ने कृषि वित्त के विस्तार के लिए 1972 से एक योजना बनाकर लागू की है जिसके अन्तर्गत गाँव–गाँव में शाखायें खोली गई हैं। इसके अन्तर्गत विकासखण्ड निवाड़ी में निवाड़ी–ओरछा में भारतीय स्टेट बैंक है एवं इनकी

शाखायें– पुछीकरगुवां–निवाड़ी तिगैला पर भी स्थापित की गई है। यह शाखायें अध्ययन क्षेत्र के ग्रामों में भी साख उपलब्ध कराती हैं।

सहकारी संस्थायें :

सहकारी ऋण समितियों द्वारा गांवों में ऋण की व्यवस्था की जाती है। ये संस्थायें अल्पावधि और मध्यावधि ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा गांव स्तर पर प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियां स्थापित की गई हैं। विकासखण्ड अन्तर्गत वर्तमान में चार सहकारी बैंक निवाड़ी, तरीचर कलां, टेहरका व ओरछा में स्थापित है जो विकासखण्ड के सभी ग्रामों को साख उपलब्ध कराते हैं।

भूमि विकास बैंक :

किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए विकासखण्ड स्तर पर इसकी एक शाखा स्थापित है जिसका कार्य क्षेत्र समस्त विकासखण्ड के ग्राम हैं। ये बैंक कृषक की भूमि गिरवी रखकर ऋण सुविधायें प्रदान करती हैं। यह ऋण लम्बी अवधि के लिए होते हैं जैसे कुयें खुदवाने, पम्पसेट लगवाने, ट्रेक्टर आदि खरीदने हेतु।

ग्रामीण बैंक :

इन बैंकों की स्थापना 1975 में की गई है। इन बैंकों का कार्य क्षेत्र सीमित होता है। यह बैंक छोटे किसानों, भूमिहीन किसानों, ग्रामीण कारीगरों, को ऋण देते हैं। इस प्रकार विकासखण्ड निवाड़ी में आठ ग्रामीण बैंकों की स्थापना है जो निवाड़ी, टेहरका, राजापुर, ओरछा, तरीचरकालं, पुछीकरगुंवा, सेंदरी, चंदावनी में स्थापित हैं। इन बैंकों में समस्त विकासखण्ड के ग्रामों को साख प्रदान हेतु आवंटित किया गया है जिसके अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र के ग्राम कुलुवा, नयाखेरा ग्रामीण बैंक

राजापुर से संलग्न हैं। ग्राम उरदौरा व अस्तारी ग्रामीण बैंक टेहरका से एवं ग्राम जमुनियां ग्रामीण बैंक ओरछा से संलग्न हैं।

सहकारी संस्थायें

विकासखण्ड अन्तर्गत तेरह सहकारी संस्थायें स्थापित हैं जो विकासखण्ड अन्तर्गत निम्न केन्द्रीय सहाकारी बैंक लिमिटेड के अधीन कार्य करती हैं :–

क.सं.	केन्द्रीय बैंक का नाम	केन्द्रीय बैंक अन्तर्गत सेवा सहकारी समिति
1.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, निवाड़ी	1. निवाड़ी
		2. कैना
		3. राजापुर
		4. बासवान
2.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, टेहरका	5. टेहरका
		6. उरदौरा
		7. नौरा
3.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, ओरछा	8. ओरछा
		9. सीतापुर
		10. चकरपुर
4.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, तरीचरकलां	11. तरीचरकलां
		12. सेंदरी
		13. बीजौर

अध्ययन क्षेत्र के ग्राम कुलुवा, नयाखेरा– सेवा सहकारी समिति राजापुर से संलग्न है। ग्राम उरदौरा व अस्तारी सेवा सहकारी समिति, टेहरका से एवं ग्राम जमुनियां– सेवा सहकारी समिति ओरछा से संलग्न हैं।

ग्रामीण ऋण का यह सबसे सस्ता और बढ़िया साधन है। इसमें किसान के शोषण का भय नहीं रहता। ब्याज की दर भी काफी कम होती है। ये संस्थायें अल्पावधि और मध्यावधि ऋण प्रदान करती है।

विपणन सहकारी समिति :

उपभोक्ता की सुविधा के लिए उचित मूल्य की दुकानों की कमी है। इनके विस्तार की आवश्यकता है। इन दुकानों से नागरिको को आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय की सुविधा होनी चाहिए जैसे शक्कर, तेल, गेंहू, चावल, सामान्य कपड़ा आदि। ये नागरिक की आम आवश्यकता की वस्तुयें है। उनको उच्च वर्ग के लोग तो बाजार से क्रय करने मे समर्थ होते हैं परन्तु सामान्य व निम्न वर्ग के नहीं। इसलिए इन वस्तुओं की निम्न वर्ग को उचित मूल्य पर वितरण की पर्याप्त व्यवस्था होना आवश्यक है जिसकी पूर्ति उचित मूल्य की दूकानों से होती है। इस सन्दर्भ में विकासखण्ड स्तर पर विपणन सहकारी समिति की स्थापना की गई है।

विपणन सुविधायें :

राष्ट्र की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि अर्थ व्यवस्था पर निर्भर करती है और अधिकाधिक कृषि उत्पादन पर जोर दिया जाता है। अधिक कृषि उत्पादन की सफलता बहुत हद तक कृषि उपज के समुचित विपणन पर तथा किसी प्रकार का शोषण न होने देने पर आवलम्बित है। अतएव यह आवश्यक है कि एक ऐसी मशीनरी की रचना की जाय कि जो कृषि उपज के विपणन का विनियमन दक्षतापूर्वक कर सके तथा वह यह सुनिश्चित कर सके कि खेतिहरों को अधिक अच्छी तथा लाभ वाली कीमतें प्राप्त हों, उसके साथ साफ स्वच्छ व्यवहार हो, उसे उचित मूल्य मिले उसके माल के तौलने में चालाकी न की जाय, उसे तमाम तरह के शोषण से बचाया जाय इस आशय से अधिसूचित कृषि उपज के मण्डी क्षेत्र में लाने और क्रय–विक्रय में ठीक–ठीक संव्यवहार होने के लिए कृषि उपज मण्डी समिति कानून का सृजन हुआ है।

कृषि उपज मण्डी समिति में किसानों का उचित प्रतिनिधित्व हो और वे उसकी कार्यवाही में प्रतिनिधि की हैसियत से भाग लेकर शोषण से मुक्त हो सके। किसानों को उनके उत्पादन को बाजार उपलब्ध कराया जा सके वे अपना माल बेच सके और उनके उत्पादन का उन्हें उचित मूल्य मिल सके– इस आशय से "म0प्र0 कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972" का गठन हुआ है।

विकासखण्ड निवाड़ी स्तर पर कृषि उपज मण्डी समिति स्थापित है जिसका सम्पूर्ण मण्डी क्षेत्र विकासखण्ड निवाड़ी है। कृषि उपज मण्डी समिति के गठन में निम्नानुसार सदस्य है :–

1. धारा–12 के अधीन निर्वाचित अध्यक्ष
2. कृषकों के दस प्रतिनिधि
3. व्यापारियों का एक प्रतिनिधि
4. (क) राज्य विधान सभा का सदस्य
   (ख) लोकसभा का सदस्य
5. स्हकारी विपणन सोसायटी का प्रतिनिधि
6. राज्य सरकार के कृषि विभाग का एक अधिकारी
7. तुलौयों एवं हम्मालों का एक प्रतिनिधि
8. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का एक प्रतिनिधि
9. जिला भूमि विकास बैंक का एक प्रतिनिधि
10. जनपद पंचायत का एक प्रतिनिधि

धारा–12 के अधीन निर्वाचित अध्यक्ष श्री हरप्रसाद सौर है जिसके अधीन कृषि उत्पादन मण्डी समिति संचालित है। इस प्रकार राजनीति में सौर जनजाति का प्रभाव सुनिश्चित हुआ है।

उद्योग

हर देश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक विकास व उन्नति के लिए वृहद तथा छोटे दोनों प्रकार के उद्योगों की आवश्यकता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योगों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है यदि हम भारत के अतीत में झाँक कर देखें तो मालूम होगा कि कुटीर उद्योग बहुत उन्नत थे। कुटीर उद्योगों के लिए कच्चा माल–ग्रामीण क्षेत्रों से ही कृषि तथा अन्य व्यवसाय से मिल जाता है। इसी प्रकार परम्परागत उद्योगों में हस्त शिल्प का उत्पादन घरों में किया जा सकता है।

विकासखण्ड निवाड़ी एवं उसके अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र में ग्रामों में कोई वृहद एवं मध्यम उद्योग स्थापित नहीं है वरन् कुछ लघु एवं घरेलू उद्योग स्थापित हैं जो निम्नानुसार हैं :–

कम संख्या	उद्योग के प्रकार	यूनिट संख्या	कार्यरत श्रमिक सौर जनजाति
1.	कृषि आधारित सोयाबीन फैक्ट्री	01	80
2.	गौरा–पत्थर फैक्ट्री (ईस्टर्न मिनरल)	01	30
	योग	**02**	**110**

अध्ययन क्षेत्र के ग्रामों के सौंर/जनजाति के लोग उक्त सोयाबीन फैक्ट्री व गौरा पत्थर फैक्ट्री में श्रमिक के रूप में कार्य करते है।

औद्योगीकरण की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर चलने वाले उद्योग कपड़ा मिले, लोहे के कारखाने, चीनी उद्योग, सीमेण्ट उद्योग आदि आते हैं।

वर्तमान में लघु उद्योगों के अन्तर्गत वे समस्त इकाइयां सम्मिलित की जाती है जिनकी अचल सम्पत्ति संयंत्र एवं मशीनरी में सीमित तथा सरकार द्वारा स्वीकृत से अधिक पूंजी न लगी हो। साथ ही जिनमें कारखाना अधिनियम लागू नहीं होता है।

कुटीर उद्योगों में वे लघु उद्योग इकाइयां आती हैं जिनमें अधिकांश काम करने वाले एक ही परिवार के सदस्य होते हैं।

लघु व कुटीर उद्योग में वे ग्रामोद्योग आते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हैं तथा जिनको अधिकांश कच्चा माल गांवों में उपलब्ध होता है। इनमें कृषि पर आधारित या उसके पूरक उद्योग मुख्यतः आते हैं।

कुटीर एवं लघु उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजी, कच्चा माल बाजार की व्यवस्था, शिक्षा और प्रशिक्षण सौंर/जनजाति को सुलभ हो सके तो बेरोजगारी कम हो सकती है। ग्रामवासी अपने खाली समय में कुटीर व लघु उद्योगों में काम कर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। कृषि पर जनसंख्या का भार कम हो सकता है।

निवास स्थान की स्थिति :

शोधार्थी ने अध्ययन क्षेत्र के ग्रामों में बसे सौर जनजाति के निवास स्थान की निम्न स्थिति प्राप्त की :-

ग्राम का नाम	निवास स्थानों की कुल संख्या	निवास स्थान का प्रकार		
		झोपड़ी	लकड़ी और मिट्टी से बने कच्चे मकान	पक्के मकान
उरदौरा	28	–	26	02
अस्तारी	39	–	38	01
नयाखेरा	20	–	20	–
कुलुआ	40	–	37	03
जमुनियां	21	–	20	01
योग	148		141	07

भारतीय संस्कृति विभिन्नताओं से भरी हुई है तथा ये विभिन्नतायें अन्य समाज के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। आवास के क्षेत्र में भी भारतीय समाज में एकरूपता नहीं है। जहाँ एक ओर कुछ व्यक्ति पक्के एवं सुविधाजनक घरों में निवास करते हैं वहीं दूसरी ओर कुछ व्यक्ति मिट्टी एवं लकड़ी के बने हुए कच्चे घरों में निवास करते हैं। निवास स्थान का प्रकार कैसा भी हो परन्तु इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि मनुष्य के निवास स्थान की स्थिति उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व द्वारा उसके विचार भी प्रभावित होते हैं।

आधुनिक समय में भारत में हर क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं। भारतीय समाज व्यक्तियों के निवास स्थान के प्रकार में परिवर्तन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्राचीनकाल में व्यक्ति प्रायः लकड़ी तथा मिट्टी से बने घरों में ही निवास करते थे परन्तु आधुनिक समय में जैसे-जैसे व्यक्तियों के जीवन स्तर में परिवर्तन आया है उसने अपने स्थान के प्रकार में परिवर्तन बहुत ही कम हुआ है जो यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि आज सौर जनजाति के जीवन में सबसे प्रमुख समस्या आर्थिक समस्या है अर्थात् पेटभर खाने को अनाज, तन ढकने के लिए कपड़े तथा रहने के लिए मकान की समस्यायें हैं।

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित ग्रामों में निवास स्थानों की कुल संख्या 148 में से 141 लकड़ी और मिट्टी से बने कच्चे मकान पाये गये हैं अर्थात् 95.27 प्रतिशत परिवार लकड़ी और मिट्टी से बने कच्चे घरों में रह रहे हैं। जो कि इनकी आवास की प्रमुख समस्या को दर्शाता है। वहीं दूसरी और मात्र 07 घर ही पक्के पाये गये। अतः प्राप्त जानकारी के आधार पर कहा जा सकता है कि अन्य उक्त पांचों ग्रामों में सौंर जनजाति के आवास की प्रमुख समस्या है।

प्रतिष्ठापित ग्राम देवता

आवास की स्थिति

जनजातीय उपयोजना :

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना बनाते समय जनजातीय क्षेत्रों के विकास की समीक्षा की गई और यह पाया गया कि जनजातीय विकास की योजनाओं के ऊंचे लक्ष्य और अल्प उपलब्धि के परिपेक्ष्य में इस समस्या पर पुनर्विचार आवश्यक है। सबसे प्रमुख काम जनजातीय क्षेत्रों में उपयोजना क्षेत्र का सीमांकन था। योजना आयोग और गृह विभान के निर्देशन में इस राज्य में भी उपयोजना क्षेत्र सीमांकित किये गये। सीमांकन का आधार जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत हिस्सा को माना गया। पहली उपयोजना में सभी अनुसूचित क्षेत्रों एवं 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले तहसीलों एवं विकासखण्डों को सम्मिलित किया गया। इस उपयोजना में स्थानीय समस्याओं और स्थानीय संसाधनों पर ही ध्यान केन्द्रित किया गया। विकसित क्षेत्रों की परीक्षित कार्यप्रणाली को हूबहू लागू किया गया, बल्कि स्थानीय समस्याओं और परिस्थितियों के अनुसार ही कार्यक्रम बनाये गये। फलतः सभी जनजातीय क्षेत्रों के लिये एक जैसा फार्मूला सम्भव नहीं था, क्योंकि हर क्षेत्र की समस्याएं एवं सम्भावनाएं अलग–अलग प्रकार की हैं ; तथापि यहाँ लागू किये जाने वाले प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य शोषण को रोकना, समस्याओं का हल करना, आदिवासी लोगों में चेतना जगाना और द्रुत विकास रखा गया। इस प्रकार इस उपयोजना के अन्तर्गत कृषि के विकास, पशुपालन, और स्थानीय व्यवसायों को सुदृढ़ बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। इस हेतु कई संस्थागत परिवर्तन भी किये गये। इनका उद्देश्य अधिवास प्रतिरूप को सुधारना, कार्यों में पारस्परिक सम्बद्धता लाना, आवश्यक आधारभूत सुविधायें, यथा ऊर्जा, संचार, परिवहन, परिष्करण, भण्डारण एवं विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना था। ये सभी चीजें किसी स्थान की प्रगति के लिए आधारभूत कारक हैं।

अन्त्योदय योजनाएँ :

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने नवम्बर, 1990 में 13 अन्त्योदय योजनायें प्रारम्भ की थीं। ये योजनाएं निम्नानुसार हैं :–

1. **नवजीवन** : आवास हेतु नाममात्र मूल्य पर भूखण्ड
2. **बसुन्धरा** : कृषकों को ब्याज–मुक्त ऋण देने का प्रावधान
3. **जलजीवन** : सामूहिक सिंचाई का लाभ देने की योजना
4. **स्वावलंबन** : स्वरोजगार हेतु कार्यशील पूंजी एवं ऋण,
5. **पवन पुत्र** : बेरोजगार युवकों को ऑटो/टेम्पो देने की योजना
6. **मधुवन** : सामुदायिक डेरी एवं पशुधन विकास फार्म
7. **निर्मित** : लघु निर्माण कार्य की ठेका योजना
8. **सहकार** : खनिज एवं ईंट–भट्टा, सहकार समिति योजना
9. **रफ्तार** : यातायात समिति एवं ट्रकों/बसों हेतु अनुदान
10. **वनजा** : लधु वनोपजों पर आधारित रोजगार योजना
11. **धनवन्तरि** : चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस हेतु मदद
12. **न्यायनिकेतन** : अभिभाषकों को मदद
13. **सहारा** : कुष्ठरोगी, विकलांग, निराश्रित, विधवा और परित्यक्ताओं को अतिरिक्त अनुदान

अनुसूचित जनजाति को हमारे समाज का दुर्बल और कम विकसित वर्ग माना जाता है। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र तहसील निवाड़ी की जनसंख्या 149027 है जिसमें 74897 साक्षर हैं जो कुल जनसंख्या का 50.5 प्रतिशत है। वहीं अध्ययन क्षेत्र के चयनित पाँच ग्रामों में अनुसूचित जनजाति की संख्या 988 है जिसमें 157 साक्षर हैं जो 18 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति की इतनी बड़ी निरक्षरता उनके आर्थिक विकास की एक रूकावट है। क्योंकि निरक्षर होने के कारण अनुसूचित जनजाति के लोग सोचने, समझने और दूरदर्शिता की क्षमता से वंचित रह जाते हैं जब कि शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक विकास में एक प्रमुख स्थान रखती है। शिक्षा से कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों का निर्माण होता है। दूसरे अनुसूचित जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों, बस्तियों और खेड़ों में रहती है जहाँ आर्थिक विकास के साधन उपलब्ध नहीं होते है। सामाजिक भेदभाव, बेरोजगारी विशिष्ट संस्कृति, दूसरों से मिलने में संकोच, आर्थिक तथा शैक्षिक पिछड़ापन एवं खेती के उन्नत साधन न होने आदि के कारण गरीबी का जीवन जीते हैं।

अतः अनुसूचित जनजाति के सर्वांगीण विकास हेतु मध्यप्रदेश शासन ने विभिन्न विभागों के सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, पंचायत राज व्यवस्था के तीनों स्तरों की पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से अनेकों ऐसी योजनायें क्रियान्वित कराई हैं जो इनके जीवन स्तर को बेहतर बना सके। इसमें स्वयंसेवी संस्थायें भी अनुसूचित जनजातियों के साथ जुड़ कर काम कर रही है। शासन ने इन शासकीय कार्यक्रमों में जन भागीदारी को अपनाया है। प्रशासन को पारदर्शी एवं संवेदनशील बनाकर जनहितैषी योजनाओं को अनुसूचित जनजाति तक स्पष्ट रूप से पहुंचाने का प्रयास किया है। अनुसूचित जनजाति के उत्थान हेतु प्रयास ही इन कार्यक्रमों का लक्ष्य है। यही नहीं, मध्यप्रदेश शासन ने अनुसूचित जनजाति के दुर्बल और कम विकसित वर्ग के उत्थान के लिए लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों के आरक्षण के लिए तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपलब्ध करने के लिए राज्य शासन द्वारा 8 जून 1994 को मध्यप्रदेश लोक सेवा अधिनियम पारित किया है। यह अधिनियम राज्य सरकार के समस्त विभागों, स्थानीय शासन, विश्वविद्यालयों तथा अन्य स्वायत्त संस्थाओं एवं इस तरह की कम्पनी जिसमें राज्य सरकार की 51 प्रतिशत या उससे अधिक अंश पूंजी हो, पर लागू होता है। "अधिनियम के द्वारा प्रथम एवं द्वितीय वर्ग के पदों के लिए 18 प्रतिशत तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है। मध्यप्रदेश शासन का यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

मध्यप्रदेश शासन की ओर से अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु विभिन्न विभागों द्वारा जो योजनायें क्रियान्वित हैं उनकी जानकारी निम्नानुसार है :-

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

अनुसूचित जनजातियों में बेरोजगारों की समस्या सबसे विकट देखी गई है जिससे उन्हें दयनीय जीवनयापन करना पड़ता है। इसके निदान हेतु मध्यप्रदेश शासन ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम

क्रियान्वित कराएं है। जिनसे इनकी बेरोजगारी दूर हो सके और अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकें :–

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (I.R.D.P.) :

गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बैंकों से ऋण तथा शासन की ओर से अनुदान उपलब्ध कराया जाता है जिससे वे स्व–रोजगार स्थापित कर गरीबी दूर कर सकें। इसमें जिस परिवार की वार्षिक आय रूपये 11,000/– तक हो वह पात्र हितग्राही माना जाता है।

ट्रायसेम (ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण) :

गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के 18 से 35 वर्ष तक के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर स्व–रोजगार प्रतिष्ठापित कराया जाता है। विभिन्न व्यवसायों के लिए पृथक–पृथक अवधि निर्धारित की गई है। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को रूपये 200/– से रूपये 500/– तक शिष्यवृत्ति दिए जाने की व्यवस्था है।

जवाहर रोजगार योजना (J.R.Y.) :

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को गाँव की बेरोजगार स्त्री/पुरूषों को अतिरिक्त लाभकारी रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से इस योजना के अन्तर्गत शाला भवन/आँगनवाड़ी/उपस्वास्थ्य केन्द्र/पहुँच मार्ग आदि रोजगार मूलक निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन कराया जाता है। पंचायत संस्थाओं को योजना की 80 प्रतिशत राशि से स्थानीय आवश्यकताओं के कार्य कराने होते हैं।

जीवनधारा :

इस योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लघु/सीमान्त कृषकों के सिंचाई के लिए कूप निर्माण हेतु नावार्ड द्वारा निर्धारित लागत अनुसार शत–प्रतिशत सहायता से कूप निर्माण कराया जाता है।

रोजगार आश्वासन योजना :

गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को गैर कृषि मौसम में 18 से 60 वर्ष आयु तक के निर्धनों को कम से कम 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। मजदूरों को मजदूरी के रूप में नगद तथा 2 किलो खाद्यान्न मजदूरी के अंश के रूप में दिया जाता है।

इन्दिरा आवास योजना :

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले आवासहीन परिवारों को मकान बनाने के लिए रूपये 14000/— दिये जाते हैं जिसमें रूपये 900/— कुटीर निर्माण तथा रूपये 5000/— स्वच्छ शौचालय तथा धुआं रहित चूल्हों के निर्माण के लिए दिए जाते हैं।

कल्पतरू :

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लघु/सीमान्त अनुसूचित जनजाति के कृषक जिनकी भूमि पर जीवनधारा लघुसिंचाई योजना के अन्तर्गत सिंचाई सुविधा उपलब्ध है– उनकी निजी भूमि पर रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने/फलोद्यान क्षेत्र का विस्तार और उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत क्रियान्वित कराई जाती है।

कृषि

अध्ययन क्षेत्र तहसील निवाड़ी की तीन चौथाई जनसंख्या खेती पर निर्भर है। कृषि ही अर्थव्यवस्था का केन्द्र बिन्दु है। कृषि ही हमारी दीपावलियों का आलोक, होली का रंग और सावन का मल्हार है। अतः कृषि में सुधार से ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था में क्राँन्तिकारी परिवर्तन किया जा सकता है। कृषि में दलहन, तिलहन, अनाज–उत्पादन की नई नकनीक, सिंचाई साधनों की पर्याप्त व्यवस्था, उन्नत कृषि उपकरण एवं जीवांश खाद को प्रोत्साहन देकर तैयार खाद का कृषि उत्पादन में वृद्धि में उपयोग कराकर आर्थिक स्थिति मजबूत बनाई जा सकती है।

इस दिशा में मध्यप्रदेश शासन ने अनुसूचित जनजाति के कृषकों के आर्थिक उन्नयन के लिए कृषि में निम्नलिखित योजनायें क्रियान्वित कराई जा रही है :–

1. **राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना** : दलहन का उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके लिए बीज मिनीकिट, खण्ड प्रदर्शन, सूक्ष्म पोषकतत्व, एकीकृत कीट नियंत्रण, फेरोमेन ट्रप्स का प्रदर्शन, राइजोबियम एवं पी0एस0बी0 कल्चर, बीजग्राम, आधार बीज योजना, प्रमाणित बीज योजना, प्रशिक्षण, उन्नत कृषियंत्र, स्प्रिंकलरसेट अनुदान पर देने के कार्यक्रम हैं।

2. **तिलहन उत्पादन कार्यक्रम** : तिलहन उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना उद्देश्य है। योजना बीजोपचार, उन्नत कृषि उपकरण, जिप्सम/पायराइट वितरण, बीज–मिनीकिट वितरण, फसल प्रदर्शन, स्प्रिंकलरसेट, जीवाणु खाद, कृषक प्रशिक्षण, बीज ग्राम योजना पर अनुदान दिया जाता है।
3. **गोबर/कम्पोस्ट खाद प्रोत्साहन** : गोबर/कम्पोस्ट खाद बनाने की विधि को प्रोत्साहित करना ताकि तैयार खाद का कृषि उत्पादन में वृद्धि में उपयोग हो सके इसका उद्देश्य है। लघु/सीमान्त अनुसूचित जनजाति पात्रता की श्रेणी में आते हैं। इसमें नाडेप विधि से गोबर/कम्पोस्ट खाद का टाँका बनाने के लिए 75 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 1200/– प्रति टाँका अनुदान दिया जाता है।

4. **राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना** : ऊर्जा के वैकल्पिक श्रोत उपलब्ध कराना तथा कृषि के लिए उत्तम खाद उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। योजना में लघु/सीमान्त अनुसूचित जनजाति को 1 घनमीटर क्षमता पर रूपये 2000/– तथा दो घनमीटर क्षमता पर रूपये 3100/– एवं तीन घनमीटर क्षमता पर रूपये 3600/– का अनुदान दिया जाता है।

5. **कूप निर्माण एवं सिंचाई संसाधनों का विकास** : कम लागत से कुंओं द्वारा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर खाद्यान्न में वृद्धि करना उद्‌देश्य है। इसमें चार हेक्टेअर तक जोत सीमा तक के कृषकों हितग्राही की पात्रता रखते हैं। योजना में अनुसूचित जनजाति को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

6. **उत्थान/सामूहिक उद्‌वहन सिंचाई** : छोटी–छोटी योजनाओं के माध्यम से कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना तथा सामूहिक उद्‌वहन सिंचाई धारणा को प्रोत्साहित करना उद्‌देश्य है। सामान्यतः 10 से 30 हितग्राहियों का समूह बनाया जाता है, जिनके पास 50 से 150 हेक्टेअर भूमि सिंचित करने का प्रावधान होगा। कृषि विभाग के अलावा ग्रामीण विकास तथा आदिमजाति कल्याण विभाग भी अपना अंशदान देता है। चार हेक्टेअर तक जोत सीमा वाले कृषकों को अनुदान की पात्रता होगी। यह योजना कृषि, ग्रामीण विकास एवं आदिम जाति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अनुदान देकर कार्यान्वित की जाती है। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

7. **अशासकीय एजेन्सी/ठेकेदारों द्वारा खोदे गए कृषकों के सिंचाई नलकूपों पर अनुदान** : कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भू–जल का समुचित दोहन एवं राज्य के सिंचित क्षेत्र में वृद्धि तथा सिंचाई स्रोत स्थापित करना उद्‌देश्य है। प्रकरण के पंजीयन के लिए कृषक को अपनी भूमि का खसरा, विश्तबंदी पटवारी से प्राप्त करके वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। स्थल निरीक्षण के बाद सही पाए जाने वाले प्रकरणों को अनुदान पात्रता प्रमाण–पत्र देकर बैंक भेजा जाता है।

8. **छोटे तालाब/स्टापडेम का निर्माण** : सिंचाई सुविधाओं का विस्तार आसपास के कुंओं के जल स्तर में वृद्धि एवं कृषि श्रमिकों को रोजगार दिलाना उद्‌देश्य है। चालीस हेक्टेअर तक सिंचाई क्षमता वाले तालाब/स्टापडेम का निर्माण विभाग द्वारा कराया जाता है। स्टापडेम शासकीय भूमि पर शासकीय व्यय से निर्मित किए जाते हैं।

9. **एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (मोटा अनाज)** : प्रदेश में गेंहूँ, ज्वार, मक्का एवं अन्य मोटे अनाजों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना उद्देश्य है। यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है जिसमें अनुसूचित जनजाति के लघु/सीमांत कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

10. **वृहद फसल बीमा** : कृषकों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, ओले और कीट व्याधि आदि से होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता देना उद्देश्य है। प्रत्येक खरीफ एवं रबी मौसम के पूर्व राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्रों में फसलों के लिए अधिसूचना जारी की जाती है। परिभाषित क्षेत्र एवं फसलों के लिए उन्हीं कृषकों को फसल की क्षति पूर्ति की जाती है जिन कृषकों द्वारा सहकारी बैंकों से ऋण लिया गया हो।

    जिस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से क्षति होती है उस क्षेत्र की क्षति का आंकलन राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। इसी क्षति के आधार पर ऐसे कृषकों जिनके द्वारा सहकारी बैंकों से ऋण लिया गया हो, की क्षतिपूर्ति की जाती है।

11. **ट्रेक्टरों का अनुदान पर वितरण** : कृषकों में कृषि यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहित करना उद्देश्य है। 30 पी0टी0ओ0 हार्सपावर तक के ट्रेक्टर की खरीद पर कीमत का 30 प्रतिशत अधिकतम रूपये 30000/– का अनुदान दिया जाता है। जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित है जो हितग्राहियों का चयन करती है। चयन होने के बाद एवं प्रकरण में बैंक से ऋण स्वीकृत होने पर कृषक को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के माध्यम से ट्रेक्टर का प्रदाय किया जाता है। अनुदान की राशि विभाग द्वारा सीधे निगम को प्रदाय की जाती है। शेष ऋण राशि संबंधित द्वारा निगम को प्रदाय की जाती है।

उद्यानिकी

उद्यानिकी का रोपण किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय का स्त्रोत है जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बना सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से म0प्र0 शासन ने जन हितैषी योजनायें इस निमित्त चलाई हैं जो निम्नानुसार हैं :–

1. **फल–पौध रोपण अनुदान** : क्षेत्र में वृद्धि के उद्देश्य से बैंक ऋण अथवा स्वयं के साधन से सिंचित क्षेत्र में आम फलोद्याान लगाने पर कृषक को नाबार्ड के नियमानुसार अधिकतम दो हेक्टेअर के लिए 25 प्रतिशत अनुदान की योजना है।

2. **टाप वर्किंग** : क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से ग्रामीण बेरोजगार युवकों को देशी बेर, आंवला एवं आम के वृक्षों की टाप वर्किंग कर व्यवसायिक किस्मों में परिवर्तन करने का 20 दिवसीय प्रशिक्षण रूपये 200/– प्रति प्रशिक्षणार्थी को छात्रवृत्ति देकर कराया जाता है प्रशिक्षण के बाद इन्हें रूपये 100/– के टूल किट दिए जाते हैं। इन्हीं प्रशिक्षित युवकों द्वारा गांवों में टाप वर्किंग करने पर रूपये 4/– प्रति सफल ग्राफ्ट पर मेहनताना दिया जाता है।

3. **समन्वित सब्जी विकास** : उपभोक्ता को उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियाँ उपलब्ध कराने के साथ–साथ क्षेत्र उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से ग्रीष्म ऋतु में शंकर सब्जी विकास के लिए बीज, उर्वरक और दवाई पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रति हेक्टेअर रूपये 2650.50 वस्तु के रूप में दिया जाता है। सुनिश्चित सिंचाई के साधन वाले छोटे/बड़े/लघु सीमान्त कृषकों को एक समान लाभ दिया जाता है। सिंचित क्षेत्रों में इच्छुक कृषकों का कम से कम 1/4 हेक्टेअर पर या अधिकतम 2 हेक्टेअर तक शंकर सब्जी लगाने के लिए ग्राम उद्यान विस्तार अधिकारी के माध्यम से चयन किया जाता है।

4. **आलू का प्रदर्शन** : आलू की खेती के प्रति कृषकों को आकर्षित कर क्षेत्र उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से रबी में आलू के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कृषकों को प्रतिप्रदर्शन रूपये 200/– अनुदान दिया जाता है।

5. **पौध संरक्षण वितरण** : उद्यानिकी फसलों को कीड़ों एवं बीमारियों से बचाने के उद्देश्यों से अनुसूचित जनजाति के ऐसे कृषकों जिनके पास कम से कम 1/10 एकड़ क्षेत्र उद्यानिकी फसलों का हो, को पौध संरक्षण यंत्रों की खरीदी पर 75 प्रतिशत अधिकतम रूपये 450/– अनुदान दिया जाता है।

6. **कृषि में प्लास्टिक का उपयोग** : कम पानी की उद्यानिकी फसलों का उत्पादन कर कृषकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना उद्देश्य है।

केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत कृषकों के यहाँ ड्रिप का स्थापन कर कम पानी में भी उद्यानिकी फसलों का उत्पादन करने की इस योजना में केन्द्र शासन द्वारा 90 प्रतिशत एवं राज्य शासन द्वारा 10 प्रतिशत राशि व्यय की जाती है।

इस योजना में लघु, सीमान्त अनुसूचित जनजाति कृषकों को प्रति कृषक लागत का 90 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 25000/– प्रति हेक्टेअर जो कम हो, का अनुदान देय है।

उद्यानिकी विभाग के कर्मचारियों द्वारा कृषकों का चयन कर उनके खेतों पर सर्वे किया जाता है। कृषकों का चयन ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी कर सहायक संचालक उद्यान को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद सहायक संचालक उद्यान द्वारा उप संचालक उद्यान को प्रकरण भेजकर अनुदान राशि की स्वीकृति दी जाती है। सहायक संचालक उद्यान द्वारा अनुदान की राशि आहरित कर म0प्र0 राज्य कृषि निगम को दी जाती है। जब ड्रिप स्थापित हो जाती है तब म0प्र0 राज्य कृषि

उद्योग विकास निगम द्वारा संबंधित फर्म को अनुदान की राशि व कृषक से वसूल की गई राशि दी जाती

सहकारिता

1. **कृषकों को उपज के तारण पर ऋण प्रदाययोजना :** कृषकों को तारण पर रखने की व्यवस्था है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है कि बाजार में कृषि उपज के भाव घटते–बढ़ते रहते हैं। यदि कृषक इसमें रूचि रखतता है तो वह अपने कृषि उत्पादन का बैंकों के तारण पर माल रोक सकता है। अच्छे भाव खुलने पर वह माल बेच सकता है एवं अपनी उपज का अधिक मूल्य अर्जित कर सकता है।

कृषकों के भण्डार ग्रहों की रसीदों के तारण पर सहकारी बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जायगा जिससे कृषक अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा। निकटतम स्थान भण्डार ग्रह/ग्रामीण गोदामों में कृषि उपज को रख कर तथा रसीद प्राप्त करने पर निकटतम सहकारी बैंक की शाखा से भी सहकारी समिति के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ऋण प्राप्त कर सकेगा।

कृषक सदस्य को समिति का सदस्य होना अनिवार्य है। इस सुविधा के लिए अनुसूचित जनजाति के सभी कृषकों का एवं सामान्य वर्ग के लघु/सीमान्त कृषकों का ही चयन किया जा सकता है।

2. **वाहन ऋण योजना :** ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की सुविधाओं को विकसित करना उद्देश्य है। हितग्राहियों को 25 से 40 प्रतिशत तक के मार्जिन पर रूपये 4 लाख तक का ऋण जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के माध्यम से किया जाता है।

3. **फसल बीमा** : चुनी हुई फसलों के सभी ऋणी सदस्यों की फसल का बीमा कर नुकसान होने की भरपाई करना उद्देश्य है। सदस्यों को केवल 50 प्रतिशत राशि देना होता है। शेष राशि केन्द्रीय एवं राज्यशासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती है।

4. **ऋण वितरण सुविधा** : बायोगैस संयत्र लगाने, स्प्रिंकलर, थ्रेसर खरीदने, मुर्गीपालन, भेड़, बकरी पालन के ऋण नावार्ड निर्धारित मापदण्डों के आधार पर दिया जाता है।

5. **किसान साख–पत्र** : इस योजना का मुख्य उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को स्वीकृत साख सीमा से सरलता से ऋण उपलब्ध कराना है।

इसके अतिरिक्त – ''साख का विपणन से संबद्धीकरण पर अनुसूचित जनजाति के सदस्य को प्रोत्साहन राशि, जिला प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के अंश कय करने/सदस्य बनने के लिए ब्याज रहित ऋण, प्राथमिक विपणन समितियों के अंश कय करने/सदस्य बनने के लिए अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अनुदान आदि योजनायें भी कियान्वित हैं।

वन

1. **तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिये सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना** : यह योजना संग्राहकों, जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच हो, के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित है। इस योजना के अंतर्गत सदस्य को किसी भी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता। इस योजना का उद्देश्य तेंदूपत्ता संग्राहकों की मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों/परिवारजनों की आर्थिक मदद करना है

मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहकों का बीमा कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी संग्राहक की मृत्यु होने पर उसके नामांकि व्यक्ति को रूपये 4000/– की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रदान की जाती है। यदि मृत्यु–दुर्घटना के कारण होती है तो बीमा राशि 8000/– रूपयें तक उत्तराधिकारियों को देय होती है।

2. **निस्तार सुविधाएँ** : इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जनसाधारण के दैनिक जीवन हेतु वन विभाग के प्रबन्ध में आने वाले शासकीय वनों से निस्तार सुविधाएँ सुलभ कराना है। निस्तार सुविधाओं के अन्तर्गत कृषक, कृषक मजदूर एवं ग्रामीण कारीगरों को 50 प्रतिशत रियायती दर पर बाँस, बल्ली एवं छोटी इमारती लकड़ी उपलब्धता अनुसार प्रदाय करायी जाती थी, शेष व्यक्तियों को उपभोक्ता दर पर उपलब्धतानुसार वनोपज दी जाती थी। राज्य में प्रचलित इस निस्तार व्यवस्था को समाप्त करते हुए, निम्नानुसार निस्तार नीति निर्धारित की गई है :–

(क) निस्तार के अन्तर्गत सुविधा की पात्रता केवल उन ग्रामों के ग्रामीणों के लिए पूर्वानुसार रहेगी, जो कि वनों की सीमा पाँच किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत स्थित हैं।

(ख) नगर निगम, नगरपालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र चाहे वे वन सीमा के 5 किलोमीटर की परिधि में या उनके बाहर स्थित हों, में वन विभाग वनोपज प्रदाय की कोई व्यवस्था नहीं करेगा। इन क्षेत्रों के निवासी स्थानीय बाजार से ही वनोपज प्राप्त करेंगे।

(ग) पाँच किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों को निस्तार के अन्तर्गत कोई रियायत प्राप्त नहीं होगी, परन्तु उपलब्धता के आधार पर पूर्ण बाजार मूल्य पर इन ग्रामों के ग्रामीणों को ग्राम पंचायत के माध्यम से वनोपज उपलब्ध कराई जा सकेगी।

(घ) वनों से स्वयं के उपयोग के लिए अथवा बिक्री के लिये सिरबोझ द्वारा उपलब्धता अनुसार गिरी, पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी जाने की सुविधा पूर्ववत रहेगी।

पाँच किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों को उपलब्धता के आधार पर वनोपज का प्रदाय संयुक्त वन प्रबन्धन के लिए गठित ग्राम वन समिति एवं वन सुरक्षा समिति के माध्यम से किया जायेगा।

वनों से पाँच किलो मीटर से अधिक दूरी वाले ग्रामों के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पारित कर वनोपज की मांग की जाती है, तो उपलब्धता के आधार पर उन्हें ऐसी वनोपज निर्धारित मूल्य पर जिनमें पूर्ण रायल्टी, विदोहन, परिवहन एवं अन्य वास्तविक व्यय का समावेश रहेगा, प्रदाय की जायेगी। इसके लिए वनोपज का मूल्य अग्रिम रूप से पटाना होगा। इसके लिए ग्राम पंचायतों के पास "रिवाल्विंग कोष" रहेगा।

मुर्दों को जलाने के लिए जलाऊ लकड़ी उपभोक्ता दर पर बेंडर्स को उपलब्ध कराने की व्यवस्था हैं।

3. **अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का संग्रहक** : इस योजना का उद्देश्य स्थानीय जनता को लघु वनोपज के व्यापार से अधिकाधिक वित्तीय लाभ पहुंचाना है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा तेंदूपत्ता, हर्रा, सालबीज एवं कुल्लू, खैर धावड़ा तथा बबूल के गोंद को छोड़कर शेष सभी लघु वनोपज रायल्टी मुक्त की गयी है ताकि इसके संग्रहण एवं विपणन पर कोई प्रतिबंध न रहें तथा वन आँचलों में रहने वाली जनता इसके विक्रय के लिए स्वतंत्र रहे।

संग्रहित वनोपज का उचित मूल्य दिलाने के अतिरिक्त वनोपज के विक्रय के पश्चात् प्राप्त शुद्ध आय में से भी संग्राहकों को समितियों द्वारा

लाभांश दिया जायेगा। इस प्रकार सही मायनों में संग्राहक लघु वनोपज पर मालिकाना हक प्राप्त कर सकेंगे।

4. **कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन** : इस योजना का उद्देश्य निजी और सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। इस योजना के द्वारा किसानों को उनकी भूमि पर एक वर्ष में न्यूनतम 100 पौधे और अधिकतम 500 पौधे लगाने के लिए अनुदान सहायता दी जाती है।

5. **संयुक्त वन प्रबन्ध** : इस योजना का उद्देश्य वनों की सुरक्षा व विकास में जनता की भागीदारी प्राप्त करना, ताकि वनों के विकास के साथ, स्थानीय जनता को वनों से अधिक लाभ प्राप्त हो सकें। संयुक्त वन प्रबन्धन के अन्तर्गत सघन वन क्षेत्र से लगे ग्रामों में वन सुरक्षा समिति तथा बिगड़े वन क्षेत्र से लगे ग्रामों में ग्राम वन समितियाँ गठित की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के समीपवर्ती ग्रामों में ''ईको डेवलेपमेंट'' समितियों का गठन किया जाता है। वन सुरक्षा समितियों को रायल्टी मुक्त निस्तार सुविधा दी जाती है केवल विदोहन एवं परिवहन का शुल्क वसूल किया जाता है।

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएं

1. **परिवार मूलक इकाई की स्थापना** : इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को ग्रामोद्योग राशि का 90 प्रतिशत तक अनुदान प्रदाय किया जाता है तथा शेष 10 प्रतिशत पूंजीगत राशि एवं कार्यशील पूंजी व्यावसायिक बैंकों अथवा हितग्राही के स्वयं के अंश से उपलब्ध कराई जाती है।

2. **कारीगरों को प्रशिक्षण** : खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य ग्रामोद्योग इकाई स्थापित करने वाले व्यक्तियों को ग्रामोद्योग में प्रयुक्त होने वाली तकनीक से प्रत्यक्ष परिचित कराना है। बोर्ड द्वारा चयनित

प्रशिक्षणार्थियों को अगरबत्ती, लेदर गुड्स, साबुन, मधुमक्खी–पालन, रेडियो/टी0व्ही0 मरम्मत, मोटरबाइन्डिंग आदि ग्रामोद्योग का प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

3. **उत्पादन अनुदान** : खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खादी के उत्पादन को प्रोत्साहन देता है। प्रदेश में पंजीकृत एवं प्रमाणित खादी उत्पादनकर्ता संस्थाओं को उनके द्वारा उत्पादित खादी के लागत मूल्य का 10 प्रतिशत उत्पादन अनुदान प्रदाय किया जाता है। संस्थाओं के उत्पादन केन्द्रों पर कार्य करने के लिए कत्रिनों एवं बुनकरों का चयन संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

4. **कत्रिन अनुदान** : इस योजना का उद्देश्य सूत कताई कार्य की ओर महिला कत्रिनों को आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त श्रमिकाई के रूप में कत्रिन अनुदान का प्रदाय करना है। सूत उत्पादन कार्य के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रति गुण्डी पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त श्रमिकाई के रूप में 20 पैसा प्रति गुण्डी भुगतान संस्थाओं के माध्यम से कताई कार्य करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। संस्थाओं के उत्पादन केन्द्रों पर कार्य करने वाली महिला कत्रिनों का चयन संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

वित्त पोषित इकाइयों द्वारा उत्पादित सामग्री का गुणवत्ता के आधार पर कमवार विभागीय रूप से संचालित विक्रय भण्डारों से बिक्री की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड वित्त पोषित इकाइयों द्वारा उत्पादित सामग्री की बिक्री में सहायता उपलब्ध कराता है।

मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा संचालित योजनाएँ

1. **अनुदान के रूप में उन्नत औजार** : इस योजना का उद्देश्य परम्परागत या हस्तशिल्प निगम द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों को उन्नत औजार अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाना, जिससे ऐसे शिल्पी, जिन्हें काम तो आता है लेकिन औजारों के अभाव में काम नहीं कर पाते, अपनी रोजी–रोटी कमा सकें। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के शिल्पियों को शत–प्रतिशत अनुदान पर उन्नत औजार उपलब्ध करवाये जाते हैं जबकि सामान्य वर्ग के शिल्पियों को 75 प्रतिशत अनुदान पर शिल्प की आवश्यकता के अनुसार रूपये 5000/– तक के उन्नत औजार उपलब्ध करवाये जाते हैं।

2. **कार्यशाला अनुदान** : हस्तशिल्प निगम की इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे शिल्पियों, जिनके पास कार्य करने की स्वयं की जगह नहीं है, कार्यशाला अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिल्पियों को रूपये 10,000 का अनुदान दिया जाता है तथा सामान्य वर्ग के शिल्पियों को रूपये 7500/– कर्मशाला अनुदान दिया जाता है।

3. **ब्याज अनुदान** : इसके अन्तर्गत व्यावसायिक बैंकों से कार्यशील पूंजी के लिए ऋण प्राप्त करने वाले शिल्पियों को ब्याज अनुदान दिया जाता है। जिससे ब्याज के कारण उनके उत्पाद का लागत मूल्य न बढ़े। यह योजना सभी वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर शिल्पियों के लिए है। योजना में हस्तशिल्पियों को बैंक ऋण पर देय ब्याज की प्रतिपूर्ति अनुदान स्वरूप दी जाती है ताकि शिल्पी आर्थिक रूप से कमजोर न हो और अपना काम स्वतंत्र रूप से कर सकें।

4. **तकनीकी व डिजाइन मार्गदर्शन** : अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के शिल्पियों को बाजार की मांग के अनुरूप शिल्प बनाने के लिए मार्गदर्शन

देना, इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना में कार्यशालाओं व संगोष्ठियों का आयोजन कर शिल्पियों को उन्नत तकनीक से अवगत करवाया जाता है। देश के प्रसिद्ध शिल्प व डिजाईन विशेषज्ञों की सहायता से नये डिजाईन बनवाकर शिल्पियों को उपलब्ध करवाये जाते हैं।

5. **सहकारी समितियों/ट्रस्ट को आर्थिक सहायता** : इस योजना का उद्देश्य हस्तशिल्प की सहकारी समितियों/ट्रस्ट को कार्यशाला निर्माण व उन्न्त औजार क्रय करने के लिए आर्थिक सहायता देना है। योजना में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की सहकारी समितियों व ऐसे ट्रस्ट को, जहाँ अनुसूचित वर्ग के शिल्पी कार्य करते हैं, अधिकतम रूपये 25000/- की आर्थिक सहायता दी जाती है।

रेशम विकास संचालनालय द्वारा संचालित योजनाएँ

1. **कल्पवृक्ष** : रेशम कृमिपालन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना इस योजना का लक्ष्य है। इस योजना में हितग्राहियों के चयन का अधिकार स्थानीय पंचायतों को दिया गया हैं, जो रेशम विभाग के अधिकारियों के सहयोग से ऐसे रूचि रखने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग को जिनके पास स्वयं की सिंचित भूमि हो, चयन किया जाता है।

   इस योजना में हितग्राहियों को स्वयं की एक एकड़ भूमि में शहतूती पौधरोपण करने के लिए आर्थिक अनुदान व ऋण उपलब्ध कराया जाता है। हितग्राहियों को कृमिपालन के लिए समस्त तकनीकी सहायता भी दी जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस योजना का लाभ इस प्रकार दिया जाता है।

क्र0स0	विवरण	अनुसूचित वर्ग के हितग्राहियों के लिए	
		एक एकड़ के लिए	आधा एकड़ के लिए
1.	अनुदान (राशि रूपये में)		
	पौध रोपड़	3500	1800
	फेंसिंग	4000	2500
	कृमिपालन गृह के लिये	5000	3000
	कृमिपालन उपकरण लिये	4000	2200
	योग अनुदान	16500	9500
2.	ऋण (राशि रूपये में)		
	पौध रोपड़ व फेंसिंग के लिए	–	–
	कृमिपालन गृह के लिए	4000	3000
	कृमिपालन उपकरण के लिए	2500	1300
	योग	**6500**	**4300**
	महायोग	**24000**	**13800**

2. **स्वावलंबन** : इस कार्यक्रम का उद्देश्य रेशम कृमिपालकों में स्वामित्व की भावना जाग्रत कर ककून उत्पादन में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिये शासकीय रेशम केन्द्र में उपलब्ध शहतूती पौंध रोपण में से एक एकड़ क्षेत्र का भोगाधिकार देना ह। शासकीय रेशम केन्द्र की भूमि व शहतूत के पौंधे, कृमिपालन करने के लिये भोगाधिकार के रूप में हितग्राहियों या उनके समूह को आवंटित किये जाते हैं। ऐसे भूमिहीन श्रमिक और रेशम कृमिपालक जो योजना का लाभ लेने के इच्छुक है को ही स्वावलंबन योजना में चयन किया जाता है।

मत्स्य–पालन

1. **मत्स्य–कृषक विकास अभिकरण (केन्द्र प्रवर्तित)** : इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता एवं मत्स्य–पालन के लिए 10

वर्षीय पट्टे पर तालाब उपलब्ध कराया जाता है और स्वयं की भूमि पर तालाब बनाने पर मत्स्य–पालकों को अनुदान दिया जाता है।

मत्स्यपालन से सम्बद्ध पात्र हितग्राही :–

(क) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सभी वर्ग के मछुआरे, जो ग्रामीण तालाबों को पट्टे पर लेकर अभिकरण अंतर्गत मत्स्य–पालन करते हैं, हितग्राही बनाये जाते हैं।

(ख) स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण कर अभिकरण योजना में मत्स्य–पालन करने वाले व्यक्ति भी हितग्राही होते हैं :–

मत्स्य पालन करने के लिए हितग्राहियों का पंजीयन कर, इन्हें ग्राम पंचायत के तालाब पट्टे पर दिलाये जाते हैं तथा तदनुसार आर्थिक सहायता (अनुदान) दी जाती है।

क0सं0	विवरण	
1.	तालाब मरम्मत एवं सुधार, पानी के आगम–निर्गम द्वारों पर जाली लगाने पर अनुदान केवल एक बार	प्रति हेक्टेअर रूपये 32000 की लागत का 25 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम सीमा रूपये 8000) अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम सीमा रूपये 16000)
2.	इनपुट्स लागत (मत्स्य बीज, आहार, उर्वरक, खाद, रोग प्रतिरोधक दवाइयों के लिए) केवल एक बार	रूपये 16000 लागत का 25 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रूपये 4000)। अनुसूचित जनजाति के मत्स्य–पालकों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम सीमा रूपये 8000)।
3.	मत्स्य–पालकों की स्वयं की भूमि पर नये पोखरों के निर्माण, आगम–निर्गम मार्गो पर जाली, कम गहरे नलकूप इत्यादि पर अनुदान केवल एक बार	रूपये एक लाख की लागत का 20 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रूपये 20000) सभी वर्गों के लिए। अनुसूचित जनजाति के मत्स्य–पालकों के लिए 40 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम सीमा रूपये 40000) 10 हेक्टेअर के तालाबों तक।

2. मत्स्य–पालन प्रसार (राज्य आयोजन) : मध्यप्रदेश शासन की इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मछुआरों को मत्स्य–पालन के लिये अनुदान प्रदान किया जाता है। योजना में ऐसे अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के मत्स्य पालक, जो ग्राम पंचायतों अथवा अन्य शासकीय तालाब पट्टे पर लेकर मत्स्य–पालन करें, को निम्नानुसार अनुदान दिया जाता है :–

कार्य जिसके लिए अनुदान देय हैं	प्रथम वर्ष (प्रतिशत में)	द्वितीय वर्ष (प्रतिशत में)	तृतीय वर्ष (प्रतिशत में)	सीमा (तीन वर्षों में स्वीकृत की जा सकने वाली अधिकतम राशि
तालाब पट्टा राशि तालाब में मत्स्य–पालन के लिये	80	50	25	1375 रूपये
आवश्यक सुधार कार्य मत्स्य	80	–	–	1000 रूपये
बीज एवं अन्य इनपुट्स	80	50	25	1250 रूपये
नाव, जाल	80	50	50	1375 रूपये
				5000 रूपये

योजना में मत्स्य–पालक को अनुदान का नगद भुगतान न दिया जाकर वस्तु विशेष के रूप में दिया जाता है।

हथकरघा संचालनालय द्वारा संचालित योजनाएँ

1. **बुनकर सहकारी समिति के सदस्यों को समिति के अंश कय करने के लिए अनुदान** : हथकरघा उद्योग में संलग्न अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के बुनकरों को पूर्णकालिक रोजगार प्रदायकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना इस योजना का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू

है। बुनकर सहकारी समिति के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को एक अंश क्रय करने के लिये अंशपूंजी 10 रूपये जमा करने पर शेष 90 रूपये अनुदान दिया जाता है।

2. **बुनकरों सहकारी समिति के सदस्यों को समिति के अंशक्रय करने के लिये अंशपूंजी ऋण** : इस योजना का उद्देश्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति के आर्थिक विकास के लिए अंशपूंजी ऋण सहायता उपलब्ध कराना है। बुनकर सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को समिति के अधिकतम 4 अंश क्रय करने के लिये प्रत्येक सदस्य द्वारा रूपये 10 प्रति अंश के मान से 40 रूपये जमा करने पर शासन की ओर से प्रति अंश रूपये 90 के मान से रूपये 360 अंश पूंजी ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का लाभ लेने हेतु बुनकर सहकारी समिति का सदस्य होना अनिवार्य है।

3. **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बुनकर सहकारी समिति को मार्जिन मनी सहायता** : समिति के सदस्यों को निरन्तर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्यशील पूंजी में वृद्धि करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। समिति में जमा अंशपूंजी के विरूद्ध 15 गुना अथवा अधिकतम रूपये 50000 जो भी कम हो, मार्जिन मनी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बुनकर सहकारी समितियों के लिए ही संचालित है।

4. **हथकरघा बुनाई प्रशिक्षण के लिए सहायता** : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हितग्राहियों को प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। चयनित हितग्राही को छः माह का बुनाई प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को रूपये 500 प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाना प्रस्तावित है।

5. **हथकरघा बुनकरों को आधुनिकतम हथकरघे एवं बुनाई उपकरणों का प्रदाय** : इस योजना का उद्देश्य बाजार की मांग के अनुसार हथकरघा वस्त्र उत्पादन में वृद्धि तथा अधिक उत्पादन के माध्यम से अधिक मजदूरी अर्जन के अनुसार प्रदान करना। साथ ही आधुनिकतम बुनाई तकनीक का विकास करना है। हथकरघा बुनकरों को प्रति बुनकर रूपये 2000 से रूपये 8000 तक सहायता दी जाती है। यह सहायता 50 प्रतिशत अनुदान तथा 50 प्रतिशत ऋण के रूप में दी जाती है।

6. **समूह बीमा** : पावरलूम बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। पावरलूम बुनकरों द्वारा 40 रूपये वार्षिक प्रीमियम जमा करने पर राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा क्रमशः रूपये 40 यानी कुल रूपये 80 वहन किये जाते हैं। इस प्रकार कुल 120 रूपये का वार्षिक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम में जमा किया जाता है। यह राशि शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती है। पावनलूम श्रमिकों की सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 10000 तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर रूपये 20000 की राशि मृतक के नामिनी को बीमा निगम भुगतान करती है। कुल वार्षिक प्रीमियम 120 रूपये में से 60 रूपये श्रमिक के बचत खाते में भी जमा होता है, जिस पर ब्याज भी देय होता है। यह संचित राशि योजना समाप्ति अथवा मृत्यु के बाद दी जाती है।

7. **निराश्रित बुनकरों को मार्जिन मनी सहायता** : इस योजना का उद्देश्य बुनकर सहकारी समितियों के ऐसे सदस्यों, जिन्हें किसी योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई हैं, को सहायता दिया जाना है। इस योजना में बुनकर सहकारी समिति के सदस्यों को 2000 रूपये प्रति सदस्य के मान से अधिकतम एक लाख रूपये की सहायता दी जाती है। इसमें शत्–प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा दी जाती है।

8. **एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास** : इस योजना का उद्देश्य बुनकर बाहुल्य ग्रामों का समग्र विकास करना है। इस योजना में 25 लाख रूपये तक की सहायता अनुदान के रूप में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे बुनकर बाहुल्य ग्राम जिनमें कम से कम 100 बुनकर परिवार निवास करते हो, का चयन किया जाता है।

9. **हथकरघा विकास हेतु/उत्कृष्ट रंगाई घर की स्थापना के लिए सहायता** : बुनकर सहकारी समितियों के उत्पादन में वृद्धि एवं उत्कृष्ट रंगाई करना इस योजना का उद्देश्य हैं। ऐसी समितियां, जिनमें 150 हथकरघे स्थापित हो, सहायता की पात्र है। हथकरघा विकास केन्द्र के लिए राशि रूपये 27 लाख (रूपये 10 लाख अनुदान एवं रूपये 17 लाख बैंक ऋण) तथा उत्कृष्ट रंगाई घर की स्थापना के लिए रूपये 7.83 लाख (रूपये 4.265 लाख अनुदान एवं रूपये 3.565 लाख बैंक ऋण) के रूप में सहायता दी जाती है। अनुदान शत्–प्रतिशत भारत सरकार द्वारा दिया जाता है।

10. **नये पावरलूम कय करने के लिये मार्जिन मनी ऋण** : इस योजना के अन्तर्गत पावरलूम बुनकर समिति को अधिक से अधिक पावरलूम स्थापित करने के लिए यह सहायता ऋण के रूप में दी जाती है। पावरलूम बुनकर सहकारी समिति के सदस्यों को एक पावरलूम की अधिकतम कीमत 15000 रूपये मानकर अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के बुनकर सदस्य को 50 प्रतिशत तक ऋण के रूप में यह सहायता दी जाती है अर्थात् 7500 रूपये तक ऋण के रूप में यह सहायता दी जाती है।

11. **कल्याणकारी योजना** : इस योजना का उद्देश्य पावरलूम बुनकर सहकारी समितियों के सदस्यों को अपने आवास के निकट करघाघर के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना में 100 वर्ग फुट भूमि में 12 फीट ऊँटे एक कमरे के निर्माण के लिए राशि रूपये 9000 की

सहायता, जिसमें 3000 रूपये अनुदान एवं 6000 रूपये ऋण होते हैं, दी जाती है। इस योजना का लाभ सामान्य एवं अनुसूचित वर्ग की पावरलूम बुनकर सहकारी समितियों को समान रूप से दिया जाता है।

शिक्षा

शिक्षा रहित व्यक्ति एक प्रकार से अन्धा है। जीवनोपयोगी जानकारियाँ आँख, कान के द्वारा ही प्राप्त नहीं हो जाती वरन् उनका वास्तविक आधार साहित्य है।

अशिक्षित बेचारा तो उतना ही जान सकता है। जितना उसने आँखों से देखा और कान से सुना है। इस आधार पर ज्ञान प्राप्त कर सकने की मर्यादा और संभावना बहुत ही स्वल्प है। अतएवं अशिक्षित व्यक्तियों की ज्ञान परिधि बहुत ही छोटी रहने से उनके मानसिक विकास की व्यवस्था भी नगण्य जितनी ही बन पाती है। इस प्रकार अशिक्षा एक अभिशाप है जिसे दूर किए बिना कोई समाज प्रगति के पथ पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि अभी भी सर्वाधिक सौर जनजाति लगभग 90 प्रतिशत अशिक्षित है। शोधार्थी के अध्ययन क्षेत्र से ग्रामों में लगभग 82 प्रतिशत सौर अशिक्षित पाए गए है। इस जनजाति में लड़कों को पढ़ाने के लिए भी उत्साह नहीं तथा लड़कियों को पढ़ाना आवश्यक नहीं माना जाता है। जबकि शिक्षा का ऊंचा स्तर ही व्यक्ति की भौतिक प्रगति का इन दिनों प्रमुख आधार है। ऊंचे पद और कार्य कर सकने की योग्यता तो ऊंची शिक्षा के आधार पर ही मिलती है। व्यक्तिगत अर्थ लाभ या सम्मान प्राप्ति के लिए भी ऊंची शिक्षा आवश्यक है। अतः मध्यप्रदेश शासन द्वारा पंचायती राजव्यवस्था लागू होने के पश्चात् आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधा के प्रसार एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। योजना–व्यय का मुख्य हिस्सा इसी कार्य पर व्यय किया जाता रहा है। निरन्तर प्रयास है कि आदिवासी बच्चे गरीबी अथवा अन्य कारणों से शिक्षा प्राप्त करने में वंचित न रहें। फलतः आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में प्राथमिक, माध्यमिक तथा हाईस्कूल/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। शिक्षा के प्रसार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये जिनमें छात्रवृत्ति वितरण

प्रमुख है। शासन ने अध्ययन क्षेत्र में सौर जनजाति समाज के सर्वांगीण उत्थान के लिए शिक्षा में निम्नानुरूप उपलब्ध कराई है :–

1. **प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति वर्ग की बालिकाओं के लिए निःशुल्क गणवेश** : अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना उद्देश्य है। सम्पूर्ण मध्यप्रदेश की प्राथमिक शालाओं में गणवेश का प्रदाय, पढ़ो–कमाओ योजना के अन्तर्गत पावरलूम सहकारी संघ के माध्यम से किया जाता है।
2. **निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय** : अनुसूचित जनजाति के बालक–बालिकाओं को पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध कराकर उन्हें शाला जाने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना उद्देश्य है। योजना में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के छात्र–छात्राओं को प्रतिवर्ष पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जाती है।

3. **बुक बैंक योजना** : कक्षा 9वीं से 12वीं तक के शासकीय विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को अध्ययन के लिए पाठ्य–पुस्तकें शिक्षा सत्र के लिए उपलब्ध कराना उद्देश्य है। योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया अन्तर्गत प्राचार्य द्वारा आवंटित राशि से पाठ्य पुस्तकें क्रय कर पूरे सत्र के लिए उपलब्ध कराई जाती है। सत्रान्त के पश्चात् इन पुस्तकों को वापस ले लिया जाता है। अगले वर्ष भी इनका उपयोग इसी योजना में किया जाता है।

4. **ग्रामीण प्रतिभा छात्रवृत्ति** : प्रतिभावान ग्रामीण सौंर जनजाति बालकों का पिछड़ापन दूर कर समानता तथा सामाजिक न्याय प्रदान करना एवं छात्रवृत्ति प्रदान करना उद्देश्य है। प्रतिभावान बालकों की शिक्षा में रूचि उत्पन्न करने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने की दृष्टि से लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कक्षा 9वीं एवं 10वीं के छात्रों को रूपये 30/– प्रतिमाह

प्रति छात्र, कक्षा 11वीं के छात्रों को रूपये 60/– प्रतिमाह प्रति छात्र एवं कक्षा 12वीं में रूपये 60/– प्रतिमाह प्रति छात्र के मान से छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रावासी प्रतिभावान बच्चों को रूपये 100/– प्रतिमाह दिए जाते है। छात्रवृत्तियों का बँटन संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण के माध्यम से अध्ययनरत छात्रों की शाला के प्राचार्य को दिया जाता है। प्राचार्य अपने यहाँ अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं।

5. **शिक्षा गारंटी योजना :** सुदूर अंचलों में शिक्षा के प्रचार–प्रसार से वंचित लोगों तक शिक्षा का लाभ पहुँचाना उद्देश्य है। इस अभिनव योजना से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र लाभान्वित होंगे जहाँ एक किलोमीटर की परिधि में कोई शिक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं है। छः से चौदह वर्ष के कम से कम 40 बच्चों वाले ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों से माँग आने पर वहाँ आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने के साथ ही शिक्षा कर्मी की नियुक्ति की जायेगी।

योजना के तहत आदिवासी क्षेत्र या छितरे हुए निवास स्थान वाले क्षेत्रों में बच्चों की संख्या 40 की जगह 20 या 30 भी हो सकेगी।

6. **रोजगार आश्वासन योजना के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम :** कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शालाओं के बच्चों को भोजन प्रदाय करना है। जिससे प्राथमिक शालाओं के बच्चों की दर्ज संख्या में वृद्धि हो। योजना में प्रति हितग्राही 3 किलोग्राम चावल या गेंहू प्रतिमाह वितरित करने की योजना है। 75 पैसे प्रति हितग्राही प्रति दिन स्कूल दिवस के मान से ईंधन, परिवहन, गुड़, नमक, तेल, खाद्यान्नं के अतिरिक्त राशि का आवंटन दिया जाता है।

मध्ययान्ह भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत शाला के कक्षा 1 से 5 तक के ऐसे बच्चों को दोपहर में गर्म भोजन प्राप्त करने की पात्रता होती है जो नियमित शाला आते है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कार्यक्रम अन्तर्गत सुदूर गाँवों में पीने के स्वच्छ जल की व्यवस्था करना है। शोधार्थी के अध्ययन क्षेत्र के गाँवों में अभी भी पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। वहाँ के लोग गन्दा पानी पीने को मजबूर हैं। फलस्वरूप उन ग्रामों में लोग विभिन्न बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। इस दृष्टि से मध्यप्रदेश शासन ने इस दिशा में भी विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किए हैं जो निम्नानुसार है :–

1. **ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामों/मजरे/टोले/पारों में पेयजल का प्रदाय** : उन ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना जहाँ 1.6 किलोमीटर की दूरी तक अथवा 15 मीटर की गहराई तक कोई जल श्रोत नहीं है अथवा जल में लवण, लोहा, फ्लोराइड अथवा अन्य विषैले पदार्थ हैं या हैजा, गिनी कृमि आदि बीमारियाँ फैल रही हैं– उद्देश्य है। योजना के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित मापदंडानुसार कार्यवाही की जा रही है :–

   (क) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

   (ख) 250 की जनसंख्या पर एक हैण्डपम्प उपलब्ध कराना।

   (ग) शुद्ध पेयजल जो जैविक प्रदूषण, फ्लोराइड और खारेपन की अधिकता व लौह तत्व की अधिकता से मुक्त हो, की व्यवस्था करना।

जिलाध्यक्ष द्वारा घोषित समस्या मूलक ग्रामों में विभाग द्वारा योजना बनाकर सक्षम अधिकारी द्वारा योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाती है। योजना का शत्–प्रतिशत व्यय शासन द्वारा वहन किया जाता है।

2. ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम :

(क) उद्देश्य– 1. ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनता के लिए स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करना।

2. ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त शुष्क शौचालयों को स्वच्छ जलीय शौचालयों में परिवर्तित करना।

3. ग्रामीण महिलाओं के लिए स्नान व शौचालय जैसी आवश्यक मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए "महिला स्वच्छता प्रकोष्ठ" का निर्माण करना।

(ख) योजना का स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र– ग्राम पंचायत स्तरीय स्वास्थ्य समिति द्वारा चयनित गरीबी रेखा से नीचे के हितग्राहियों को शौचालय की कुल लागत रूपये 2700/– का 80 प्रतिशत अंशदान दिया जाता है। शेष 20 प्रतिशत राशि का वहन हितग्राही को स्वयं करना पड़ता है।

(ग) पात्र हितग्राही– गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले हितग्राहियों को ग्राम पंचायत के माध्यम से आवेदन देना होता है। इस आवेदन की पुष्टि व सत्यापन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से प्राप्त गरीबी रेखा से नीचे के हितग्राहियों की सूची से ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है।

(घ) योजना कियान्वयन की प्रकिया– गरीबी की रेखा से नीचे के चयनित हितग्राहियों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं/प्रशिक्षित राज मिस्त्री, मेसन या स्वयं हितग्राही द्वारा शौचालय निर्मित किए जाने की प्रकिया है।

(ङ) सम्पर्क– ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य समिति, उपखण्ड/विकासखण्ड स्तर पर सहायक यंत्री एवं जिला स्तर पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

किसी भी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा उस क्षेत्र की प्राथमिक आवश्यकताओं को प्रकट करता है। यह विकसित क्षेत्रों में डाक्टर व अस्पताल की अधिक संख्या में दिखाई देता है। जिनका आम जनता को लाभ मिलता है, वहीं पिछड़े क्षेत्रों में यह अनुपात कम होने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ कम लोगों को मिल पाता है। शोधार्थी का अध्ययन क्षेत्र भी उसी में से एक है, जहाँ आम जनता विशेषतया सौर जनजाति स्वास्थ्य सेवा का लाभ कम उठा पा रही है।

यदि हम पिछले 50 वर्षों पर दृष्टि डालें तो देखेंगे कि विगत समय की अपेक्षा क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य मे वृद्धि हुई है। हैजा, प्लेग, चेचक और मलेरिया जैसे रोगों से बचा जा सकता है। किन्तु शहरों और कस्बों में ही सरकार अस्पताल व डाक्टर है। ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या काफी कम है– सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। यहाँ के लोग एलोपैथिक इलाज के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर सौर जनजाति देशी जड़ी–बूटियों, आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग करते हैं। यद्यपि छूत की बीमारियों के अलावा कोढ़, अंधापन, लकवा, पोलियो आदि पर भी काबू पा लिया गया है। सौर जनजाति के लोग अधिक गरीबी व अशिक्षा के कारण अधिकतर उनके बच्चे अस्वस्थ व बीमार रहते हैं। इस दृष्टि से मध्यप्रदेश शासन ने सौर जनजाति के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निमित्त अनेकों सुविधायें कार्यान्वित की हैं जो निम्नानुसार है :–

1. **दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना :** यह योजना सभी गरीब व्यक्तियों को शासकीय अस्पताल में भर्ती होने पर निःशुल्क इलाज प्रदाय कराने की है। इसके लिए –

(क) दीनदयाल उपचार योजना का कार्ड बनवायें। कार्ड बनवाने गरीबी रेखा का नम्बर तथा परिवार के मुखिया की फोटो के साथ अपने उप स्वास्थ्य केन्द्र से सम्पर्क करें।

(ख) अस्पताल में भर्ती होने पर आवश्यक दवा, जाँच, ऑपरेशन की व्यवस्था अस्पताल प्रशासन करेगा।

2. **जिला/राज्य बीमारी सहायता निधि** : जानलेवा गंभीर बीमारी के इलाज के लिए रूपये 25000/– से 150000 की आर्थिक मदद सभी गरीब व्यक्तियों को मध्यप्रदेश शासन इलाज के लिए उपलब्ध कराता है।

आवेदन–पत्र निकट के स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध होता है। आवेदन जिला मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से जिला कलेक्टर के पास जमा होता है। रूपये 25000/– से रूपये 75000/– के प्रकरणों का निर्णय प्रभारी मंत्री तथा जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है। रूपये 75000/– से रूपये 150000/– के प्रकरणों का निर्णय माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण म0प्र0 द्वारा किया जाता है। यह योजना सिर्फ निम्न बीमारियों के इलाज के लिए हैं :–

(क) वक्ष शल्य क्रिया

(ख) कूल्हे का बदला जाना

(ग) रीढ़ की हड्डी का आपरेशन

(घ) हृदय शल्य क्रिया

(ङ) ब्रेन सर्जरी

(च) एम0डी0आर0

(छ) सिर की चोट जिसमें आपरेशन की आवश्यकता हो

(ज) गुर्दा प्रत्यारोपण

(झ) घुटने का बदला जाना

(ट) रेटिनल डिटेचमेंट

(ठ) न्यरोसर्जरी

(ड) सभी कैंसर सर्जरी कीमोथेरेपी एवं रेडियोथेरेपी

(ढ) प्रसूति उपरान्त जटिलताओं के इलाज प्रसूति उपरान्त जटिलताओं के इलाज।

3. **जननी सुरक्षा योजना** : शासकीय अस्पतालों के जनरल वार्ड में भर्ती होकर प्रसव कराने वाली सभी महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिलेगा—

- मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में भी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार की महिला के प्रसव होने पर जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिलेगा।

- सरकारी अस्पतालों में जचकी करवाने पर पात्र गर्भवती महिला को ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 1400/— एवं शहरी क्षेत्र में रूपये 1000/— की अनुदान राशि दी जायेगी तथा महिला को लाने वाले प्रेरक को भी ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 600/— एवं शहरी क्षेत्र में रूपये 200/— की राशि दी जायेगी।

4. **बालशक्ति योजना :**

- इस योजना का उद्देश्य गंभीर रूप से कुपोषित एवं बीमार बच्चों का इलाज कर उन्हें स्वस्थ्य बनाना है।
- प्रदेश के चिन्हित गंभीर रूप स कुपोषित 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे इसके पात्र होंगे।
- कुपोषित बच्चों को भर्ती करने के लिए अस्पताल लाने ले जाने के लिए रूपये 100/— परिवहन भत्ता दिया जायेगा।
- कुपोषित बीमार बच्चों का इलाज अस्पताल में भर्ती करके किया जावेगा। बच्चे को विशेष खुराक दी जावेगी। बीमार बच्चे के साथ

भर्ती माँ को रूपये 35/— प्रतिदिन नगद राशि दी जावेगी। इलाज की अधिकतम अवधि दो सप्ताह होगी।

- ग्राम स्तर पर शिविर का आयोजन किया जायेगा जिसमें गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया जायेगा। इलाज में भर्ती के दौरान उन्हें निःशुल्क दवाइयाँ दी जायेंगी।
- अस्पताल में भर्ती के दौरान माँ को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध आहार (भोजन) बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा ताकि वे घर जाकर भी बच्चे को पर्याप्त आहार दे सके।
- ऐसे कुपोषित बच्चे जिन्हें अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं हैं उनके परिवार के महिला सदस्य को भी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध आहार (भोजन) बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। ताकि वे घर में ही बच्चे को पोषण आहार देकर उन्हें स्वस्थ बना सकें।

5. **स्वास्थ्य सुविधायें** : जनसाधारण को प्रत्येक स्तर पर चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराना उद्देश्य है। चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं को हर स्तर पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से गैर आदिवासी 5000 जनसंख्या पर तथा 3000 आदिवासी जनसंख्या पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र, 30000 गैर आदिवासी जनसंख्या तथा 20000 हजार आदिवासी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र? एक से 1 लाख 20 हजार की जनसंख्या पर सामान्य क्षेत्र में तथा आदिवासी क्षेत्र में 80 हजार जनसंख्या पर एक सामुदायिक केन्द्र खोलने का उद्देश्य रखा गया है। इसके अलावा एक हजार की जनसंख्या पर एक दाई को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है।

6. **परिवार कल्याण कार्यकम** : छोटे परिवार की प्रणाली को अपनाने के लिए दम्पत्तियों को प्रोत्साहन देना उद्देश्य है। जनसंख्या की बढ़ोत्तरी पर अंकुश लगाने के लिए दम्पत्तियों को परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने, जिसमें

नसबन्दी, गोलियां और निरोध आदि शामिल है के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत दो बच्चों के बाद नसबन्दी कराने पर ग्रीन कार्ड का प्रदाय किया जाता है।

7. **राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम :** बच्चों–बूढ़ों और वयस्कों में अंधत्व की रोकथाम करना उद्देश्य है। बच्चों में विटामिन "ए" की कमी से होने वाले रतौंधी रोग की रोकथाम के लिए इस योजना में छः माह से पांच वर्ष तक पात्र बच्चों को विटामिन "ए" की निःशुल्क खुराक दी जाती है। वयस्कों और बुजुर्गों में अंधत्व मूलतः मोतियाबिन्द के कारण होता है। जिसे आपरेशन के द्वारा दूर किया जाता है।

8. **राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम :** मलेरिया रोग की रोकथाम और प्रभावित लोगों का उपचार उद्देश्य है। रोग का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। संभावित रोगी के खून की जांच कर लक्षण पाए जाने पर बचाव के उपाय किए जाते हैं।

9. **स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण :** स्कूली बच्चों का वर्ष में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण करना एवं उपचार के लिए सहायता देना उद्देश्य है। इस योजना में शालेय छात्र–छात्राओं का शाला में ही चिकित्सकों द्वारा परीक्षण कर उपचार किया जाता है। मुख्यतः दृष्टिदोष, रक्त अल्पता, रतौंधी, स्केबीज पर्याडर्मा, कान बहना, दंत रोग की जांग उपचार किया जाता है।

ग्रामीण समाज के अत्यन्त गरीब परिवारों के आर्थिक विकास की दृष्टि से वर्ष 2000–2001 में तात्कालीन मुख्यमंत्री श्री दिगविजय सिंह ने मध्य प्रदेश के 14 जिलों के 47 विकासखण्डों के चुने हुए 2100 गाँवों के अत्यन्त गरीब परिवारों को समूह बनाकर आर्थिक विकास का मार्ग स्वयं चुनने का अवसर देने तथा सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डी0पी0आई0पी0 अभिनव परियोजना प्रारम्भ की। जिसे इन्दिरा गाँधी गरीबी हटाओ परियोजना (District Poverty Initiatives

Project) के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना के अन्तर्गत जिला टीकमगढ़ की तहसील निवाड़ी जो कि शोधार्थी का अध्ययन क्षेत्र है के चयनित 5 गाँवों में से 4 गाँवों (उरदौरा, अस्तारी, नयाखैरा तथा जमुनियां) में यह परियोजना काम कर रही है। यह परियोजना गरीबी कम करने के प्रयासों के रूप में मध्यप्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह परियोजना समुदाय की माँग व आवश्यकताओं पर आधारित है।

शोधार्थी ने अध्ययन क्षेत्र में सौर जनजातियों के आर्थिक उत्थान हेतु डी0पी0आई0पी0 परियोजनान्तर्गत दी गई सहायता राशि का अवलोकन किया तथा जिन सौर जनजातियों को उनकी चयनित गतिविधि के लिए शत्–प्रतिशत अनुदान के रूप में राशि प्रदान की गई। उसे तालिका में दर्शाया गया हैं :–

क.सं.	ग्राम का नाम	समूह का नाम	गतिविधि का नाम	परियोजना द्वारा प्रदाय राशि	समूह के सदस्य	समूह के सदस्य का पद
1.	उरदौरा	जयशंकर समहित समूह	नवीन कूप निर्माण, डीजल पम्प	74100.00	1. श्रीमती पार्वती पत्नी श्री मलखान सौर 2. " कमलादेवी पत्नी हरीराम सौर 3. " रानीदेवी पत्नी श्री अनन्तराम सौर 4. " गनेशीबाई पत्नी श्री नन्दराम सौर 5. " जमुनाबाई पत्नी श्री दीनदयाल सौर 6. " कैकयी पत्नी देवेन्द्र सौर	1. अध्यक्ष 2. सचिव 3. बैंक सदस्य 4. बैंक सदस्य 5. सदस्य 6. सदस्य
2.	नयाखेरा	1. रामराजा समहित समूह	नवीन कूप निर्माण, डीजल पम्प	71000.00	1. श्री रग्गी पुत्र श्री दमरू सौर 2. " मूलचन्द्र पुत्र श्री रग्गी सौर 3. " रमेश पुत्र श्री रग्गी सौर 4. " रामसहाय पुत्र श्री रग्गी सौर 5. " लच्छू पुत्र श्री रग्गी सौर	1. अध्यक्ष 2. सचिव 3. बैंक सदस्य 4. बैंक सदस्य 5. सदस्य
		2. उदय समहित समूह	नवीन कूप निर्माण, डीजल पम्प	70000.00	1. श्री सुकन पुत्र श्री अमान सौर 2. श्री कल्लू पुत्र श्री फोसे सौर 3. श्री फोसे पुत्र श्री हल्के 4. श्री छक्की पुत्र श्री सुकन 5. श्री मनीराम पुत्र सुकन	1. अध्यक्ष 2. सचिव 3. बैंक सदस्य 4. बैंक सदस्य 5. सदस्य
		3. देवमाता समहित समूह	नवीन कूप निर्माण, डीजल पम्प	84000.00	1. श्री रामस्वरूप पुत्र श्री फुल्ले सौर 2. श्री कुंवरलाल पुत्र श्री लक्ष्मन सौर 3. श्री भागीरथ पुत्र श्री लक्ष्मन सौर 4. श्री धनीराम पुत्र श्री तनसू सौर 5. श्रीमती कस्तूरी पत्नी श्री तनसू सौर 6. श्रीमती पुल्तन पत्नी श्री लक्ष्मन सौर	1. अध्यक्ष 2. सचिव 3. बैंक सदस्य 4. बैक सदस्य 5. सदस्य 6. सदस्य
		4. तारामाई, समहित समूह	नवीन कूप निर्माण, डीजन पम्प	70000.00	1. श्रीमती बिन्ना पत्नी श्री रामदास सौर 2. श्रीमती कल्लन पत्नी श्री प्रकाश सौर 3. श्रीमती जसोदा पत्नी श्री हरदयाल सौर 4. श्रीमती बृजकुंवर पत्नी श्री उदयभान सौर 5. श्रीमती कांती पत्नी श्री हरकिशन सौर	1. अध्यक्ष 2. सचिव 3. बैंक सदस्य 4. बैंक सदस्य 5. सदस्य

क.सं.	ग्राम का नाम	समूह का नाम	गतिविधि का नाम	परियोजना द्वारा प्रदाय राशि	समूह के सदस्य	समूह के सदस्य का पद
3.	अस्तारी	1. कामतानाथ समहित समूह	नवीन कूप निर्माण, डीजल पम्प	70000.00	1. श्रीमती पार्वती पत्नी श्री रामकिशुन सौर 2. श्रीमती चिरौंजी पत्नी श्री सूके सौर 3. श्रीमती केसरबाई पत्नी श्री भूरे सौर 4. श्रीमती कल्लूदेवी पत्नी श्री मोहन सौर 5. श्रीमती अंगूरी पत्नी श्री भुवानी दास सौर	1. अध्यक्ष 2. सचिव 3. बैंक सदस्य 4. बैंक सदस्य 5. सदस्य
		2. सिद्धबाबा समहित समूह	बकरी पालन	47500.00	1. श्रीमती सिम्बू पत्नी श्री हरदयाल सौर 2. श्रीमती गुड्डी पत्नी श्री हरीराम सौर 3. श्रीमती राजकुंवर पत्नी श्री हरबल सौर 4. श्रीमती खिल्लन पत्नी श्री आशाराम सौर 5. श्रीमती नुनिया पत्नी श्री पन्ने सौर	1. अध्यक्ष 2. सचिव 3. बैंक सदस्य 4. बैंक सदस्य 5. सदस्य
		3. अछरू माता समहित समूह	नवीन कूप निर्माण, डीजल पम्प	83600.000	1. श्रीमती सोना पत्नी श्री कल्लू सौर 2. श्रीमती सृजन पत्नी श्री सुन्दर सौर 3. श्रीमती धनकू पत्नी रमोले सौर 4. श्रीमती हरकू पत्नी रवि सौर 5. श्रीमती मूर्ति पत्नी श्री मुलायम सौर 6. श्रीमती सुमित्रा पत्नी श्री खजुआ सौर	1. अध्यक्ष 2. सचिव 3. बैंक सदस्य 4. बैंक सदस्य 5. सदस्य 6. सदस्य
		4. राजगौढ़ समहित समूह	नवीन कूप निर्माण, डीजल पम्म	70000.00	1. श्रीमती मूर्ति पत्नी श्री घासीराम सौर 2. श्रीमती रामश्री पत्नी श्री काशीराम सौर 3. श्रीमती सुनीता पत्नी श्री चतुरे सौर 4. श्रीमती रामकली पत्नी श्री गोविन्दास सौर 5. श्रीमती रचकू पत्नी श्री प्रेमा सौर	1. अध्यक्ष 2. सचिव 3. बैंक सदस्य 4. बैंक सदस्य 5 सदस्य
		5. भुमिया बाबा समहित समूह	नवीन कूप निर्माण, डीजल पम्प	83600.00	1. श्रीमती मुन्नी पत्नी श्री बुद्धु सौर 2. श्रीमती सुमित्रा पत्नी श्री मुकुन्दी सौर 3. श्रीमती फूला पत्नी श्री फुल्लन सौर 4. श्रीमती धरवंती पत्नी श्री हरगोविन्द सौर 5. श्री गजेन्द्र पुत्र श्री पंचे सौर	1. अध्यक्ष 2. सचिव 3. बैंक सदस्य 4. बैंक सदस्य 5. सदस्य
		6. भाँवरी माता समहित समूह	नवीन कूप निर्माण, डीजल पम्प	83600.00	1. श्रीमती सुखिया पत्नी श्री रामदयाय सौर 2. श्रीमती रधिया पत्नी श्री परम सौर 3. श्रीमती सुमन पत्नी श्री भवानीदास सौर 4. श्री काशीराम पुत्र श्री भगोने सौर 5. श्रीमती मेवा पत्नी श्री कलयन सौर 6. श्रीमती कुसुमा पत्नी श्री भगोने सौर	1. अध्यक्ष 2. सचिव 3. बैंक सदस्य 4. बैंक सदस्य 5. सदस्य 6. सदस्य

क.सं.	ग्राम का नाम	समूह का नाम	गतिविधि का नाम	परियोजना द्वारा प्रदाय राशि	समूह के सदस्य	समूह के सदस्य का पद
3.	अस्तारी	7. महावीर समहित समूह	नवीन कूप निर्माण, डीजल पम्प	112000.00	1. श्रीमती रम्मू बाई पत्नी श्री फुसू सौर	1. अध्यक्ष
					2. श्रीमती लाड़ली पत्नी श्री अतर सौर	2. सचिव
					3. श्रीमती देवकुंवर पत्नी श्री आशाराम सौर	3. बैंक सदस्य
					4. श्रीमती बती पत्नी श्री कोमल सौर	4. बैंक सदस्य
					5. श्रीमती पनकू पत्नी श्री कल्लू सौर	5. सदस्य
					6. श्रीमती प्रेम पत्नी श्री मुन्ना सौर	6. सदस्य
					7. श्रीमती पार्वती पत्नी श्री पप्पू सौर	7. सदस्य
					8. श्रीमती प्रेम बाई पत्नी श्री रामप्रसाद सौर	8. सदस्य
4.	जमुनियां	1. ठाकुर बाबा समहित समूह	नवीन कूप निर्माण, डीजल पम्प, जमीन समतलीयकरण, फल–पौध रोपण	134900.00	1. श्रीमती बिजना पत्नी श्री प्यारेलाल सौर	1. अध्यक्ष
					2. श्रीमती कल्लन पत्नी श्री लछमन सौर	2. सचिव
					3. श्रीमती गिरजा पत्नी श्री धनीराम सौर	3. बैंक सदस्य
					4. श्रीमती जमुना पत्नी श्री मानिक लाल सौर	4. बैंक सदस्य
					5. श्रीमती मुन्नी पत्नी श्री भन्ता सौर	5. सदस्य
					6. श्रीमती गुलाब पत्नी श्री रमसू सौर	6. सदस्य
					7. श्रीमती गुड्डो पत्नी श्री सूरजभान	7. सदस्य
					8. श्रीमती कस्तूरी पत्नी श्री मातादीन सौर	8. सदस्य
					9. श्रीमती रामकली पत्नी श्री हेमराज सौर	9. सदस्य
					10. श्री कुम्भकरण पुत्र श्री प्यारेला सौर	10. सदस्य

सरकार द्वारा विभिन्न पंचवर्षीय योजना के माध्यम से जनजातीय समाज के कल्याण व विकास के लिए लगातार प्रयत्न किये गये, किन्तु आदिवासी समाज आज भी एक सबसे निर्धन वर्ग है।

डी0पी0आई0पी0, परियोजना के अन्तर्गत चयनित अध्ययन क्षेत्र में निम्नलिखित सार्वजनिक कार्य कराये गये है :–

नयाखेरा में सार्वजनिक कार्य

गतिविधि	राशि (रूपये)	समूह का नाम
1. तलैया निर्माण	136450.00	माँ भगवती समहित समूह
2. नाला चैकडैम	274500.00	कृषि मित्र समहित समूह
3. पुलिया निर्माण	138700.00	कृष्णा समहित समूह
4. बाउण्ड्री बाल	76900.00	बालगोपाल समहित समूह

उरदौरा में सार्वजनिक कार्य

गतिविधि	राशि (रूपये)	समूह का नाम
1. स्टापडेम	172500.00	कारसदेव समहित समूह
2. सी0सी0 रोड	442700.00	खंजाबाबा समहित समूह

अस्तारी में सार्वजनिक कार्य

गतिविधि	राशि (रूपये)	समूह का नाम
1. सी0सी0 रोड	240300.00	गंगा समहित समूह
2. स्टामडेम कम रपटा	260137.00	राधा समहित समूह
3. स्टामडेम	233330.00	महात्मा गाँधी समहित समूह

आर्थिक प्रतिमानों का विवरण :

भारतवर्ष एक ग्राम प्रधान देश है तथा यहाँ कि अधिकाँशतः जनसंख्या ग्रामीण अंचलों निवास करती है। ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाली भारतवर्ष की अधिकांशतः जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे आती है। शोधार्थी ने अध्ययन क्षेत्र के चयनित ग्रामों में सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदाताओं की मासिक आय की जानकारी में निम्न तथ्य प्राप्त किये।

क0 सं0	ग्राम का नाम	मासिक आय वर्ग तथा अभिमतदाताओं की संख्या							कुल अभिमत दाता
		0 से 500	501 से 1000	1001 से 1500	1501 से 2000	2001 से 2500	2501 से 3000	3000 से अधिक	
1.	अस्तारी	–	25	35	–	–	–	–	60
2.	उरदौरा	–	14	46	–	–	–	–	60
3.	कुलुआ	–	24	34	–	–	01	01	60
4.	नयाखेरा	–	12	46	–	–	02	–	60
5.	जमुनियां	–	14	45	–	01	–	–	60
		–	89	206	–	01	03	01	300

तालिका से स्पष्ट है कि सूचनादाता के रूप में लिये गये 300 सौर जनजातियों में सर्वाधिक संख्या (1001 से 1500 तक) आय वर्ग के अन्तर्गत आने वाले सौर अभिमतदाताओं की है तथा दूसरे स्थान पर वे अभिदाता है जो 501 से 1000 तक आय वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। तीसरे स्थान पर वे उत्तरदाता है जो 2501 से 3000 तक आय वर्ग तक आते हैं। चौथे व पांचवे स्थान पर एक–एक अभिमतदाता क्रमशः 2001 से 2500 तक तथा 3000 से अधिक आय वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

आय के स्रोतों का विवरण :

प्रत्येक मनुष्य को जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त आय की आवश्यकता होती है, जिसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों से अर्जित करता है तथा इन स्रोतों की उपलब्धता स्थान, परिस्थिति तथा स्थान की भौगोलिक संरचना के आधार पर निश्चित होती है। ग्रामीण अंचलों में ग्रामीण जनों की आय का मुख्य स्रोत कृषि ही होती है।

यद्यपि कुछ व्यक्ति अन्य स्रोतों से भी अपनी आय अर्जित करते हैं। प्रस्तुत तालिका आय के स्रोतों से सम्बन्धित है :–

क0सं0	ग्राम का नाम	आय के स्रोत तथा अभिमतदाताओं की संख्या				कुल अभिमतदाता
		मात्र कृषि	कृषि तथा श्रमिक	नौकरी	अन्य स्रोत	
1.	उरदौरा	–	60	–	–	60
2.	अस्तारी	–	60	–	–	60
3.	कुलुआ	–	58	02	–	60
4.	नयाखेरा	–	58	02	–	60
5.	जमुनियां	–	59	01	–	60
		–	295	05	–	300

तालिका से स्पष्ट होता है कि अभिमतदाताओं के रूप में लिये गये 300 ग्रामीण सौर जनजाति व्यक्तियों में से सर्वाधिक 295 सौर अभिमतदाता कृषि तथा श्रमिक से अपनी आय अर्जित करते हैं तथा द्वितीय स्थान पर वे सौर अभिमतदाता है जो नौकरी से अपनी जीविका अर्जित करते हैं, उनकी संख्या मात्र 05 है। ग्रामीण अंचलों में कृषि ही आजीविका का प्रमुख साधन है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आय के अन्य स्रोतों के लिए पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध नहीं हो पाता। यही कारण है कि ग्रामीण जन अपनी जीविका के लिये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं तथा कृषि श्रमिक के साथ–साथ मजदूरी करके भी अपनी जीविका चलाते हैं। अतः स्पष्ट है कि सूचनादाताओं के रूप में लिये गये 300 सौर जनजातियों में से सर्वाधिक 295 सौर उत्तरदाता अपनी जीविका कृषि कार्यो तथा मजदूरी करके चलाते हैं। यही कारण है कि सूचनादाताओं के रूप में लिये गये 300 सौर अभिमतदाताओं में से 295 अभिमतदाता निम्न आय के अन्तर्गत आते हैं।

चयनित अध्ययन क्षेत्र के ग्रामों में इन्दिरा आवास योजना के द्वारा सौर जनजाति के निम्नलिखित व्यक्तियों को योजना का लाभ दिया गया है :–

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	लाभान्वित व्यक्ति का नाम	कुल संख्या
1.	कुलुआ	रमकू पुत्र श्री मसलती सौर लघु पुत्र श्री करी सौर गनू पुत्र श्री करी सौर गोविन्द दास पुत्र श्री मथुराई सौर	04
2.	नयाखेरा	कपूर पुत्र श्री रग्गी सौर लक्ष्मन पुत्र श्री सरमन सौर घन्सू पुत्र श्री रतन सौर	03
3.	उरदौरा	लाड़कुंवर पत्नी श्री सट्टे सौर	01
4.	अस्तारी	स्वीकृत नहीं	–
5.	जमुनियां	स्वीकृत नहीं	–

अनुसूचित जनजाति विकास के लिए मध्य प्रदेश शासन की योजनाएं (आगे आये लाभ उठाये) जन सम्पर्क विभाग का प्रकाशन नामक पुस्तक वर्ष 1996 में प्रकाशित हुई है। जिसमें म0 प्र0 शा0 के विभागों द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी हितग्राही योजनाओं का संकलन है। इसमें मुख्य सचिव म0प्र0 शासन बल्लभ भवन, भोपाल ने इस पुस्तक के माध्यम से जनसेवकों के नाम पत्र से अपील की है कि इस संकलन की असली सार्थकता तो यह है कि इसे आम आदमी जिसे काम लाभ मिल रहा है पढ़ सके, समझ सके तथा यह जानकारी प्राप्त कर ले कि उसे किन कार्यक्रमों से किस तरह का लाभ क्या करने से मिल सकता है। यद्यपि आज की परिस्थिति में जहाँ निरक्षता अभी भी राज्य के गाँव में व्यापक पैमाने पर है वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इन कार्यक्रमों का लाभ देना उद्देश्य है, जो पढ़ने की हालत में नहीं है फिर भी इस संकलन का उपयोग हर हितग्राही तक पहुंचाने के लिए किया जावे यह काम वे सब कर सकते हैं, जो इसे पढ़ना चाहे, चाहे वह लोक सेवक हो, जनता के प्रतिनिधि हो।

यद्यपि सरकार सौर जनतातियो में आर्थिक उन्नयन के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रही है। इन्हें सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शत्–प्रतिशत अनुदान राशि उपलब्ध कराई जा रही है। जिससे कि ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके।

शोधार्थी ने अध्ययन के दौरान पाया कि अभी भी सौर जनजाति शिक्षा से उपेक्षित है। युवा पीढ़ी में अवश्य ही शिक्षा के प्रति समझ बढ़ी है। अशिक्षा विभिन्न दुर्व्यसनों को जन्म देती है और सौर जनजाति भी इसी समस्या से पीड़ित है। अधिकांश सौर लोग जुआँ, शराब तथा अनैतिक, असमाजिक कार्यो में लिप्त है, जिससे इनकी आर्थिक दशा और दिशा में अपेक्षित सुधार नही हो पा रहा है।

शासकीय अनुदान का करोड़ों रूपया इन पर प्रतिवर्ष खर्च किया जा रहा है, लेकिन शैक्षिक जागरूकता की कमी के कारण इसका सही सदुपयोग सौर लोग नहीं कर पा रहे है। स्वयं सेवी संगठनों तथा शिक्षाविदों से अपेक्षा की जाती है कि वह आगे बढ़कर सौर जनजातियों में शिक्षा का आलोक विखेरे तभी उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो पायेगा।

सरकार को चाहिये कि जनजातीय कल्याण हेतु उच्च शिक्षा से सम्बन्धित संस्थाओं का भी विस्तार करें क्योंकि शोधार्थी ने अपने सर्वेक्षण के दौरान पाया कि सौर जनजाति के अधिकांश गांवों में प्राइमरी, माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध नहीं है। शिक्षा ही अच्छे संस्कारों को जन्म देती है। तथा अच्छे संस्कारों के द्वारा ही कम पैसे में सादगी के साथ सम्मानजनक जीवन व्यतीत किया जा सकता है। अन्त में शोधार्थी के रूप में मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जब तक सौर लोगों के शैक्षिक स्तर में सुधार नहीं होगा तब तक इनके आर्थिक स्तर में सुधार की बात करना बेइमानी है।

अध्याय- षष्ठम्

सौर जनजाति संक्रमणकाल में

सौर जनजाति संक्रमण काल में :

परिवर्तन प्रकृति का शास्वत अटल नियम है। समाज भी प्रकृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए इसमें भी परिवर्तन अवश्यांभावी है । पश्चिमीकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण जैंसी प्रक्रियायें भारतीय समाज में गतिशील हैं जिसका प्रभाव समाज के प्रत्येक वर्ग पर पड़ रहा है। जनजातीय समाज भी इन प्रभावों से अछूता नहीं है। सौर जनजाति पर इन प्रक्रियाओं के साथ–साथ पंचायती राज व्यवस्था ने सर्वाधिक प्रभाव डाला है और उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक जीवन में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न हुआ है।

दो बिन्दुओं के बीच के काल कों संक्रमण काल कह सकते है। सौर जनजातियाँ अपने परम्परागत गुणों को पूरी तरह से विस्मृत नहीं कर पा रही हैं तथा आधुनिक परिवेश को पूरी तरह आत्मसात् भी नहीं कर पा रही है फलस्वरूप वह संक्रमण की स्थिति में है।

सौर जनजाति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के क्षेत्र में शोधार्थी ने पाया कि इस जनजाति की सांस्कृतिक विशेषताएं इनकी विशिष्टता एवं पहचान रही है। सौर जनजाति की संस्कृति अन्य सभ्य सामाजिक समूहों की संस्कृति से पर्याप्त भिन्न थी। सभ्य समाज तथा सौर जनजाति समाजों के सामाजिक संस्करण, परिवार व्यवस्था, विवाह पद्धतियों, नातेदारी, धार्मिक विश्वासों, कानूनों, न्याय, कला, धर्म, जादू, टोना–टुटका, खान–पान, रहन–सहन, तथा वेशभूषा एवं व्यवहार के अनेक प्रतिमानों में स्पष्ट अन्तर एवं भिन्नता थी। सौर जनजाति समाज आत्म निर्भर था तथा अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं के माध्यम से अपनी पारस्परिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते थे।

भारत में अंग्रेजों के आगमन तथा इनके शासन स्थापित होने से सौर जनजाति के सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप प्रारम्भ हो गया। अंग्रेजी शासन के साथ

भारत में आने वाली ईसाई मिशनरियों ने दो रूपों में प्रयास प्रारम्भ किया। एक ओर तो ईसाई धर्म एवं संस्कृति के प्रचार–प्रसार के लिए प्रयास शुरू किये तथा दूसरी ओर हिन्दू धर्म एवं संस्कृति के प्रति तिरस्कार की भावना को बढ़ावा दिया। इस दोहरी नीति के परिणामस्वरूप भारत के लाखों आदिवासियों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेने के बाद भी भारतीय आदिवासियों की सामाजिक स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन या सुधार नहीं हुआ। इसके दो मुख्य कारण थे– प्रथम कारण यह था कि इस प्रकार से धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासी ईसाई समाज में पूरी तरह नहीं मिल पाये तथा दूसरी ओर वे स्वयं अपने आदिवासी समाज से भी अलग हो गए। इस विकट स्थिति के कारण इन जनजातीय सदस्यों को विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा।

जब भारत में ईसाई मिशनरियों का जनजातीय क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ने लगा, तब भारत के विभिन्न हिन्दू संगठनों का ध्यान भी जनजातीय समाज की ओर उन्मुख हुआ। यही नहीं महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर और जवाहर लाल नेहरू ने भी स्पष्ट शब्दों में पादरी विद्वानों के घटिया साहित्य और उनके धर्मान्तरणों की भर्त्सना की। जनजातियों को भारतीय समाज से काटने के ईसाई पादरियों के प्रयासों पर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है –

"The Christion missionaries themselves have contributed to this insensitiveness and contempt for alien race and cultivation. In the name of brotherhood and the blindness of sectarcan bride, they create misunderstanding, this they make permanent in their text books and poison the susceptible minds of the young." (Page 17, Vishwa Bharti and its institutions – A Poet's School – Rabindranath Tagore)

जवाहर लाल नेहरू और महात्मा गांधी ने तो बार–बार कहा है कि ब्रिटिश अपनी सुनियोजित नीति के अन्तर्गत जनजातियों को अलग रखने का भरसक प्रयास करते रहे है ताकि स्वतंत्रता की ज्योति उन तक न पहुँच सके।

वस्तुतः बात इससे भी आगे थी। अंग्रेजों ने "फूट डालो–राजकरो" नीति के तहत धर्मान्तरण से एक ऐसा वर्ग पैदा करना चाहा था जो भारत की मिटटी से अलग किया जा सके । धर्म परिवर्तन के साथ किसी न किसी हद तक आपसी दुराव तो पैदा होता ही। निर्मल कुमार बोस (1953) लिखते है।

"Converts to Christianity have not Identified themselves wholly with the joys and sorrows of Indian nation, and have now and then even acted in an unhappy separatist fashion – (N. K. Bose in cultural Anthropology and other essay: Chapter – Tribal Welfare)

इसके उपरान्त हिन्दू संगठनों ने भी जनजातीय समाज को अपने धर्म एवं संस्कृति की ओर आकृष्ट करने का प्रयास आरम्भ किया। इसके लिए इन हिन्दू संगठनों ने भी जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक–सांस्कृतिक प्रचार कार्य प्रारम्भ किया। हिन्दू संगठनों के इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप अनेक जनजातियाँ हिन्दू धर्म की ओर आकृष्ट हुयी तथा इन्होने जनजातीय धर्म को छोड़कर हिन्दू धर्म को स्वीकार कर लिया।

सौर जनजाति ने सबसे ज्यादा हिन्दू धर्म, हिन्दू संस्कृति को आत्मसात् किया है, क्योंकि अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि सौर जनजाति ने अपने कुल देवता, ग्राम देवता, वनदेवी आदि के साथ–साथ हिन्दूओं के देवी देवताओं राम सीता, हनुमान, शंकर, दुर्गा माँ, काली मां, कृष्ण आदि की पूजा–पाठ करने लगे हैं तथा धार्मिक अनुष्ठान भी करने लगे है। इस प्रकार सौर जनजाति ने एक ओर तो हिन्दू धर्म को आत्मसात् किया किन्तु पूरी तरह से अपने ग्राम देवता (घटोइयां बाबा),

वनदेवी को विस्मृत नहीं कर पाये है। अध्ययन क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में सौर जनजाति के ग्राम देवता को स्थापित पाया गया है।

सौर जनजाति पर हिन्दू संस्कृति का प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ा है। इसका मुख्य कारण यह रहा है कि वे जिन अंचलों में निवास कर रहे हैं। उनमें हिन्दू संस्कृति के प्रत्यक्ष और निरन्तर सम्पर्क में आते है। इस सम्पर्क के कारण सबसे पहले उन्होनें हिन्दुओं की भौतिक संस्कृति को ग्रहण किया। उन्होंने अपनी वेशभूषा बदली और अद्धनग्न धोती की जगह कुर्ता–पायजामा और पेंट–शर्ट पहनना शुरू कर दिया। महिलाओं ने साड़ी–ब्लाउज पहनना शुरू किया। खान–पान भी हिन्दुओं की तरह शुरू कर दिया चावल, दाल, सब्जी गेहूं की रोटी भोजन में लेने लगे है। पहले यह कोदो–कुटकी (मोटा अनाज) भोजन में लिया करते थे। यद्यपि यह शाकाहारी एवं माँसाहारी दोनो प्रकार का भोजन करते हैं। फिर भी धीरे–धीरे उन्होनें माँस का परित्याग कर अधिकांश हिन्दुओं की भाँति शुद्ध शाकाहारी बनना पसंद किया है। सौर जनजाति ने अन्य सभ्य जाति के सम्पर्क से उनकी संस्कृति, रीति–रिवाजों, भाषा, खान–पान आदि को अपना तो लिया – फिर भी यह वर्ग सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है।

इसके अलावा सौर जनजाति ने हिन्दुओं की तरह विवाह पद्धति धार्मिक अनुष्ठान, पूजा–पाठ इत्यादि को भी अपना लिया है। वैवाहिक रीतियों में हिन्दू संस्कृति का मंडप, अग्निवेदी और मंत्रों के उच्चारण ने इन्हें आकर्षित किया। पत्तों–फलों से आच्छादित मंडप के नीचे अग्नि के समक्ष ब्राह्मण द्वारा मंत्रोच्चारण और अग्निवेदी के सात फेरो की रस्म को वे अब जरूरी मानने लगे है। यह सौर जनजाति पर हिन्दू संस्कृति का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। यह अपनी परम्परागत रीति–रिवाज को भी विस्मृत नहीं कर पा रहे है। जैसे कि विवाह के पूर्व अपने कुल देवता/ग्राम, देवता/वनदेवी की पूजा–पाठ करते है। तथा विवाह के पश्चात लड़का–लड़की को अपने कुल देवता/ग्राम देवता/वन देवी की पूजा करना अनिवार्य माना जाता है।

सौर जनजाति ने हिन्दू त्यौहारों जैसे कि दीवाली, दशहरा, होली, रक्षाबन्धन आदि को भी मनाने लगे है।

सौर जनजातियों के अध्ययन से पता चला कि स्वास्थ्य चिकित्सा सम्बंधी उनके विचार अंधविश्वास एवं धर्म के नियमों से नियंत्रित होते है। केवल अस्वस्थता की चरम सीमा आने पर ही वे अपने धार्मिक आदेशों की सीमा लाँघने के लिए विवश होते है और अस्पताल अथा डाक्टर के पास जाते है। फलस्वरूप वह संक्रमण की स्थिति में है। सौर जनजाति में कोई भी बीमारी अथवा प्राकृतिक प्रकोप हो उसके वे दो ही कारण मानते हैं –

एक– ग्राम्य देवी, देवता क्रुद्ध हो गये है जिनकी नाराजगी के कारण आपत्ति आ जाती है।

दो– जादू–टोना, भूत और टोटका भी बीमारियों के कारण है।

देवी देवताओं को संतुष्ट करके उन्हें शांत कराने का काम भगत या ओझा का होता है। शांति कायम करने की उनकी एक निश्चित पद्धति है। अनिष्टकारक और आसुरी शक्तियों से गाँव को सुरक्षित रखने के लिए बलि पूजन का वार्षिक कार्यक्रम किया जाता है। ये लोग विश्वास करते है कि ऐसा करने से चेचक, हैजा आदि बीमारियों से भी बचाया जा सकता है।

इनका आदिवासी डाक्टर भगत या ओझा कहलाता है। अस्वस्थ होते ही भगत से सम्पर्क किया जाता है और वह अपनी नियत फीस लेकर झाड़–फूंक आरम्भ करता है। यह कार्यक्रम मरीज के अन्तिम दम तक चलता है। यह झाड़–फूंक वास्तव में यातनापूर्ण प्रक्रिया है। इसके साथ ही वह जंगली औषधियों का भी प्रयोग करके मरीज को ठीक करने का प्रयत्न्न करता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि ये लोग अनेकों औषधि वाले पौधों को जानते है और उनका उपयोग भी करते है। इन पौधों की जड़ से लेकर पत्ती तक की उपयोगिता का इन्हें ज्ञान हैं। अगर इनके इसी ज्ञान को व्यवस्थित करके उनकी ही इसी औषधि

पद्धति को उन्हें दिया जाए तो शायद वे अधिक सहजता से स्वीकार कर सकेगें। कुल मिलाकर आज भी सौर जनजाति बीमार होने पर डाक्टर के पास न जाकर भगत के पास ही जाता है। असहाय स्थिति आने पर ही वह चिकित्सा की आधुनिक पद्धति की ओर आता है तब तक अनेक रोगी नहीं बचाये जा सकते ऐसी दशा में भगत उनकी मृत्यु का अत्यधिक प्रचार करके आधुनिक पद्धतियों की विफलता को उजागर करते हुए अपनी धाक जमाने की कोशिश करता है। इस प्रकार सौर जनजाति न ही चिकित्सा की आधुनिक पद्धति को अपना पा रही है और न ही अपनी परम्परागत झाड़—फूक, जंगल औषधियों के प्रयोग को छोड़ पा रही है। अतः यह जनजाति संक्रमण की स्थिति में है। यद्यपि सौर जनजाति ने हिन्दू धर्म को आत्मसात किया हिन्दुओं के धार्मिक ग्रंथों रामायण, भागवत—गीता आदि में इन्हें आस्था है फिर भी यह अपने परम्परागत झांड़—फूंक, अंधविश्वास, कुपरम्पराओं को नहीं छोड़ पा रहे है। भाग्यवाद, टोना—टोटका, भूत—.पलीत, बलि प्रथा जैसे अंध विश्वासों में जकड़े हुए है। इसलिए यह पूरी तरह से न तो हिन्दू संस्कृति को अपना पा रहे है और न ही टोना—टोटका, भूत—पलीत, बलि प्रथा जैसे अंध विश्वासों को छोड़ पा रहे है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि प्रारम्भ में सौर जनजाति आवास विहीन थी आवास का अभाव समाज में असमानताओं में वृद्धि करता है। यह जनजाति गाँव से दूर टोलो/मजरों/अनुर्वर पठारों के उन आँचलों में बसी थी जिन्हें आधुनिक समाज की अर्थदृष्टि अनुत्पादक मानती है। धीर—धीरे इन्होंने अपने मकान लकड़ी, बाँस, मिटटी और घासफूस से बनाना प्रारम्भ किये। इनके मकानो पर मिट्टी का प्लास्टर लगा हुआ अभी भी देखा जा सकता है। इनके मजरों में चबूतरे भी प्रतिष्ठापित है। इन चबूतरों पर ग्राम्य देव की प्रतिष्ठा होना बताते है।

सौर जनजाति के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि यह अब से कुछ काल पूर्व तक अशिक्षित थी सरकार के शिक्षा के प्रति लगातार प्रयासों के फलस्वरूप शोधार्थी के अध्ययन क्षेत्र में सौर जनजाति का कुल साक्षरता का प्रतिशत 18 है जो न्यूनतम है। अतः शिक्षा के प्रति सौर जनजाति में जागरूकता का अभाव देखा गया है।

शोधार्थी ने अध्ययन के दौरान पाया कि इस जनजाति में प्राइमरी तक शिक्षा के प्रति रूझान पाया गया, प्राइमरी के पश्चात यह पढ़ाई के प्रति रूचि नहीं रखते है। सरकार के भरसक प्रयासों के बावजूद भी यह शिक्षा के प्रति आकृष्ट नही हो सके है। यह न ही उच्च शिक्षा को प्राप्त कर पा रहे है और न ही शिक्षा के महत्व को स्वीकार कर पा रहे है।

सौर जनजाति ने अपने पैत्रृक व्यवसाय को छोड़कर कृषि तथा कृषि श्रमिक एवं मजदूरी को अपना व्यवसाय चुन लिया है। किसान और खेती इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसलिए सच ही कहा गया है कि हमारे देश की समृद्धि का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है क्योंकि यहाँ कि दो तिहाई जनता कृषि कार्य में सलंग्न हैं। इस प्रकार हमारी कृषि व्यवस्था पर ही देश की समृद्धि निर्भर करती है।

कृषि व्यवस्था को विज्ञान ने एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया हैं जिसके कारण आत्म निर्भरता की स्थिति तक उत्पादन बढ़ा है। इस वृद्धि में उन्नत किस्म के बीजों का, उर्वरकों का, सिंचाई के साधनों का, जल संरक्षण एवं पौध संरक्षण का उल्लेखनीय योगदान रहा है जबकि पिछले दशकों में इन सौर जनजातियों के पास उन्नत बीजों, उर्वरकों, सिचाई साधनों, पौध संरक्षण एवं अपनी कृषि उपज बढ़ाने के लिए नई तकनीक की जानकारी न होने के कारण उपज बहुत कम ले पाते थे या उनकी भूमि खाली पड़ी रहती थी। सिचांई के साधन आवश्यकतानुसार उपलब्ध नहीं थे। इनकी खेती वर्षा जल पर निर्भर थी फलस्वरूप खरीफ की ही थोड़ी बहुत फसल ले पाते थे।

म0प्र0 शासन की योजनाओं से उक्त अध्ययन क्षेत्र के ग्रामों में सौर जनजाति के सिचांई साधन एवं सिंचित क्षेत्र में अभिवृद्धि हुई।

किसान को अपनी कृषि की उपज बढ़ाने के लिए नई तकनीक चाहिये। उन्नत किस्म के बीज चाहिए। उर्वरक और सिचांई के साधनों के अलावा बिजली भी

चाहिये। इस दिशा में सौर जनजाति में जागृति आई है – फलस्वरूप सिंचाई साधनों में वृद्धि एवं नई तकनीक के प्रयोग से खरीफ एवं रबी फसलों के क्षे0 फ0 में बृद्धि व नई तकनीक के प्रयोग के सुखद परिणाम भी सामने आये है।

सौर जनजाति वर्तमान में हिन्दू संस्कृति के तत्वों को ग्रहण कर रही है। इन तत्वों में हिन्दू धर्म का अत्यधिक प्रभाव सौर लोगों पर दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ सौर लोग अपनी कुछ धार्मिक मान्यताओं को भी साथ लेकर चल रहे है। इस तरह सौर जनजाति समाज परम्परा और आधुनिकता के बीच जीवन–यापन कर रहा है। परसंस्कृति ग्रहण के फलस्वरूप विभिन्न समस्याओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। खान–पान, वेशभूषा, रहन–सहन, धार्मिक आचरण इत्यादि में हिन्दू संस्कृति की स्पष्ट छाप इनमें दिखाई पड़ती है।

शोधार्थी ने अपने शोध अध्ययन में यह महसूस किया कि सौर समुदाय के लोगों को सौर जनजाति न कहकर सौर जाति कहा जा सकता है।

अध्याय- सप्तम्

सौर जनजाति का राजनीतिकरण

राजनीतिक जीवन में परिवर्तन

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के साथ–साथ एक राजनीतिक प्राणी भी है :–

किसी भी समाज में राजनीतिक चेतना एकाएक नहीं आती वरन् एक दूसरे के राजनीतिक संस्कृति के आदान–प्रदान, देश–विदेश की राजनीतिक गतिविधियों, वातावरण का प्रभाव किसी समाज में राजनीतिक चेतना के लिए उत्तरदायी होता हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म से ही राजनीतिक नहीं होता बल्कि समाज मे रहकर राजनीति संस्कृति के अधिग्रहण के द्वारा उसमें राजनीतिक चेतना पैदा होती है और वह धीरे–धीने राजनीति की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी राजनीति संस्कृति अधिग्रहण की प्रक्रिया को राजनीति समाजीकरण कहा जाता हैं। इस बारे में हटिंगटन क विचार देना महत्वपूर्ण है "राजनीतिक आधुनिकीरण एक बहुमुखीय प्रक्रिया हैं जिसमें मानवीय विचारों एवं क्रियाओं के समस्त क्षेत्रों में परिवर्तन शामिल है।"

जनजातियों में राजनीतिक चेतना वर्तमान समाज में कोई नवीन मुद्दा नहीं है। यह सत्य है कि भारत की जनजातियों में अपनी अलग–अलग सांस्कृतिक मान्यताऐं हैं परन्तु वे सदा ही भारत देश की अंग रही हैं तथा देश के सामाजिक–राजनीतिक जीवन में विभिन्न जनजातियों का उल्लेखनीय योगदान भी रहा है। सामाजिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप भारत की जनजातियों के जीवन–परिस्थितियों में भी अनेक परिवर्तन हुए हैं। यह कहा जा सकता है कि विगत 150–200 वर्षो में भारत के जनजातीय समाज ने बाहरी सम्पर्क के परिणाम स्वरूप अनेक परिवर्तनों का सामना किया है। इस प्रकार से परिवर्तित परिस्थितियों में जनजातीय समाजों ने अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का भी सामना किया है। इन परिवतर्तित एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के परिणामस्वरूप भारतीय जनजातियों द्वारा अनेक आंदोलन भी चलाये गये। ये आंदोलन मुख्य रूप से सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलन थे। राजनीतिक आन्दोलनों को क्षेत्रीय आधार पर तीन वर्गो में बाँटा जा सकता है, ये वर्ग है :–

- पूर्वी भारत की जनजातियों द्वारा आन्दोलन
- छोटा नागपुर की जनजातियों द्वारा आन्दोलन
- मध्य भारत की जनजातियों द्वारा आन्दोलन

इन आन्दोलनो का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

पूर्वी भारत की जनजातियों द्वारा आन्दोलन :

पूर्वी भारत में अनेक जनजातियों का निवास है, जिनमें से मुख्य है – नागा, गारो, खासी, कूकी, डकला आदि। एक ही क्षेत्र में रहने वाली इन जनजातियों की भाषायें अलग–अलग हैं तथा सांस्कृतिक भिन्नता भी है। इस क्षेत्र की जनजातियों की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि जनजातियाँ सांस्कृतिक तथा राजनैतिक दृष्टि से जागरूक है। इसका एक कारण यह है कि ये जनजातियाँ पाश्चात्य सभ्यता के सम्पर्क में अधिक रही हैं। इस क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों की गति विधियाँ अधिक रही हैं। इन्हीं मिशनरियों के सम्पर्क एवं प्रयासों के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र की जनजातियों ने काफी संख्या में ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया इस क्षेत्र में अनेक जनजातीय आन्दोलन हुए है। ये आन्दोलन मुख्य रूप से राजनैतिक प्रकार के थे। जब तक भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित नहीं हुआ था, तब तक इस क्षेत्र में जनजातीय आन्दोलन स्थानीय शासक के विरूद्ध होते थे। इसके बाद ब्रिटिश शासकों के विरूद्ध भी इस क्षेत्र में जनजातीय आन्दोलन हुए। जैसा कि कहा गया है कि इस क्षेत्र में जनजातियों का रूझान ईसाई धर्म की ओर अधिक हो गया था। अतः इन जनजातियों ने हिन्दू, बौद्ध एवं इस्लाम धर्म के प्रति उदासीनता एवं विरोध का ही रूख बनाये रखा। वास्तव में इस क्षेत्र की अधिकांश जनजातियां देश की मुख्य धारा एवं सामाजिक–संस्कृतिक जीवन से अलग ही रही। इसीलिए जनजातियां निरन्तर सांस्कृतिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की ही माँग करती रही है। इस माँग को लेकर तथा नागा राष्ट्र के लिए लम्बे समय तक आन्दोलन हुए है। इन आन्दोलनों को आयोजित एवं संचालित करने में विभिन्न जनजातीय संगठनों का

हाथ रहा है। मुख्य रूप से नागा क्लब, नागा नेशनल–कौसिल, नागा यूथ मूवमैन्ट तथा नागा बूमैन सोसाइटी का उल्लेख किया जा सकता है। 1929 में जब इग्लैण्ड से साइमन कमीशन भारत आया तब नागा क्लब ने इस कमीशन से स्पष्ट रूप से कहा था कि इनके क्षेत्र को अंग्रेजों ने इनसे लिया था तथा इन्हें ही सौंपना चाहिये अर्थात उन्होने अपनी सत्ता की मांग की थी।

भारत के स्वतंत्र हो जाने के उपरान्त भी इस क्षेत्र में जनजातीय आन्दोलन चलते ही रहें। इस क्षेत्र के विभिन्न जनजातीय संगठन निरन्तर स्वायत्तता की मांग करते रहे। इस मांग को उठाने वाले मुख्य संगठन थे – नागा राष्ट्रीय परिषद, आसाम–हिल ट्राइव यूनियन, इस्टर्न इण्डियन ट्राइबल यूनियन तथा आल पार्टी हिल कौंसिल। इन संगठनों ने समय–समय पर अपने आन्दोलनों को हिंसक रूप भी दिया तथा तोड़–फोड़ की कार्यवाहियाँ भी की है। भारत सरकार इस आन्दोलन के प्रति निरन्तर सजग रही तथा समस्या के समाधान के लिए निरन्तर प्रयास किए गये।

इस उद्देश्य को लेकर अशोक मेहता कमीशन, परासकर कमीशन तथा जय प्रकाश पीस मिशन भी गठित किये गये तथा अन्त में स्थायी शांति एवं व्यवस्था बनाने के लिए राजनीतिक हल खोजे गये। परिणाम स्वरूप 1961 में नागालैण्ड नाम से एक अलग राज्य स्थापित किया गया। इसी प्रकार त्रिपुरा, मणिपुर तथा मेघालय के नाम से भी अलग–अलग राज्य बनाये गये। ये सब प्रयास करने पर भी इस क्षेत्र के जनजातीय आन्दोलन समाप्त नहीं हुये हैं। आज भी यह नहीं कहा जा सकता कि इस क्षेत्र की समस्त जनजातियां भारत सरकार से संतुष्ट है तथा देश की मुख्य धारा से जुड़ी हुई है। आये दिन किसी न किसी मांग को लेकर जनजातीय आन्दोलन होते ही रहते है।

छोटा नागपुर की जनजातियों द्वारा आन्दोलन :

छोटा नागपुर क्षेत्र में भी अनेक जनजातियां अति प्राचीन काल से बसी हुई है। ये जनजातियां भी समय–समय पर आन्दोलन करती रही है। इस क्षेत्र के आन्दोलन मुख्य रूप से स्थानीय शासकों तथा भू–स्वामियों के अत्याचारों के विरूद्ध होते रहे है। इन आन्दोलनों को संगठित करने में विभिन्न चमत्कारिक नेताओं का विशेष रूप से हाथ रहा है। इन नेताओं ने समय–समय पर विभिन्न मांगे उठायी तथा जनजातीय मांगो के आधार पर आन्दोलन चलाये। इन आन्दोलनों को सम्बन्धित नेता के नाम से जाना जाता है। कुछ मुख्य आन्दोलनों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है –

(1) बिरसा आन्दोलन :

यह आन्दोलन मुण्डा जनजाति द्वारा सामाजिक–आर्थिक स्वतंत्रता तथा धार्मिक सुधारों के लिए हुआ था। इस आन्दोलन को चलाने वाले व्यक्ति का नाम बिरसा था तथा सरदार नामक व्यक्ति ने इस आन्दोलन का नेतृत्व किया। सन 1870 में सरकार के विरूद्ध हिंसक कार्यवाहियाँ की गई। यह विद्रोह रूपी आन्दोलन लगभग बीस वर्ष तक चलता रहा। मुण्डा लोगों ने विद्रोह स्वरूप लगान देना भी बन्द कर दिया। इस आन्दोलन का प्रभाव तत्कालीन अंग्रेजी शासन पर भी पड़ा था।

(2) बीर सिंह आन्दोलन :

यह आन्दोलन मुख्य रूप से सथाल जनजाति द्वारा चलाया गया। आन्दोलन के नेता का नाम बीर सिंह था। यह आन्दोलन मुख्य रूप से भू–स्वामियों के विरूद्ध खुला विद्रोह था।

इस क्षेत्र में भागीरथ आन्दोलन 1870 तथा वेनगाम आन्दोलन 1930 भी आयोजित हुए। इसके अतिरिक्त हो जनजाति ने भी स्थानीय शासकों तथा जमीदारों के विरूद्ध 1882 में आन्दोलन किया।

उपर्युक्त वर्णित मुख्य आन्दोलनों के अतिरिक्त मध्य भारत में कुछ अन्य जनजातीय आन्दोलन भी होते रहे है। जैसे कि – गोंड जनजाति द्वारा हिन्दू करण के लिये आन्दोलन हुए। इसी जनजाति के माऊसिंग तथा राजनेगी ने कुछ सुधारवादी आन्दोलन चलायें। महुआदेव ने 1945 में एक आन्दोलन का संचालन किया जिसका उद्देश्य नशाखोरी का विरोध करना था।

उक्त सभी आन्दोलन स्वतंत्रता पूर्व काल में आयोजित हुये थे। स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरांत हमारे देश की परिस्थितियों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। परन्तु इस काल में भी अनेक जनजातीय आन्दोलन होते रहे है। कुछ जनजातीय आन्दोलन तो सकारात्मक तथा निर्माणकारी रहे है जबकि कुछ अन्य आन्दोलन संगठित विरोध तथा विद्रोह के रूप में सामने आये है। कुछ जनजातियाँ समय–समय पर पृथक राज्य की मांग को लेकर आन्दोलन करती रही है। झारखण्ड आन्दोलन इसी प्रकार का एक लम्बे समय तक चलने वाला आन्दोलन था। इसी प्रकार गोण्डवाना क्षेत्र की जनजातियों ने भी सन् 1960 में अलग राज्य की मांग को लेकर आन्दोलन किया था। भीलों ने भी इसी प्रकार की मांग उठाई थी। दक्षिणी गुजरात की जनजातियाँ भी अलग राज्य की मांग करती रही है। नक्सलवादी आन्दोलन भी प्रबल रहा है। इन राजीनीतिक, धार्मिक आन्दोलनों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनजातीय राजनीति के प्रति जागरूक रही है तथा राजनैतिक क्षेत्र में इनका योगदान रहा है।

भारतीय समाज में राजनीतिक परिवर्तन लाने में अनेक तत्वों का योगदान रहा है। पश्चिमीकरण, राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले तत्वों में प्रमुख स्थान रखता है। अंग्रेजी शासन के पूर्व तक भारतीय समाज प्रशासनिक एवं राजनैतिक दृष्टि से कई भागों में विभक्त था। जाति पंचायते एवं ग्राम पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने का कार्य करती थी। छोटे–छोटे भू–भागों पर सामन्त लोग शासन करते थे। सम्पूर्ण समाज रियासतों एवं रजवाड़ो में विभक्त था। राजनैतिक दृष्टि से सभी के अलग–अलग कानून अपने–अपने क्षेत्रों में प्रचलित थे जो ज्यादातर अलिखित एवं प्रमुख की इच्छा पर आधारित थे। अपराधों का दण्ड

देते समय जाति व वर्ग को ध्यान में रखा जाता था। निम्न जाति के सदस्य द्वारा किये गये छोटे से अपराध के लिये भयानक दण्ड तथा ब्राह्मण या अन्य उच्च जाति के सदस्य द्वारा किये गये असामाजिक कृत्य के लिए सामान्यतः सामान्य स्तर के दण्ड दिये जाते थे। किन्तु अंग्रेज शासन की स्थापना के पश्चात अंग्रेजों द्वारा सम्पूर्ण भारतीय समाज को एक राजनैतिक सत्ता के अधीन संगठित किया गया। पंचायतों के अधिकार खत्म कर दिये गये। रियासतों एवं रजवाड़ों के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। तथा सम्पूर्ण भारतीय समाज के लिए एक प्रकार के कानून का निर्माण कर उन्हें लिखित रूप दिया गया। यातायात के साधनों का विकास करके प्रशासक एवं राजनैतिक व्यवस्था को नवीन रूप प्रदान किया गया। भारतवासियों को प्रजातन्त्र व संसदीय प्रणाली, पूँजीवाद, समाजवाद की विचारधाराओं को एवं आदर्श से परिचित करने का श्रेय अंग्रेज शासन को ही है। स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार तथा नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार आदि पश्चिमीकरण की ही देन है। पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर लोकतन्त्रीय तथा प्रजातंत्रीय संस्थाओं का विकास होने लगा। समाज के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म, स्थान के समान रूप से विकास करने का अधिकार पश्चिमीकरण की ही देन है।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक न तो किसी ने जनजातियों की पीड़ा व दर्द को समझने, जानने का ही प्रयास किया और न ही इनकी समस्याओं को हल करने का ही प्रयास किया, बल्कि इनके शोषण को ही महत्व दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत एक सम्पूर्ण राष्ट्र के रूप में भारत का नवीन रूप से जन्म हुआ तथा यहां के राष्ट्र निर्माताओं ने भारतीय संविधान का निर्माण करने के पूर्व इनकी कठिनाईयों व समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक समझकर संविधान में कुछ ऐसे विशिष्ट प्रावधान रखे जिनसे जनजातियों के कल्याण में एवं इनके जीवन में विकास किया जाना सम्भव हो सके। इसके अतिरिक्त यह सोचा गया कि मात्र संविधान में इन्हें सम्मान देना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि इनके रहन–सहन, जीवन–स्तर को ऊँचा उठाना अति आवश्यक माना गया। इसी के फलस्वरूप प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56)

से अभी तक संचालित सभी पंचवर्षीय योजनाओं में जनजातीय कल्याण हेतु अलग से एक बड़ी राशि के व्यय का प्रावधान किया गया क्योंकि इनकी प्रगति तब तक सम्भव नहीं जब तक इनके जीवन से जुड़ी समस्याएँ हल न हो।
भारतीय समाज की सर्वांगीण प्रगति एवं विकास उस समय तक सम्भव नहीं जब तक समाज के सभी वर्गो का सहयोग प्राप्त नही होगा।

भारत में जनजातियों के लिए संवैधानिक व्यवस्थाएँ :

भारतीय संविधान से अनुसूचित जनजातियो, अनुसूचित जातियों तथा अन्य कमजोर वर्गो के शैक्षिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देने तथा सामाजिक निर्योग्यताओं को दूर करने के लिए संरक्षण की व्यवस्थायें में की गई है। संविधान में इन जनजातियों के लिए जो विशेष व्यवस्थायें की गई हैं उनका विवरण इस प्रकार है :–

- अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की रक्षा की जाए और इन्हें सभी प्रकार के शोषण तथा सामाजिक अन्याय से बचाया जाये। (अनुच्छेद 46)

- सरकार द्वारा संचालित अथवा सरकारी कोष से सहायता पाने वाले शिक्षालयों में उनके प्रवेश पर कोई रूकावट न रखी जाये। (अनुच्छेद 29–2)

- दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों का उपयोग करने पर लगी सभी रूकावटें हटाई जाये, जिनका पूरा या कुछ व्यय सरकार उठाती है अथवा जो जनसाधारण के निमित्र समर्पित हैं। (अनुच्छेद 15, 2)

- लोकसभा तथा राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए जनसंख्या के आधार पर निश्चित सीटें सुरक्षित कर दी जाये। (अनुच्छेद 324, 330 तथा 332)

- यदि सार्वजनिक सेवाओं या सरकारी नौकरियों मे जनजातीय लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो सरकार को उनके लिए स्थान सुरक्षित रखने का अधिकार देना और सरकारी नौकरियों के नियुक्तियों के समय अनूसूचित जनजातियों और अनूसूचित जातियों के दावों पर विचार करना। (अनुच्छेद 16, 335)

- जनजातियो के कल्याण तथा हितो के प्रयोजन से राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषदों तथा पृथक विभागों की स्थापना की जाये और केन्द्र में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाये। (अनुच्छेद 164, 338 तथा पांचवी अनुसूची)

- अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की जायें। (अनुच्छेद 224और पांचवी तथा छठी अनुसूचियाँ)

- संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 46 में जनजातियों की शिक्षा की उन्नति और आर्थिक हितों की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देना राज्य का कर्त्तव्य माना गया है।

- अनुसूचित जनजातियों के हित में भारत में स्वतंत्रतापूर्वक आने–जाने, रहने और बसने तथा सम्पत्ति खरीदनें, रखने और बेचने के आम अधिकारों पर राज्य द्वारा उचित प्रतिबंध लगा सकने की कानूनी व्यवस्था । (अनुच्छेद 19–5)

- संविधान के भाग 6, अनुच्छेद 164 में असम के अतिरिक्त बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय मंत्रालय स्थापित करने का विधान है।

आदिवासी समुदाय की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक विशेषतायें इस प्रकार की रही हैं कि उनके अस्तित्व एवें विकास के लिए हमारे संविधान निर्माता भी सजग रहे है। फलतः इन समुदाय के लोगों और उनके क्षेत्रों के विकास के लिए काफी लचीला प्रशासन प्रदान करने की व्यवस्था की गई। वैद्यानिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित किया गया। यह तय किया गया था कि इन वर्गो के विकास एवं कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन समर्पित भावना से किया जायेगा ताकि ऐसे समाज की स्थापना हो सके जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपने पूर्ण सामर्थ्य से अपने व्यक्तित्व के विकास के पूर्ण अवसर मिलें। संविधान में मौलिक अधिकारीं तथा समानता देने वाली अनेक धारायें हैं। इनमें खंड 4 की धारा 46 में राज्य सरकारों को समाज के कमजोर वर्गो के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। विशेष ध्यान अनुसूचित जनजातियों पर देने को कहां गया है जिससे उन्हें सामाजिक अन्याय एवं विविध प्रकार के शोषणों से बचाया जा सके। आदिवासी बहुल राज्यों में अलग से आदिम जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। साथ ही आदिवासी कल्याण योजनाओं को चलाने के विशेष केन्द्रीय अनुदान का भी प्रावधान किया गया है।

आदिवासी क्षेत्रों की राजनीतिक भागीदारी के उद्देश्य से उन क्षेत्रों की लोकसभाओं और विधान सभाओं में सीटों का आरक्षण किया गया है। सरकारी सेवाओं में पदों की भर्ती के लिए भी इनका कोटा निश्चित है। इस तरह जनजाति समुदाय के लोगों के विकास के लिए संवैधानिक व्यवस्थायें की गई हैं इन व्यवस्थाओं का परिपालन राज्य सरकारों का दायित्व है।

अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन

(Adminsistration of Scheduled & Triabal Areas)

अनुसूचित जनजाति को सामाजिक अन्याय एवं विविध प्रकार के शोषणों से बचाया जा सके, शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा सके – इसके लिए आदिवासी बहुल राज्यों में अलग से **आदिम जनजाति कल्याण मंत्री की**– नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। जो संविधान के अनुच्छेद 164 में निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत है।

कल्याण तथा सलाहकार एजेन्सियाँ :-

भारत सरकार कल्याण मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति बनाने, उनकी आयोजना तथा समन्वय करने के लिये प्रमुख मंत्रालय है। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय तथा विभाग अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रमुख मंत्रालय अथवा विभाग है। कल्याण मंत्रालय केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क बनाये रखते है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग :

सविधान (65 वें संशोधन) अधिनियम, 1990 द्वारा अब अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग का प्रावधान किया गया है जिसे ''राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग'' के नाम से जाना जाता है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच अन्य सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

आयोग का यह कर्त्तव्य होगा कि वह –

- अ0 जा0 और अनु0 जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपवंधित रक्षोपायों से सम्बन्धित विषयों का अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करे।

- अ0जा0 और अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने की वावत विर्निदिष्ट शिकायतों की जांच करे।

- अ0जा0 और अनु0 जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले और उन पर सलाह दे तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करे।

- उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे।

संसदीय समिति :

भारत के संविधान में अ0 जा0 और अनु0जनजातियों के लिए अनेक रक्षा उपायों का और उनकी कार्यान्विति पर निगरानी रखने के लिए तंत्र का उपवंध किया गया है। पूर्व में अनुसूचित जनजातियों का आयुक्त (अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग) राष्ट्रपति को इस बारे में नियमित रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। जिन्हें बाद में संसद में चर्चा करने के लिए उसके समक्ष रखा जाता है। राष्ट्रीय अ0जा0 तथा अनु0जनजाति आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद प्रभावी ठंग से कार्य रूप देना सुनिश्चित कर सके इस दृष्टि से अनु0 जातियों तथा अनु0 जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति स्थापित की जाती है।

इस समिति के 30 सदस्य है– 20 लोकसभा के 10 राज्यसभा के और ये सदस्य संसद के अलग–अलग सदनों द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किए जाते है।

समिति का मुख्य कार्य राष्ट्रीय अनु0जाति तथा अनु0जनजाति आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करना और संसद में इस बारे में प्रतिवेदन पेश करना है कि उन पर सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं या करना अपेक्षित है। वास्तव में, समिति विभिन्न सेवाओं में अनु0जाति तथा अनु0जनजातियों के प्रतिनिधित्व, उनके कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों के कार्यकरण, इत्यादि सहित इन जातियों के कल्याण से सम्बन्धित सभी मामलों की जांच करती है और उनके बारे में प्रतिवेतन पेश करती है। समिति यह भी सुनिश्चित करती हैं कि इन पिछड़े समुदायों के लिए संवैधानिक रक्षा को प्रभावी ढंग से कार्य रूप दिया जाये।

राष्ट्रीय अनु०जाति और अनु०जनजाति
वित्त और विकास निगम

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास को बढावा देने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की स्थापना भारत सरकार द्वारा कम्पनी कानून, 1956 की धारा 25 के तहत की गई। राज्य स्तर के अनुसूचित जाति विकास निगमों तथा अन्य संस्थाओं के कार्यक्रमों में जो अंतराल या कमियाँ रह जाती है ; यह निगम उनकी कमी को पूरा करने वाले, एक शीर्ष संस्थान के रूप में काम करता है। रोजगार पैदा करने वाली आजमाइशी योजनाओं के लिए भी यह निगम धन देता है ताकि बाद में राज्य स्तरीय निगम और इस क्षेत्र में काम करने वाली अन्य संस्थाएं यह काम अपने हाथ में ले सकें।

राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम :

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के उत्थान के उद्देश्य से राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम स्थापित किये गये है। इस समय 18 राज्यों और 4 केन्द्र शासित प्रदेशों में 22 निगम काम कर रहे है। केन्द्र सरकार ने इन निगमों की शेयर पूंजी में 49 प्रतिशत योगदान किया है। उन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को

विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है जो जनजातीय उपयोजना नीति को लागू कर रहे है।

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रथम प्रावधान के अन्तर्गत अनुदान :

राज्य सरकारों को इस प्रावधान के अन्तर्गत अनुदान दिया जाता है ताकि वे जनजातीय लोगों के कल्याण को प्रोत्साहन दे सके और राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का स्तर राज्य के अन्य क्षेत्रों के समकक्ष कर सकें।

नौकरियों में आरक्षण :

अनुच्छेद 16(4) में ऐसे पिछड़े वर्गो के सदस्यों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। जिन्हें सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हैं। इस व्यवस्था के अनुसार सरकार ने अपने नियंत्रण में आने वाले सेवाओं में अन्य जातियों व वर्गो के अतिरिक्त अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। जिन पदो के लिए अखिल भारतीय स्तर की खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती की जाती है तथा जिन पदों के लिए अखिल भारतीय स्तर की खुली प्रतियोगिता के बिना भर्ती की जाती है– इन दोनों किस्म के पदों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत स्थान सुरक्षित है। वर्ग 'ग' और 'घ' की खुली भर्ती से भरे जाने वाले पदो के लिए आमतौर पर किसी खास क्षेत्र या इलाके के लोग आवेदन करते है। इन पदो के लिए आरक्षित स्थानों का निर्धारण सम्बन्धित राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों की संख्या के अनुपात में किया जाता है।

केवल अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को कई छूट और रियायतें दी जाती है। ताकि उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके। इनमें से कुछ छूट और रियायतें इस प्रकार हैं :–

1. अन्य जातियो की तुलना में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट।
2. चयन के उपयुक्तता स्तरों में छूट, वशर्ते कि वे पदो के लिए अनुपयुक्त न हों।
3. आवश्यक होने पर सीधी भर्ती के मामलों में अनुभव संबधीं योग्यता में छूट।
4. आवेदन शुल्क की माफी।
5. अनुसंधान करने और इसके लिए दिशा–निर्देश देने सम्बन्धी वर्ग "क" के निम्नतम पदों तक के वैज्ञानिक और तकनीकी पदों को आरक्षण योजना में शामिल करना।

सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित पदों में से जो पद खाली रह जाते है उन्हें अगले भर्ती वर्ष में शामिल किया जाए। ये रिक्त पद किसी तरह भी आरक्षण समाप्त किये बिना आगे ले जाए जाते है। इन पिछले रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाये जाते है।

वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के पश्चात जनजातियों में राजनीतिक चेतना व पंचायती राजव्यवस्था में आरक्षण के लाभ को जानने के लिए शोधार्थी ने अध्ययन क्षेत्र के सौर जनजातियों से सर्वेक्षण के दौरान निम्न जानकारी प्राप्त किये।

अध्ययन क्षेत्र में कुल सौर जनजातियों के मतदाताओं की जानकारी

ग्राम का नाम	कुल मतदाता	पुरूष	महिला	कुल जनसंख्या
उरदौरा	147	86	61	226
अस्तारी	98	51	47	154
नयाखेरा	61	34	27	82
कुलुआ	132	71	61	225
जमुनिया	115	59	56	201
योग	**553**	**301**	**252**	**888**

जनगणना 2001 के आधार पर अध्ययन क्षेत्र तहसील–निवाड़ी, जिला–टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में सौर जनजातियों की कुल जनसंख्या 5292 है। शोधार्थी द्वारा अध्ययन हेतु चयनित 5 ग्रामों की कुल सौर जनजाति जनसंख्या 888 है। जिसमें कुल मतदाता 553 है जो तहसील निवाड़ी, की कुल सौर जनजाति जनसंख्या का 10.44 प्रतिशत है। कुल मतदाताओं में 301 पुरूष तथा 252 महिलायें है।

शोधार्थी ने अध्ययन क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान 300 मतदाताओं के द्वारा यह जानने का प्रयास किया कि यह किस प्रकार के उम्मीदवार को अपना वोट देगें तब जानकारी में निम्न तथ्य प्राप्त किये जो तालिका से स्पष्ट होते है :–

ग्राम का नाम	किस प्रकार के उम्मीदवार को अपना वोट देंगे				उत्तरदाताओं की संख्या
	अपनी ज0जा0 के उम्मीदवार को	किसी अच्छे व पढ़े लिखे व्यक्ति को	अच्छे व्यक्तित्व के उम्मीदवार को	अपने ही क्षेत्र व अच्छे व्यक्तित्व तथा पढ़े लिखे व्यक्ति को	
उरदौरा	18	–	3	39	60
अस्तारी	24	04	–	32	60
नयाखेरा	32	–	–	28	60
कुलुआ	23	–	–	37	60
जमुनियां	27	—	–	33	60
प्रतिशत	41.33%	01.33%	01.0%	56.33%	300

तालिका से स्पष्ट है कि सौर जनजाति के 56.33 प्रतिशत मतदाताओं का ऐसा मानना है कि अपने क्षेत्र, अच्छे व्यक्तित्व तथा पढ़ा–लिखा उम्मीदवार क्षेत्र की समस्याओं को जानता–समझता है जिससे वह क्षेत्र का विकास कर सकेगा। दूसरी ओर 41.33 प्रतिशत मतदाताओं का ऐसा दृष्टिकोण है कि अपनी जनजाति का प्रत्याशी ही अपनी समस्याओं को भली–भांति जानता हैं इसलिए वही उम्मीदवार हमारे विकास के लिए सोच सकता है। इस अभिमत से यह स्पष्ट हो रहा है कि इनकी सोचा सिर्फ अपने विकास तक ही सीमित है और इनमें जातिपक्ष की प्रबलता है। 1.33 प्रतिशत मतदाताओं का ऐसा विचार है कि किसी अच्छे व पढ़े–लिखें

व्यक्ति को मत दिया जाये तथा 1 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे है जो अच्छे व्यक्तित्व के उम्मीदवार को अपना मत देना चाहते है।

शोधार्थी ने पंचायती राज व्यवस्था में दिये गये आरक्षण की सुविधा का लाभ जानने के लिए अध्ययन क्षेत्र के ग्रामों में अवलोकन के पश्चात निम्न तथ्य प्राप्त किये जिसे तालिका में दर्शाया गया है :-

ग्राम	व्यक्ति का नाम	पद
उरदौरा	1. अनन्तराम s/o श्री कल्ले सौर 2. अवध कुमारी w/o श्री लालाराम सौर	पंच
कुलुआ	1. श्रीराम s/o श्री रामदयाल सौर 2. बुद्धा देवी w/o श्री रमेश सौर	पंच
अस्तारी	1. बुद्ध सौंर s/o श्री बूढ़े सौर 2. मुलायम s/o श्री विजयी सौर	पंच
नयाखैरा	श्रीमती पुष्पा w/o श्री छोटेलाल	पंच
जमुनियां	–	–

तालिका से स्पष्ट होता है कि पंचायती राज व्यवस्था में दिये गये आरक्षण की सुविधा ने इन्हें राजनीति की ओर आकर्षित किया है इनमें राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है। यह अपने अधिकारों के प्रति जागृत होते जा रहे है।

पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण व्यवस्था का प्रमुख कारण

ग्राम का नाम	पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण व्यवस्था का प्रमुख कारण				उत्तर दाताओ की संख्या	प्रतिशत A	प्रतिशत B	प्रतिशत C	प्रतिशत D
	अ0ज0/ अ0ज0जाति /पिछड़ा वर्गो को सामाजिक न्याय दिलाना A	आरक्षित वर्गो के जीवन स्तर में सुधार लाना। B	आर्थिक स्थिति में सुधार लाना C	उपयुक्त सभी D					
उरदौरा	5	7	6	42	60	8.33%	11.66%	10%	70%
नयाखैरा	3	4	9	44	60	05%	6.66%	15%	73.33%
अस्तारी	2	7	11	40	60	03.33%	11.66%	18.33%	66.66%
कुलुआ	3	4	14	39	60	05%	6.66%	23.33%	65%
जमुनियाँ	6	5	21	28	60	10%	08.33%	35%	46.66%
योग	**19**	**27**	**61**	**193**	**300**	**6.33%**	**9%**	**20.33%**	**64.33%**

पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण के प्रावधान का कारण जानने के लिए शोधार्थी ने सौर जनजाति का अभिमत प्राप्त कर निम्न तथ्य प्राप्त किये। तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 193 सौर जनजातियों का विचार है कि आरक्षण व्यवस्था से अनु० जाति/अनु० जनजाति/पिछड़े वर्गो के सामाजिक स्तर में सुधार होगा, जीवन स्तर तथा आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा।

क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण का प्रमुख कारण इनके सामाजिक तथा आर्थिक स्तर में सुधार कर इनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है। दूसरे स्थान पर वे उत्तरदाता आते हैं जिन्होंने पंचायतीराज व्यवस्था में आरक्षण का कारण आर्थिक स्थिति मे सुधार लाना माना है इन उत्तरदाताओं की ऐसी सोच है कि आरक्षण व्यवस्था से आर्थिक विकास का एक रास्ता निकलेगा।

आरक्षित वर्गो के जीवन स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से ही 9 प्रतिशत सौर जनजातियों ने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण को एक कारण माना है। 6.33 प्रतिशत अभिमत दाताओं ने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण का प्रमुख कारण अनु. जाति/अनु० जनजाति/पिछड़े वर्गो को सामाजिक न्याय दिलाना माना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था का प्रभाव

ग्राम का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था का प्रभाव				उत्तर दाताओ की संख्या	प्रतिशत A	प्रतिशत B	प्रतिशत C	प्रतिशत D
	ग्रामीण अंचलो से शहरी अंचलों में बढते पलायन को रोकने में। A	ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने में। B	साक्षरता उनमूलन में। C	उपरोक्त सभी में। D					
उरदौरा	24	8	7	21	60	40%	13.33%	11.66%	35%
नयाखैरा	14	9	6	31	60	23.33%	15%	10%	51.66%
अस्तारी	21	6	4	29	60	35%	10%	06.66%	48.33%
कुलुआ	19	5	3	33	60	31.66%	08.33%	05%	55%
जमुनियाँ	17	5	2	36	60	28.33%	08.33%	03.33%	60%
योग	**95**	**33**	**22**	**150**	**300**	**31.66%**	**11%**	**7.33%**	**50%**

पंचायती राज व्यवस्था एवं अवधारणा :

शोधार्थी ने पंचायती राज व्यवस्था के अर्थ के सम्बन्ध में अध्ययन क्षेत्र में 300 सौर जनजातियों के विचारों को प्राप्त करके उसको तालिका में प्रस्तुत किया है। इसकी विस्तृत सूचना तालिका से प्राप्त होती है।

ग्राम का नाम	पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ				उत्तर दाताओ की संख्या	प्रतिशत A	प्रतिशत B	प्रतिशत C	प्रतिशत D
	ग्रामीण जनता द्वारा मतदान पद्धति से चुने गये जन प्रतिनिधि A	स्रकार द्वारा मनोनीत ग्रामीण जनप्रतिनिधि B	ग्रामीण जनता द्वारा मनोनीत जनप्रतिनिधि C	कोई अन्य व्यवस्था D					
उरदौरा	38	8	9	5	60	63.33%	13.33%	15%	8.33%
नयाखैरा	34	11	12	3	60	56.66%	18.33%	20%	5%
अस्तारी	36	9	15	—	60	60%	15%	25%	-
कुलुआ	42	6	12	—	60	70%	10%	20%	-
जमुनियाँ	29	5	19	7	60	48.33%	8.33%	31.66%	11.66%
योग	**179**	**39**	**67**	**15**	**300**	**59.66%**	**13%**	**22.33%**	**05%**

प्रस्तुत तालिका पंचायती राज व्यवस्था के अर्थ से सम्बन्धित है। सूचनादाताओं के रूप में लिये गये 300 सौर जनजातियों में से सर्वाधिक 179 सौर जनजातियों ने विकल्प A को अपने मत के रूप में चुना है जिनका प्रतिशत 59.66 है। क्योंकि वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ग्रामीण जनता द्वारा मतदान पद्धति से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा ग्रामीण विकास को संचालित करना ही पंचायती राज व्यवस्था का वास्तविक अर्थ है। इसी कारण सर्वाधिक सौर जनजातियों ने इस विकल्प को चुना है। द्वितीय स्थान पर वे सौर जनजातियाँ है जिन्होंने विकल्प C को अपने मत के रूप में चुना है। इनका प्रतिशत 22.33 है। तृतीय और चतुर्थ स्थान पर रहने वाले सौर जनजातियो का प्रतिशत क्रमशः 13 और 5 रहा है।

पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य :

शोधार्थी ने पंचायती राज व्यवस्था के मूल उद्देश्य को जानने के सन्दर्भ में सौर जनजातियों के विचारों को प्राप्त किया तथा उसे तालिका में प्रस्तुत किया है :–

ग्राम का नाम	पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य				उत्तर दाताओ की संख्या	प्रतिशत A	प्रतिशत B	प्रतिशत C	प्रतिशत D
	ग्रामीण क्षेत्रों का अधिक से अधिक विकास A	ग्रामीण जनता के बीच तारतम्य स्थापित करना B	उपरोक्त दोनो (A+B) C	कोई अन्य D					
उरदौरा	21	8	18	3	60	35%	13.33%	46.66%	5%
नयाखेरा	28	9	16	7	60	46.66%	15%	26.66%	11.66%
अस्तारी	32	6	20	2	60	53.33%	10%	33.33%	3.33%
कुलुआ	16	8	30	6	60	26.66%	13.33%	50%	10%
जमुनियाँ	31	5	15	9	60	51.66%	8.33%	25%	15%
योग	**128**	**36**	**109**	**27**	**300**	**42.66%**	**12%**	**36.33%**	**9%**

प्रस्तुत तालिका पंचायतीराज व्यवस्था के उद्देश्य से सम्बन्धित है। सूचनादाताओं के रूप में लिये गये 300 सौर जनजातियों में से सर्वाधिक 42.66 प्रतिशत सौर जनजाति ने पंचायतीराज व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का अधिक से अधिक विकास करना माना है तथा 36.33 प्रतिशत सौर जनजातियों का ऐसा अभिमत है कि ग्रामीण क्षेत्रों का अधिक से अधिक विकास करना तथा ग्रामीण जनता के बीच तारतम्य स्थापित करना ही पंचायतीराज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है। मात्र 12 प्रतिशत अभिमतदाताओं ने पंचायतीराज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता के बीच तारतम्य स्थापित करना माना है तथा 09 प्रतिशत अभिमतदाता ऐसे भी हैं जिन्होंने पंचायतीराज व्यवस्था का कोई अन्य उद्देश्य ही स्वीकार किया है।

पंचायती राज व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी का लाभ

ग्राम का नाम	जनप्रतिनिधियों की भागीदारी का लाभ				उत्तर दाताओ की संख्या	प्रतिशत A	प्रतिशत B	प्रतिशत C	प्रतिशत D
	ग्रामीण जनता को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की जानकारी होगी। A	ग्रामीण जनता सरकारी अफसरों के शोषण से मुक्त हो सकेगी। B	ग्रामीण समस्यायें हल होगी। C	सभी लाभ होगें। D					
उरदौरा	3	5	16	36	60	5%	8.33%	26.66%	60%
नयाखैरा	7	8	11	34	60	11.66%	13.33%	18.33%	56.66%
अस्तारी	4	2	15	39	60	6.66%	3.33%	25%	65%
कुलुआ	3	4	17	36	60	5%	6.66%	28.33%	60%
जमुनियाँ	5	3	32	20	60	8.33%	5%	53.33%	33.33%
योग	**22**	**22**	**91**	**165**	**300**	**7.33%**	**7.33%**	**30.33%**	**55%**

शोधार्थी ने पंचायती राज व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के लाभ को जानने के लिए सौर जनजातियों से अभिमत प्राप्त किया तथा उसे तालिका में प्रस्तुत किया गया है। तालिका से स्पष्ट होता है कि 55 प्रतिशत सौर जनजातियों का ऐसा मानना है कि जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से ग्रामीण जनता को गांव के विकास कार्यक्रमों की जानकारी होगी, ग्रामीण जनता अधिकारियों के शोषण से मुक्त हो सकेगी तथा ग्रामीण समाज की समस्याओं का हल सम्भव होगा। 30.33 प्रतिशत सौर जनजातियों का ऐसा विचार है कि जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण जनता सरकारी अफसरों के शोषण से मुक्त होगी, सौर जनजातियों के विचारों से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समस्याओं में रूकावट का कारण सरकारी अफसरों की शोषण नीति है जिसे वह ज़नप्रतिनिधियों की भागीदारी से इस शोषण नीति को कम करने व ग्रामीण समस्यायें हल करने पर अपना विचार प्रस्तुत करते है। 07.33 प्रतिशत सौर जनजातियों का ऐसा विचार भी है कि जनप्रतिनिधियो की भागीदारी से गांव की जनता को गांव के विकास और योजनाओं तथा कार्यक्रमों जो कि ग्रामीण जनता के लिए सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं कि

जानकारी प्राप्त होगी। अतः स्पष्ट हो रहा है कि जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से गाँव के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी होना, सरकारी अफसरों के शोषण से मुक्ति दिलाने और ग्रामीण समस्याओं को हल करने हेतु सौर जनजाति अपने विचार प्रस्तुत करते है साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि सौर जनजाति में राजनीति के प्रति समझ बढ़ी है।

पंचायती राज व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों का मुख्य योगदान :

शोधार्थी ने अध्ययन क्षेत्र के सौर जनजातियों से यह जानने का प्रभाव किया हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों का मुख्य योगदान क्या होगा ?

ग्राम का नाम	पंचायती राज व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों का मुख्य योगदान				उत्तर दाताओ की संख्या	प्रतिशत A	प्रतिशत B	प्रतिशत C	प्रतिशत D
	ग्रामीण अंचल से सम्बंधित समस्याओं का निदान करना। A	ग्रामीण जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुचाना। B	ग्रामीण जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। C	सभी योगदान शामिल है। D					
उरदौरा	9	14	8	29	60	15%	23.33%	13.33%	48.33%
नयाखैरा	7	9	18	26	60	11.66%	15%	30%	43.33%
अस्तारी	7	4	12	37	60	11.66%	06.66%	20%	61.66%
कुलुआ	5	7	16	32	60	08.33%	11.66%	26.66%	53.33%
जमुनियाँ	3	6	18	33	60	05%	10%	30%	55%
योग	31	40	72	157	300	**10.33%**	**13.33%**	**24%**	**52.33%**

प्रस्तुत तालिका जनप्रतिनिधियों के योगदान से सम्बन्धित है। सौर जनजाति के उत्तरदाताओं ने अपने–अपने सोच और जानकारी के आधार पर अपना मत व्यक्त किया है। जिसमें सर्वाधिक 52.33 प्रतिशत अभिमतदाताओं का ऐसा मानना है कि

पंचायती राज व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों का मुख्य योगदान ग्रामीण अंचल से सम्बन्धित समस्याओं का निदान करना तथा ग्रामीण जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाना और ग्रामीण जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा। अध्ययन में चूँकि अशिक्षित सौर जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है फिर भी उन्होनें अपनी सोच और जानकारी के आधार पर अपने मत व्यक्त किये है जो इनकी राजनीतिक जागरूकता को बतलाते है। 24 प्रतिशत अभिमत दाताओं का विचार है कि जनप्रतिनिधियों के योगदान से सिर्फ ग्रामीण जनता को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होगी तथा इसी क्रम मे 13.33 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे है जो ग्रामीण जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना जनप्रतिनिधियों का योगदान समझती है और 10.33 प्रतिशत ऐसे अभिमत दाता है जो ग्रामीण अंचल से सम्बन्धित समस्याओं का निदान करना ही जनप्रतिनिधियों का योगदान समझती है।

पंचायती राज व्यवस्था की सफलता में सुधार की आवश्यकता :-

पंचायती राज व्यवस्था को सफल बनाने हेतु अध्ययन क्षेत्र के सौर जनजातियों के विचारों को व्यक्त किया गया है। इसकी विस्तृत सूचना तालिका से स्पष्ट होती है :–

ग्राम का नाम	पंचायती राज व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता				उत्तर दाताओ की संख्या	प्रतिशत A	प्रतिशत B	प्रतिशत C	प्रतिशत D
	ग्राम पंचायतो को और अधिक अधिकार दिये जाये A	ग्राम पंचायतो को विकासीय कार्यो के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जाये। B	ग्राम पंचायतो के विकासीय कार्यो के मूल्यांकन हेतु एक समिति का गठित होनी चाहिये। C	सभी सुधार होने चाहिये। D					
उरदौरा	29	17	6	8	60	48.33%	28.33%	10%	13.33%
नयाखैरा	23	11	4	22	60	38.33%	18.33%	6.66%	36.66%
अस्तारी	6	14	3	37	60	10%	23.33%	5%	61.66%
कुलुआ	7	25	2	26	60	11.66%	41.66%	3.33%	43.33%
जमुनियाँ	19	22	3	16	60	31.66%	36.66%	5%	26.66%
योग	**84**	**89**	**18**	**109**	**300**	**28%**	**29.66%**	**6%**	**36.33%**

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता हैं कि सौर जनजाति के सर्वाधिक 109 व्यक्तियों का ऐसा अभिमत है कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायतों को ओर अधिक अधिकार दिये जाने चाहिये, ग्राम पंचायतों के विकास कार्यो के लिए और अधिक धन की व्यवस्था तथा ग्राम पंचायतों के इन विकास कार्यो के मूल्यांकन के लिए एक समीति गठित होना चाहिये जिससे पंचायती राज्य व्यवस्था को सफल बनाया जा सके । 89 सौर जनजातियों का ऐसा अभिमत है कि ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किया जावे क्योंकि वित्तीय स्थिति के अभाव में विकासीय कार्यो को संचालित नहीं किया जा सकता है। 84 सौर लोगों का अभिमत है कि पंचायती राज व्यवस्था को सफल बनाने के लिये पंचायतों को और अधिक शक्ति सम्पन्न बनाया जावे अर्थात ग्राम पंचायतों को और अधिक अधिकार दिये जाये। 18 लोगों का विचार है कि ग्राम पंचायतों के विकास कार्यो के मूल्यांकन हेतु एक समिति गठित होनी चाहिए जो ग्राम पंचायतो के कार्यो का मूल्यांकन कर अपनी रिपोर्ट शासन को भेजें जिससे विकास कार्यो में गड़बड़ी को रोका जा सकता है।

शोधार्थी के अध्ययन क्षेत्र में पंचायतीराज व्यवस्था में आरक्षण के फलस्वरूप सौर जनजाति राजनीति के प्रति आकर्षित हुई है। अध्ययन क्षेत्र तहसील–निवाड़ी, जिला–टीकमगढ़, म0प्र0 में सौर जनजाति राजनीतिक आरक्षण के अन्तर्गत पंचायतीराज व्यवस्था के तीनों स्तरों में निम्न पदों अपनी उपस्थिति दर्ज की है :–

क0सं0	नाम	पद	ग्राम पंचायत
1.	श्री हरनारायण सौर	जनपद सदस्य	–
2.	श्री रग्गू पुत्र श्री सिरौने सौर	सरपंच	बाबई
3.	श्रीमती कैलाशी पत्नी श्री घनश्याम सौर	सरपंच	जनौली
4.	श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी श्री जितेन्द्र सौर	पंच	सेंदरी
5.	श्री रमेश सौर पुत्र श्री हदुआ	पंच	चंदावनी
6.	श्रीमती प्रेमबाई सौर पत्नी श्री भगवानदास	पंच	कठउपहाड़ी
7.	श्री भइया लाल पुत्र श्री चतरे सौर	पंच	देवेन्द्रपुरा
8.	श्री अनन्तराम सौर पुत्र श्री कल्ले सौर	पंच	उरदौरा
9.	श्री मुलायम सौर पुत्र श्री विजय सौर	पंच	अस्तारी
10.	श्री सरजू सौर पुत्र श्री दयाराम सौर	पंच	शक्तिभैरों
11.	1. मानिकलाल सौर पुत्र श्री कालिया सौर 2. बाबूलाल सौर पुत्र श्री बड़कोले सौर	पंच पंच	बिहारीपुरा बिहारीपुरा
12.	श्री रती सौर पुत्र श्री मुनई सौर	पंच	कुढ़ार
13.	श्रीमती सुदामादेवी पत्नी श्री रमेश सौर	पंच	कुलुआ
14.	श्री बालाराम सौर पुत्र श्री सुम्मेर सौरे	पंच	चुरारा

अध्ययन क्षेत्र तहसील–निवाड़ी में कृषि उपज मण्डी समिति के अध्यक्ष पद पर श्री भगवान दास सौर आसीन है तथा तहसील निवाड़ी के जिला–टीकमगढ़ में जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर श्री हरप्रसाद सौर आसीन हैं।

इस प्रकार पंचायतीराज व्यवस्था ने इनके सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु जो आरक्षण की व्यवस्था की है उसके फलस्वरूप पंचायतीराज व्यवस्था के तीनों स्तरों ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत में इनका हस्तक्षेप है, इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि सौर जनजाति में राजनीति के प्रति जागृति आई है और महिलायें भी राजनीति में सक्रिय रूप से सहभागी हैं।

अध्याय- अष्टम्

निष्कर्ष

निष्कर्ष

शोधार्थी ने सौर जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर उत्थान में पंचायती राज की भूमिका का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर बृहत्तर निवाड़ी तहसील के अन्तर्गत सौर जनजाति के सन्दर्भ में प्रतिपादित किया है।

निष्कर्ष में मैने पाया कि न तो इनकी कोई जनजातीय भाषा है ओर न ही घोटुल जैसी कोई संस्था है और न ही कोई इनका अन्य जनजातियों की भाँति लोकनृत्य है। झूम खेती जैसी कोई चीज नहीं है। परम्परागत व्यवसाय जैसे जंगल से शहद निकालना, जंगल से लकड़ी काटना और बेचना, शिकार करना, आदि वन सम्पदाओं पर आधारित व्यवसाय सरकार द्वारा वन्य एवं जीव कानून के तहत प्रतिवंधित किये जाने के कारण इनका परम्परागत व्यवसाय विलुप्त सा हो गया है और आधुनिकता से जुड़ता जा रहा है। यद्यपि सौर जनजातियों में आधुनिकता के प्रभाव के कारण अपने परम्परागत गुणों को खोती जा रही हैं लेकिन आज भी इनमें टोटम जैसी व्यवस्था जीवित है। जादू–टोने–टुटकों में सौर जनजाति आज भी विश्वास करती है। जंगली जड़ी–बूटियों में आज भी सौर लोगों का विश्वास पूर्ववत है और इलाज में व्यापक रूप से इनका प्रयोग करते है। सौर जनजाति ने कृषि के आधुनिक तरीकों, उन्नत बीजों का प्रयोग करना शुरू कर दिया हैं जिससे अच्छे परिणाम आये है। म0प्र0 शासन ने इन्हें सिचांई की सुविधा के लिए कुछ कुए खुदवाए तथा डीजल पम्प भी क्रय कराये है। जिससे कृषि के प्रति इनका रूझान बढ़ा है।

पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का अधिक से अधिक विकास तथा ग्रामीण जनता के बीच तारतम्य स्थापित करना है। अध्ययन क्षेत्र के सौर जनजातियों का ऐसा दृष्टिकोण है कि पंचायती राज व्यवस्था ही एक ऐसा रास्ता है, जिसके द्वारा गांवों का विकास और ग्रामीण जनता के बीच परस्पर सहयोग और तारतम्य बनाये रखा जा सकता हैं। पंचायती राज व्यवस्था में गांवो में तकनीकी एवं आर्थिक विकास, ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी, स्वास्थ्य, आवास, यातायात के साधनों, बाढ़, सूखा आदि समस्याओं को दूर करने की बात कही गई

है। साथ ही गांव में कुटीर उद्योगों की सम्भावना व्यक्त की गई है। अतः पंचायती राज व्यवस्था की कार्य प्रणाली से स्पष्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण जनप्रतिनिधियों का सहयोग निश्चित ही सराहनीय है। सौर जनजाति का ऐसा विचार है कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण जनप्रतिनिधियों का योगदान ग्रामीण अंचल से सम्बन्धित समस्याओं का निदान करना, ग्रामीण जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाना तथा ग्रामीण जनता को उनकी योजनओं और अधिकार के प्रति उन्हें जागरूक करना हैं। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के योगदान के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था सम्भव है और जिसके द्वारा ग्रामीण जनता का अधिक से अधिक सर्वांगीव विकास सम्भव है। ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के सहयोग से न केवल ग्रामीण जनता को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की जानकारी होगी और ग्रामीण समस्यायें हल होगी बल्कि एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी होगा कि ग्रामीण जनता सरकारी अफसरों के शोषण से मुक्त हो सकेगी जब ग्रामीण समस्यायें हल होगी तो निश्चित है कि ग्रामीण अंचलों से शहरी अंचलों में बढ़ते पलायन को रोका जा सकेगा और ग्रामीण बेरोजगारी तथा निरक्षरता को कम किया जा सकेगा। पंचायती राज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि इसमें महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारने हेतु सरकार प्रयासरत है शोधार्थी ने अध्ययन क्षेत्र में पाया है कि सौर जनजाति की महिलाओं को भी इसका लाभ मिला है वे राजनीतिक पद को प्राप्त किये हुए है। उनमें राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है।

पंचायती राज्य व्यवस्था से गांवो में राजनैतिक व प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में समझ का विकास हुआ है। जिसके कारण सौर जनजाति इन संस्थाओं में सक्रिय सहभागिता के लिए आकर्षित हुई है।

लोक तांत्रिक विकेन्द्रीकरण की इस प्रक्रिया में समाजीकरण के दौर से गुजरते व्यक्तियों के बीच जनतांत्रिक मूल्यों के विकास से अधिकारों के प्रति चेतना बढ़ी है।

पंचायती राज व्यवस्था ने न केवल सौर जनजाति के मानसिक विकास में योगदान दिया है बल्कि गांवों के भौतिक विकास में भी कारगर भूमिका निभाई हैं जिससे गांवों में यातायात, सिचांई, पेयजल सुविधाओं का विस्तार हुआ है और सामान्य ग्रामवासी के जीवन स्तर में आंशिक सुधार भी आया है।

शिक्षण संस्थाओं को शुरूआत ने साक्षरता का प्रतिशत ही नहीं बढ़ाया बल्कि गांव के व्यक्तियों के विचारों व मूल्यों में परिवर्तन के लिए भी कार्य किया है। सौर जनजाति के शिक्षा के प्रति जागृति लाने की आवश्यकता है। यद्यपि सरकार इन्हें शिक्षित करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। फिर भी इनमें साक्षरता के प्रति रूझान कम पाया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सम्पर्क सूत्र की राजनीति का विकास हुआ। गाँव, जिलो व राज्यों से जुड़ने लगे। गांव की राजनीति पर जिले एवं राज्य स्तर की राजनीति का प्रभाव पड़ने लगा है। राज्य स्तरीय नेता ऐसी जोड़–तोड़ करने लगे कि उनके गुट एवं पार्टी के व्यक्ति पंचायतों में आये ताकि उनका समर्थन आधार मजबूत हो सके । पंचायती राज संस्थाए एवं नेतृत्व गांवों को राज्य की राजनीति से जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी है।

पंचायती राज संस्थाओं से अनु0जाति/अनु0जनजाति/पिछड़ा वर्ग में नई चेतना का विकास हुआ है और पारस्परिक उच्च जातियों की स्थिति में ह्रास हुआ है।

पंचायती राज प्रणाली ने ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक प्रतिभा और आकांक्षाओं वाले नये लोगों को ढूढ़ निकाला है।

पंचायती राज के फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया है कि ग्रामीणों के मस्तिष्क से अधिकारियों का भय खत्म हो गया है। अब ग्रामीणजन अधिकारी से विश्वास के साथ अपनी समस्याओं पर बातचीत कर सकते है।

पंचायतों के चुनाव उसी प्रकार लड़े जाते है जिस प्रकार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़े जाते है। इससे ग्रामीण जीवन में गुटबन्दी की भावनाएँ विकसित हुई और गाँव राजनीति के अखाडे बनते जा रहे है।

पंचायती राज संस्थाओं का राजनीतिक दृष्टि से महत्व बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दल पंचायतों के चुनावों में सक्रिय भूमिका अदा करने लगे है। पंचायतों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति का आधार माना जाने लगा है। राजनीतिक दल और उनके नेता यह महसूस करने लगे है कि लोक सभा और विधान सभा निर्वाचनों में सफलता प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायतों खण्ड जनपद पंचायतों तथा जिला पंचायतों पर कब्जा किया जाना अपरिहार्य है। सरपंचो, प्रधानों और जिला प्रमुखों के रूप में ग्रामीण नेतृत्व विकसित हो रहा है।

पंचायती राज की सफलता के लिए सुझाव :

भारत के लिए गाँव आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। देश तभी फूलेगा–फलेगा जब उसकी आत्मा के रूप में गाँव की प्रगति हो। गाँवो का सर्वांगीण विकास पंचायतों की सफलता के द्वारा ही सम्भव हैं पंचायतों की सफलता के लिए निम्नांकित सुझाव दिये जा सकते है :–

- पंचायती राज संस्थाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में गुटबन्दी और दलगत राजनीति पनपी है, जो ग्रामों के सर्वांगीण विकास में बाधक है, अतः इनसे ग्रामों को मुक्त रखा जाना चाहिये।

- पंचायतों के चुनाव में मतदान को अनिवार्य किया जाना चाहिए और जो मतदाता चुनाव में भाग न ले उस पर कुछ दण्ड लगाया जाये जो एक सौ रूपया से अधिक न हो।

- पंचायती राज संस्थाओं के सफल कार्य–संचालन के लिए इनके वित्तीय साधनों को बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है।

- पंचायती राज व्यवस्था की सफलता हेतु ग्रामीण जन प्रतिनिधियों को और अधिक अधिकार प्रदान किये जाने चाहिये।

- ग्रामीण विकास कार्यक्रम में रखे गये धन के वितरण में आने वाली शासकीय अड़चनों को समाप्त किया जाना चाहिये।

- ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा, रोजगार, कृषि, विकास, तकनीकी, पेयजल, तथा मार्गो आदि के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जाये तथा इन्ही कार्यो पर अधिक धन व्यय किया जाना चाहिये।

- महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षित एवं जागरूक बनाया जावे ताकि वे अपने अधिकारों को जान सके एवं उनकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार हो सके।

- सौर जनजाति की सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति उठाने के हर सम्भव प्रयास किये जाने चाहिये।

- नगरों की शिक्षित महिलाओं द्वारा ग्रामीण अंचलों में जाकर ग्रामीण महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना चाहिये।

- ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सहयोग देने वाली स्वयं सेवी एवं सामाजिक संस्थाओं को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- ग्रामीण जनप्रतिनिधियों द्वारा किये गये विकासीय कार्यक्रमों में धन व्यय में भ्रष्टाचार की सम्भावनाओं को कम किया जाना चाहिये तथा इसके कार्यो के मूल्यांकन हेतु एक जांच समिति गठित होना चाहिये।

- प्रत्येक जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण इस व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले विकासीय कार्यक्रमों को आपसी तालमेल तथा पूर्ण निष्पक्षीय भाव से क्रियान्वित करें। जिससे इस व्यवस्था के अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति सम्भव हो सके।

- पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये और अन्त में पंचायतों पर विश्वास करना होगा, वे गलतियां करेगी और हमारा दृष्टिकोण उनके प्रति उदार होना चाहिये।

- पंचायती राज संस्थाओं को सफल बनाने हेतु यह आवश्यक है कि इनसे सम्बद्ध सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच सन्देह और अविश्वास को दूर किया जाय और सम्बंधो में सुधार लाया जाये।

- अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों का लाभ अधिकांशतः उन्हीं को मिल पाया है जो पहले से सम्पन्न थे। सामाजिक न्याय की दृष्टि से विकास योजनाओं के लाभ का वितरण सभी लोगों में समान रूप से होना चाहिये और कमजोर या गरीब वर्ग के लोगो की आर्थिक स्थिति को ऊँचा उठाने का विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिये। इस हेतु पंचायती राज संस्थाओं को कृषि सुधार की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। भूमि सम्बंधी नीतियों में परिवर्तन कर सौर जनजाति तथा अन्य निर्धन व्यक्तियों को कृषि हेतु भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिये।

- पंचायती राज की कमियां काफी सीमा तक हमारे देशवासियों में चरित्र के अभाव का परिणाम है। आज व्यक्ति अपने आप में इतना संकुचित हो गया है कि वह व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सम्पूर्ण समाज एवं राष्ट्र के हित की दृष्टि से चिन्तन और आचरण नही कर पाता है ; यद्यपि कुछ अपवाद अवश्य हैं। यह एक मानवीय समस्या है जिसका निराकरण चरित्र–निर्माण के द्वारा ही सम्भव हैं अतः वर्तमान में आवश्यकता ऐसे व्यक्तियों के निर्माण की है जो अपने तुच्छ स्वार्थो से ऊपर उठकर समाज और सम्पूर्ण राष्ट्र के हित को सर्वोपरि मानकर उस दृष्टि से निष्ठापूर्वक कार्य कर सके।

- यद्यपि पंचायती राज संस्थाए लोगो की इच्छाओं या अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पायी है, परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि पंचायतीराज सही दिशा में एक प्रयास है, समाज के निम्न वर्ग के बहुत से लोग जिनमें सौर जनजाति भी अब ग्रामीण समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन में सक्रिय भाग लेने लगे है। इस पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण स्तर पर शक्ति संरचना को सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के पक्ष में कुछ सीमा तक परिवर्तितं करने में भी योग दिया है। यदि ये संस्थाए लोगों में परिवर्तन की तीव्र आकाक्षांए जाग्रत कर सकी, उन्हें परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस करा सकी, तो ये सौर जनजाति के सामजिक आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन लाने में अवश्य सफल हो सकेंगी तथा ग्रामीण समुदाय के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में परिवर्तन हो सकेगा। वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

इस अध्ययन का भविष्य के लिये महत्व

भारतीय समाज में जनजातियों का विशेष स्थान है। जनजातियां आज भी शोषित, दलित, तथा उपेक्षित श्रेणी में आती है यदि जनजातियों को समाज की मुख्यधारा से नहीं जोड़ा गया जो सम्पूर्ण भारत की उन्नति का स्वपन अधूरा रहेगा। शोधार्थी ने अपने अध्ययन में पाया कि औद्योगीकरण, नगरीकरण, ज्ञान–विज्ञान, तथा प्रौद्यौगिकी की प्रगति के बाबजूद भी सौंर जनजाति घोर उपेक्षा की शिकार है। सरकारी नीतियों तथा शासकीय अनुदान का प्रत्यक्ष लाभ इन्हे प्राप्त नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप इन लोगों के जीवन में कुण्ठा, निराशा का होना स्वाभाविक है। आज भी अधिकांश सौंर लोग रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मौलिक सुविधाओं हेतु संघर्षरत हैं। यदि सौंर लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन का उन्नयन करना है, तो इनमें शिक्षा के प्रचार–प्रसार के साथ ही साथ रोजगार की सुविधायें उपलब्ध कराकर इन्हें स्वावलम्बी बनाया जाये, जिससे सौंर लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़कर सम्मानजनक जीवन जी सकें।

इस सौंर जनजाति पर मेरा प्रथम अध्ययन है, भविष्य में शोधार्थियों के लिये इस जनजाति पर अध्ययन की अपार सम्भावनायें हैं।

अध्याय- नवम्

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

BIBLIOGRAPHY

Aknauri. N., 'Social-Cultural Barriers to Rural Change in an East Bihar community' Eastern Anthropologist 1958, 11(3 & 4) 212-219.

Aiyappan, A. 'Theories of Culture Change and Culture Contact' (in) J.P. Mills (ed.) Essay in Anthropology: Presented to S.C. Roy, Maxwell & Co., Lucknow, 1948.

Atal, Yogesh (1970) 'Local Communities and National Politics', National, Delhi, pp.284-294.

Barnahas, A.P., 'Sanskritisation', Economies weekly, 1961, 13(15) 613-618.

Bose, A.B., 'The Diffusion of of Innovation in a village in Western Rajasthan', Eastern Anthropologist, 1965, 8 (3) 138-151.

Bose, N.K., 'The Hindu Method of Tribal Absorption' in N.K. Bose, Cultural Anthropology and other Essays, Calcutta, 1953, pp. 188-194.

Baur, P.T., 'The Economics of the Under-developed Countries' 1957 (Cambridge).

Belshaw, C.S., 'The Changing Melanesia; Social Economics of Culture Contact', 1954 (Melbourne).

Belshaw, C.S., 'Traditional Exchange and Modern Market', 1965 (New Delhi).

Bendict, Ruth, 'Pattern of Culture' 1934 (new York).

Beteille, Andre, 'Six Essay in Comparative Sociology' (1974) (Delhi).

Briggs, W.G., 'The Chamars', Association Press, Calcutta, (1920).

Boas, F., 'General Anthropology', D.C. Health & Company, New York (1938).

Baner, P.T. (1971), 'Dissent on Development: Studies and Debates in Development Economics, Weidenfeld and Nicolson (London).

Bailey, F.G. (1960) 'Tribe, Caste and Nation', Oxford University Press (Bombay).

Bhatt, Anil (1970), Caste and Political Mobilisation in District of Gujarat, in Rajni Kothari (ed.) Caste in Indian Politics, Orient Logman (New Delhi).

Boudeville, J.R., Problems of Regional Planning, Edinburge (1966).

Chauhan, B.R., 'Tribalization', 'Tribe', 1966, 2(1-2).

Cohn, B.S., 1958, The Changing Status of a Depressed Caste (in) McKim Marriot (ed.), 'Village India', University of Chicago Press, Chicago.

Dubey, S.C., 'The Kamars', Universal Publishers, Lucknow, 1951.

Dutta-Majumdar, N., 'The Santhal: A study in Culture Change', Manager of Publications, Government of India Press, Calcutta, 1956.

Das, A.K., 'Influence of City Life on Educated Tribals', Bulletin of Cultural Research Institute, 1962, 1(2), 69-78.

Dalton, George, 'Economic Theory and Primitive Society' (in) American Anthropologist, 1963 (1-25).

Dalton, George, 'Primitive Money'(in) American Anthropologist (1967).

Dobb, M., 'An Essay on Economic Growth and Planning', Routledge and Kegan Paul, London, 1960.

Desai, I.P. (1971), 'Understanding occupational change in India', Economic Political Weekly, 6(22), pp.1094-1098.

Epstein, T.S. (1962), 'Economic Development and Social Change in South India', Oxford University Press (Bombay).

Friedman, J.F., 'Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela' MIT Press, Cambridge Mass, 1966.

Ferreira, John V., 'Totemism in India', Oxford University Press, Bombay (1965).

Godfrey and Wilson M., 'The Analysis of Social Change' (1945) (London).

Gould, H.H., 'Sanskritisation and Westernization: A Dynamic View', Economic Weekly, 1961, 13 (25), 245-250.

Grierson, G.A., 'Linguistic Survey of India' (Calcutta), 1904, 12, 1-11.

Homans, G.C. (1958), 'Social Behaviour as Exchange' in American Journal of Sociology (63), pp.597-606.

Hozelitz, B.F., Sociological Aspects of Economic growth (1960), (New Delhi).

Hsu, F.L.K., 'Rethinking the Concept Primitive' (in) Current Anthropology, Vol.I, No.5.

Hutton, J.H., 'Caste in India', Cambridge University Press, Cambridge (1946).

Horowitz, I.L. (1972), 'Three Worlds of Development', Oxford University Press (London).

Hunter, Guy (1969), 'Modernizing Peasant Societies: A Comparative Study in Asia and Africa', Oxford University Press (London), pp.53-54.

Kar, P.C. (1982) 'Garos in Transition', Cosmo Publications, 1982 (New Delhi).

Khound, H.P. 'Changes in Income Distribution Pattern and their Significance in a Society in Transition', in Indian Journal of Agricultural Economies, Vol.XXV, No.3 (1970).

Kothari, Rajni (ed.) 1970, 'Caste in Indian Politics', Orient Longmans (Delhi).

Karve, Iravati, 'Some Studies in the making of a culture pattern' (in) J.P. Mills (ed.) Essay in Anthropology presented to S.C. Roy Maxell & Co., Lucknow, 1948, pp.206-214.

Kalia, S.L., Sanskritization and Tribalisation in T.B. Naik (ed.) Changing Tribe, Tribal Research Institute, Chindwara (1961).

Leibenstein, H., 'Economic Backwardness and Economic Growth', 1967 (New York).

Lewis, W. Arthur, 'The Theory of Economic Growth', (London), 1955.

Lewin, Kurt (1948), 'Resolving Social Conflict', Harper and Row, New York.

Lerner, Daniel (1958), 'The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East, Free Press (Glencoe).

Majumdar, D.N., 'A Tribe in Transition: A study in Culture Pattern', Longmans Green & Co. (London), 1937.

Majumdar, D.N., 'The affairs of a Tribe: A Study in Tribal Dynamics', Universal Publisher Ltd. (Lucknow) (1950).

Marriot, Mackim, 'Little Communities in an Indigenous Civilisation', in Mackim Marriot (ed.) 'Village India', University of Chicago Press, Chicago, 1955.

Myrdal, Gunnar (1966), 'Asian Drama, An Enquiry into the Poverty of Nations' (3 Vol.), Penguin (London).

Naik, T.B., 'What is a tribe: Conflicting definitions, (in) Applied Anthropology in India by L.P. Vidyarthi (ed), Allahabad, (1968).

Radcliffe-Brown A.R., 'The Andaman Islander: A study in Social Anthropology', Cambridge University Press, (1922).

Redfield, Robert, 'The Little Community', University of Chicago Press, Chicago (1955).

Singer, Milton (1972), 'When a Great Tradition Modernizes', (Praeger New York).

Srinivas, M.N. (1972), 'Social change in Modern Indian', Orient Longman (New Delhi).

Srinivas, M.N. (1952), 'Religion and Society among the Corrgs of South India', (Clarendon, Oxford).

Srivastava, S.K., 'Tharus: A Study of cultural Dynamics', Agra University Press, Agra, 1958.

Sinha, Surajit, The Acculturation of the Bhumij of Manbhum: A Study in Social Class Formation and Ethnic Integration', Evans, Illinois, (1956).

Saxena, R.N., 'Anthropologists and Undeveloped Territories' (in) Balarathnam (ed.) Anthropology on March (1963).

Singh, Yogendra, 'A note on cultural integration on Tribal Society in India', 'Tribe', 1968, 2 (1-3), 13-16.

Singh, Yogendra, 'Social Stratification and change in India', Ramesh Jain, Manohar Book Service (New Delhi), 1977.

Vyas, N.N., (1980), 'Indian Tribes in Transition', Rawat Publications (Delhi), 1980.

कार्ल पियर्सन, 'द ग्रामर ऑफ साइंस'

प्रो0 हीरालाल शुक्ला, 'आदिवासी अस्मिता और विकास',

डा0 शिव कुमार तिवारी एवं डा0 श्री कमल शर्मा, 'मध्यप्रदेश की जनजातियाँ'

शिक्षा समिति द्वारा सम्पादित, 'भारत की साँस्कृतिक विरासत',

मध्यप्रदेश पंचायतीराज अधिनियम, 1994

डा0 भागीरथ प्रसाद, 'आगे आयें लाभ उठायें', जनसम्पर्क विभाग का प्रकाशन',

साक्षात्कार–अनुसूची

1. व्यक्तिगत जानकारी :–

i. नाम : ....

ii. पिता / पति का नाम : ....

iii. आयु : ....

iv. लिंग ....

v. जनजाति : ....

vi. ग्राम का नाम एवं पंचायम का नाम : ....

vii. शिक्षा (शिक्षित / अशिक्षित) : ....

viii. शिक्षित (प्राथमिक / माध्यमिक / उच्चमाध्यमिक / स्नातक / स्नातकोत्तर) : ....

ix. वैवाहिक स्थिति (विवाहित / अविवाहित) : ....

x. धर्म (हिन्दु / इस्लाम / अन्यकोई) : ....

xi. मातृ भाषा : ....

2. पारिवारिक जानकारी :–

i. परिवार की प्रकृति (एकांकी / संयुक्त) : ....

ii. निवास स्थान का प्रकार (कच्चा / पक्का) : ....

iii. परिवार के सदस्यों का विवरण

क्र.सं.	नाम	आयु	पुरूष	स्त्री	बच्चे	कुल	शिक्षित	अशिक्षित

3. आर्थिक प्रतिमानो की जानकारी :–

क्र. सं.	मुख्य आय प्रतिमाह	अन्य आय	आय के स्रोत	कुल आय	कुल व्यय

विषय सम्बन्धी जानकारी

1. आपकी दृष्टि से कौन सा परिवार श्रेष्ठ है ?

(a) संयुक्त (b) एकांकी

2. आपकी जनजाति में कौन सी विवाह पद्धति है ?

(a) परिवीक्षा विवाह (b) हरण विवाह (c) विनिमय विवाह

(d) माता–पिता की इच्छा से (e) क्रय विवाह (f) सहमति एवं सहपालन विवाह (g) परीक्षा विवाह (h) न्यायालय में विवाह (i) सेवा विवाह (j) अन्य विवाह

3. आपकी दृष्टि में विवाह का क्या उद्देश्य है ?

(a) यौन इच्छाओ की पूर्ति (b) सामाजिक अनिवार्यता (c) धार्मिक अनिवार्यता (d) जीवन साथी (e) बच्चे उत्पन्न करना

4. क्या आप अन्तर्जातीय विवाह पसन्द करतें है ?

(a) हां (b) नहीं

5. क्या आपकी जनजाति में विवाह विच्छेद या तलाक होते है ?

(a) हां (b) नहीं

6. यदि हां ? तो उसके कारण –

(a) गरीबी (b) विश्वास की कमी (c) शारीरिक व मानसिक अयोग्यता

(d) चरित्रहीनता (e) उक्त सभी (f) अन्य कारण

7. आप बाल विवाह के पक्ष में है अथवा विलम्ब विवाह के पक्ष में है ?

(a) बाल विवाह (b) विलम्ब विवाह

8. यदि विलम्ब विवाह के पक्षधर हैं तो आपकी दृष्टि में विलम्ब विवाह की आयु क्या होनी चाहिए ?

(a) 10–15वर्ष (b) 18–21वर्ष (c) 20–25वर्ष (d) 25–30

9. आप की दृष्टि में विवाह का रूप होना चाहिए –

(a) एक विवाही (b) बहुविवाही

10. आप की जनजाति में कन्या मूल्य का प्रचलन है अथवा इसका स्थान वर मूल्य प्रथा (दहेज प्रथा) ले रही है।

(a) कन्या मूल्य (b) दहेज प्रथा

11. अन्य जातियों के साथ आप के किस प्रकार के सामजिक संम्बन्ध है ?

i **सवर्णो के साथ –**

(a) वैवाहिक (b) खान–पान का सम्बन्ध (c) भाईचारे का सम्बन्ध

(d) मित्रवत् व्यवहार अथवा मैत्री सम्बन्ध (e) उक्त सभी

ii **पिछड़ी जातियों के साथ –**

(a) वैवाहिक (b) खान–पान का सम्बन्ध (c) भाईचारे का सम्बन्ध

(d) मित्रवत् व्यवहार अथवा मैत्री सम्बन्ध (e) उक्त सभी

iii **अनुसूचित जातियों के साथ –**

(a) वैवाहिक (b) खान–पान का सम्बन्ध (c) भाईचारे का सम्बन्ध

(d) मित्रवत् व्यवहार अथवा मैत्री सम्बन्ध (e) उक्त सभी

iv **अपनी ही जनजाति में –**

(a) वैवाहिक (b) खान–पान का सम्बन्ध (c) भाईचारे का सम्बन्ध

(d) मित्रवत् व्यवहार अथवा मैत्री सम्बन्ध (e) उक्त सभी

12. आपके गोत्र का क्या नाम है ?

(a) सनौरया (b) जचैरया (c) बगुलया (d) कच्चाकुड़ारिया

(e) पक्काकुड़ारिया (f) सौलक्या (g) अन्य कोई

13. पेड़ पौधों के नाम जिन्हें आप पवित्र मानते हैं ।

(a) पीपल (b) बरगद (c) आँवला (d) तुलसी (e) सलैया

(f) शमि का पेड़ (g) उक्त सभी

14. पशु/पक्षियों के नाम जिन्हे आप पवित्र मानते हैं ।

(a) बगुला (b) नीलकण्ठ (c) मोर (d) गाय (e) उक्त सभी

(f) कोई अन्य

15. क्या आप धर्म में विश्वास करते हैं ?

    (a) हाँ (b) नहीं (b) अनिर्णित

16. क्या आप के गांव में मन्दिर हैं ? जहां आप पूजा के लिये जाते है।

    (a) हाँ (b) नहीं

17. आप किस देवी–देवता में आस्था रखते हैं ?

    (a) भगवान शंकर (b)राम–सीता (c) हनुमान (d) भगवान विष्णु

    (e) दुर्गा जी (f) लक्ष्मी जी (g) काली मां (h) उक्त सभी

18. धर्म और धार्मिक संस्कारों की उपयोगिता आपकी दृष्टि में क्या हैं ?

    (a) प्रतिकूल परिस्थितियों में सहायता पहुंचाते हैं।

    (b) बुरी आत्माओं और बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता हैं।

    (c) सम्पन्नता बढ़ाता है।

    (d) सामाजिक एकता पैदा करता है।

    (e) नैतिकता का विकास करता है ।

    (f) आजकल धर्म की कोई उपयोगिता नहीं है।

    (g) धर्म हमारे प्रगति में बाधक है।

19. क्या आप पूजा–पाठ में विश्वास करते हैं ?

    (a) हाँ (b) नहीं (c) अनिर्णित

20. क्या आप उपवास (वृत) में विश्वास करतें हैं ?

    (a) हाँ (b) नहीं (c) अनिर्णित

21. आप किस पर विश्वास करतें हैं ?

    (a) भाग्यवादिता (b) कर्मशीलता (c) ईश्वर में (d) अन्य पर

22. आप ईश्वर में विश्वास करतें हैं ?

    (a) हाँ (b) नहीं (c) अनिर्णित

23. क्या खेती–वारी का शुभारम्भ धार्मिक अनुष्ठानों के साथ करतें हैं ?

    (a) हाँ (b) नहीं

24. बीमारी की अवस्था में आप इलाज के लिये कहां जाते हैं ?

(a) गांव में ही अपने भगत से देशी जड़ी–बूटियों तथा मंत्र–मंत्र से इलाज कराते है।

(b) नजदीक के सरकारी अस्पताल में जाते हैं।

(c) स्वयं के जानकारी के आधार पर दवाई ले लेते हैं।

(d) किसी प्राइवेट डाक्टर की सलाह से इलाज कराते हैं।

25. क्या आपके गांव में लड़के–लड़कियों के लिए युवा संगठन है ?

(a) हाँ (b) नहीं (c) अनिर्णित

26. क्या आप की जनजाति में घोटुल जैसी कोई संस्था पाई जाती हैं ?

(a) हाँ (b) नहीं (c) अनिर्णित

27. आप का व्यवसाय क्या हैं ?

(a) कृषि (b) कृषि तथा मजदूरी (c) नौकरी (d) सिर्फ मजदूरी

(e) अन्य स्रोत

28. क्या महिलाये पुरूषों के साथ प्रत्येक कार्य में हिस्सा लेती हैं ?

(a) हाँ (b) नहीं (c) अनिर्णित

29. क्या महिलाये कृषी कार्य तथा मजदूरी में सहयोग करती हैं ?

(a) हाँ (b) नहीं

30. क्या आपके समुदाय में बन्धुआ मजदूर प्रथा पाई जाती हैं ?

(a) हाँ (b) नहीं

31. अपने आर्थिक विकास तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कर्ज हेतु किस संस्था को प्राथमिकता देते हैं ?

(a) सहकारी संस्था (b) भूमि पति से (c) सूदखोरों से

(d) अन्य किसी से (e) बैंक से

32. आप के गांव से कस्वों और शहर के लिये आवागमन के साधन क्या हैं ?

(a) बैलगाड़ी (b) बस (c) मोटर साईकिल

(d) ट्रेन (e) a + b + c (f) a + b + c + d

33. क्या गांव के निकट वस्तुओं को बेचने एवं खरीदने हेतु बाजार हैं ?

(a) हां (b) नहीं

34. आप आपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं ?

(a) सरकारी कर्मचारी (b) वकील (c) शिक्षक (d) इन्जीनियर (e) डाक्टर (f) सैनिक (g) मेरे पास रहकर अपना कार्य करें

35. आपकी दृष्टि से पंचायती राज व्यवस्था सम्बन्धित हैं ?

(a) ग्रामीण जनता द्वारा मतदान पद्धति से चुने गये जन प्रतिनिधि

(b) सरकार द्वारा मनोनीत ग्रामीण जनप्रतिनिधि

(c) ग्रामीण जनता द्वारा मनोनीत ग्रामीण जन प्रतिनिधि

(d) कोई अन्य व्यवस्था

36. आपकी दृष्टि से पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है ?

(a) ग्रामीण क्षेत्रों का अधिक से अधिक विकास

(b) ग्रामीण जनता के बीच तारतम्य स्थापित करना

(c) उपरोक्त दोनों

(d) कोई अन्य

37. पंचायती राज व्यवस्था की कार्य प्रणाली व्यक्त की गई है

(a) गावं में तकनीकी एवं आर्थिक विकास की संभावना

(b) ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी एवं संक्रामक रोगों को दूर करने की संभावना

(c) स्वास्थय, आवास, यातायात के साधनों, बाढ, सूखा आदि समस्याओं को दूर करने एवं गांवों में कुटीर उद्योगों के विकास की संभावना

(d) उपर्युक्त सभी संभावनायें

38. आपकी दृष्टि से पंचायती राज व्यवस्था लागू होने से सामाजिक स्तर में परिवर्तन की क्या संभावना प्रतीत होती है ?

(a) शिक्षा के प्रति जागरूकता बढी है

(b) महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलने से उनके सामाजिक स्तर में पर्याप्त सुधार होने की संभावना है

(c) राजनीति के प्रति जागरूकता बढी है

(d) उपरोक्त सभी

39. क्या आपने पंचायत के चुनाव में भाग लिया है ?

(a) हां (b) नही

40. क्या आप पंचायती राज व्यवस्था में दोष पाते हैं ?

(a) हां (b) नहीं

41. पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जनजाति को दिये गये आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत क्या आपकी जनजाति से कोई व्यक्ति राजनीतिक पद पर आसीन है ?

(a) हां (b) नहीं

42. आप किस प्रकार के उम्मीदवार को अपना वोट देगें ?

(a) अपनी जनजाति के उम्मीदवार को

(b) किसी अच्छे व पढ़े–लिखे व्यक्ति को

(c) अच्छे व्यक्तित्व के उम्मीदवार को

(d) अपने ही क्षेत्र व अच्छे व्यक्तित्व तथा पढ़े–लिखे व्यक्ति को

43. आपकी दृष्टि में पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण जनप्रतिनिधियों का मुख्य रूप से योगदान होगा।

(a) ग्रामीण अंचल से संबन्धित समस्याओं का निदान करना

(b) ग्रामीण जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना

(c) ग्रामीण जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना

(d) सभी योगदान शामिल हैं

44. पंचायती राज व्यवस्था के कियान्वयन में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से लाभ की संभावना है।

(a) ग्रामीण जनता को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की जानकारी होगी

(b) ग्रामीण जनता सरकारी अफसरों के शोषण से मुक्त हो सकेगी

(c) ग्रामीण समस्यायें हल होंगी

(d) सभी लाभ होने की सम्भावना है।

45. पंचायती राज व्यवस्था लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभाव पडने की संभावना है।

(a) ग्रामीण अंचलों से शहरी अंचलों में बढ़ते पलायन को रोकने में

(b) ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने में

(c) साक्षरता उन्मूलन में

(d) उपर्युक्त सभी पर प्रभाव पड़ने की संभावना

46. पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण व्यवस्था का प्रमुख कारण है

(a) अन0 जाति/अनु0 जनजाति/ पिछड़ा वर्गो को सामाजिक न्याय दिलाना

(b) आरक्षित वर्गो के जीवन स्तर में सुधार लाना

(c) आर्थिक स्थिति में सुधार लाना

(d) उपर्युक्त सभी

47. पंचायती राज व्यवस्था में आप प्रमुख दोष मानते हैं–

(a) भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है

(b) प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकारों का हनन हुआ है

(c) इस व्यवस्था का लाभ जनप्रतिनिधि अपने ढंग से अपने चहेतों को देते हैं

(d) सभी दोष शामिल हैं

48. आपके अनुसार पंचायतीराज व्यवस्था को सफल बनाने हेतु किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है।

(a) ग्राम पंचायतों को और अधिक अधिकार दिये जायें

(b) ग्राम पंचायतों को विकासीय कार्यों के लिये अधिक धन की व्यवस्था की जाये

(a) पूर्णतः उचित (b) पूर्णतः अनुचित (c) आंशिक रूप से उचित

53. पंचायती राज व्यवस्था में दिये गये पंचों एवं सरपंचों के अधिकारों को आप कितना उचित मानते हैं ?

(a) पूर्णतः उचित

(b) पूर्णतः अनुचित

(c) आंशिक उचित

54. क्या आप मानते हैं कि वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था को सम्पूर्ण भारत में लागू किया जाना चाहिये ? यदि हां क्योंकिः–

(a) इस व्यवस्था के द्वारा सही अर्थों में ग्रामीण विकास को गति प्रदान की जा सकेगी

(b) क्योंकि इस व्यवस्था को सम्पूर्ण भारत में लागू करने पर ही उसके प्रभावों को देखा जा सकेगा

(c) इनमें से दोनों

(d) कोई नहीं

MASTER CHART

MASTER CHART

No. Code	SECTION A PERSONAL INFORMATION								SECTION B FAMILY INFORMATION					SECTION C ECONOMIC INFORMATION				
	N	S.T.	A	S	E	Me	R	V/P.P.	FT	H.C.	T.M.	M.	F.	M.I.	E.I.	S.	T.I.	T.E.
1	S	S	26	M	02	Me	01	A/A	02	02	04	03	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
2	K	S	38	M	01	Me	01	A/A	01	02	04	02	03	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
3	K	S	52	M	01	Me	01	A/A	01	02	05	02	01	1200	—	Ag/Labour	1000	1000
4	G	S	42	M	01	Me	01	A/A	01	02	03	01	02	1000	—	Ag/Labour	1200	1200
5	K	S	30	M	03	Me	01	A/A	01	02	03	02	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
6	K	S	27	M	03	Me	01	A/A	02	02	03	02	03	1500	—	Ag/Labour	1000	1000
7	P	S	29	F	02	Me	01	A/A	01	02	05	01	02	1000	—	Ag/Labour	1500	1500
8	M	S	31	M	01	Me	01	A/A	01	02	03	03	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
9	A	S	48	M	01	Me	01	A/A	01	02	04	02	01	1500	—	Ag/Labour	1000	1000
10	S	S	34	F	01	Me	01	A/A	01	02	03	02	02	1200	—	Ag/Labour	1500	1500
11	C	S	36	M	01	Me	01	A/A	01	02	05	03	02	1500	—	Ag/Labour	1200	1200
12	S	S	34	F	01	Me	01	A/A	01	02	03	02	01	1000	—	Ag/Labour	1500	1500
13	S	S	29	F	01	Me	01	A/A	01	02	03	01	02	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
14	M	S	24	F	02	Me	01	A/A	01	02	02	02	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
15	R	S	29	M	02	Me	01	A/A	01	02	03	03	01	1500	—	Ag/Labour	1000	1000
16	P	S	41	M	01	Me	01	A/A	01	02	04	02	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
17	B	S	32	M	02	Me	01	A/A	01	02	03	02	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
18	P	S	28	F	02	Me	01	A/A	01	02	03	02	01	1000	—	Ag/Labour	1500	1500
19	R	S	26	F	02	Me	01	A/A	01	02	03	02	01	1200	—	Ag/Labour	1000	1000
20	G	S	37	M	01	Me	01	A/A	01	02	04	02	02	1500	—	Ag/Labour	1200	1200
21	H	S	39	M	01	Me	01	A/A	01	02	05	02	03	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
22	G	S	41	M	01	Me	01	A/A	01	02	03	02	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
23	H	S	42	M	01	Me	01	A/A	01	02	03	02	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
24	R	S	45	M	01	Me	01	A/A	01	02	03	02	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
25	S	S	26	F	02	Me	01	A/A	01	02	03	01	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500

SECTION-D

No. Code	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19	20
											(i)	(ii)	(iii)	(iv)									
01	a	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	b-c	a	a
02	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	a-b	a	a
03	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	a-b	a	a
04	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b-e	a	a
05	b	d	b	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	a-b	a	a
06	a	d	a	b	b	-	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	a-b-d	a	a
07	b	d	e	b	b	-	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	a-b	a	a
08	b	d	b	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	b-d	a	a
09	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	a-b	a	a
10	b	d	a	b	a	e	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b-d	a	a
11	b	d	a	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b-e	a	a
12	b	d	a	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	a-b	a	a
13	b	d	b	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	a-c	a	a
14	b	d	c	b	a	e	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	a-b-c	a	a
15	b	d	c	b	a	e	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	a-b	a	b
16	b	d	c	b	a	e	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	a-b	a	a
17	b	d	d	b	a	e	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b-d	a	b
18	b	d	b	b	a	e	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	a-b	a	b
19	b	d	b	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	a-e	a	b
20	b	d	a	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	b-e	a	a
21	b	d	e	b	a	e	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	a-b	a	a
22	b	d	c	b	a	e	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	a-b	a	a
23	b	d	c	b	a	e	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	a-b	a	a
24	b	d	c	b	a	e	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	a-b	a	a
25	b	d	c	b	a	e	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	a-b	a	a

SECTION-D

No. Code	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
01	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	a	a	c	d	d	a	a
02	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	c	a	c	c	d	a	b
03	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	a	e	a	c	a	c	c	d	a	b
04	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	a	e	a	c	a	c	d	d	a	b
05	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	a	e	a	c	a	a	d	d	a	a
06	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	a	e	a	c	a	a	d	d	a	a
07	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	a	a	d	d	a	a
08	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	b	a	d	d	a	a
09	a	a	a	d	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	a	a	d	d	a	a
10	b	a	a	d	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	a	c	d	d	a	a
11	b	a	a	d	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	a	c	d	b	a	a
12	b	a	a	b	b	b	b	a	a	b	e	e	a	c	a	a	c	b	a	b
13	b	a	a	b	b	b	b	a	a	b	e	e	a	c	c	a	c	b	a	b
14	a	a	a	b	b	b	b	a	a	b	e	e	a	c	c	a	c	c	a	b
15	a	a	a	b	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	c	c	c	b	a	b
16	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	g	c	c	c	b	a	b
17	a	a	a	a	b	b	b	b	a	b	b	e	a	g	a	c	c	c	a	b
18	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	a	c	d	c	a	b
19	a	a	a	a	b	b	b	b	a	b	b	e	a	c	a	c	d	c	a	b
20	a	a	a	a	b	b	b	b	a	b	b	e	a	a	a	c	d	c	a	b
21	a	a	a	a	b	b	b	b	a	b	b	e	a	g	a	c	d	d	b	b
22	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	f	a	a	d	d	b	a
23	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	g	a	a	b	d	a	a
24	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	f	a	a	d	d	a	b
25	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	f	a	a	d	d	a	b

SECTION-D

No. Code	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
01	a	a	d	d	b	d	d	a	a	d	d	a	a	a
02	a	d	d	d	b	d	d	a	a	d	d	a	a	a
03	a	d	d	d	b	d	c	a	a	d	d	a	a	a
04	a	d	d	d	b	d	c	d	a	d	d	a	a	a
05	a	d	d	d	a	d	c	d	b	d	d	a	a	c
06	a	a	d	c	a	d	c	d	b	d	d	a	a	c
07	a	a	d	c	a	c	d	d	b	b	d	a	a	c
08	a	a	d	c	b	b	d	a	b	b	d	a	a	c
09	a	b	d	c	b	b	d	a	b	b	a	a	a	c
10	a	b	d	d	d	b	a	d	b	c	a	a	a	c
11	a	d	a	d	d	c	a	b	a	c	a	a	b	c
12	a	d	a	d	d	c	a	b	a	c	d	a	b	c
13	a	d	a	c	d	c	b	b	a	c	a	a	b	c
14	a	d	a	c	d	c	c	b	a	d	b	a	b	c
15	a	d	d	c	d	c	b	d	a	d	b	c	b	a
16	a	a	d	c	d	c	b	d	b	d	b	c	b	a
17	a	a	d	c	d	d	b	d	b	d	b	c	a	a
18	a	a	d	c	d	d	d	d	b	d	b	a	a	a
19	a	d	d	d	d	d	d	d	a	d	b	a	a	a
20	a	d	d	d	d	d	d	d	a	d	b	a	a	a
21	a	d	d	d	d	d	c	d	a	d	d	a	a	a
22	a	a	d	d	d	d	c	b	b	d	d	c	a	c
23	a	a	d	a	d	d	a	b	b	d	d	c	a	c
24	a	a	a	a	d	c	d	d	b	d	d	a	a	c
25	a	d	a	d	d	c	d	d	b	d	d	a	a	c

MASTER CHART

No. Code	SECTION A PERSONAL INFORMATION								SECTION B FAMILY INFORMATION					SECTION C ECONOMIC INFORMATION				
	N	S.T.	A	S	E	Me	R	V/P.P.	FT	H.C.	T.M.	M.	F.	M.I.	E.I.	S.	T.I.	T.E.
26	K	S	28	F	01	Me	01	A/A	01	02	03	02	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
27	S	S	26	F	02	Me	01	A/A	02	02	03	02	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
28	M	S	31	F	01	Me	01	A/A	01	02	04	03	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
29	P	S	44	M	01	Me	01	A/A	01	02	02	01	01	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
30	K	S	36	F	01	Me	01	A/A	01	02	02	01	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
31	M	S	34	F	01	Me	01	A/A	01	02	03	01	02	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
32	K	S	42	M	01	Me	01	A/A	01	02	04	03	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
33	S	S	29	F	01	Me	01	A/A	01	02	03	02	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
34	G	S	36	M	01	Me	01	A/A	01	02	03	02	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
35	F	S	38	M	01	Me	01	A/A	01	02	04	02	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
36	R	S	36	F	01	Me	01	A/A	01	02	04	02	02	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
37	G	S	32	M	01	Me	01	A/A	01	02	05	02	03	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
38	K	S	25	F	02	Me	01	A/A	01	02	02	01	02	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
39	F	S	24	F	02	Me	01	A/A	01	02	03	02	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
40	M	S	39	M	02	Me	01	A/A	01	02	04	03	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
41	K	S	32	F	01	Me	01	A/A	01	02	04	02	02	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
42	G	S	39	M	01	Me	01	A/A	01	02	05	04	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
43	M	S	41	M	01	Me	01	A/A	01	02	04	02	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
44	K	S	29	M	02	Me	01	A/A	01	02	03	01	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
45	G	S	31	M	02	Me	01	A/A	01	02	04	02	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
46	K	S	36	M	02	Me	01	A/A	01	02	04	03	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
47	P.V.	S	27	F	02	Me	01	A/A	01	02	03	02	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
48	S	S	28	F	02	Me	01	A/A	01	02	04	02	02	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
49	M	S	29	F	01	Me	01	A/A	01	02	03	02	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
50	D.V	S	31	F	01	Me	01	A/A	01	02	04	02	02	1000	—	Ag/Labour	1000	1000

SECTION-D

No. Code	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19	20
											(i)	(ii)	(iii)	(iv)									
26	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	b	a	a
27	a	d	e	b	a	e	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	b	a	a
28	b	d	d	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	b	a	a
29	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	b	a	a
30	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	a	a	b
31	b	d	e	b	b	-	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	a	a	b
32	b	d	e	b	b	-	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	a	a	b
33	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	h	a	a	b
34	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	b	a	b
35	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	b	a	b
36	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	b	a	b
37	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	e	a	b
38	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	e	a	b
39	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	e	a	b
40	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	e	a	a
41	b	d	e	b	b	-	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	h	e	a	a
42	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	e	a	a
43	b	d	c	b	b	-	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	a
44	b	d	e	b	a	e	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	a
45	b	d	c	b	a	e	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	a
46	b	d	c	b	a	e	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	b	a	a
47	b	d	e	b	a	d	a	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	b	a	a
48	b	d	c	b	b	-	a	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	b	a	b
49	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	b	a	b
50	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	b	a	b

SECTION-D

No. Code	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
26	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	b	c	d	b	a	b
27	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	b	c	d	a	a	b
28	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	b	c	d	a	a	b
29	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	b	c	d	a	a	b
30	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	a	e	a	a	c	c	c	d	a	b
31	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	a	e	a	a	c	c	c	d	a	a
32	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	a	e	a	a	c	c	c	d	a	a
33	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	a	e	a	a	c	b	c	d	a	a
34	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	a	e	a	e	c	b	c	d	a	b
35	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	e	e	a	e	a	b	c	d	a	b
36	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	e	e	a	e	a	b	c	d	a	b
37	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	e	e	a	e	a	b	d	d	a	b
38	a	a	a	b	b	b	b	b	a	b	b	e	a	c	a	b	d	d	a	b
39	a	a	a	b	b	b	b	b	a	b	b	e	a	c	a	d	d	d	a	b
40	a	a	a	b	b	b	b	b	a	b	b	e	a	c	a	d	d	c	a	a
41	a	a	a	b	b	b	b	b	a	b	b	e	a	c	a	a	d	c	a	a
42	a	a	a	b	b	b	b	b	a	b	b	e	a	c	a	a	b	c	a	a
43	b	a	a	b	b	b	b	b	a	b	b	e	a	c	a	a	b	c	a	a
44	b	a	a	b	b	b	b	b	a	b	b	e	a	c	a	a	b	d	a	a
45	b	a	a	b	b	b	b	b	a	b	a	e	a	c	a	a	a	d	a	b
46	b	a	a	b	b	b	b	b	a	b	a	e	a	c	a	a	a	d	a	b
47	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	e	e	a	c	c	a	a	d	a	b
48	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	e	e	a	c	c	a	d	d	a	b
49	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	c	c	a	d	d	a	b
50	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	c	c	a	d	d	a	a

SECTION-D

No. Code	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
26	a	a	d	d	a	c	b	a	a	b	d	a	a	c
27	a	a	d	c	a	b	c	a	a	b	d	a	a	c
28	a	d	a	c	a	c	c	a	a	b	d	a	a	c
29	a	d	d	d	a	b	c	a	a	d	d	a	a	c
30	a	d	d	d	a	b	b	a	b	d	d	a	a	c
31	a	d	d	c	d	b	b	a	b	d	c	a	a	c
32	a	d	d	d	d	d	b	a	b	d	c	a	a	c
33	a	d	d	d	d	d	d	a	b	d	c	a	a	c
34	a	d	c	c	d	d	d	a	b	d	c	a	a	b
35	a	d	c	d	d	d	d	a	b	d	d	a	a	b
36	a	d	c	c	d	d	b	a	b	d	d	a	a	a
37	a	d	c	d	d	d	b	a	a	d	d	a	a	a
38	a	a	b	b	d	d	b	a	a	d	d	a	a	a
39	a	a	b	b	a	d	c	a	a	b	b	a	a	a
40	a	a	b	d	a	d	c	a	b	b	b	a	a	c
41	a	a	d	d	a	d	c	a	b	b	a	a	a	c
42	a	a	d	d	a	d	c	a	b	c	a	a	a	c
43	a	a	d	d	a	d	c	a	a	c	a	a	a	c
44	a	a	d	d	a	d	c	a	a	c	a	a	a	c
45	a	a	c	d	a	d	c	a	b	c	a	a	a	c
46	a	a	c	d	a	d	c	a	b	a	d	a	a	c
47	a	a	c	d	a	d	c	a	b	a	d	a	a	c
48	a	a	c	d	c	d	b	a	b	a	d	a	a	c
49	a	d	d	d	c	d	b	a	a	b	d	a	a	c
50	a	d	d	d	c	d	b	a	b	d	d	a	a	c

MASTER CHART

No. Code	SECTION A PERSONAL INFORMATION								SECTION B FAMILY INFORMATION					SECTION C ECONOMIC INFORMATION				
	N	S.T.	A	S	E	Me	R	V/P.P.	FT	H.C.	T.M.	M.	F.	M.I.	E.I.	S.	T.I.	T.E.
51	R	S	34	M	01	Me	01	A/A	01	02	05	02	03	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
52	G	S	36	M	01	Me	01	A/A	01	02	04	02	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
53	B	S	31	F	01	Me	01	A/A	01	02	04	02	02	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
54	R.D.	S	37	M	01	Me	01	A/A	01	02	05	02	03	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
55	R	S	32	F	01	Me	01	A/A	01	02	04	02	02	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
56	F	S	42	M	01	Me	01	A/A	01	02	03	02	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
57	K	S	34	M	01	Me	01	A/A	01	02	04	02	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
58	M	S	39	M	01	Me	01	A/A	01	02	04	03	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
59	R	S	29	M	01	Me	01	A/A	01	02	04	02	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
60	P	S	32	M	02	Me	01	A/A	01	02	04	03	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
61	A	S	36	F	01	Me	01	U/U	01	02	03	02	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
62	H	S	34	M	01	Me	01	U/U	01	02	04	02	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
63	G	S	38	M	01	Me	01	U/U	01	02	04	02	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
64	G	S	42	M	01	Me	01	U/U	01	02	03	03	01	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
65	T	S	26	F	02	Me	01	U/U	01	02	03	03	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
66	M	S	32	M	02	Me	01	U/U	01	02	03	03	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
67	H	S	31	M	01	Me	01	U/U	01	02	03	03	02	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
68	L	S	36	M	01	Me	01	U/U	01	02	04	04	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
69	P	S	38	M	01	Me	01	U/U	01	03	03	03	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
70	B	S	36	M	01	Me	01	U/U	01	02	03	03	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
71	R.B.	S	34	M	02	Me	01	U/U	01	03	04	04	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
72	R.N.	S	29	M	02	Me	01	U/U	01	02	03	03	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
73	R.S.	S	31	M	01	Me	01	U/U	01	02	03	03	01	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
74	M	S	32	M	01	Me	01	U/U	01	02	04	04	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
75	P.D.	S	36	M	01	Me	01	U/U	01	02	04	04	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500

SECTION-D

No. Code	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19	20
											(i)	(ii)	(iii)	(iv)									
51	b	d	e	b	b	-	a	-	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	b	a	b
52	a	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	b	a	b
53	b	d	b	b	b	-	b	a	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	a	a	b
54	b	d	b	b	b	-	b	a	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	a	a	b
55	b	d	b	b	b	-	a	-	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	a	a	b
56	b	d	a	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	b	a	b
57	b	d	a	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	b	a	b
58	b	d	a	b	a	e	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	b	a	b
59	b	d	a	b	a	e	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	b
60	b	d	a	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	b	a	b
61	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	b
62	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	a
63	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	a	a	b
64	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	a	a	b
65	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	d	a	a
66	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	d	a	a
67	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	d	a	a
68	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	d	a	a
69	b	d	b	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	d	a	a
70	b	d	b	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	d	a	a
71	b	d	b	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	c	a	a
72	b	d	a	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	c	a	a
73	b	d	a	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	c	a	a
74	b	d	a	b	b	-	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	b
75	b	d	a	b	b	-	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	b	a	b

SECTION-D

No. Code	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
51	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	a	e	a	c	e	a	d	c	a	b
52	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	c	a	d	c	a	b
53	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	b	a	d	d	a	b
54	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	b	a	d	d	a	b
55	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	b	a	a	d	a	b
56	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	c	b	a	a	d	a	b
57	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	c	a	a	a	d	a	a
58	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	c	a	a	d	d	a	a
59	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	c	a	a	d	d	a	b
60	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	c	a	a	d	d	a	b
61	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	a	a	c	d	d	a	a
62	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	a	c	d	d	a	a
63	b	a	a	b	b	b	b	b	a	b	b	e	a	a	a	c	d	d	a	b
64	b	a	a	b	b	b	b	b	a	b	b	e	a	a	a	c	b	a	a	b
65	b	a	a	b	b	b	b	b	a	b	b	e	a	a	a	a	c	b	a	b
66	b	a	a	b	b	b	b	b	a	b	b	e	a	e	a	a	c	b	a	b
67	b	a	a	b	b	b	b	b	a	b	a	e	a	e	a	a	c	b	a	b
68	b	a	a	b	b	b	b	b	a	b	a	e	a	e	a	c	d	a	a	a
69	b	a	a	b	b	b	b	b	a	b	a	e	a	c	c	a	d	d	a	b
70	b	a	a	b	b	b	b	b	a	b	a	e	a	c	c	a	c	d	b	b
71	b	a	a	b	b	b	b	b	a	b	a	e	a	c	b	c	d	d	a	b
72	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	a	e	a	c	b	a	c	d	b	b
73	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	e	e	a	a	c	b	c	d	b	b
74	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	e	e	a	a	b	b	d	a	a	b
75	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	d	b	d	d	a	b

SECTION-D

No. Code	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
51	a	b	c	d	a	d	b	d	a	d	d	a	a	c
52	a	b	c	a	a	d	b	b	b	d	d	a	a	c
53	a	a	c	d	a	d	c	b	a	d	d	a	a	c
54	a	d	c	a	a	d	c	b	b	c	d	a	a	c
55	a	d	b	d	d	a	c	d	b	c	b	a	b	c
56	a	d	d	d	d	a	b	d	b	b	b	a	b	c
57	a	d	d	d	d	d	b	d	a	b	b	a	b	c
58	a	d	d	d	d	d	b	d	a	b	b	a	a	c
59	a	d	d	d	d	d	c	d	a	b	b	a	a	b
60	a	d	d	d	c	d	c	d	b	b	d	a	a	b
61	a	d	a	d	d	d	d	a	b	b	d	a	a	b
62	a	d	a	d	d	d	d	a	b	c	d	a	a	b
63	a	a	a	d	d	d	b	a	b	c	d	a	a	b
64	a	d	a	d	a	d	b	a	a	c	a	a	a	b
65	a	d	a	d	a	d	b	a	a	c	a	a	b	b
66	a	d	d	c	a	d	b	a	a	c	a	a	b	b
67	a	d	d	c	d	d	c	b	a	d	d	a	b	c
68	a	d	d	c	d	b	c	b	b	d	d	a	b	c
69	a	d	b	c	d	b	c	b	b	d	d	a	b	c
70	a	a	b	c	d	b	c	b	a	c	d	a	b	c
71	a	a	b	d	a	c	d	a	b	c	d	a	a	a
72	a	a	d	d	a	c	d	c	b	c	d	a	a	a
73	a	a	d	d	d	c	d	c	a	c	d	a	a	a
74	a	d	d	c	d	d	c	c	a	d	d	a	a	a
75	a	d	d	d	d	d	c	a	a	d	d	a	a	c

MASTER CHART

No. Code	SECTION A PERSONAL INFORMATION								SECTION B FAMILY INFORMATION					SECTION C ECONOMIC INFORMATION				
	N	S.T.	A	S	E	Me	R	V/P.P.	FT	H.C.	T.M.	M.	F.	M.I.	E.I.	S.	T.I.	T.E.
76	R	S	37	M	01	Me	01	U/U	01	02	04	02	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
77	T	S	29	F	01	Me	01	U/U	01	02	03	02	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
78	B	S	39	M	01	Me	01	U/U	01	02	04	03	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
79	L	S	42	M	01	Me	01	U/U	01	02	05	03	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
80	A	S	25	M	02	Me	01	U/U	02	02	05	03	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
81	M	S	26	M	02	Me	01	U/U	02	03	06	04	02	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
82	K	S	25	M	02	Me	01	U/U	02	02	05	03	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
83	K	S	29	M	01	Me	01	U/U	01	02	03	02	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
84	P	S	36	M	01	Me	01	U/U	01	02	03	02	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
85	R	S	34	M	01	Me	01	U/U	01	02	04	03	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
86	F	S	39	M	01	Me	01	U/U	01	02	04	02	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
87	R	S	42	M	01	Me	01	U/U	01	02	02	01	01	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
88	G	S	27	M	02	Me	01	U/U	01	02	03	02	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
89	J	S	34	M	01	Me	01	U/U	01	02	03	02	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
90	D	S	37	M	01	Me	01	U/U	01	02	02	01	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
91	B	S	26	F	02	Me	01	U/U	01	02	03	02	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
92	M	S	39	M	01	Me	01	U/U	01	02	02	01	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
93	K	S	42	M	01	Me	01	U/U	01	02	02	01	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
94	R	S	27	F	02	Me	01	U/U	02	02	05	03	02	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
95	S	S	38	M	01	Me	01	U/U	01	02	04	02	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
96	B	S	28	M	02	Me	01	U/U	01	02	04	03	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
97	K	S	26	M	02	Me	01	U/U	01	02	03	01	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
98	K	S	51	M	01	Me	01	U/U	01	02	02	01	01	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
99	R	S	28	M	02	Me	01	U/U	01	02	03	02	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
100	M	S	29	M	02	Me	01	U/U	01	02	03	01	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500

SECTION-D

No. Code	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19	20
											(i)	(ii)	(iii)	(iv)									
76	b	d	a	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	b	a	b
77	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	b	a	b
78	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	b	a	b
79	b	d	b	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	b	a	a
80	a	d	d	b	b	-	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	b	a	a
81	a	d	d	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	b	a	b
82	a	d	d	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	a	a	b
83	b	d	c	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	a	a	b
84	b	d	c	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	a	a	b
85	b	d	b	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	b
86	b	d	b	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	b
87	b	d	c	b	a	e	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	d	a	b
88	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	d	a	b
89	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	d	a	a
90	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	b	a	a
91	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	b	a	b
92	b	d	c	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	b	a	b
93	b	d	b	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	b	a	b
94	b	d	a	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	b	a	a
95	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	a	a	a
96	b	d	d	b	b	-	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	a	a	a
97	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	a	a	a
98	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	a	a	a
99	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	d	a	b
100	b	d	c	b	b	-	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	b	a	b

SECTION-D

No. Code	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
76	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	a	c	d	d	a	b
77	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	a	a	d	d	a	b
78	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	a	a	d	d	a	b
79	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	a	d	c	d	a	b
80	b	a	a	a	b	b	b	b	a	b	b	e	a	c	a	b	c	d	a	b
81	b	a	a	b	b	b	b	b	a	b	b	e	a	c	a	b	c	d	a	b
82	a	a	a	b	b	b	b	b	a	b	b	e	a	c	a	b	d	d	a	b
83	a	a	a	b	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	b	a	b	d	a	a
84	a	a	a	a	b	b	b	b	a	b	c	e	a	a	b	a	b	d	a	a
85	b	a	a	a	b	b	b	b	a	b	c	e	a	a	b	a	a	b	a	b
86	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	a	c	a	a	d	a	b
87	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	c	a	a	a	a	b
88	a	a	a	b	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	c	c	b	c	a	b
89	a	a	a	b	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	b	c	d	c	a	a
90	a	a	a	b	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	b	c	d	b	a	a
91	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	a	e	a	c	c	d	d	b	b	b
92	b	a	a	a	b	b	b	b	b	b	a	e	a	c	c	d	d	b	b	a
93	b	a	a	a	b	b	b	b	b	b	a	e	a	c	c	a	c	c	a	b
94	a	a	a	a	b	b	b	b	a	b	a	e	a	c	a	a	c	c	a	b
95	a	a	a	a	b	b	b	a	b	b	c	e	a	c	a	a	c	c	b	b
96	a	a	a	b	b	b	b	a	b	b	c	e	a	a	a	a	d	d	b	b
97	a	a	a	a	b	b	b	a	b	b	b	e	a	a	a	c	d	d	b	b
98	a	a	a	b	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	a	c	d	d	a	a
99	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	a	c	d	d	a	b
100	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	a	c	d	d	a	b

SECTION-D

No. Code	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
76	a	a	d	d	d	b	d	a	b	d	d	a	a	c
77	a	a	d	d	d	b	d	a	b	d	d	a	a	c
78	a	d	d	d	d	d	d	b	b	d	d	a	a	c
79	a	d	d	d	a	d	d	b	a	d	d	a	a	c
80	a	d	d	c	a	d	d	b	a	b	d	a	a	c
81	a	d	d	c	a	d	d	b	a	b	d	a	a	c
82	a	d	d	c	a	d	c	a	b	b	c	a	a	c
83	a	d	d	c	a	d	c	a	b	b	c	a	a	c
84	a	c	d	c	d	b	c	a	b	b	c	a	a	c
85	a	d	b	c	d	a	c	a	b	d	c	a	a	c
86	a	d	b	d	d	a	b	c	b	d	c	b	b	c
87	a	c	b	d	d	a	b	c	b	d	b	b	b	b
88	a	d	b	d	d	b	a	c	a	d	b	b	b	b
89	a	a	b	d	c	d	a	b	a	d	b	b	b	b
90	a	a	d	d	c	d	a	d	a	d	b	a	a	b
91	a	a	d	d	b	d	a	d	a	d	b	a	a	c
92	a	a	d	c	d	d	c	d	b	d	a	a	a	c
93	a	a	d	c	d	d	c	d	b	b	a	a	a	c
94	a	c	d	c	c	d	c	d	b	b	a	a	a	a
95	a	d	d	c	c	d	a	a	b	b	b	a	a	a
96	a	d	a	d	c	d	c	a	a	d	b	a	a	a
97	a	d	a	d	d	d	c	a	a	d	b	b	b	a
98	a	a	a	a	a	d	c	a	b	d	a	b	b	a
99	a	a	a	a	a	d	c	d	b	d	a	a	a	a
100	a	d	d	b	a	d	d	d	b	d	a	a	a	c

MASTER CHART

No. Code	SECTION A PERSONAL INFORMATION								SECTION B FAMILY INFORMATION					SECTION C ECONOMIC INFORMATION				
	N	S.T.	A	S	E	Me	R	V/P.P.	FT	H.C.	T.M.	M.	F.	M.I.	E.I.	S.	T.I.	T.E.
101	G	S	30	M	01	Me	01	U/U	01	02	03	02	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
102	P	S	27	F	01	Me	01	U/U	01	02	03	02	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
103	K	S	26	F	01	Me	01	U/U	02	02	06	03	03	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
104	J	S	24	F	02	Me	01	U/U	01	02	03	02	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
105	P	S	34	M	01	Me	01	U/U	01	02	04	02	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
106	P	S	26	M	02	Me	01	U/U	01	02	04	02	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
107	K	S	36	M	01	Me	01	U/U	01	02	03	02	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
108	F	S	31	M	01	Me	01	U/U	01	02	03	02	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
109	R	S	34	M	01	Me	01	U/U	01	02	04	02	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
110	B	S	31	M	01	Me	01	U/U	01	02	04	03	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
111	G	S	28	M	02	Me	01	U/U	01	02	04	02	02	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
112	A	S	27	M	02	Me	01	U/U	01	02	03	02	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
113	G	S	36	M	01	Me	01	U/U	01	02	05	03	02	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
114	H	S	42	M	01	Me	01	U/U	01	02	04	03	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
115	M	S	34	M	02	Me	01	U/U	01	02	03	02	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
116	M	S	32	M	02	Me	01	U/U	01	02	03	02	01	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
117	K	S	32	M	02	Me	01	U/U	01	02	04	03	01	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
118	G	S	36	M	01	Me	01	U/U	01	02	04	03	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
119	A	S	29	M	03	Me	01	U/U	01	03	03	02	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
120	U	S	28	M	03	Me	01	U/U	01	02	03	02	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
121	P	S	32	M	02	Me	01	K/K	01	02	04	02	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
122	J	S	34	M	02	Me	01	K/K	01	02	03	02	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
123	N	S	36	M	02	Me	01	K/K	01	02	04	02	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
124	N	S	52	M	01	Me	01	K/K	01	03	05	03	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
125	M	S	34	M	02	Me	01	K/K	01	02	03	02	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500

SECTION-D

No. Code	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19	20
											(i)	(ii)	(iii)	(iv)									
101	b	d	e	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	b	a	b
102	b	d	e	b	a	d	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	b	a	b
103	a	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	b	a	b
104	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	a	a	b
105	b	d	d	b	b	-	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	a	a	a
106	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	a	a	a
107	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	a	a	a
108	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	a	a	b
109	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	a	a	b
110	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	a	a	b
111	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	h	b	a	b
112	b	d	e	b	b	-	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	h	b	a	b
113	b	d	e	b	b	-	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	h	b	a	a
114	a	d	e	b	a	e	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	a
115	b	d	e	b	a	e	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	a
116	b	d	a	b	a	e	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	a	a	a
117	b	d	a	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	a	a	a
118	b	d	e	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	a
119	b	d	e	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	a
120	b	d	e	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	b	a	a
121	b	d	c	b	b	-	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	b	a	a
122	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	a	a	a
123	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	a	a	a
124	a	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	d	a	b
125	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	d	a	b

SECTION-D

No. Code	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
101	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	d	c	d	d	a	b
102	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	a	c	d	d	a	b
103	a	a	a	b	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	a	c	d	d	a	b
104	a	a	a	b	b	b	b	b	a	b	b	e	a	c	a	c	d	d	a	b
105	a	a	a	b	b	b	b	b	a	b	b	e	a	c	a	c	d	d	a	b
106	a	a	a	a	b	b	b	b	a	b	b	e	a	c	a	a	d	d	a	a
107	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	d	a	c	c	a	a
108	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	d	a	c	c	a	a
109	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	a	b	c	d	a	a
110	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	a	c	c	d	a	a
111	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	a	a	c	d	d	a	a
112	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	a	a	c	d	d	a	a
113	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	c	d	c	d	d	a	a
114	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	c	a	c	d	d	a	a
115	a	a	a	b	b	b	b	a	a	b	c	e	a	c	a	c	d	d	a	a
116	a	a	a	b	b	b	b	b	a	b	c	e	a	c	a	a	d	d	a	a
117	a	a	a	a	b	b	b	b	a	b	b	e	a	a	a	b	a	d	a	a
118	a	a	a	a	b	b	b	b	a	b	b	e	a	a	a	c	b	d	b	b
119	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	a	a	c	b	d	b	b
120	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	a	a	c	b	d	b	b
121	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	a	a	c	d	d	b	a
122	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	c	a	c	d	d	a	a
123	b	a	a	b	b	b	b	b	a	b	b	e	a	c	a	c	d	d	a	a
124	b	a	a	b	b	b	b	b	a	b	b	e	a	c	a	a	d	d	a	a
125	b	a	a	a	b	b	b	b	a	b	b	e	a	c	a	a	d	d	a	a

SECTION-D

No. Code	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
101	a	a	b	a	b	c	c	d	b	d	d	a	a	c
102	a	a	b	b	b	c	c	a	b	d	d	a	a	c
103	a	d	b	b	b	c	c	a	b	d	d	a	b	c
104	a	d	b	b	b	d	c	b	a	d	d	a	b	c
105	a	d	b	d	a	d	a	b	a	d	b	a	b	c
106	a	d	b	d	a	d	a	b	a	d	b	a	b	c
107	a	d	c	d	a	d	a	b	a	d	b	a	b	c
108	a	a	c	d	a	d	a	b	b	d	b	a	b	b
109	a	a	c	b	c	d	c	a	b	b	d	a	a	b
110	a	d	d	d	c	a	c	a	b	b	d	a	a	b
111	a	d	d	d	a	a	c	a	b	b	d	a	a	b
112	a	d	c	d	a	d	c	b	b	b	d	a	a	c
113	a	d	c	d	b	d	a	b	a	b	b	a	a	c
114	a	d	c	d	b	d	a	b	a	b	b	a	a	c
115	a	d	c	d	b	d	a	a	a	b	b	a	a	c
116	a	d	c	d	a	d	a	a	b	b	c	a	a	c
117	a	d	d	d	a	d	b	a	b	b	c	a	b	a
118	a	d	d	d	a	d	b	a	b	b	c	a	b	a
119	a	d	d	d	a	d	b	a	b	d	c	a	a	a
120	a	d	d	d	a	d	b	a	b	d	d	a	a	a
121	a	d	d	d	d	d	d	b	a	d	d	a	a	a
122	a	d	d	d	d	d	d	b	a	d	d	a	a	a
123	a	d	d	d	d	d	d	d	a	d	d	a	a	b
124	a	d	d	d	d	d	d	d	b	d	d	a	a	b
125	a	d	d	d	d	d	d	d	b	d	d	a	a	b

MASTER CHART

No. Code	SECTION A PERSONAL INFORMATION								SECTION B FAMILY INFORMATION					SECTION C ECONOMIC INFORMATION				
	N	S.T.	A	S	E	Me	R	V/P.P.	FT	H.C.	T.M.	M.	F.	M.I.	E.I.	S.	T.I.	T.E.
126	P	S	32	M	02	Me	01	K/K	01	02	03	01	02	1500		Ag/Labour	1500	1500
127	B	S	36	M	01	Me	01	K/K	01	02	04	03	01	1000		Ag/Labour	1000	1000
128	B	S	53	M	01	Me	01	K/K	01	02	02	01	01	1500		Ag/Labour	1500	1500
129	B	S	29	M	02	Me	01	K/K	01	02	03	02	01	1000		Ag/Labour	1000	1000
130	R	S	31	M	02	Me	01	K/K	01	02	04	02	02	1000		Ag/Labour	1000	1000
131	M	S	29	F	02	Me	01	K/K	01	02	03	02	01	1000		Ag/Labour	1000	1000
132	C	S	35	M	01	Me	01	K/K	01	02	04	02	01	1500		Ag/Labour	1500	1500
133	M	S	36	M	02	Me	01	K/K	01	02	03	02	01	1200		Ag/Labour	1200	1200
134	M	S	54	M	01	Me	01	K/K	01	02	02	01	01	1000		Ag/Labour	1000	1000
135	M	S	34	M	03	Me	01	K/K	01	03	03	02	01	7000		Service	7000	7000
136	R	S	36	M	02	Me	01	K/K	02	02	05	03	01	1500		Ag/Labour	1500	1500
137	H	S	32	F	01	Me	01	K/K	01	02	03	02	01	1000		Ag/Labour	1000	1000
138	M	S	34	M	01	Me	01	K/K	01	02	04	02	02	1500		Ag/Labour	1500	1500
139	C	S	32	M	02	Me	01	K/K	01	02	03	02	01	1500		Ag/Labour	1500	1500
140	M	S	29	M	02	Me	01	K/K	01	02	03	02	01	1200		Ag/Labour	1200	1200
141	D	S	39	M	01	Me	01	K/K	01	02	04	02	02	1500		Ag/Labour	1500	1500
142	L	S	41	M	01	Me	01	K/K	01	02	02	02	01	1500		Ag/Labour	1500	1500
143	J	S	32	M	01	Me	01	K/K	01	02	03	01	01	1200		Ag/Labour	1200	1200
144	K	S	26	M	03	Me	01	K/K	01	02	03	02	01	1200		Ag/Labour	1200	1200
145	L	S	36	M	01	Me	01	K/K	01	02	04	02	01	1200		Ag/Labour	1200	1200
146	B	S	33	M	02	Me	01	K/K	01	02	03	03	01	1500		Ag/Labour	1500	1500
147	K	S	27	F	01	Me	01	K/K	01	02	03	02	01	1000		Ag/Labour	1000	1000
148	M	S	29	F	01	Me	01	K/K	01	02	04	02	02	1000		Ag/Labour	1000	1000
149	M	S	36	M	01	Me	01	K/K	01	02	05	02	02	1500		Ag/Labour	1500	1500
150	B	S	34	M	02	Me	01	K/K	01	02	04	03	02	1200		Ag/Labour	1200	1200

SECTION-D

No. Code	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19	20
											(i)	(ii)	(iii)	(iv)									
126	b	d	e	b	b	-	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	a	b	a	a
127	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	a	b	a	a
128	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	a	b	a	b
129	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	b
130	b	d	a	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	b
131	b	d	a	b	a	d	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	a	a	b
132	b	d	a	b	a	d	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	a	a	b
133	b	d	a	b	a	d	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	a	a	a
134	b	d	a	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	b	a	a
135	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	b	a	a
136	a	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	b	a	a
137	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	a	a	a
138	b	d	c	b	b	-	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	a	a	a
139	b	d	a	b	b	-	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	a	a	a	a
140	b	d	a	b	b	-	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	a	a	a	b
141	b	d	a	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	b	b	a	a
142	b	d	a	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	b	b	a	a
143	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	b	b	a	a
144	b	d	e	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	b	b	a	a
145	b	d	e	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	a
146	b	d	e	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	a
147	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	h	a	a	a
148	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	h	a	a	b
149	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	h	a	a	a
150	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	h	b	a	a

SECTION-D

No. Code	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
126	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	a	c	c	d	a	b
127	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	a	c	c	d	a	b
128	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	a	c	c	d	a	b
129	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	c	a	c	c	c	a	b
130	b	a	a	a	b	b	b	b	a	b	c	e	a	c	a	a	b	c	a	b
131	b	a	a	a	b	b	b	b	a	b	b	e	a	c	a	a	b	c	a	b
132	b	a	a	b	b	b	b	b	a	b	b	e	a	a	a	a	b	d	a	b
133	b	a	a	b	b	b	b	b	a	b	b	e	a	a	a	a	b	d	a	a
134	b	a	a	b	b	b	b	a	a	b	c	e	a	c	b	a	d	d	a	a
135	b	a	a	b	b	b	c	a	a	b	c	e	a	c	b	c	d	d	a	b
136	b	a	a	b	b	b	b	a	a	b	c	e	a	c	a	c	d	d	a	b
137	a	a	a	b	b	b	b	a	a	b	c	e	a	a	a	c	d	b	a	b
138	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	d	e	a	a	a	c	d	b	a	b
139	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	a	e	a	a	a	c	d	b	a	b
140	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	a	e	a	a	a	c	d	b	a	a
141	a	a	a	a	b	b	b	b	a	b	a	e	a	c	a	b	d	b	a	a
142	a	a	a	a	b	b	b	b	a	b	a	e	a	c	c	b	d	d	a	a
143	a	a	a	a	b	b	b	b	a	b	a	e	a	c	c	b	d	d	a	b
144	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	c	b	d	d	a	b
145	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	c	c	d	d	a	b
146	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	c	a	d	d	a	b
147	a	a	a	b	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	a	a	c	c	a	b
148	a	a	a	b	b	b	b	b	a	b	c	e	a	c	a	a	c	c	a	b
149	b	a	a	b	b	b	b	b	a	b	c	e	a	c	a	c	c	c	a	b
150	b	a	a	b	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	a	c	c	d	a	a

SECTION-D

No. Code	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
126	a	d	c	b	a	c	d	b	b	d	d	a	a	c
127	a	d	c	b	a	c	d	b	b	d	d	a	a	c
128	a	d	c	b	a	c	d	b	b	d	d	a	a	c
129	a	a	c	b	a	c	d	b	b	d	d	a	a	b
130	a	a	c	c	a	d	c	d	a	c	d	a	a	b
131	a	a	d	c	a	d	c	d	a	c	d	a	a	b
132	a	a	d	c	d	d	c	d	a	c	d	a	a	b
133	a	a	d	c	d	d	c	d	a	c	b	a	a	b
134	a	a	d	c	d	d	c	d	a	d	b	a	a	b
135	a	a	d	c	d	d	c	d	a	d	b	a	a	c
136	a	d	d	c	d	c	d	d	a	d	b	a	a	c
137	a	d	d	d	d	c	d	d	a	c	b	a	a	c
138	a	d	d	d	d	c	d	d	b	c	d	a	a	a
139	a	d	b	d	d	d	d	d	b	c	d	a	a	a
140	a	d	b	d	b	d	d	d	a	d	d	b	b	a
141	a	d	b	d	b	d	d	d	a	d	d	a	a	a
142	a	d	b	d	b	d	c	b	a	d	d	a	a	a
143	a	d	d	d	b	c	c	b	a	d	d	b	b	c
144	a	d	d	d	b	c	c	b	a	d	d	b	b	c
145	a	d	d	d	d	c	d	b	a	d	d	a	a	c
146	a	d	d	d	d	d	d	b	a	d	d	a	a	c
147	a	d	c	d	d	d	d	b	a	d	d	a	a	b
148	a	d	c	d	d	d	d	b	b	c	a	a	a	b
149	a	d	c	d	d	d	c	b	b	d	a	a	a	b
150	a	d	c	d	d	d	c	b	b	d	d	a	a	c

MASTER CHART

No. Code	SECTION A PERSONAL INFORMATION								SECTION B FAMILY INFORMATION					SECTION C ECONOMIC INFORMATION				
	N	S.T.	A	S	E	Me	R	V/P.P.	FT	H.C.	T.M.	M.	F.	M.I.	E.I.	S.	T.I.	T.E.
151	K	S	36	M	01	Me	01	K/K	01	02	04	03	01	1200		Ag/Labour	1200	1200
152	G	S	39	M	01	Me	01	K/K	01	02	04	02	02	1500		Ag/Labour	1500	1500
153	P	S	29	M	03	Me	01	K/K	01	02	04	02	02	1500		Ag/Labour	1500	1500
154	K	S	27	F	01	Me	01	K/K	01	02	03	02	01	1000		Ag/Labour	1000	1000
155	M	S	26	F	02	Me	01	K/K	02	02	03	02	01	1000		Ag/Labour	1000	1000
156	S	S	37	M	01	Me	01	K/K	02	02	04	02	02	1500		Ag/Labour	1500	1500
157	R	S	35	F	01	Me	01	K/K	01	02	05	03	02	1000		Ag/Labour	1000	1000
158	G	S	27	F	02	Me	01	K/K	01	02	04	02	02	1000		Ag/Labour	1000	1000
159	S	S	28	F	01	Me	01	K/K	01	02	03	02	01	1000		Ag/Labour	1000	1000
160	K	S	28	F	02	Me	01	K/K	01	02	04	02	02	1000		Ag/Labour	1000	1000
161	R	S	29	M	04	Me	01	K/K	01	03	04	02	02	3000		service	3000	3000
162	G	S	32	M	01	Me	01	K/K	01	02	04	03	01	1500		Ag/Labour	1500	1500
163	P	S	36	M	01	Me	01	K/K	01	02	04	03	01	1500		Ag/Labour	1500	1500
164	K	S	36	M	01	Me	01	K/K	01	02	03	02	01	1500		Ag/Labour	1500	1500
165	N	S	37	M	01	Me	01	K/K	01	02	05	03	02	1500		Ag/Labour	1500	1500
166	G	S	32	M	01	Me	01	K/K	01	02	04	02	02	1500		Ag/Labour	1500	1500
167	K	S	36	M	01	Me	01	K/K	01	02	04	02	02	1500		Ag/Labour	1500	1500
168	P	S	29	M	02	Me	01	K/K	01	02	03	02	01	1500		Ag/Labour	1500	1500
169	B	S	34	M	01	Me	01	K/K	01	02	05	02	03	1500		Ag/Labour	1500	1500
170	B	S	39	M	01	Me	01	K/K	01	02	05	03	02	1500		Ag/Labour	1500	1500
171	J	S	27	F	02	Me	01	K/K	01	02	03	02	01	1000		Ag/Labour	1000	1000
172	C	S	29	F	01	Me	01	K/K	01	02	03	02	01	1000		Ag/Labour	1000	1000
173	F	S	26	F	02	Me	01	K/K	01	02	03	01	02	1000		Ag/Labour	1000	1000
174	K	S	27	F	01	Me	01	K/K	01	02	03	02	01	1000		Ag/Labour	1000	1000
175	J	S	32	F	01	Me	01	K/K	01	02	04	02	02	1000		Ag/Labour	1000	1000

SECTION-D

No. Code	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19	20
											(i)	(ii)	(iii)	(iv)									
151	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	a	b	a	a
152	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	a	b	a	a
153	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	a	b	a	a
154	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	b	a	a
155	a	d	e	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	e	g	e	a	a	h	b	a	a
156	a	d	e	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	b	a	b
157	b	d	e	b	a	d	a	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	a	a	b
158	b	d	a	b	a	d	a	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	a	a	b
159	b	d	a	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	a	a	a
160	b	d	a	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	a	a	a
161	a	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	a	a	a	a
162	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	a	b	a	a
163	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	a	b	a	b
164	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	a	b	a	b
165	b	d	b	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	b
166	b	d	b	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	b	a	a
167	b	d	b	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	a	a	a
168	b	d	b	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	a	a	a
169	b	d	b	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	a	a	a
170	b	d	b	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	e	g	e	a	a	h	a	a	a
171	b	d	d	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	e	g	e	a	a	h	a	a	a
172	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	b	a	a
173	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	a
174	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	h	b	a	a
175	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	h	b	a	b

SECTION-D

No. Code	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
151	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	c	a	d	d	a	b
152	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	c	d	d	d	a	b
153	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	a	d	d	d	a	b
154	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	a	d	d	a	a	b
155	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	a	d	d	a	a	b
156	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	a	d	d	a	a	b
157	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	a	d	d	a	a	a
158	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	a	c	d	a	a	b
159	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	e	a	c	d	a	a	b
160	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	e	a	c	d	d	a	b
161	a	a	a	a	b	b	c	a	a	b	b	e	a	e	a	c	c	d	a	a
162	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	e	c	c	c	d	a	a
163	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	e	c	c	c	d	a	a
164	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	c	c	c	d	a	b
165	b	a	a	b	b	b	b	a	a	b	c	e	a	c	c	c	c	d	a	b
166	b	a	a	b	b	b	b	a	a	b	c	e	a	c	c	a	c	d	b	b
167	b	a	a	b	b	b	b	a	a	b	c	e	a	c	b	a	d	d	b	b
168	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	c	a	a	d	d	a	b
169	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	a	a	a	d	d	a	b
170	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	a	c	d	d	a	b
171	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	a	c	d	b	a	a
172	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	b	c	d	b	a	b
173	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	b	c	d	b	a	b
174	b	a	a	b	b	b	b	a	a	b	c	e	a	c	b	c	a	d	a	b
175	b	a	a	b	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	a	c	a	d	a	b

SECTION-D

No. Code	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
151	a	a	c	d	d	a	d	b	b	d	d	a	a	a
152	a	a	c	d	d	a	d	b	b	d	d	a	a	a
153	a	a	c	d	d	a	d	b	b	d	d	a	a	a
154	a	d	c	c	d	d	d	b	b	d	d	a	a	b
155	a	d	d	c	d	d	c	d	b	d	d	a	a	b
156	a	d	d	c	c	d	c	d	b	d	d	a	a	b
157	a	d	d	d	c	d	c	d	a	d	d	a	a	b
158	a	d	d	d	c	d	c	d	a	d	d	a	a	b
159	a	d	d	d	a	d	d	b	a	d	d	a	a	b
160	a	d	d	c	a	c	d	b	a	d	d	a	a	b
161	a	d	a	c	a	c	d	a	a	c	d	a	a	b
162	a	d	a	c	a	c	d	a	a	c	d	a	a	b
163	a	d	a	d	a	c	d	a	a	c	d	a	a	b
164	a	d	a	d	a	d	c	a	a	c	d	a	a	b
165	a	a	a	d	a	d	c	a	a	c	d	a	a	a
166	a	a	d	d	d	d	d	a	a	d	b	a	a	a
167	a	a	d	d	d	d	d	a	a	d	b	a	a	a
168	a	a	d	d	d	b	d	c	a	d	b	a	a	a
169	a	a	d	d	d	b	d	c	a	c	b	a	a	a
170	a	a	d	d	d	b	d	d	a	c	d	a	a	c
171	a	a	c	c	a	b	d	d	b	d	d	a	a	c
172	a	a	c	c	a	d	d	d	b	d	d	a	a	c
173	a	d	c	c	a	d	c	d	b	c	d	a	a	c
174	a	d	d	c	a	d	c	b	a	c	d	a	a	c
175	a	d	d	d	a	d	d	b	a	d	d	a	a	c

MASTER CHART

No. Code	SECTION A PERSONAL INFORMATION								SECTION B FAMILY INFORMATION					SECTION C ECONOMIC INFORMATION				
	N	S.T.	A	S	E	Me	R	V/P.P.	FT	H.C.	T.M.	M.	F.	M.I.	E.I.	S.	T.I.	T.E.
176	S	S	32	F	01	Me	01	K/K	01	02	05	03	02	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
177	P	S	25	F	02	Me	01	K/K	01	02	03	01	02	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
178	F	S	27	F	02	Me	01	K/K	01	02	03	02	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
179	K	S	29	M	01	Me	01	K/K	01	02	04	01	03	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
180	B	S	32	M	01	Me	01	K/K	01	02	05	03	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
181	G	S	34	M	01	Me	01	N/K	01	02	04	02	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
182	B	S	51	M	01	Me	01	N/K	01	02	02	01	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
183	G	S	29	M	01	Me	01	N/K	01	02	04	02	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
184	R	S	41	M	01	Me	01	N/K	01	02	02	01	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
185	G	S	27	M	02	Me	01	N/K	01	02	05	03	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
186	L	S	48	M	01	Me	01	N/K	01	02	05	03	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
187	A	S	26	M	02	Me	01	N/K	01	02	03	02	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
188	C	S	27	M	02	Me	01	N/K	01	02	03	01	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
189	J	S	34	M	01	Me	01	N/K	01	02	04	02	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
190	C	S	31	M	01	Me	01	N/K	01	02	04	03	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
191	M	S	31	M	01	Me	01	N/K	01	02	03	01	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
192	M	S	29	M	01	Me	01	N/K	01	02	04	01	03	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
193	M	S	27	M	01	Me	01	N/K	01	02	04	02	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
194	F	S	38	M	01	Me	01	N/K	01	02	05	02	03	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
195	K	S	26	M	02	Me	01	N/K	01	02	03	01	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
196	P	S	27	M	02	Me	01	N/K	01	02	03	02	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
197	H	S	41	M	01	Me	01	N/K	01	02	03	01	01	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
198	M	S	27	M	01	Me	01	N/K	01	02	03	01	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
199	M	S	27	M	02	Me	01	N/K	01	02	03	02	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
200	P	S	29	M	01	Me	01	N/K	01	02	04	03	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500

SECTION-D

No. Code	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19	20
											(i)	(ii)	(iii)	(iv)									
176	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	b	a	b
177	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	b	a	b
178	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	b	a	b
179	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	b	a	b
180	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	b	a	b
181	b	d	a	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	a	a	b
182	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	f	a	a	b
183	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	f	a	a	a
184	b	d	d	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	f	a	a	a
185	a	d	a	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	e	g	e	a	a	h	a	a	a
186	a	d	a	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	h	b	a	a
187	b	d	d	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	a	b	a	a
188	b	d	d	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	a	b	a	b
189	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	a	b	a	b
190	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	a	b	a	b
191	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	a	a	a	b
192	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	a	a	a	a
193	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	a	a	a	a
194	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	f	a	a	a
195	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	f	a	a	a
196	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	f	a	a	a
197	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	b	a	a	b
198	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	b	a	a	b
199	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	b	a	a	b
200	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	a	a	b

SECTION-D

No. Code	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
176	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	a	b	a	b	a	b
177	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	a	b	d	d	a	b
178	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	a	b	d	d	a	b
179	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	a	a	b	d	d	a	b
180	a	a	a	a	b	b	b		a	b	c	e	a	a	a	a	d	d	a	b
181	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	a	a	d	d	a	b
182	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	a	a	d	d	a	b
183	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	a	a	d	d	a	b
184	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	a	a	d	c	a	b
185	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	a	a	d	c	a	b
186	a	a	a	a	b	b	c	a	a	b	b	e	a	c	b	a	d	c	a	b
187	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	b	a	d	c	a	b
188	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	c	b	a	d	c	a	b
189	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	a	b	a	d	d	a	a
190	a	a	a	b	b	b	b	a	a	b	c	e	a	a	c	a	d	d	a	a
191	a	a	a	b	b	b	b	b	a	b	c	e	a	a	c	a	c	d	b	a
192	a	a	a	b	b	b	b	b	a	b	b	e	a	a	c	c	c	d	b	b
193	b	a	a	a	b	b	b	b	a	b	b	e	a	a	c	c	c	d	b	b
194	b	a	a	a	b	b	b	b	a	b	b	e	a	a	c	c	c	c	a	b
195	b	a	a	a	b	b	b	b	a	b	b	e	a	a	a	c	c	c	a	b
196	b	a	a	a	b	b	b	b	a	b	b	e	a	a	a	c	c	c	a	b
197	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	a	a	d	d	b	b
198	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	a	a	d	d	b	b
199	b	a	a	b	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	a	a	d	d	b	b
200	a	a	a	b	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	a	a	d	d	b	b

SECTION-D

No. Code	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
176	a	a	b	a	d	d	c	b	a	d	d	a	a	b
177	a	a	b	a	d	d	c	b	a	d	d	a	a	b
178	a	a	b	a	a	d	d	b	a	d	d	a	a	b
179	a	a	d	d	d	d	d	d	a	d	a	a	a	a
180	a	a	d	d	d	d	d	d	a	d	a	a	a	a
181	a	a	d	d	a	d	c	d	a	c	d	a	a	b
182	a	a	d	d	a	d	c	d	a	c	d	a	a	b
183	a	a	d	d	a	d	c	d	a	c	d	a	a	b
184	a	a	d	d	a	d	c	d	a	c	d	a	a	c
185	a	a	d	d	b	d	c	d	b	c	d	a	a	c
186	a	a	d	c	b	d	b	d	b	d	d	a	a	c
187	a	a	d	c	b	d	b	d	b	d	d	a	a	c
188	a	a	d	c	b	d	b	d	b	d	a	a	a	c
189	a	a	d	c	c	d	b	a	b	d	a	a	a	c
190	a	a	d	d	c	d	b	a	b	d	a	a	a	c
191	a	d	c	d	c	d	b	a	b	d	a	b	b	b
192	a	d	c	d	c	d	b	a	a	c	a	b	b	a
193	a	d	c	d	a	d	c	b	a	c	d	b	b	b
194	a	d	c	d	a	d	c	b	a	c	d	a	a	b
195	a	d	c	d	a	d	c	b	b	b	d	a	a	b
196	a	d	c	d	d	c	c	b	b	b	d	a	a	b
197	a	a	c	d	d	c	c	d	b	b	d	a	a	c
198	a	a	d	c	d	c	b	d	b	b	d	a	a	c
199	a	a	d	c	d	d	b	d	a	b	d	a	a	c
200	a	a	d	c	d	d	a	d	a	d	d	a	a	c

MASTER CHART

No. Code	SECTION A PERSONAL INFORMATION								SECTION B FAMILY INFORMATION					SECTION C ECONOMIC INFORMATION				
	N	S.T.	A	S	E	Me	R	V/P.P.	FT	H.C.	T.M.	M.	F.	M.I.	E.I.	S.	T.I.	T.E.
201	B	S	34	M		Me	01	N/K	01	02	03	01	02	1500		Ag/Labour	1500	1500
202	R	S	25	M	03	Me	01	N/K	01	02	02	01	01	3000		Service	3000	3000
203	P	S	37	M	01	Me	01	N/K	01	02	05	02	03	1500		Ag/Labour	1500	1500
204	B	S	28	M	01	Me	01	N/K	02	02	06	02	04	1500		Ag/Labour	1500	1500
205	J	S	27	M	02	Me	01	N/K	02	02	07	03	04	1000		Ag/Labour	1000	1000
206	S	S	32	M	01	Me	01	N/K	02	02	06	02	04	1000		Ag/Labour	1000	1000
207	B	S	28	M	01	Me	01	N/K	02	02	05	02	03	1000		Ag/Labour	1000	1000
208	J	S	39	M	03	Me	01	N/K	01	02	04	02	02	3000		Service	3000	3000
209	K	S	41	M	01	Me	01	N/K	01	02	02	01	01	1200		Ag/Labour	1200	1200
210	P	S	26	M	02	Me	01	N/K	02	02	06	02	04	1000		Ag/Labour	1000	1000
211	J	S	29	M	01	Me	01	N/K	01	02	08	03	05	1000		Ag/Labour	1000	1000
212	N	S	31	M	01	Me	01	N/K	01	02	06	02	04	1500		Ag/Labour	1500	1500
213	J	S	51	M	01	Me	01	N/K	01	02	02	01	01	1200		Ag/Labour	1200	1200
214	B	S	26	M	02	Me	01	N/K	01	02	03	01	02	1000		Ag/Labour	1000	1000
215	P	S	29	M	01	Me	01	N/K	01	02	04	02	02	1000		Ag/Labour	1000	1000
216	S	S	31	M	01	Me	01	N/K	01	02	06	03	03	1000		Ag/Labour	1000	1000
217	G	S	27	M	02	Me	01	N/K	01	02	03	01	02	1000		Ag/Labour	1000	1000
218	K	S	29	M	02	Me	01	N/K	01	02	03	02	01	1000		Ag/Labour	1000	1000
219	B	S	31	M	01	Me	01	N/K	01	02	03	02	01	1200		Ag/Labour	1200	1200
220	P	S	36	M	01	Me	01	N/K	01	02	04	03	01	1200		Ag/Labour	1200	1200
221	K	S	42	M	01	Me	01	N/K	01	02	02	01	01	1500		Ag/Labour	1500	1500
222	P	S	39	M	01	Me	01	N/K	01	02	03	02	01	1500		Ag/Labour	1500	1500
223	G	S	32	M	01	Me	01	N/K	01	02	04	01	03	1200		Ag/Labour	1200	1200
224	P	S	34	M	01	Me	01	N/K	01	02	05	02	03	1500		Ag/Labour	1500	1500
225	F	S	27	M	01	Me	01	N/K	01	02	03	02	01	1200		Ag/Labour	1200	1200

SECTION-D

No. Code	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19	20
											(i)	(ii)	(iii)	(iv)									
201	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	b	a	b
202	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	b	a	b
203	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	a
204	a	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	b	a	a
205	a	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	a	b	a	a
206	a	d	b	b	b	-	a	-	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	a	b	a	a
207	a	d	b	b	b	-	a	-	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	a	b	a	a
208	b	d	b	b	b	-	a	-	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	b	b	a	a
209	b	d	a	b	a	d	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	b	b	a	a
210	a	d	a	b	a	d	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	b	b	a	a
211	a	d	a	b	a	d	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	b	b	a	a
212	b	d	b	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	b	b	a	a
213	b	d	b	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	h	b	a	a
214	b	d	b	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	h	a	a	a
215	b	d	b	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	h	a	a	a
216	b	d	c	b	b	-	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	h	a	a	b
217	b	d	c	b	b	-	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	h	a	a	b
218	b	d	c	b	b	-	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	a	a	a
219	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	a	a	a
220	b	d	c	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	e	g	e	a	a	h	a	a	a
221	b	d	c	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	e	g	e	a	a	h	b	a	a
222	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	e	g	e	a	a	h	b	a	a
223	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	b	a	a
224	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	a
225	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	b	a	a

SECTION-D

No. Code	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
201	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	d	c	a	a	a	b
202	b	a	a	a	b	b	c	a	a	b	b	e	a	c	d	c	a	a	a	b
203	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	d	a	a	a	a	b
204	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	c	a	c	d	a	b
205	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	c	b	c	d	a	b
206	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	c	b	c	d	a	b
207	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	c	b	c	d	a	b
208	a	a	a	a	b	b	c	b	a	b	c	e	a	a	a	b	d	c	a	b
209	a	a	a	a	b	b	b	b	a	b	c	e	a	c	a	b	d	c	a	b
210	a	a	a	a	b	b	b	b	a	b	c	e	a	c	a	a	d	c	a	b
211	a	a	a	a	b	b	b	b	a	b	c	e	a	c	a	a	d	c	a	b
212	a	a	a	a	b	b	b	b	a	b	c	e	a	c	a	a	d	d	a	b
213	a	a	a	b	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	a	a	d	d	a	b
214	a	a	a	b	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	a	d	c	b	a	b
215	a	a	a	b	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	a	d	c	b	a	b
216	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	b	d	d	b	a	b
217	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	b	d	d	b	a	b
218	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	b	a	d	b	a	b
219	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	b	a	d	b	a	b
220	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	a	b	a	d	d	a	b
221	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	a	a	a	d	d	a	b
222	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	a	a	a	d	d	a	b
223	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	a	a	d	c	a	b
224	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	a	a	d	c	a	b
225	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	a	c	d	d	a	b

SECTION-D

No. Code	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
201	a	d	a	b	d	a	c	d	a	c	d	a	a	c
202	a	d	a	b	d	a	c	d	a	c	d	a	a	c
203	a	d	a	b	d	a	c	d	a	d	d	a	a	c
204	a	d	a	a	d	d	c	d	a	d	a	a	a	c
205	a	d	a	a	d	d	c	d	a	d	a	a	a	c
206	a	d	a	a	d	d	c	d	a	d	a	a	a	b
207	a	d	a	c	d	d	c	a	a	c	d	a	a	b
208	a	d	c	c	d	d	c	a	b	b	d	a	a	b
209	a	d	c	c	d	d	c	a	b	b	d	a	a	b
210	a	a	c	c	d	d	b	a	b	b	d	b	b	b
211	a	a	c	d	c	d	b	a	b	d	d	b	b	b
212	a	a	c	d	c	c	b	c	b	d	d	b	a	b
213	a	a	c	d	b	c	b	c	b	d	d	a	a	c
214	a	a	b	d	b	c	b	c	b	d	a	a	a	c
215	a	a	b	d	b	c	b	c	b	d	a	a	a	c
216	a	d	b	d	b	c	b	b	b	d	d	a	a	c
217	a	d	b	d	b	c	c	b	a	d	d	a	a	c
218	a	d	b	a	d	d	c	b	a	d	d	a	a	c
219	a	d	b	a	d	d	c	b	a	d	d	a	a	c
220	a	d	b	a	d	d	c	b	a	d	d	a	a	a
221	a	d	b	a	d	d	c	b	a	d	d	a	a	a
222	a	a	b	b	d	d	c	b	a	d	b	a	a	a
223	a	a	d	b	d	d	b	a	a	d	b	a	a	c
224	a	a	d	b	d	d	b	a	a	d	d	a	a	c
225	a	a	d	b	d	d	b	a	a	d	d	a	a	c

MASTER CHART

No. Code	SECTION A PERSONAL INFORMATION								SECTION B FAMILY INFORMATION					SECTION C ECONOMIC INFORMATION				
	N	S.T.	A	S	E	Me	R	V/P.P.	FT	H.C.	T.M.	M.	F.	M.I.	E.I.	S.	T.I.	T.E.
226	M	S	48	M	01	Me	01	N/K	01	02	02	01	01	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
227	M	S	28	M	01	Me	01	N/K	01	02	03	02	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
228	G	S	28	M	01	Me	01	N/K	01	02	03	02	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
229	M	S	32	F	01	Me	01	N/K	01	02	04	01	02	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
230	K	S	36	M	01	Me	01	N/K	01	02	03	01	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
231	F	S	37	M	01	Me	01	N/K	01	02	03	02	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
232	B	S	42	M	01	Me	01	N/K	01	02	02	01	01	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
233	A	S	28	M	01	Me	01	N/K	01	02	03	02	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
234	S	S	27	M	01	Me	01	N/K	01	02	02	01	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
235	K	S	38	M	01	Me	01	N/K	01	02	03	01	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
236	P	S	36	M	01	Me	01	N/K	01	02	03	02	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
237	B	S	29	M	01	Me	01	N/K	01	02	04	01	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
238	F	S	30	M	01	Me	01	N/K	01	02	02	01	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
239	K	S	34	M	01	Me	01	N/K	01	02	04	02	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
240	S	S	32	M	01	Me	01	N/K	01	02	03	02	01	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
241	K	S	37	M	01	Me	01	J/O	02	02	05	03	03	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
242	T	S	32	M	01	Me	01	J/O	01	02	03	02	01	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
243	S	S	29	M	02	Me	01	J/O	01	02	03	01	02	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
244	A	S	34	M	01	Me	01	J/O	01	02	04	02	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
245	N	S	44	M	01	Me	01	J/O	01	02	03	02	01	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
246	M	S	32	M	02	Me	01	J/O	01	02	04	03	01	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
247	N	S	34	M	01	Me	01	J/O	01	02	03	02	01	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
248	P	S	36	M	01	Me	01	J/O	01	02	04	02	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
249	S.P.	S	42	M	01	Me	01	J/O	01	02	02	01	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
250	K	S	29	M	02	Me	01	J/O	01	02	04	02	02	1200	—	Ag/Labour	1200	1200

SECTION-D

No. Code	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19	20
											(i)	(ii)	(iii)	(iv)									
226	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	a
227	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	b	a	a
228	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	b	a	a
229	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	h	b	a	a
230	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	h	b	a	a
231	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	a	a	b
232	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	a	a	b
233	b	d	e	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	a	a	a	b
234	b	d	e	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	a	a	a	b
235	b	d	d	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	a	a	a	b
236	b	d	d	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	a	b	a	b
237	b	d	d	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	b	a	b
238	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	b	a	a
239	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	b	a	a
240	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	a
241	a	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	a
242	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	b	b	a	a
243	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	b	b	a	a
244	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	b	b	a	a
245	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	b	b	a	a
246	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	a	a	a
247	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	a	a	a
248	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	a	a	a
249	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	a	a	b
250	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	b	a	b

SECTION-D

No. Code	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
226	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	c	b	d	d	a	b
227	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	c	b	d	d	a	b
228	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	c	b	d	d	a	b
229	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	b	b	d	d	a	b
230	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	c	b	d	b	d	a	b
231	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	a	d	b	d	a	b
232	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	a	d	b	d	a	b
233	a	a	a	b	b	b	b	a	a	b	c	e	a	a	a	c	b	d	a	b
234	a	a	a	b	b	b	b	b	a	b	c	e	a	a	a	c	d	d	a	b
235	a	a	a	b	b	b	b	b	a	b	c	e	a	c	a	c	d	d	a	b
236	a	a	a	b	b	b	b	b	a	b	c	e	a	c	a	c	d	d	a	b
237	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	e	a	c	a	c	d	d	a	b
238	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	a	c	d	d	a	b
239	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	a	c	d	d	a	b
240	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	e	a	a	a	c	d	d	a	b
241	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	c	a	a	d	d	a	b
242	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	c	a	a	d	d	a	b
243	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	c	a	a	d	d	a	b
244	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	a	a	a	d	d	a	b
245	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	a+c	a	a	c	a	c	a	a	b
246	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	a+c	a	a	c	a	c	a	a	b
247	b	a	a	a	b	b	b	b	a	b	c	a+c	a	a	c	a	c	a	a	b
248	b	a	a	a	b	b	b	b	a	b	c	a+c	a	c	c	a	c	d	a	b
249	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	c	c	a	d	d	a	b
250	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	c	a	a	d	d	a	b

SECTION-D

No. Code	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
226	a	a	c	b	a	d	c	a	b	c	d	a	a	c
227	a	a	c	d	a	d	c	a	b	c	d	a	a	c
228	a	a	c	d	a	d	c	a	b	d	d	a	a	c
229	a	d	c	d	d	d	c	a	a	d	d	a	a	c
230	a	d	c	d	d	b	c	a	a	d	a	a	a	c
231	a	d	d	d	d	b	b	d	a	d	a	a	a	b
232	a	d	d	d	d	b	b	d	a	d	a	a	a	b
233	a	d	d	d	a	b	b	d	b	d	a	a	a	b
234	a	a	d	d	a	d	b	d	b	d	d	a	a	a
235	a	a	d	d	a	d	c	a	b	d	d	a	b	a
236	a	a	d	d	a	d	c	a	b	c	d	a	b	a
237	a	a	d	d	d	d	c	a	a	c	a	a	b	b
238	a	a	d	d	d	d	c	a	a	b	a	a	a	b
239	a	a	d	d	d	d	c	a	a	b	a	a	a	c
240	a	d	d	d	d	d	c	a	b	d	d	a	a	c
241	a	a	d	c	d	d	d	b	a	d	a	a	a	c
242	a	d	d	c	d	d	d	b	a	d	a	a	a	c
243	a	d	d	c	d	d	d	b	a	d	a	a	b	c
244	a	d	d	d	d	c	d	a	a	d	d	a	b	c
245	a	d	c	d	d	c	d	a	a	d	d	a	b	c
246	a	d	c	d	d	c	d	a	b	d	d	a	a	c
247	a	a	c	d	a	c	d	a	b	d	d	a	a	b
248	a	a	c	d	a	c	c	a	a	d	d	a	a	b
249	a	a	d	c	a	c	c	d	a	d	d	a	a	c
250	a	d	d	c	a	d	c	d	a	d	d	a	a	c

MASTER CHART

No. Code	SECTION A PERSONAL INFORMATION								SECTION B FAMILY INFORMATION					SECTION C ECONOMIC INFORMATION				
	N	S.T.	A	S	E	Me	R	V/P.P.	FT	H.C.	T.M.	M.	F.	M.I.	E.I.	S.	T.I.	T.E.
251	S	S	27	F	02	Me	01	J/O	02	02	06	03	03	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
252	B	S	26	F	02	Me	01	J/O	01	02	03	02	01	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
253	G.D	S	29	F	01	Me	01	J/O	01	02	04	02	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
254	H	S	27	F	02	Me	01	J/O	01	02	03	01	02	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
255	M	S	36	F	01	Me	01	J/O	02	02	08	05	03	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
256	G	S	38	M	01	Me	01	J/O	01	02	04	03	01	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
257	D.R	S	52	M	01	Me	01	J/O	01	02	02	01	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
258	S.P	S	49	M	01	Me	01	J/O	01	02	02	01	01	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
259	B.D	S	28	F	01	Me	01	J/O	02	02	06	03	03	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
260	K	S	26	F	02	Me	01	J/O	01	02	03	01	02	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
261	D	S	26	F	02	Me	01	J/O	01	02	03	01	02	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
262	B	S	29	M	02	Me	01	J/O	01	02	04	03	01	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
263	C	S	28	F	01	Me	01	J/O	01	02	03	01	02	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
264	S	S	27	F	02	Me	01	J/O	01	02	03	01	02	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
265	U	S	32	M	01	Me	01	J/O	01	02	04	03	01	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
266	T	S	34	M	01	Me	01	J/O	01	02	03	02	01	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
267	B	S	28	M	03	Me	01	J/O	01	02	03	02	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
268	J	S	32	M	03	Me	01	J/O	01	02	03	02	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
269	P	S	34	M	02	Me	01	J/O	01	02	04	02	02	1500	—	Ag/Labour	1500	1500
270	K	S	33	M	02	Me	01	J/O	01	02	04	02	02	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
271	A	S	52	M	01	Me	01	J/O	01	02	02	01	01	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
272	B	S	49	M	01	Me	01	J/O	01	02	02	01	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000
273	J	S	36	M	01	Me	01	J/O	01	02	03	01	02	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
274	P	S	34	M	03	Me	01	J/O	01	02	04	03	01	1200	—	Ag/Labour	1200	1200
275	S	S	32	M	03	Me	01	J/O	01	02	04	03	01	1000	—	Ag/Labour	1000	1000

SECTION-D

No. Code	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19	20
											(i)	(ii)	(iii)	(iv)									
251	a	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	b
252	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	b	a	b
253	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	b	a	b
254	b	d	e	b	b	-	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	b	a	b
255	a	d	e	b	b	-	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	b	a	b
256	b	d	a	b	b	-	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	h	b	a	a
257	b	d	a	b	b	-	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	a
258	b	d	a	b	a	d	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	a
259	a	d	a	b	a	d	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	h	b	a	a
260	b	d	a	b	a	d	b	b	b	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	h	b	a	a
261	b	d	b	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	h	a	a	a
262	b	d	b	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	a	a	a
263	b	d	b	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	e	g	e	a	a	h	a	a	b
264	b	d	b	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	e	g	e	a	a	h	b	a	b
265	b	d	d	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	e	g	e	a	a	a	b	a	b
266	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	a	b	a	b
267	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	a	b	a	b
268	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	a	a	a	a
269	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	a	a	a	a
270	b	d	b	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	b	a	a	a
271	b	d	b	b	b	-	a	-	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	b	a	a	a
272	b	d	b	b	b	-	a	-	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	b	a	a	a
273	b	d	e	b	b	-	a	-	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	a	a	a
274	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a·	a	h	a	a	a
275	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	h	b	a	a

SECTION-D

No. Code	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
251	a	a	a	b	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	c	a	c	d	d	a	b
252	a	a	a	b	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	c	a	c	d	d	a	b
253	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	c	a	c	d	d	a	b
254	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	c	a	c	d	d	a	b
255	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	a+c	a	c	c	c	d	d	a	b
256	a	a	a	a	b	b	b	b	a	b	c	a+c	a	a	c	c	d	c	a	b
257	b	a	a	a	b	b	b	b	a	b	c	a+c	a	a	c	a	d	c	a	b
258	b	a	a	a	b	b	b	b	a	b	c	a+c	a	a	a	a	c	c	a	b
259	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	a+c	a	a	a	a	c	c	a	b
260	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	a+c	a	a	a	a	c	c	a	b
261	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	a+c	a	a	a	a	c	c	a	b
262	b	a	a	a	b	b	b	b	a	b	c	a+c	a	c	a	a	b	d	a	b
263	b	a	a	a	b	b	b	b	a	b	b	a+c	a	c	a	c	b	d	a	b
264	b	a	a	a	b	b	b	b	a	b	b	a+c	a	c	a	c	b	d	a	b
265	b	a	a	a	b	b	b	b	a	b	b	a+c	a	c	c	c	b	d	a	b
266	b	a	a	a	b	b	b	b	a	b	b	a+c	a	a	c	c	d	c	a	b
267	a	a	a	b	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	a	c	a	d	c	a	b
268	a	a	a	b	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	a	c	a	d	c	a	b
269	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	a	a	a	d	c	a	b
270	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	c	a	a	d	b	a	b
271	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	c	a	a	d	b	a	b
272	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	c	a	b	d	b	a	b
273	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	c	c	b	b	b	a	b
274	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	c	c	b	b	b	a	b
275	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	a	c	b	d	b	a	b

SECTION-D

No. Code	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
251	a	d	c	d	a	d	d	c	a	d	a	a	a	c
252	a	d	c	d	a	d	d	c	a	d	a	a	a	c
253	a	d	c	d	d	d	d	c	a	d	a	a	a	c
254	a	a	c	d	d	d	d	d	a	d	d	a	a	c
255	a	a	c	c	d	d	d	d	a	d	d	a	a	c
256	a	a	c	c	d	d	d	d	a	d	d	a	a	c
257	a	a	a	c	d	d	c	d	a	d	d	a	a	c
258	a	a	a	c	d	d	c	d	a	d	d	a	a	c
259	a	a	a	c	d	d	c	b	a	d	d	a	a	c
260	a	d	d	c	d	d	c	b	a	d	d	a	a	c
261	a	d	d	c	d	d	d	b	a	d	d	a	a	b
262	a	d	d	c	d	d	d	b	a	d	d	a	a	b
263	a	d	d	c	d	d	d	b	a	d	d	a	a	b
264	a	d	d	c	a	d	d	b	a	c	d	a	a	b
265	a	d	d	c	a	d	d	a	a	c	d	a	a	c
266	a	d	d	d	a	d	d	a	a	c	d	a	a	c
267	a	d	d	d	a	d	d	a	a	c	d	a	b	c
268	a	d	d	d	a	d	d	a	a	c	d	a	b	c
269	a	d	d	d	a	d	d	a	a	c	d	a	b	c
270	a	a	d	d	d	d	d	b	a	d	d	a	b	c
271	a	a	d	c	d	c	d	b	a	b	d	a	a	b
272	a	a	d	c	d	c	d	b	a	b	d	a	a	b
273	a	a	d	c	d	c	d	b	a	b	d	a	a	c
274	a	d	d	c	d	d	c	d	a	b	d	a	a	c
275	a	d	d	c	d	d	c	d	a	b	d	a	b	c

MASTER CHART

No. Code	SECTION A PERSONAL INFORMATION							SECTION B FAMILY INFORMATION					SECTION C ECONOMIC INFORMATION				
	N	S.T.	A	S	E	Me	R	V/P.P.	FT	H.C.	T.M.	M.	F.	M.I.	E.I.	S.	T.I.	T.E.
276	J	S	32	M	03	Me	01	J/O	01	02	02	02	01	1200		Ag/Labour	1200	1200
277	K	S	36	M	03	Me	01	J/O	01	02	04	02	02	1200		Ag/Labour	1200	1200
278	B	S	29	M	02	Me	01	J/O	01	02	03	02	01	1200		Ag/Labour	1200	1200
279	P	S	27	M	02	Me	01	J/O	01	02	03	02	01	1200		Ag/Labour	1200	1200
280	J	S	31	M	02	Me	01	J/O	01	02	04	02	02	1500		Ag/Labour	1500	1500
281	B	S	32	M	03	Me	01	J/O	01	02	04	03	01	2500		service	2050	2050
282	K	S	39	M	02	Me	01	J/O	01	02	04	02	02	1500		Ag/Labour	1500	1500
283	S	S	37	M	02	Me	01	J/O	01	02	05	02	03	1500		Ag/Labour	1500	1500
284	G	S	32	M	02	Me	01	J/O	01	02	04	03	01	1200		Ag/Labour	1200	1200
285	F	S	27	F	02	Me	01	J/O	01	02	03	01	02	1000		Ag/Labour	1000	1000
286	S	S	29	F	02	Me	01	J/O	01	02	04	02	02	1000		Ag/Labour	1000	1000
287	K	S	27	F	02	Me	01	J/O	01	02	04	01	03	1000		Ag/Labour	1000	1000
288	B	S	27	F	02	Me	01	J/O	01	02	03	01	02	1000		Ag/Labour	1000	1000
289	P	S	31	F	02	Me	01	J/O	01	02	04	01	03	1200		Ag/Labour	1200	1200
290	K	S	30	F	02	Me	01	J/O	01	02	04	01	03	1200		Ag/Labour	1200	1200
291	P	S	39	M	01	Me	01	J/O	01	02	05	02	03	1200		Ag/Labour	1200	1200
292	A	S	46	M	01	Me	01	J/O	01	02	02	01	01	1200		Ag/Labour	1200	1200
293	F	S	32	F	02	Me	01	J/O	01	02	03	01	02	1200		Ag/Labour	1200	1200
294	D	S	30	F	02	Me	01	J/O	01	02	04	01	03	1200		Ag/Labour	1200	1200
295	G	S	29	F	02	Me	01	J/O	01	02	04	02	02	1200		Ag/Labour	1200	1200
296	S	S	52	M	01	Me	01	J/O	01	02	02	01	01	1000		Ag/Labour	1000	1000
297	K	S	49	M	01	Me	01	J/O	01	02	02	01	01	1000		Ag/Labour	1000	1000
298	P	S	34	M	01	Me	01	J/O	01	02	04	02	02	1500		Ag/Labour	1500	1500
299	B	S	36	M	01	Me	01	J/O	01	02	04	01	03	1200		Ag/Labour	1200	1200
300	S	S.	39	M	01	Me	01	J/O	01	02	03	02	01	1200		Ag/Labour	1200	1200

SECTION-D

No. Code	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19	20
											(i)	(ii)	(iii)	(iv)									
276	b	d	d	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	h	b	a	b
277	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	h	b	a	b
278	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	f	g	e	a	a	h	b	a	b
279	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	b
280	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	b
281	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	b
282	b	d	e	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	b	a	b
283	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	b	b	a	b
284	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	b	b	a	a
285	b	d	e	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	a	g	e	a	a	b	a	a	a
286	b	d	a	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	b	a	a	a
287	b	d	a	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	b	a	a	a
288	b	d	c	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	b	a	a	a
289	b	d	c	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	b	g	e	a	a	b	a	a	a
290	b	d	c	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	b	b	a	b
291	b	d	b	b	a	d	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	b	b	b	b
292	b	d	b	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	b	b	b	b
293	b	d	b	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	b	b	b	b
294	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	d	g	e	a	a	b	b	a	b
295	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	b	b	b	a
296	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	a	b	a
297	b	d	c	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	c	g	e	a	a	h	a	b	a
298	b	d	b	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	e	g	e	a	a	h	a	a	a
299	b	d	a	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	e	g	e	a	a	b	b	a	b
300	b	d	a	b	b	-	b	b	a	b	d	c+d	b+c+d	e	e	g	e	a	a	b	b	a	b

SECTION-D

No. Code	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
276	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	c	b	c	d	b	a	b
277	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	c	b	c	d	a	a	b
278	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	c	b	c	d	a	a	b
279	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	c	b	b	d	c	a	b
280	a	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	a	b	c	d	c	a	b
281	a	a	a	b	b	b	c	a	a	b	b	a+c	a	a	a	c	c	c	a	b
282	a	a	a	b	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	a	a	d	c	d	a	b
283	a	a	a	b	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	a	a	d	d	d	a	b
284	a	a	a	b	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	a	a	d	d	d	a	b
285	a	a	a	b	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	a	d	d	a	d	a	b
286	a	a	a	b	b	b	b	b	a	b	b	a+c	a	a	d	d	a	d	a	b
287	a	a	a	a	b	b	b	b	a	b	c	a+c	a	c	d	d	a	d	a	b
288	b	a	a	a	b	b	b	b	a	b	c	a+c	a	c	d	a	a	d	a	b
289	b	a	a	a	b	b	b	b	a	b	c	a+c	a	c	d	a	a	d	a	b
290	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	a+c	a	a	d	a	d	d	a	b
291	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	a+c	a	a	d	a	d	d	a	b
292	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	c	a+c	a	a	a	d	d	d	a	b
293	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	a	a	d	d	d	a	b
294	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	a	a	d	d	d	a	b
295	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	a	a	a	d	d	a	b
296	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	c	a	a	d	d	a	b
297	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	c	c	a	d	d	a	b
298	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	c	c	a	d	d	a	b
299	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	a	c	a	d	d	a	b
300	b	a	a	a	b	b	b	a	a	b	b	a+c	a	a	c	a	d	d	a	b

SECTION-D

No. Code	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
276	a	a	c	a	b	a	d	b	a	d	a	a	a	c
277	a	a	c	a	b	a	d	b	a	d	a	a	a	c
278	a	a	c	a	b	a	d	b	a	d	a	a	a	c
279	a	a	c	a	b	a	d	b	a	d	d	a	a	c
280	a	a	b	a	b	a	d	d	a	d	d	a	a	c
281	a	a	b	c	d	a	d	d	a	d	d	a	b	c
282	a	d	b	c	d	c	d	b	a	d	d	a	b	c
283	a	d	c	c	d	c	d	b	a	d	d	a	b	c
284	a	d	c	c	d	c	d	b	a	d	d	a	b	c
285	a	d	c	b	c	c	d	b	a	d	d	a	b	c
286	a	d	c	b	c	b	d	a	b	d	d	a	b	c
287	a	d	d	b	d	b	c	a	b	d	d	a	b	c
288	a	d	d	c	d	b	c	a	b	d	d	a	b	c
289	a	d	d	c	d	b	c	a	b	d	d	a	a	b
290	a	d	d	d	d	b	c	a	b	d	d	a	a	b
291	a	d	b	d	d	c	c	a	a	d	d	a	a	b
292	a	a	b	d	a	c	d	b	a	c	d	a	a	b
293	a	a	b	d	a	c	d	a	a	c	d	a	a	b
294	a	a	d	d	a	c	d	a	a	c	d	a	a	c
295	a	a	d	d	a	c	d	a	a	c	d	a	b	c
296	a	d	d	c	a	d	d	d	a	c	d	a	b	c
297	a	d	d	c	d	c	d	d	a	d	d	a	a	c
298	a	a	d	c	d	c	c	d	a	d	d	a	a	c
299	a	a	d	c	d	d	d	d	a	d	d	a	a	c
300	a	a	d	c	d	d	d	d	a	d	d	a	a	c

CODING

Section A
N-Name
A-Age
S-Sex
E-Education
Me-Marriage condition
R-Religion-Religion code Hindu-01
V/PP-Village/Post of Panchayat

Section B
F.T. -Family type
H.C.-House condition
T.M.-Total member
M.-Male
F.-Female

Section C
M.I.-Main Income
E.I.-Extra income
S-Source
T.I.-Total Income
T.E.-Total Expenditure

Educational qualification

Uneducated	01
Primary	02
Middle	03
H.Sc./Inter	04
Undergraduate	05
Post graduate	06

Family Type code

Nuclear family	01
Joint Family	02

House condition code

Hut	01
Kachha house	02
Pucca house	03